

तन्वीखात और तर्मीमात का बयान ।

दफ्तः ५ जज्जअन मन्वज हुई वज्जरीय इ ... ऐक्ट १४ मुस्दर इ सन १८७० ई०—(जमीम)

दफ्त्यात ३४ ओ ४० ओ ५६ ओ १३१ जो १९४

ओ १९५ ओ २०२ ओ २२३ ओ ३०७ तर्मीम

की गई—और दफ्त्यात १२१ (अलिफ) ओ

२२४ (अलिफ) ओ २२५ (अलिफ) ओ २८४

(अलिफ) ओ ३०४ (अलिफ) इलहाक की

गई वज्जरीयःइ ऐक्ट २७ मुस्दर इ सन १८७० ई० दफ्त्यात १-१२ ।

दफ्तः २३० तर्मीम की गई वज्जरीय इ... .. ऐक्ट १९ मुस्दरःइ सन १८७२ ई०—दफ्तः १ ।

वातिल किया गया सिन्ध के जिब्बा सरहदी में

वज्जरीयःइ रेगुलेशन ५ मुस्दर इ सन १८७२ ई०—दफ्तः ११

दफ्त्यात १७८ ओ १८१ तर्मीम की गई

वज्जरीय इ ऐक्ट १० मुस्दर इ सन १८७३ ई०—दफ्त १५ ।

तमसील (अलिफ) दफ्त १९ की दरखुमूम

ममालिके मगरबी ओ शिमाली के तर्मीम की

गई वज्जरीय इ ऐक्ट १२ मुस्दर इ सन १८८१ ई०—दफ्त २ ।

दफ्त्यात ४० ओ ६४ ओ ६७ ओ ७१ ओ ७३

ओ २१४ ओ ३०९ ओ ३३५ ओ ४१० ओ

४३५ तर्मीम की गई वज्जरीय इ... .. ऐक्ट ८ मुस्दर इ सन १८८२ ई० दफ्त्यात १-१० ।

तमसीलात दफ्त- २१४ की मन्सूर हुई वज्जरीय इ. ऐक्ट १० मुस्दरःइ सन १८८२ ई० (जमीम.) ।

दफ्त्यात ४० ओ ६४ ओ ७५ ओ २१६ ओ २२५

(अलिफ) तर्मीम की गई और दफ्त. २२५

(वे) इलहाक की गई वज्जरीयःइ... .. ऐक्ट १० मुस्दर इ सा १८८६ ई०—दफ्त्यात

२१—२४ (१) ।

दफ्त १३८ (अलिफ) इलहाक की गई वज्जरीय इ. ऐक्ट २४ मुस्दर इ सन १८८७ ई०—दफ्त. २९ ।

दफ्त्यात १६२ ओ १६३ तर्मीम की गई

वज्जरीयःइ ऐक्ट १८ मुस्दर इ सा १८८७ ई०—दफ्त २८(२) ।

दफ्तः २८ तर्मीम की गई वज्जरीयःइ ऐक्ट १ मुस्दर इ सन १८८९ ई०—दफ्तः ९ ।

दफ्त ४७८ लगायत दफ्तः ४८६ तर्मीम की

गई वज्जरीयःइ ऐक्ट ४ मुस्दरःइ सन १८८७ ई०—दफ्त ३ ।

(वाक २—दशरीहाते धान्म-के वयानमें—दफ्तः २२—२३ ।)

के लिये नाफिज है—और हर एक उद्दे:दार जो सरकार का मुलाजिम हो या गवर्नमेन्ट से हुकूमत मिहन्त पाता हो—या उसको कोई कार सफ़र करने के एवज में फ़ीस या कमीशन की तरह पर उजरत मिलती हो ।

दशर्वाँ—हर एक उद्दे:दार जिस पर बहसियत उसके उद्दे के लाजिम है कि वनजर किसी आम गरज गौर मजहदी मुतच्छुक: किसी गाओ या कस्ब: या शहर या जिला के कोई माल अपने कब्जे में लाये या अपनी तहवील में ले या अपनी तहवील में रखे या सर्फ करे या कोई पैमाइश या तशखीस करे या किसी किरम की खसूम या टैक्स बसूल करे या किसी गाओं या कस्बे या शहर या जिला के वाशिन्दों के हुकूम की ताईन की गरज से कोई दस्तावेज मुस्तव या मुसद्क करे या अपनी तहवील में रखे ।

तमसील ।

मिउनीसिपत कमिन्तर सर्कारी मुलाजिम है ।

तशरीह १—वह सब अशख़ास जो ऊपर की लिखी हुई किरमों में से किसी किरम में दाखिल हों सर्कारी मुलाजिम हैं आम इससे कि उन्होंने गवर्नमेन्ट से वह मन्सव पाया हो या नहीं ।

तशरीह २—हर महल में जहां सर्कारी मुलाजिम का लफ़्ज़ आया है इतलाक उस का दर शख्स पर है जो किसी सर्कारी मुलाजिम के उद्दे पर फिलवाक़े कायमहो गो कि उस शख्स के उम उद्दे पर कायम होने के इस्तिहकाम में कानून की रस्ते कैसाही मुकुम हो ।

दफ़्तः २२—“ माल (या जायदाद) मन्कूलः ” के लफ़्ज़ में हर निरुम या माल ओ असबाब मादी दाखिल है सिवाय अग़जी और उन चीजों के जो जमीन से मुलसक हों या किसी ऐसी चीज से मिल इस्तिहकाम पैवस्तः हों जो जमीन से हुदक है ।

दफ़्तः २३—“ इस्तिहसाले बेजा ” वह इस्तिहसाले माल है जो नाजायज बर्नानों में किया जाय और शख्स शामिल करने वाचा उन माल का कानूनग मुस्तहक न हो ।

- (२) जो जो न्यायन कि ऐउठ हाय मुनजदर - तयाने सुन्दरने ड वाटा वी रु से की गई हे वह या तो मनन मे मय्य तशरीही फुटनोडे के दाखिल करदी हे या फुटनोडे मे उनका जिक्र कर दिया गया हे ।
- (३) कुर अर फुटनोडे ज.सानीये हवाल के लिये दाखिल किये गये हे ।
- (४) नम्बर और सन डा ऐउठो जे जिनका हवाल मतन मे दिया गया हे अन्दर के हाशियः में सुदी हुये हे उडा जडा दोनों मतन मे जागयेहा ।
- (५) हाशियः के नोटो की गजरे सानी की गई हे ।
- (६) लम्बी लम्बी दुरूआत कहीं कदा जिननों और कितरों पर तकसीम करदी गई हे ।
- (७) सक्तुहान की सुखिया तनील करदी गई हे—और
- (८) एरु किहरिस्त हुस्के तहज्जी की तर्ताब से जम की गई हे ।

फिहरिस्ते अववाव ।

वाव

दफः

१—मुकदम	१
२—तजरीहाते आमम के वयान में	६
३—सजाओ के वयान में	५३
४—पुरतसनीआते आमम.	७६
५—आनत के वयान में	१०७
६—जराइम खिलाफतजाँ वा सफार के वयान में	१२१
७—जराइम मुतअहिकःइ अरुवाज बहरी ओ वरी के वयान में	१३१
८—उन जुमों के वयान में जो आसूदिगीये आमम इ मशायक के मुतअहिक हैं	१४१
९—उन जुमों के वयान में जो सकारी मुलाजिमों से सरजद या उनसे मुतअहिक हो	१६१
१०—सकारी मुलाजिमों के इतियाराते जायज की तहकीर के वयान में	१७२
११—पूठी गवाही और जराइमे मुखालिफ मादिलते आममः के वयान में	१९१
१२—उन जुमों के वयान में जो सिफे और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअहिक हैं	२३०
१३—उन जुमों के वयान में जो बाटे और पैमानों से मुतअहिक हैं	२६४
१४—उन जुमों के वयान में जो आममःइ खलाइक की आफ्रियत और अमन और आसाइश और हया और आदात पर मुवस्तर हैं	२६८
१५—उन जुमों के वयान में जो मजहब से मुतअहिक हैं	२९५
१६—उन जुमों के वयान में जो जिस्मे इन्सान पर मुवस्तर हैं	२९९
१७—उन जुमों के वयान में जो माल से मुतअहिक हैं	३७८
१८—उन जुमों के वयान में जो दस्तावेजों और हिफे या मिलकीयत के निशानों से मुतअहिक हैं	४६३
१९—खिदमत के मुआहदों के नकजे मुजरिमान. के वयान में	४९०
२०—उन जुमों के वयान में जो इज्जदीवाज से तअल्लुक रखते हैं... .. .	४९३
२१—इज्जाल इ हैसियते उर्फा के वयान में	४९९
२२—तखवीफे मुजरिमानः ओ तौहीने मुजरिमान ओ रजदिही मुजरिमान. के वयान में	५०३
२३—जुमों के इतिकार करने के इकदाम के वयान में	५११
फिहरिस्ते मजामीन	१ से तक

(वाक ४ — मुस्तमनावाते झागः के नयःन में — दफः ९९ ।)

वही इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी हासिल है जो उस हाल में होता जब कि वही ऐसी गलत फहमी तें झमल न करता ।

अफझाल जिन
के दफायः में
इस्तिहकाके
हिफाजते
खुद इस्तिहकारी
नहीं है ।

दफः ६६—जिस फेल से हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फेल के दफायःमें कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकवाव या इकदाम किसी सर्कारी मुलाजिम की जानिव से नेक नीयते से बएतबार उसके उहदे के जुहर में आये गो वह फेल कानून की रुसे दर असल जायज न हो ।

जिस फेलसे हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फेल के दफायः में कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकवाव या इकदाम किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम की हिदायत से जुहर में आये जो नेक नीयती से अपने उहदे के एतिवार से अमल करता हो गो वह हिदायत कानून की रु से दर असल जायज न हो ।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी नहीं है जबकि हुकाम से इस्तिहकाकी मुहलत हासिल हो ।

इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी किसी हालत में उससे जियादः गजन्द पहुंचाने पर मुहलत नहीं है जिसका पहुंचाना हिफाजत के लिये जरूरी है ।

तशरीह ९—जिस फेल का इतिकवाव या इकदाम किसी सर्कारी मुलाजिम की जानिव से बएतबार उसके उहदे के जुहर में आये तो उस फेल के दफायः में किसी शख्सका इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी साकत नहीं होना निवा इसके कि वह शख्स जानता हो या बाबर करने की वजह रग्यता हो कि मुनकिय वैसाही सर्कारी मुलाजिम है ।

इसे हिफाजते
इस्तिहकाके
मजमूर ।

दफ्तारात

- ३९—“मिल इराद ”
 ४०—“जुर्म ”
 ४१—“कानूने मुग्गरसुल अमर”
 ४२—“कानूने मुग्गरसुल मक्राम”
 ४३—“खिलफे कानून”
 “करना कानून वाजिब”
 ४४—“जुक्तान”
 ४५—“जान”
 ४६—“मौत (या हलाकत)”
 ४७—“हैवान”
 ४८—“मर्कबे तरी ”
 ४९—“वरस”
 “महीत ”
 ५०—“दफः”
 ५१—“हलफ”
 ५२—“नेक गीयती”

बाब ३ ।

सजाओं के वयान में ।

- ५३--सजायें ।
 ५४--तवादिले हुक्मे सजायें मौत ।
 ५५--हवसे दवाम वउवूर दरियाय शोर के हुक्म सजा का तवादिला ।
 ५६--अहले यूरोप और अहले अमरीका को मशकते ताजीरी वहासते कैद की सजा का हुक्म दिया जाना ।
 शर्त हुक्म सजा दस वरस से ज़िय'द मीआद के वास्ते मगर दवाम के वास्ते नहीं ।
 ५७--सजा की मिआदो के अजजा ।
 ५८--जिन मुजरिमों की निस्वत सजायें हवत वउवूर दरियाय शोर का हुक्म ह चुका है उवूर दरियाय शोर तक उनके साथ किस तरह अमल किया जाय ।
 ५९--कैद की जगह हवत वउवूर दरियाय शोर ।

(वाच ४—मुन्तस्नीयाते आत्मः के दयान में—दफ्तात ९४—९९ ।)

तमसीलें ।

अगर जैद कि जर्हाह है किसी मरीज़ को एअलाम करे कि मेरी रायमें तुम नहीं जासते और वह मरीज़ उस एअलाम के सदमे से मर जाय तो जैद गो उसको यह इवम था कि ऐसे एअलाम से मरीज़ की हलाकत का इहतिमाल है किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है ।

कैल जिसके करने के लिये कोई शकन धमकीयों से मजबूर किया गया है ।

दफ्ताः ६४—कतले अमद और जरायमे खिलाफे वर्जी वा सर्कारके सिवा जिनकी पादाश में सजाय मौत मुकर्रर है कोई अमर जुर्म नहीं है जब कि उसको कोई शख्स धमकी से मजबूर होकर करे और उस धमकी से इतिकाव के वक्त मुर्तकिब को माकूल तरह से यह अन्देशः पैदा होकि उस अमर का न करना उसके फौरन् हलाक किये जाने का बाइस होगा मगर शर्त यह है कि उस अमर के मुर्तकिब ने खुद अपनी रगवत से या अपने किसी गजन्द के माकूल अन्देशे से जो फौरन् हलाक किये जाने की निस्वत कमहो अपने तई ऐसी हालत में न ढाला हो जिसके सबब से वह ऐसी मजबूरी में मुवतिलः हुआ ।

तशरीह १—अगर कोई शख्स अपनी रगवत या मार पीट की धमकी से डाकुओं के किसी गुरोह का वावस्फ जानने उन के चाल चलन के शरीक होजाय तो शखसे मजकूर इस वजह से कि उसके साथियों ने उससे कोई फेल जो कानूनन् जुर्म है वजत्र कराया इस मुस्तस्ना से मुस्तफीद होने का मुस्तहक नहीं है ।

तशरीह २—अगर डाकुओं का कोई गुरोह किसी शख्स को पकड़ ले और वह शख्स फौरन् हलाक किये जाने की धमकी से किसी फेल के करने पर जो कानूनन् जुर्म है मजबूर हो मसलन् कोई लुहार अपने औजार लेजाने और किसी मकान का दरवाज़ः तोड़ ढालने के लिये मजबूर किया जाय ताकि डाकु अन्दर घुसकर लूटें तो वह शख्स इस मुस्तस्ना से मुस्तफीद होने का मुस्तहक है ।

जिसके

करने के

लिये कोई

दफ्ताः ६५—कोई अमर इस वजह से जुर्म नहीं है कि उसने कोई गजन्द पहंचने या उससे किसी गजन्द का पहंचाना मत्सूद है या एवम में है कि उसने किसी गजन्द के पहंचाने का इहतिमाल है वर्शों कि

दफ़्तरात

- ७६—क़ानून जो किसी ऐसे ज़न्म से सरज़द हो जो क़ानून की रूसे उसके करने का मुनाज़ है या जिसने अपने वक़ूद की ग़लत क़हमी से अपने तर्द क़ानून के उसके करने का मुनाज़ वापर कर लिया हो ।
- ८०—फ़ेले जायज के करने में इत्तिफ़ाक़ का पेश आगाना ।
- ८१—फ़ेल जिससे ग़ज़न्द पहुचने का इहतिमाल है लेकिन किसी नीयते मुजरिमानः के वग़ैर और दूसरा ग़ज़न्द रोकने के लिये किया जाय ।
- ८२—सात बरस से कम उमर के तिम्रल का फ़ेल ।
- ८३—सात बरस से ज़ियादः और बारह बरस से कम उमर के तिम्रल का फ़ेल जो पुस्तः सम्झ का न हो ।
- ८४—उस शख़्स का फ़ेल जिस की अज़ल में फ़ुनू है ।
- ८५—उस शख़्स का फ़ेल जो नशे में होने के सबब कि उसकी वह हालत उसकी वेमज़ों पैदा करदी गई है अज़ल काम में लाने के कार्विल न हो ।
- ८६—जुर्म जिसमे स्वात नीयत या इल्म दरकार हो और उसका इतिफ़ाव वह शख़्स करे जो नशे में हो ।
- ८७—फ़ेल जिससे हलाक़त या ज़ररे शर्दीद मक़दूद न हो और न उसके इहतिमाल का इल्म हो और जो वरिज़ामन्दी किया गया हो ।
- ८८—फ़ेल जिससे हलाक़त मक़दूद न हो और वरिज़ामन्दी नेकनीयती से किसी शख़्स के फ़ायदे के लिये किया गया हो ।
- ८९—फ़ेल जो नेक नीयती से किसी तिम्रल या किसी फ़ातिरूलअज़ल के फ़ायदे के लिये वली से या वली की रिज़ामन्दी से सरज़द हो ।
- ९०—रिज़ामन्दी ख़ौफ़ या ग़लत क़हमी की हालत में जिसके दिये जाने का इल्म हो । फ़ातिरूलअज़ल की रिज़ामन्दी । तिम्रल की रिज़ामन्दी ।
- ९१—इख़राज उन अफ़आल का जो विला लिहाज़ उस ग़ज़न्द के जो पहुचाया गया जुर्म है ।
- ९२—फ़ेल जो नेक नीयती से किसी शख़्स के फ़ायदे के लिये वे रिज़ामन्दी किया गया है । शरायत ।
- ९३—इअलाम जो नेक नीयती से किया गया है ।
- ९४—फ़ेल जिसके करने के लिये कोई शख़्स धमकीया से मजबूर किया गया है ।
- ९५—फ़ेल जो ग़ज़न्दे ख़फ़ीफ़ का बइस हो ।

दफ़्तात

१११—मुर्दन का लायक मुवात्रजः होना जब कि इम्नानत एक फेल में हो और कोई फेन मुघायर किया जाय ।

शर्त ।

११२—मुर्दन जबकि वह उस फेल के लिये जिसमें इम्नानत की गई है और उस फेल के लिये जो किया गया है इफ़्टो सज़ा का मुस्तौजिव हो ।

११३—मुर्दन का क़ाबिल मुवात्रजा होगा उस नतीजे के लिये जो उस फेल से पैदा हो जिस में इम्नानत की गई है और जो नतीजः इ मक़सूद इ मुर्दन से मुग्गार हो ।

११४—मुर्दन इतिफावे जुर्म के वज़त मौजूद हो ।

११५—उस जुर्म में इम्नानत करना जिसकी सज़ा मौत या हव्से दनाम वउवूरे दरियाय शोर ।

अगर जुर्म का इतिफाव न हो ।

अगर फेल जिससे गज़न्द पहुचे इम्नात के सबब से किया जाय ।

११६—उस जुर्म में इम्नानत करना जिसकी सज़ा कैद है—

अगर जुर्म का इतिफाव न हो ।

अगर मुर्दन या मुद्धान सर्कारी मुलाज़िम हो जिस पर उस जुर्म का रोकना लाज़िम है ।

११७—उस जुर्म के इतिफाव में इम्नात करना जिसकी इम्मः इ खलायक या दस से ज़ियाद शरत करें ।

११८—उस जुर्म के इतिफाव की तदवीर का छपाना जिस की सज़ा मौत या हव्से दनाम वउवूरे दरियाय शोर है—

अगर जुर्म का इतिफाव हुआ हो ।

अगर जुर्म का इतिफाव न हुआ हो ।

११९—सर्कारी मुलाज़िम जो किसी जुर्म के इतिफाव की तदवीर छपाये जिसका रोकना उस पर लाज़िम है—

अगर जुर्म का इतिफाव हुआ हो ।

अगर जुर्म की सज़ा मौत वगैर हो ।

अगर जुर्म का इतिफाव न हुआ हो ।

१२०—उस जुर्म के इतिफाव की तदवीर का छपाना जिसकी सज़ा कैद है—

अगर जुर्म का इतिफाव हुआ हो ।

अगर जुर्म का इतिफाव न हुआ हो ।

(बाब ९—उग छुमों के वयान में जो सर्कारी मुलाजिमों से सज्जद हों या चरते
मुतअल्लिक हों—दफ. १६१।)

धरौं को यह वावर कराये कि मैं सर्कारी मुलाजिम होनेवाला हूँ और तब तुम्हारे काम आऊँगा और इस जरिये से कोई माविहिल इहतिजाज हासिल करे तो इस सूरत में शाहसे मजकूर दगा करने का मुजरिम होसक्ता है लेकिन उस जुर्म का मुजरिम न होगा जिसकी तारीफ इस दफः में की गई है।

“माविहिल इहतिजाज”—“माविहिल इहतिजाज” के लफ्ज से न सिर्फ वह शौ वाइसे इहतिजाज मुराद है जो जर से मुतअल्लिक हो या जिसकी कदर का तरखमीना जर में होसके।

“अजरे मुताधिके कानून”—“अजरे मुताधिके कानून” के लफ्ज से न सिर्फ वह अजर मुराद है जिसका कोई सर्कारी मुलाजिम जवाजन् मुतालवा कर सके बल्कि यह लफ्ज हर एक अजर पर मुहीत है जिसके कुबूल करने की उसको उस गवर्नमेन्टे^१ की जानिव से इजाजत है जिसका वह मुलाजिम है।

“वजहे तहरीक या हकुस्सई कोई काम करने के लिये”—जो कोई शाहस कोई काम करने के वास्ते जिसका करना उसकी नीयत में न हो “वजहे तहरीक के तौर पर या कोई काम करने के वास्ते जो उसने न किया हो हकुस्सई के तौर पर कोई माविहिल इहतिजाज कुबूल करे वह शाहस इस इन्डरत के मिसदाक में टाखिल है।

दण्डशास्त्र

- १२०—जमाने का इ मजमूर अनर इसके का दर्जा हो ।
- १२५—किसी विराजी या इन्वारीये जहाजी के नौकरी पर से मान जाने की इजाजत करना ।
- १२६—फिरने नौकर को पनाइ देना ।
- १२७—किसी नौकर का किसी सौदागरी मरकबे तरी में नासुदा की मरकबत से उपा होना ।
- १२८—उकूल हुसनी में किसी विराजी या इन्वारीये जहाजी को इजाजत करना ।
- १२९ (जलिक) दण्डशास्त्र मर्तबे का नाम का मुलाज्जाने वर्गीये हिन्द में सुतमधिक होना ।
- १३२—जमाने जो जन्मी धारण के तो है ।
- १४०—सिवाहिआत विनास पहना या गिवाहिआत गिशन लिये फिरना ।

बाप न ।

उन जुर्मों के घयान में जो आसूदिगीये आम्मःइ
खलायक के सुत्नालिफ है ।

- १४१—मजमूरे नाजायज ।
- १४२—किसी मजमूरे नाजायज का शरीक होना ।
- १४३—सजा ।
- १४४—सिलाहे मुह्लिक से मुसल्लह होकर किसी मजमूरे नाजायज का शरीक होना ।
- १४५—किसी मजमूरे नाजायज में यह जान कर कि उसको मुतफरक होजाने का हुक्म होचुका है दाखिल होना या दाखिल रहना ।
- १४६—बलवा करना ।
- १४७—बलवा करने की सजा ।
- १४८—सिलाहे मुह्लिक से मुगल्लह होकर बलवा करना ।
- १४९—मजमूरे नाजायज का हर एक शरीक उस जुर्म का मुजरिम है जिसका इतिजान शर्जे मुस्तरक के हसिल करने में हो ।
- १५०—किसी मजमूरे नाजायज में दाखिल होने के लिये अशखान को उजरत पर रखना या उनके उजरत पर रखे जाने में मुजाइमत करना ।
- १५१—पाच या जियाद शखसों के मजमूरे में बाद इसके कि उसको मुतफरक होने का हुक्म हो चुका हो जात दूज कर दाखिल होना या रहना ।

(वाव २२—उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेण्ट स्ट्याम्प से मुतशब्दिक हैं—दफ़्तात २५१—२५३ ।)

गया हो कि यह मुबदल हैं उते हवाला करना ।

२४८ में की गई है और जिसने उस सिक्के को क़ब्ज़े में लाते वक्त जान लिया हो कि उस सिक्के की निस्वत जुर्म मजकूर का इतिहास हो चुका है फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय उस सिक्के को किसी दूसरे शरूख के हवाले करे या किसी दूसरे शरूख को उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी किसी मीआद पांच बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

क़ब्ज़े में लेते वक्त मलकःइ मुशब्ज़म क जिस सिक्के को जाना गया हो कि यह मुबदल है उसे हवाले करना ।

दफ़्तात २५१—कोई शरूख जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसकी निस्वत उस जुर्म का इतिहास हो चुका है जिसकी तारीफ़ दफ़्तात २४७ या २४९ में की गई है और जिसने उस सिक्के को क़ब्ज़े में लेते वक्त जान लिया हो कि उस सिक्के की निस्वत जुर्म मजकूर का इतिहास हो चुका है उस सिक्के को फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय किसी दूसरे शरूख के हवाले करे या किसी दूसरे शरूख को उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

उस शरूख का सिक्के को पास रखना जिसने उसे क़ब्ज़े में लेना जाना हो कि वह मुबदल है ।

दफ़्तात २५२—जो कोई शरूख फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय कोई ऐसा सिक्का अपने पास रखता हो जिसकी निस्वत उस जुर्म का इतिहास हो चुका है जिसकी तारीफ़ दफ़्तात २४६ या २४८ में की गई है और उसने सिक्काइ मजकूर को क़ब्ज़े में लेते वक्त जान लिया हो कि उस सिक्के की निस्वत जुर्म मजकूर का इतिहास हो चुका है—तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

उस शरूख का मजकूर मुस्तौजिव ।

दफ़्तात २५३—जो कोई शरूख फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय कोई सिक्का अपने पास रखता हो जिसकी निस्वत उस जुर्म का इतिहास हो चुका है जिसकी तारीफ़ दफ़्तात २४७

दफ्तारत

- १६७—सर्कारी मुलाजिम जो मुकामा पञ्चो की नीयतसे जलत दफ्तारतें उरत्तव करे ।
 १६८—सर्कारी मुलाजिम का नाम राज तौर पर तिल्लत में सरोकार रक्वे ।
 १६९—सर्कारी मुलाजिम का नाम राज तौर पर माल खर्गदे या उसके लिय बोली बांटे ।
 १७०—सर्कारी मुलाजिम बाना ।
 १७१—करेन का नीयत से वह गिान पहनना या वह गिशन जिये फिरना जिससे सर्कारी मुलाजिम इत्तिफ्फाल वरता है ।

बाब १० ।

सर्कारी मुलाजिमों के इस्तिथारते जायज की तहकीर के दयान में ।

- १७२—समग और इत्तिला नामे का अपने पास तक पहुंचना बाल देने के लिये रूपोश होजाना ।
 १७३—समग या और इत्तिला नामे के अपने या और के पास तक पहुंचने को या उसके मुश्तहर बिये जाने का रोकना ।
 १७४—हाजिर होन को जो सर्कारी मुलाजिम के हुकम की तापील में हो तक करना ।
 १७५—वह शख्स सर्कारी मुलाजिम के हुजूर में दस्तावेज का पेश करना तर्क करे जिस पर उसका पेश करना कानून बाजिव है ।
 १७६—वह शख्स सर्कारी मुलाजिम को इत्तिला या खबर देगी तर्क करे जिसपर इत्तिला या खबर देनी कानून बाजिव है ।
 १७७—झूठी खबर देना ।
 १७८—हलफ या इकारार सालिह करने से इन्कार करना जब कोई सर्कारी मुलाजिम उसका बाजावित हुकम दे ।
 १७९—सर्कारी मुलाजिम को जो सवाल करने का इस्तिथार रखता है जवाब देने से इन्कार करना ।
 १८०—बयान पर दस्तावेज करने से इन्कार करना ।
 १८१—सर्कारी मुलाजिम या उस शख्स में जो हलफ या इकारार सालिह लेने का इस्तिथार रखता है व हलफ या इकारारे सालिह झूठ बयान करना ।
 १८२—सर्कारी मुलाजिम से उसका इस्तिथार जायज किसी और शख्स को मुफ्तान पहुंचाने के लिये नाफिज कराने की नीयत से झूठी खबर देना ।

सज्जानः

- २०१—सुजरी को बचाने के लिये उर्म की बजह हूत को गायब करा देना या यूँ नकार देना—
अगर सुजरीम सजाय मीत हो ।
अगर सुजरीमि हस्त बज्जूर दर्शय शोर हो ।
अगर सुजरीमि कैद कम अज दूद साल हो ।
- २०२—सुजरी सुखर दो को यह शम्भ कदन् तर्क करे जिसपर खबर देना वाजिब है ।
- २०३—सज्जान के लिये हुये किसी उर्म की निरासत गूँद सुखर देना ।
- २०४—बनद रूत के तौर पर किसी दरतावेज का पेश किया जाना रोक देने के लिये उसे ज्ञान करना ।
- २०५—सुजरी या सज्जानसे में किसी अगर या अगल दरामद की शरज से उठपूठ दोर और सज्जान बनना ।
- २०६—सुजरी के तौर पर या डिफरी की तामील में किसी माल का कुर्क किया जाना रोकने के लिये उसे फरेव की रूमे दूर करना या लुपाना ।
- २०७—सुजरी के तौर पर या डिफरी की तामील में किसी माल का कुर्क किया जाना रोकने के लिये फरेव की रूमे उसका दावा करना ।
- २०८—सुजरी वाजिब रूपसे के लिये फरेव से डिफरी जारी होने दे । ।
- २०९—कोर्ट में बन्द दियागती से उठा दावा करना ।
- २१०—सुजरी वाजिब रूपसे के लिये फरेव से डिफरी हासिल करना ।
- २११—सुजरी पहचाने की नीयतसे दावाये सुर्म ।
- २१२—पनाहदिहाये सुजरीम—
अगर काविले सजाये मौत हो ।
अगर काविले सजाये हस्त दनाम बज्जूर दर्शय शोर या कैद हो ।
- २१३—सुजरीम को सजा से बचाने के लिये सिल बचैरः लेना ।
अगर काविले सजाये मौत हो ।
अगर काविले सजाये हस्त दनाम बज्जूर दर्शय शोर या कैद हो ।
- २१४—सुजरीम को बचाने के एवज में मिल देना या माल वापस करने के लिये कहना—
अगर सुर्म काविले सजाये मौत हो ।
अगर काविले सजाये हस्त दनाम बज्जूर दर्शय शोर या कैद हो ।
- २१५—माके मनरूक बचैरः की बजायपन में मदद करने के लिये सिल लेना ।
- २१६—ऐसे सुजरीम को पनाह देना जो हिरासत से भागा हो या जिनकी गिरफ्तारी का हुकम हो चुका हो—

मजमूअः इ क्तवानीने ताजीराते हिन्द । [ऐक्ट]

(बाब ११ घृठा नवाही और जरायम मुखालिके मादलते आन्मः के बयान में—दफ २२५ (अलिफ) ।)

गिरफ्तार किये जाने का मुस्तौजिव हो जिसकी पादाश में सजाय मौत मुक्कर है तो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

या अगर वह शख्स जो गिरफ्तार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इकदाम किया गया हो किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुक्म सजा या उस हुक्म सजा के तबादिल की रू से हब्से दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दस बरस या जियाद मीआद के हब्से बउबूरे दर्याय शोर या मशककते ताजीरी बहालते कैद या कैद का मुस्तौजिव हो तो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा—

या अगर वह शख्स जो गिरफ्तार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इकदाम किया गया हो उसकी निस्वत सजाय मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो तो उसको हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस से ज़ायद न हो और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफः २२५ (अलिफ)—जो कोई शख्स सरकारी मुलाजिम होकर बहसियत बंसी सरकारी मुलाजिमी के कानून किसी शख्स के किसी

१ दफ्तरात २२५ (अलिफ) ओ २२५ (बे) हिन्द के फौजदारी आर्नि के तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८८६ ई० (नम्बर १० मुसदर इ सन १८८६ ई० की दफ २४ (१) [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ५] के ज़रीये से दफ २२५ (अलिफ) के एवज़ मजमूअः इ क्तवानीने ताजीराते हिन्द के तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर १७ (मुमदरः इ सन १८७०) की दफ. ९ के ज़रीये से दाखिल हुई थी—क़ायम की गई ।

इस मजमूअ इकतवा गीन के बाब ४ ओ ५ उन जगों से मुतअहिक है जो दफ्तरान २२५ (अलिफ) ओ २२५ (बे) की रू से क़ाबिले सजा हैं—मुलाहज़ तलब मजमूअः इ क्तवानीने ताजीराते हिन्द के तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदर इ सन १८७० ई०) की दफ्तरात २३ जैमी कि उमकी तर्फीम मजमूअ और तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८९२ ई० (नम्बर ६२ मुमदरः इ सन १८९२ ई०) [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] के ज़रीये से हुई है ।

ऐसी घरतों में सार्वरी

बाल १२ ।

उन दुबों के दयालु से जो निचे और मन्त्रालय से
मुतनालिक है ।

दफ्तनात

२३०—गिफ्ट की तीक ।

मलक इ मुखज्जम का सिफ ।

२३१—तलबीसे सिफ ।

२३२—तलबीसे सिफ इ मलक इ मुखज्जम ।

२३३—ताम्त या फरोन्ग आल इ तलबीसे सिफ ।

२३४—ताम्त या फरोन्ग आल इ तलबीस सिफ इ मलक इ मुखज्जम ।

२३५—आला या सामान की तलबीस सिफ में काम में लाने की गरज से पास रखना
अगर मरिफ इ मुखज्जम का सिफ हो ।

२३६—हिन्दुस्तान में रहकर हिन्दुस्तान के बाहर तलबीस सिफ की इखानत करना ।

२३७—मुत्तवस सिफ को अन्दर लाना या बाहर ले जाना ।

२३८—मलक इ मुखज्जम के सिफ से मुत्तवस सिफ को अन्दर लाना या बाहर लेजाना ।

२३९—कब्जे में लेते वक्त जिस सिफ को जाना गया हो कि यह मुत्तवस है उसे हवाल
करना ।

२४०—कब्जे में लेते वक्त जिस सिफ को जाना गया हो कि यह मलक इ मुखज्जम के
सिफ से मुत्तवस है उसे हवाल करना ।

२४१—ऐसे निफे को असली सिफ की हैसियत से हवाल करना जिसको हवाले करने
वाले ने पहले कब्जे में लेते वक्त न जाना हो कि यह मुत्तवस है ।

२४२—उस शख्त का सिफ इ मुत्तवस को पास रखना जिसने उसे कब्जे में लेते वक्त
मुत्तवस जाना हो ।

२४३—उस शख्त का मलक इ मुखज्जम के सिफ से मुत्तवस सिफ को पास रखना जि-
सने उसे कब्जे में लेते वक्त मुत्तवस जाना हो ।

२४४—वह मलक जो टिकताल में मामूर हो सिफ को वज्जन या तर्कीवे मुआइन इ कानून
से मुगायर वज्जन या तर्कीव कर दे ।

२४५—नाजायज़ तौर से आल इ जर्बे सिफ टिकताल से ले जाना ।

२४६—फरोव या बददियानती से सिफ का वज्जन घटाना या उसकी तर्कीव बदलना ।

२४७—फरोव या बददियानती से मलक इ मुखज्जम के सिफ का वज्जन घटाना या
उसकी तर्कीव बदलना ।

दफ़्तः

- २४८—सिके की सूत को इस नीयत से बदलना कि वह और किरम के सिक्के से चल जाय ।
- २४९—मलिकः मुअज्जम के सिक्के की सूत को इस नीयत से बदलना कि किरम के सिक्के की हैसियत से चलजाय ।
- २५०—काज्जे में लेते वक्त जिस सिक्के को जाना गया हो कि यह मुबदल है करना ।
- २५१—काज्जे में लेते वक्त मलक इ मुअज्जम के जिस सिक्के को जाना गया मुबदल है उसे हवाळ करना ।
- २५२—उस जल्स का सिक्के को पास रखना जिसने उसे काज्जे में लेते वक्त कि यह मुबदल है ।
- २५३—उस शम्न का मलक इ मुअज्जम के सिक्के को पास रखना जिसने में लेते वक्त मुबदल जाना हो ।
- २५४—ऐसे सिक्के को अन्नी सिक्के की हैसियत से हवाळ करना जिसको हवाळे ने पहले काज्जे में लेते वक्त मुबदल न जाना हो ।
- २५५—तत्वीस गवर्नमेन्ट स्टाम्प ।
- २५६—तत्वीस गवर्नमेन्ट स्टाम्प का गज्ज से कोई जाला या सामान पास रक
- २५७—गवर्नमेन्ट स्टाम्प की तत्वीस की गज्ज से आजा भी साज्ज या लगे
- २५८—कुरेन्त तत्वीस गवर्नमेन्ट स्टाम्प ।
- २५९—मुन्तन गवर्नमेन्ट स्टाम्प को पास रखना ।
- २६०—मुन्तन जाने हुये गवर्नमेन्ट स्टाम्प को अन्नी स्टाम्प की हैसियत से नाम
- २६१—गवर्नमेन्ट को जियान पहचाने की नीयत से किसी माटे में जिन पर स्टाम्प हो तद्गीर भिडाना या दन्तपत्र से वह स्टाम्प जो उसके नि

दुःखमात्र

- २८५—उठे दाट या पेमाने को पतने से इतिहासमाल करना ।
 २८६—उठे दाट या पेमाने का पात रखना ।
 २८७—उठे दाट या पेमाने का बनाना या बेचना ।

वाक्य १४ ।

उन दुःखों के दयान में जो चाम्मः इ खलायक की आपीयत और सलामती और आशाइश और हया और आदात पर मुवररार हैं ।

- २६८—प्रमर वाइसे तफलीफे खाम ।
 २६९—गफलनन् वह काम करना जिससे जान को खतरः पहुंचाने वाले किसी मर्ज की उफूनत फैलने का इतिहास हो ।
 २७०—वद अदेशीने वह काम करना जिससे जान को खतरः पहुंचाने वाले किसी मर्ज की उफूनत फैलने का इतिहास हो ।
 २७१—क्लाइड इ कुवारिण्टीन से इच्छराक करना ।
 २७२—खाने या पीने की शै में जिसका बेचना मकसूद हो आमोजिश करना ।
 २७३—खाने या पीने की मुजर शै को बेचना ।
 २७४—दवाआ में आमोजिश करनी ।
 २७५—आमेजिश की हुई दवाओं को बेचना ।
 २७६—किसी दवा को किसी और दवाये मुकरिद या मुरकब की हैसीयत से बेचना ।
 २७७—आम चरमे या हौज के पानी को गदलः करना ।
 २७८—हवा को मुजिरे सिहत करना ।
 २७९—किसी शाअ आम पर वे इतिहाती से गाड़ी चलाना या सवार होकर निचलना ।
 २८०—वे इतिहाती से मर्कबे तरी को चलाना ।
 २८१—घुड़ी रेशगी या झूठा गिषान या पानी पर तैगेने वाला गिषान दिगाना ।
 २८२—किसी शकन को पानी की राह अजरे पर नैर मामून् या हद से जिदाइः लदे हुये मर्कबे तरी में लेजाना ।
 २८३—खुरकी या तरी की आम राह पर खतरः या गुजाहित पहुंचाना ।
 २८४—झहरीले पादे की निस्वत तगाकुल करना ।

दफ़्तात

- २८५—आग या आतशगीर माद्दे की निस्वत तशाफुल करना ।
 २८६—भक से उड़ जाने वाले माद्दे की निस्वत तशाफुल करना ।
 २८७—कल की निस्वत तशाफुल करना ।
 २८८—इमारत के मिस्मार करने या उसकी मरम्मत करने की निस्वत तशाफुल करना ।
 २८९—हैवान की निस्वत तशाफुल करना ।
 २९०—सजाये अमरे बाइसे तकलीफ़े आम उन सूतों में कि जिन में और तरह पर हुक्म नहीं है ।
 २९१—अमरे बाइसे तकलीफ़े आम न करते रहने की हिदायत पाकर उसे करते रहना ।
 २९२—फ़ुहुश किताब वग़ैर. का बेचना वग़ैर ।
 २९३—फ़ुहुश किताब वग़ैर: को बेचने या दिलाने के लिये पास रखना ।
 २९४—फ़ुहुश अफ़्शाल और गीत ।
 २९४ (अलिफ़)—चिट्ठी छालने के दफ़्तर का रखना ।

बाब १५ ।

उन जुमों के बयान में जो मजहब से मुतअल्लिक हैं ।

- २९५—किसी फ़िके के मजहब की तौहीन करने की न्यायत से किसी इवादतगाह को नुस्तान पहचाना या नजिस करना ।
 २९६—मजमअे मजहबी को इजा पहचाना ।
 २९७—क़वग्स्तागों वग़ैर: में मुदाख़लत बेजा करना ।
 २९८—सोच बिचार फर मजहब की वाबत दिख़ इख़ाने की नियत से बात वग़ैर: कहना ।

बाब १६ ।

उन जुमों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मवस्तर हैं ।

उन जुमों के बयान में जो इन्सान की जान पर मवस्तर है ।

२९९—ग़वते इन्सान मुत्तअज़मे मज ।

३००—ग़दत मजमद ।

जब कि इन्सान मुत्तअज़मे सजा छतले अमद नहीं है ।

दफ़्तारात

३०१—जिस शख्स का हलाक करना मकपूद था उस के सिवा किसी और को हलाक करने से क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा ।

३०२—सज़ाये कतले अमद ।

३०३—सज़ाये क़तले अमद मुरतकब इ मुजरिम जो जन्म कैदी हो ।

३०४—सज़ाये क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा जो क़तले अमद तक न पहुँचे ।

३०४—(अल्फि) —ग़क़लत करने से वाइस हलाकत का होना ।

३०५—ख़ुदकुशी में तिमल या फ़ातिसल अमल की इफ़ानत ।

३०६—ख़ुदकुशी में इफ़ानत ।

३०७—क़तले अमद का इक़दाम ।

इक़दाम मुजरिमों की तरफ़ से जो जन्म कैदी हो ।

३०८—क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा के इतिफ़ाक का इक़दाम ।

३०९—ख़ुदकुशी के इतिफ़ाक का इक़दाम ।

३१०—ठग ।

३११—सज़ा ।

इस्काते हमल कराने और जनीन को जरर पहुँचाने और बच्चों को बाहर डालदेने और इक़फ़ाय तवल्लुद के वयान में ।

३१२—इस्काते हमल कराना ।

३१३—औरत की बिला रिज़ामन्दी इस्काते हमल करना ।

३१४—हलाकत जिसका वाइस वह फ़ेल हो जो इस्काते हमल कराने की नीयत से किया गया है अगर वह फ़ेल औरत की बिला रिज़ामन्दी किया गया है ।

३१५—फ़ेल जो बच्चे को जिन्दः न पैदा होने देने या पैदा के बाद उसकी हलाकत का वाइस होने की नीयत से किया गया है ।

३१६—ऐसे फ़ेल से जो क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा की हद तक पहुँचता है किसी जानदार जनीन की हलाकत का वाइस होना ।

३१७—मा बाप या किसी शख्स मुहाफ़िज़ का बारह बरस से कम उमर के बच्चे को डाल देना और छोड़ देना ।

३१८—लाश को चुपके से रख देने से इक़फ़ाय वलादत ।

जरर के वयान में ।

३१९—ज़रर ।

३२०—ज़ररे शदीद ।

इक़्तज़ाल

- ३२१—विल इरादःज़रर पहुचाना ।
- ३२२—निल इराद ज़ररे शदीद पहुचाना ।
- ३२३—विल इराद ज़रर पहुचाने की सज़ा ।
- ३२४—इत्तरनाक हवों या वसीलों से विल इरादः ज़रर पहुचाना ।
- ३२५—विल इराद ज़ररे शदीद पहुचाने की सज़ा ।
- ३२६—इत्तरनाक हवों या वसीलों के ज़रीये से विल इराद ज़ररे शदीद पहुचाना ।
- ३२७—माल का इस्तिहमाल विल जत्र करने या किसी फेतो ख़िलाफे क़ानू पर मजबूर करने के लिये विल इरादः ज़रर पहुचाना ।
- ३२८—इतिनावे जुर्म की नीयत स ज़रर वग़ेरः के ज़रिये से ज़रर पहुचाना ।
- ३२९—माल का इस्तिहमाल विलजत्र करने या किसी फ़ैत ख़िलाफे क़ानू पर मजबूर करने के लिये विल इराद ज़ररे शदीद पहुचाना ।
- ३३०—इक़रार का इस्तिहमाल विलजत्र करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल इरादः ज़रर पहुचाना ।
- ३३१—इक़रार का इस्तिहमाल विल जत्र करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल इराद ज़ररे शदीद पहुचाना ।
- ३३२—स र्मगी मुल्ताज़िम को अदाये ख़िदमत से डरा कर बाज़ रखने के लिये विल इरादः ज़रर पहुचाना ।
- ३३३—स र्मगी मुल्ताज़िम को अदाये ख़िदमत से डरा कर बाज़ रखने के लिये विल इराद ज़ररे शदीद पहुचाना ।
- ३३४—बादम इस्तिहमाले तख़्त पर विल इराद ज़ररे शदीद पहुचाना ।
- ३३५—बादम इस्तिहमाले तख़्त पर विल इरादः ज़ररे शदीद पहुचाना ।
- ३३६—उठ फ़ैत जो जाय या अरों की सत्तामतीये जाती हो इत्तर में जाते ।
- ३३७—ऐसे फ़ैत स ज़रर पहुचाना जो जाय या अरों की सत्तामतीये जाती हो इत्तर में जाते ।
- ३३८—ऐसे फ़ैत स ज़रर पहुचाना जो जाय या अरों की सत्तामतीये जाती हो इत्तर में जाते ।

मुल्ताज़िमों के ज़रर और तख़्तों के इत्तर में ।

दण्डशास्त्र

- ३४१—घृत्कारणत वेजा की रजा ।
 ३४२—हस्त वेजा की रजा ।
 ३४३—तीन या ज़ियादः दिनतक हस्त वेजा ।
 ३४४—दम या ज़ियादः दिनतक हस्त वेजा ।
 ३४५—उत्त जजा का हस्त वेजा जिसकी रिशर्त के लिये हुक्म नामः जारी हो चुका है ।
 ३४६—मग़्नी हस्त वेजा ।
 ३४७—माल का इस्तिहसात मिलजत्र करने या फ़ेले खिल्लाफे कानून पर मजदूर करने के लिये हस्त वेजा ।
 ३४८—इक़्तार हा इस्तिहसाले खिलजत्र करने या माल के वापस कर देने पर मजदूर करने के लिये हस्त वेजा ।

जत्र मुजरिमानः और हस्त के दयान में ।

- ३४९—जत्र ।
 ३५०—जत्रे मुजरिमानः ।
 ३५१—हस्तः ।
 ३५२—चाइम सन्त इस्तिहसाले तवज्र के अलावः और तरहपर हस्त या जत्रे मुजरिमानः करने की सज़ा ।
 ३५३—सर्कारी मुलाज़िम को अपनी खिलदमत अदा करने से डराकर वाज़ रखने के लिये हस्त या जत्रे मुजरिमानः ।
 ३५४—किसी औरत की इपफत में खिलल डालने की नीयत से हस्त या जत्रे मुजरिमानः ।
 ३५५—सन्त इस्तिहसाले तवज्र के अलाव और तरह पर किसी शख्स को बे हुर्मत करने की नीयत से हस्त या जत्र मुजरिमान ।
 ३५६—उम माल के सके के इतिहाव क इक़दाम में हस्त या जत्र मुजरिमानः जितको कोई शख्स लिये हुये हो ।
 ३५७—किसी शख्स के हस्त वेजा के इक़दाम में हस्त या जत्र मुजरिमानः ।
 ३५८—सन्त इस्तिहसाले तवज्र पर हस्त या जत्रे मुजरिमान ।

इन्सान को ले भागने और भगा लेजाने और गुलाम बनाने और
 बिहनत व जत्र लेने के दयान में ॥

- ३५९—इन्सान को ले भागना ।

दफ़्त्रात

- ३६०—ब्रिटिश इन्डिया से इन्सान को ले भागना ।
 ३६१—वली जायज़ की हिक्काज़त में से इन्सान को ले भागना ।
 ३६२—इन्सान को भगा ले जाना ।
 ३६३—इन्सान को ले भागने की सज़ा ।
 ३६४—कतले अमद के लिये इन्सान को ले भागना या भगा ले जाना ।
 ३६५—किसी शरूत को मख़की और बेजा हव्त करने की नीयत से ले भागना या भगा ले जाना ।
 ३६६—औरत को इज़दिवाज वगैर पर मजूर करनेकेलिये ले भागना या भगा लेजाना ।
 ३६७—किसी शरूत को ज़ररे शदीदपहुचाने या गुलाम बनाने वगैर के लिये ले भागना या भगा ले जाना ।
 ३६८—ले भागे हुये या भगा सेगये हुये शरूत को बेजा तौर पर छुपाना या हव्त में रखना ।
 ३६९—दस बरस से कम उमर के तिफल को उसके बदन पर से कोई शै चुरा लेने की नीयत से ले भागना या भगा लेजाना ।
 ३७०—किसी शरूतको गुलामके तौरपर ख़रीदना या उसको अपने क़ब्जे से छुदा करना ।
 ३७१—आदतन् गुलामों का कारोबार करना ।
 ३७२—नावालिंग को क़ेले शनीअ वगैर की गरज़ से बेचना ।
 ३७३—नावालिंग को क़ेले शनीअ वगैर की गरज़ से ख़रीदना ।
 ३७४—भिहनत करने पर ना जवाज़न् मजूर करना ।

जिना वजत्र के वयान में ।

- ३७५—जिना वजत्र ।
 ३७६—जिना वजत्र की सज़ा ।

उन जुमों के वयान में जो ख़िलाफ़ वजत्र फितरी हैं ।

- ३७७—जरायम ख़िलाफ़े वजत्र फितरी ।

चाव १७ ।

उन जुमों के वयान में जो माल से मुतअल्लिक हैं ।

सर्के का वयान ।

दफ्तरात

३७९—सर्क की सजा ।

३८०—मकाने सङ्कनत वगैरः में सर्कः ।

३८१—मुतसद्दी या नोकर का उस माल को सर्क करना जो आका के कब्जे में है ।

३८२—सर्क के इर्तिकाब की चारज से हलाक करने या जररे शदीद पहुचाने या मुजा-
हमत की तैयारी करने के बाद सर्क ।

इस्तिहसाले विलजत्र के वयान में ।

३८३—इस्तिहसाले विलजत्र ।

३८४—इस्तिहसाले विलजत्र की सजा ।

३८५—इस्तिहसाले विलजत्र के इर्तिकाब के लिये किसी शरूत को तुखसान की तखवीफ ।

३८६—किसी शरूत को हलाकत या जररे शदीद की तखवीफ के जरीये से इस्तिहसाले
विलजत्र ।

३८७—इस्तिहसाले विलजत्र के इर्तिकाब के लिये किसी शरूत को हलाकत या जररे शदीद
की तखवीफ ।

३८८—किसी खुर्भ की तुहमत लगाने की धमकी से इस्तिहसाले विलजत्र करना जिसकी
पादाश में मौत या ह्वते दनाम बउवूर दर्याय शोर वगैर. की सजा मुकर्रर है ।

३८९—इस्तिहसाले विलजत्र के इर्तिकाब के लिये किसी शरूत को खुर्भ की तुहमत लगाने
की तखवीफ ।

सर्कःइ विलजत्र औ डकैती के वयान में ।

३९०—सर्क इ विलजत्र ।

जिस हालत में सर्कः सर्कःइ विलजत्र है ।

जिस हालत में इस्तिहसाले विलजत्र सर्कःइ विलजत्र है ।

३९१—डकैती ।

३९२—सर्कःइ विलजत्र की सजा ।

३९३—सर्कःइ विलजत्र के इर्तिकाब का इक़दाम ।

३९४—सर्क इ विलजत्र के इर्तिकाब में विल इरादह जरर पहुचाना ।

३९५—डकैती की सजा ।

३९६—डकैती क़तले अमद के साथ ।

३९७—सर्कःइ विलजत्र या डकैती हलाक करने या जररे शदीद पहुचाने के इक़दाम के साथ ।

३९८—सर्कःइ विलजत्र या डकैती के इर्तिकाब का इक़दाम हरबःइ मुहलिक से मुसहह
हाने की हालत में ।

दक्षजात

- ३९१—उकैती के शक्तिव के लिये तैयारी करना ।
- ४००—उकैती के गुग्गु के जरीक होने की सजा ।
- ४०१—चोरों के गुग्गु में जरीक होने की सजा ।
- ४०२—उकैती के शक्तिव के लिये जमझ रोना ।

माल के तसरुफे देजाये मुजरिमानः के बयान सैं ।

- ४०३—बद दियावती से माल का तसरुफे बेजा ।
- ४०४—बद दियावती से उस माल का तसरुफे बेजा जो मग्ने के बरु शरुस सुतवफफा के बरुजे में था ।

स्त्रियानते मुजरिमानः के बयान सैं ।

- ४०५—स्त्रियानते मुजरिमानः ।
- ४०६—स्त्रियानते मुजरिमान की सजा ।
- ४०७—माठ पहचाने गले परैरः से स्त्रियानते मुजरिमानः ।
- ४०८—मुतसद्दी या नौकर से स्त्रियानते मुजरिमानः ।
- ४०९—सुकीर्ण सुत्रानिम या म्हाजन या सौदागर या पुत्रुय से दियावती मुजरिमानः ।

माले मसरुकः लेने के बयान सैं ।

- ४१०—माले मसरुकः ।
- ४११—माले मसरुक बद दियावती से लेना ।
- ४१२—माले मसरुकः व शक्तिव उकैती बद दियावती से लेना ।
- ४१३—माले मसरुक का आदनन चागेवार करना ।
- ४१४—माले मसरुक दुमाने में मदद देना ।

दगा के बयान सैं ।

- ४१५—दगा ।
- ४१६—दुमग म्हाज चागे से दगा ।
- ४१७—दगा की सजा ।
- ४१८—दगा दग दग से दि उग्ने जियाने बेना निमी यामन को पणुने निस्तके अनिद-
काक की दिशानुगत सुत्रिम पर वजिा है ।
- ४१९—दुमग म्हाज दगाने से दगा करने की सजा ।
- ४२०—दगा के उग्ने करने को दगा और बद दियावती से बदगीत करना ।

फरेव आमेज वसीकों और माल को फरेव से दूर से
अलाहदः करने के वधान में ।

दफ्तारगत

- ४२१--कर्मचारियों में तकसीम के रोकने के लिये बददियानती या फरेव से माल को दूर
करना या इपाना ।
- ४२२--कर्म को कर्मचारियों को मयस्तर होने से बद दियानती या फरेव से रोकना ।
- ४२३--वसीक इ इतिहास की बद दियानती या फरेव से तकमील करना जिस में एक्क
का पठ वधान लिखा है ।
- ४२४--माल को बद दियानती या फरेव से दूर करना या इपाना ।

नुकसान रसानी के वधान में ।

- ४२५--नुकसान रसानी ।
- ४२६--नुकसान रसानी थी सजा ।
- ४२७--नुकसान रसानी के ज़रीये से पचास रुपये तक मज़रत पहुचाना ।
- ४२८--दस रुपये की मालीयत के किसी हैवान को मार डालने या उस के किसी अज़ोको
बेकार करने से नुकसान रसानी ।
- ४२९--किसी मालीयत की गोशो वगैर को या पचास रुपये की मालीयत के किसी हैवान
को मार डालने या उसके किसी अज़ोको बेकार करने से नुकसान रसानी ।
- ४३०--आप्यासे के मकामों के नुकसान पहुचाने से या बतैरे बेजा पानी का खर्च फेर
देने से नुकसान रसानी ।
- ४३१--शारेअ छाम या पुल या दर्या या मजराय आब को नुकसान पहुचाने से नुकसान
रसानी ।
- ४३२--सैलाब फैलाणे या बदरगेवे छाम के रोकने से जिनसे मज़रत होती है नुकसान
रसानी ।
- ४३३--लाइट हाउस या निशाने समुन्दरी को तवाह करने या उसकी तबदीले जाय वरो
या किसी क़दर बेकार करदेने से नुकसान रसानी ।
- ४३४--निशाने ज़मीन जो बहुक्मे सर्कार कायम हुआ हो तवाह करने या उसकी तबदीले
जाय वगैर. से नुकसान रसानी ।
- ४३५--यज़रीयः आग या भक से उड़ जानेवाले माद्देके सौ रुपये तक या (पैदावार काउन
कारी की सूरत में) दस रुपये तक मज़रत पहुचाने की नीयत से नुकसान रसानी ।
- ४३६--आग या भकसे उड़ जानेवाले माद्दे से नुकसान रसानी घर वगैर के तवाह करने
की नीयत से ।
- ४३७--पिटैहुये मर्क़े तरी या ५६० मन के मर्क़े तरी को तवाह करने या उसके बेख़तर
होने में ख़ल्ल अन्दाज़ी की नीयत से नुकसान रसानी ।

दफ्त्रान

- ४३८—सजाये मुकसान रसानी मजकूरः इ दफ्तरः ४३७—जब कि इतिहाव उसका आग या भरु से उड़ जानेवाले माद्रे से हो ।
- ४३९—सर्कः वझौरः के इतिहाव की नीयत से मर्बवे तरी को कम उसुक पानी की जमीन पर वा किनारे पर कस्टन् ठवराने की इहत में सजा ।
- ४४०—हलाकत या जरर पहुचाने की तैयारी के बाद मुकसान रसानी वा इतिहाव ।

मुदाखलते बेजाये मुजरिमानः के दयान में ।

- ४४१—मुदाखलते बेजाये मुजरिमानः ।
- ४४२—मुदाखलते बेजा वखान ।
- ४४३—मदवणी मुदाखलते बेजा वखान ।
- ४४४—मदवणी मुदाखलते बेजा वखानः वस्त शव ।
- ४४५—नकबजगी ।
- ४४६—नकबजगी वस्त शव ।
- ४४७—मुदाखलते बेजाय मुजरिमान की सजा ।
- ४४८—मुदाखलते बेजा वखान की सजा ।
- ४४९—जुर्म के इतिहाव के लिये जिसकी सजा मौत है मुदाखलते बेजा वखान ।
- ४५०—जुर्म के इतिहाव के लिये जिसकी सजा हत्त दयाम वउवूरे दर्याय शेर है मुदाखलते बेजा वखानः ।
- ४५१—जुर्म के इतिहाव के लिये जिसकी सजा कैद है मुदाखलते बेजा वखान ।
- ४५२—जरर पहुचाने या हन्ल करने या मुजाहमते बेजा करने की तैयारी के बाद मुदाखलते बेजा वखान ।
- ४५३—मदवणी मुदाखलते बेजा वखान या नकबजगी की सजा ।
- ४५४—जुर्म के इतिहाव के लिये जिसकी सजा कैद है मदवणी मुदाखलते बेजा वखान या नकबजगी ।
- ४५५—जरर पहुचाने या हन्ल करने या मुजाहमते बेजा करने की तैयारी के बाद मदवणी मुदाखलते बेजा वखान वा नकबजगी ।
- ४५६—मदवणी मुदाखलते बेजा वखानः वा नकबजगी वस्त शव की सजा ।
- ४५७—जुर्म के इतिहाव के लिये जिसकी सजा कैद है मदवणी मुदाखलते बेजा वखान वा नकबजगी वस्त शव ।
- ४५८—जरर पहुचाने या हन्ल करने या मुजाहमते बेजा करने की तैयारी के बाद मदवणी मुदाखलते बेजा वखान वा नकबजगी वस्त शव ।

सुफ़ायत

४७७—वसायत नामे या सुनबन्ना करने के इजाज़त नामे या किफ़ालतुल्माल पर फ़रोष से ख़ते नस्ख़ ख़ाचना या उत्तना तलफ़ू करना वग़ैरः ।

४७७—(अलिफ़)—हिस्साव बूटा बनाना ।

द्विरफ़े और मिल्कीयत के और दूसरे निशानों के बयान में

४७८—निशान द्विरफ़े ।

स्टीटियूट मजगीय इ सन ४६ ओ ४७ जुद्धमे मलिकःइ विक्टोरिया—वाव ५७ ।

४७९—निशाने मिल्कीयत ।

४८०—छूट निशान द्विरफ़े का काम में लाना ।

४८१—छूट निशान मिल्कीयत का काम में लाना ।

४८२—छूट निशाने द्विरफ़े या निशाने मिल्कीयत का काम में लाने की सज़ा ।

४८३—उप निशाने द्विरफ़े या निशाने मिल्कीयत की तल्गीम जिसको कोई और शरूत काम में लात है ।

४८४—तल्गीस ऐमे निशान की जो सर्काग गुल्जाजिम काम में लाता है ।

४८५—किसी निशाने द्विरफ़े या निशाने मिल्कीयत की तल्गीस के लिये किसी आलः का बनाना या पास रखना ।

४८६—ऐमे अस्नाव का बेंचना जिस पर मुन्तवित्त निशान द्विरफ़े या निशाने मिल्कीयत रहे ।

४८७ - किसी चक्र पर जिसमें पस्बाव रहे कोई छूट निशान बनाना ।

४८८—किसी वेमे छूट निशान के नाम में लाने की सज़ा ।

४८९—निशान मिल्कीयत में मुक़्तमान पहचानो की नीयत से कारनाज़ी करना ।

दरन्दी नोटो और दंक्र नोटों के बयान में ।

वाच १६ ।

खिदमत के मुआहदों के लुक्ज मुजरिमानः के वयान म ।

दफ्तारात

- ४९०—खिदमत सफे तरी वा तुम्ही के मुआहदः का लुक्ज ।
 ४९१—आजिज वा खिदमत करने और उसकी जुल्मीयात के बहम पहुचाने के मुख्य हदः
 वा लुक्ज ।
 ४९२— किसी दूर दराज जगह में खिदमत करने के मुआहद का लुक्ज जहा नोकरआजा
 के तर्ष से पहुचाया गया हो ।

वाच २० ।

उन जुर्मों के वयान में जो इज्जदिवाज से तअल्लुक रखते हैं ।

- ४९३—हमखानगी जो किसी मर्दे ने इज्जदिवाजे जायज के धोखा देने से तहरीक
 करके की हो ।
 ४९४—शौहर या जौजा के हीने हयात में मुर्रर इज्जदिवाज करना ।
 ४९५—वही जुर्म या इस्फाय इज्जदिवाज साबिक उस शरस से जिसके साथ पिछला इज्ज-
 दिवाज हुआ ।
 ४९६—बगैर करने इज्जदिवाजे जायज के फरेब से रस्मीयाते इज्जदिवाज का अदा करना ।
 ४९७—जिना ।
 ४९८—वागीयत मुजरिमान किसी झौगत मन्कह को फुसला ले जाना या ले उड़ना या
 रोक रखा ।

वाच २१ ।

एज्जालः इ हैसियते उर्फों के वयान में ।

- ४९९—एज्जालः हैसियते उर्फों ।

किसी सच्ची बात का वतिहाम् जिसका करना या मुश्तहर करना आम्म ड खला
 यक के लिये दरकार है ।

सर्कारी मुआजिनो वा तरके अमल बहमीयत उमेकी मुलाजमी के ।

किसी शरस का तर्क अमल वतिहरत किसी मुश्कमल ड आम्मः इ खलायक के
 वोटों को करव ई नी तफिनो को मुश्तहर करना

इफ़जात

किसी मुकद्दम की हकीकत हाल जिसका कौंसल कोर्ट में हुआ या गवाहों और और लोगों का तरीके अमल जो उससे तबखलुक करते हैं ।

आम्म इ खलायक के सामने अमल का हुस्न ओकुतु ।

सर्जनश जो कोई शरूत नेक नीयती के साथ करे जो दूसरे शरूत पर इकितदारे जायज़ रखता हो ।

शिकायत जो शरूत ज़ी इख्तियार के सामने नेक नीयती से पेश की जाय ।

इत्तिहाम जो कोई शरूत अपनी या चौर की अगगाज़ की हिफ़ाज़त के लिये नेक नीयती से करे ।

तहज़ीर करना जिससे उस शरूत का फायदः जिसको तहज़ीर की गई हो या आम्म इ खलायक का फायदः नीयत में हो ।

५००—इज़ालःइ हैसियते उर्फ़ा की सज़ा ।

५०१—कोई मज़मून छापना या कन्दः करना जिसका मुज़ील हैसियते उर्फ़ा होना इल्म में हो ।

५०२—किसी छंगट्टये या कन्दः किये हुये माढे की करोस्त जिसमें कोई मज़मून मुज़िले हैसियते उर्फ़ा हो ।

बाब २० ।

तस्वीफ़े मुजरिमानः ओ तौहीने मुजरिमानः ओ रंजदिहीये
गुजरिमानः के बयान में ।

दाघ २३ ।

जुमों के इतिक्राय करने के इकदाम के वयान से ।

दफ्तःआत

५११—उन जुमों के इतिक्राय के इकदाम को राजा जिन्की पादागतो हस्त बउदूर दर्याय शोर या कैद मुकर्र हो ।

एक्ट नम्बर ४५ सुसदरः इ सन् १८६० ई०^१ ।

जारी किया हुआ हिन्द की लेजिस् लेटिफ कौन्सिल का ।
[६—अक्ट नम्बर १८६० ई० ।]

मजमूअः इ क्वानीने ताजीराते हिन्द ।

[यकुमे जूलाई सन् १८६२ ई० तक की तर्मीमात के साथ ।]

जाच १ ।

मुक्तदमः ।

चूँकि यह अमर करीने मसलिहत है कि ब्रिटिश इन्डिया के तमहीद ।
वास्ते एक आम मजमूअः इ क्वानीने ताजीरात मुहीया किया जाय
लिहाजा हस्व जैज हुकम होता हैः—

दफः १ — इस ऐक्ट का नाम मजमूअः इ क्वानीने ताजीराते हिन्द नाम मजमू
होगा और यह^२ * * * * *^३ उस तमाम कलमरौ में नाफिज होगा कलमरौ ।

१ जुअः जरायम तहते मजमूअः इ क्वानीने ताजीराते हिन्द की तहकीकात और में यह मज
तजवाज मजमूअ इ जापिन उफौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ सुसदर इ सन् १८९८
ई०) की दफकात ५ आ २८ के अहकाम के मुताबिक वक् में आयेगी । मूअ नाफि
होया ।

मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द रेगुलेशन ५ सुसदर इ सन् १८७२ ई० की दफ १९
[मजमूअ इ क्वानीने वम्बे—जल्द १ मतकूर इ सन् १८९४ ई०—सफ. २७४]
के जारी से—ज्ज्ञान कि वह रेगुलेशन उससे मुताबिक नही रखता है—वातिलकिय गया ।

२ अल्लाज आ अदाद "इतिदाय यकुमे मै सन् १८६१ ई० से" मन्सूख आर तर्मीम
करनेवाले ऐक्ट सन् १८९१ ई० (नम्बर १२ सुसदर इ सन् १८९१ ई०) के जगीये से
मन्सूख किये गये ।

३ अल्फाज " आबादी हाय प्रिन्त आर वेल्स आई लैण्ड और सिगापूर और मलाका के
मिवा " मन्सूख और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९१ ई० (नम्बर १२ सुसदर इ सन्
१८९१ ई०) के जगीये से मन्सूख किये गये ।

४ मजमूअः इ क्वानीने ताजीराते हिन्द उन जुपों से मुताबिक किया गया है (जिनके
इतिफाव यकुमे जावरी सन् १८६२ ई० से पेशत हुआ हो पन्जाब में [मुल्हाइज तन्व
कवाणीने पन्जाब का ऐक्ट सन् १८७२ ई० (नम्बर ४ सुसदर इ सन् १८७२ ई०)—दफ
३९—जिमका नजरेसानी किया हुआ सुमर यकुमे जूलाई सन् १८९१ ई० तक की
तर्मीमां के साथ लेजिस् लेटिफ डिपार्टमेन्ट की तरफ से छपकर मुद्रात हआ है] और
अजमेर मेरवाड़ में मुल्हाइज तन्व क्वानीने अजमेर का रेगुलेशन सन् १८७७ ई०
(नम्बर ३ सुसदर इ सन् १८७७ ई०)—दफ २९ [मजमूअः इ क्वानीने अजमेर मत-
वृक्ष इ सन् १८९३ ई०—सफः १६२] ।

(याव १—मुकदमः—दफ. १ ।)

जो हस्वमन्शाय वाच १०६^१ ऐक्ट आफ पार्लिमेन्ट मौसूमःइ^१ ऐक्ट गुत-

कलमरी हाय मर्कूमुजैल में मजमूअःइ मजकूर के नाफिज होंगे का एण्डलान रिया गया है—सौताल पर्गनों में सौताल पर्गनों के इन्दोस्त के रेगुलेशन सन् १८७२ ई० (नम्बर ३ मुसदरःइ सन् १८७२ ई०) की दफ. ३ के जरीयेसे जैती कि उस रेगुलेशन की तर्फीम सौताल पर्गनों के कवानिने के रेगुलेशन सन् १८८६ ई० (नम्बर ३ मुसदरःइ सन् १८८६ ई०) की रूते हुई है [मजमूअःइ कवानिने बगाल.—जिल्द १ मतमूअःइ सन् १८८९ ई०—सफा ५९७] ।

अराकान के जिला कोही में अराकान के जिला कोही के कवानिने के रेगुलेशन सन् १८७४ ई० (नम्बर ९ मुसदरःइ सन् १८७४ ई०) की दफ. ३ के जरीयेसे [मजमूअःइ कवानिने बर्मा मतमूअःइ सन् १८९९ ई०] ।

एपर बर्मा में उमूमन—बहुज रियासत हाय शान के—बर्मा के कवानिने के ऐक्ट सन् १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसदरःइ सन् १८९८ ई०) की दफ. ४ (१) और जर्मीम १ के जरीये से [मजमूअःइ कवानिने बर्मा मतमूअःइ सन् १८९९ ई०] ।

अठिना विद्दुचिस्तान में अठिना विद्दुचिस्तान के कवानिने के रेगुलेशन सन् १८९० ई० (नम्बर ६ मुसदरःइ सन् १८९० ई०) की दफ. ३ के जरीये से [मजमूअःइ कवानिने विद्दुचिस्तान मतमूअःइ सन् १८९० ई०—सफा ६९] ।

अरुल और खन्दमात्म में जिला अरुल के रेगुलेशन सन् १८९४ ई० (नम्बर ६ मुसदरःइ सन् १८९४ ई०) की दफ. ३ के जरीये से—और (तर्फीमाके साथ) कवानिने के एक्ताय कोही में बरिदव अकामे कोही कवानिने के अकामे काहीके रेगुलेशन सन् १८९६ ई० (नम्बर १ मुसदरःइ सन् १८९५ ई०) की दफ. ३ के जरीये से [मजमूअःइ कवानिने बर्मा मतमूअःइ सन् १८९९ ई०] ।

(तर्फीमाके साथ) कोरहाय चीन में बरिदव अकामे कोही के एक्ताय चीन के रेगुलेशन सन् १८६६ ई० (नम्बर ३ मुसदरःइ सन् १८६६ ई०) के जरीये से [मजमूअःइ कवानिने बर्मा मतमूअःइ सन् १८९९ ई०] ।

(वाव १—मुन्वमा—दफ्त्रात २—४ ।)

जिन्मिने अहसने इन्तिजामे हिन्द ” मजरीअःइ सन २१ ओ २२ जुलूसे मलकःइ मुन्वजमः विकटोरिया के मलकःइ मद्दूहःके कव-जये इकिदार से आई है या आइन्दः आये ।

दफ्त्रः २—हर एक शख्स जो कलमरौ मजकूर में * * * *^१ सजाय जरा-यम जिनका ऐसे फेल या तर्क फेल का मुजरिम हो जो उस मजमूअः के अह-इतिकाव काम के खिलाफ हो वह इसी मजमूअः की रू से सजा का मुस्तौ कलमरौ जिव होगा न किसी और कानून के मुताबिक । मजकूर के अन्दरवाके हो।

दफ्त्रः ३—जो कोई शख्स मुताबिक किसी कानून मजरीयःइ सजाय जरा-यम जिनका जनाव नव्वाव गवर्नर जेनेरल वहादुरे हिन्द वइजलासे कौन्सिल इतिकाव के किसी ऐसे जुर्म की इल्लत में काविले मुवाखजः हो जिसका कलमरौ इतिकाव कलमरौ मजकूर की हुदूद के बाहर हुआ है तो उस शख्स वाहर वाके के साथ वात्रत किसी फेल के जिसका इतिकाव कलमरौ मजकूर के हो मगर उनकी वावत वाहर हुआ हो इस मजमूअः के अहकाम के मुताबिक उसी तरह मुवाखज-अमल किया जायगा कि गोया उस फेल का इतिकाव कलमरौ कानून की रू से उस के मजकूर के अन्दर हो सक्ता है ।

दफ्त्रः ४^२—इस मजमूअःइ कवानीन के अहकाम हर ऐसे जुर्म मजमूअःइ से भी मुतअल्लिक होंगे जिसका इतिकाव—मजकूर की वसअत

सन १८८१ ई० की जिल्द २ के सफ ६५१ में—अब गवर्नमेन्ट हिन्दके ऐक्ट सन् १८६८ जरायम की ई० के नाम से उसका हवालः दिया जासक्ता है— [मुलाहज. तलव मुम्ततर नामोंका ऐक्ट निस्वत जिन सन् १८९६ई० (स्टीटिउट मुसदर इ सन् ५९ ओ ६० जुलूसे मलकःइ विकटोरिया—वाव १४)] का इतिकाव^१ अलफाज्ज ओ आदाद “यकुमे मै सन् १८६१ई० की या उसके बाद” मन्सूख और कलमरौ के तर्मािम करने वाले ऐक्ट सन् १८९१ई० (नम्बर १२ मुसदरःइ सन् १८६१ ई०) के जरीये वाहर हो । से मन्सूख किये गये—और दरम्सूस उन जुर्मों के जो आव हाय इलाकःइ कलमरौमें वकूमों आये मुलाहज तलव आव हाये इलाकः इ कलमरौ के इहात इ इम्तियार का ऐक्ट सन् १८७८ ई० (स्टीटिउट मुसदर इ सन् ४१ ओ ४२ जुलूसे मलकःइ विकटोरिया—वाव ७३)—छपा “मजमूअःइ स्टीटिउट मुतअल्लिक हिन्द” की जिल्द २ के सफः १-४८ में ।

^२असल दफ्त्र मजमूअःइ कवानीने ताजीराते हिन्दके तर्मािम करनेवाले ऐक्ट सन् १८९८ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन् १८९८ई० की दफ्त्र २० के जरीयेसे मन्सूखहुई और सजाय उसके

पिजीरी उन

(वाव १-मुज्जम-दफ ४ ।)

(१) मलकःइ मुअज्जमःकी किसी देसी हिन्दी रअय्यत की जानिव से किसी मुकाम में ब्रिटिश इन्डिया^१ से खारिज और उसके बाहर हो ।

(२) किसी और रअय्यत विर्तानी की जानिव से किसी देसी वालीये मुल्क या रईस की कमलरौ बाके मुल्क हिन्द में ।

(३) किसी मुलाजिम मलकःइ मुअज्जमःकी जानिव से-आम इससे कि वह रअय्यत विर्तानी हो या न हो-किसी देसी वालीये मुल्क या रईस की कलमरौ बाके मुल्क हिन्द^१ में-हुआ हो ।

तशरीह-इस दफः में लफ्ज "जुर्म" में ब्रिटिश इन्डिया^१ के बाहर हर एक ऐसा सादिर शुदः फेल दाखिल है कि अगर वह ब्रिटिश इन्डिया^१ के अन्दर सादिर होता तो इस मजमूअःइ क्रवानान की रूसे लायके सजा होता ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जेद जो कुली है और देसी हिन्दी रअय्यत है उगण्डा में कर्त्ले अमद का मुर्तकिव हुआ—तो किसी मकाम बाके ब्रिटिश इन्डिया में जहा वह मिले उसकी तजवीज हो सती है और वह कर्त्ले अमद का मुजरिम टहर सत्ता है ।

(बे) अमर जो रअय्यत विर्तानी अहले यूग है पश्मीर में कर्त्ले अमद का मुर्तकिव हुआ—तो किसी मकाम बाके ब्रिटिश इन्डिया में जहा वह मिले उसकी तजवीज हो सती है और वह कर्त्ले अमद का मुजरिम टहर सत्ता है ।

(जीम) इनालिद जो रौम मुल्क का है और गवर्नमेन्ट पन्नाव में नाकर है शौद में कर्त्ले अमद का मुर्तकिव हुआ—तो किसी मकाम बाके ब्रिटिश इन्डिया में जहा वह मिले उसकी तजवीज हो सती है और वह कर्त्ले अमद का मुजरिम टहर सत्ता है ।

(वाच १—मुकद्दमः—दफ. ५ ।)

(दा३) खालिद ने जो रअयने विर्नागे है और इन्दौर में गृहता है हाभिद को तर्फीव दा फि बम्बई में मुर्नाकिव कर्त्तने अमद का हो तो खालिद कर्त्तले अमद में इआनत करने का एजरिम होगा ।

दफः ५— यह मुराद नहीं है कि इस ऐक्ट की कोई इवारत वाज कवानीन नीचे लिखे हुये कवानीनके किसी हुकम को मन्सूख या मुअदल या जिन पर यह मुअत्तल करे या उस पर किसी तरह मुअस्सर हो—याने वाव८^१— ऐक्ट मुअस्सर न होगा ।
 ऐक्ट आफ पार्लिमेन्ट मजरीयः ३ औ ४ जुलूसे शाह विलियम चहारम—या कोई और ऐक्ट आफ पार्लिमेन्ट जो वाद ऐक्ट मज-कूर के जारी होकर सर्कार ईस्ट इन्डिया कम्पनी या कलमरौ मज-कूरः पर या कलमरौ मजकूरः के वाशिन्दों पर किसी तरह से मुअस्सर हुआ हो—या कोई ऐक्ट जो मलकः इ मुअज्जमः * * * *^२ के मुलाजिम अफसरों और सिपाहियों की वशावत और नौकरी पर से भागजानेकी सजा से मुतअल्लिक हो * * * *^३— या कोई कानून मुअतस्सुल अमर या मुखतरसुल मकाम^४ ।

^१ छपा “मजमूअ इ स्टीटिउट मुतअल्लिके हिन्द” मतवूअ इ सन् १८८१ ई० की जिल्द १ के सफह २२८ में—अब गवर्नमेन्ट हिन्द के ऐक्ट सन १८३३ ई० के नाम से उसका इवाल दिया जा सक्ता है—मुलाहजः तलव मुकद्दमर नामों का ऐक्ट सन १८९६ ई० (सन ५९ जो ६० खूदसे मलक इ विक्टोरिया—वाच १४) ।

^२ अब मुलाहज तलव फौजी ऐक्ट मुमदरः इ सन ४४ जो ४५ खूदसे मलकः इ निक्टो-मिया—वाच ५८ (छपा “मजमूअः इ स्टीटिउट मुतअल्लिके हिन्द” मतवूअः इ सन १८९९ ई० जिल्द २ में) जिस तौर से फि वह पिछले सालानः फौजी ऐक्टोंके जरिये से बरकरार रक्खा और तर्फीग किया गया है ।

^३ अबकाज “ या सर्कार ईस्टइन्डिया कम्पनी—या कोई ऐक्ट वास्ते इन्तिजाम सर्कार ईस्टइन्डिया कम्पनी के ” ऐक्ट नासिख सन १८७० ई० (नम्बर १२ मुसदरः इ सन १८७० ई० के जरिये से मन्सूख हुये ।

^४ इसी तरह का इरतस गाय कवा गिन मुखतरसुलअमर ओ मुखतरसुलमकाम की निस्वत मजमूअः इ कवानीने ताजीराते हिन्द के तर्फीम बरनेवाले ऐक्ट (नम्बर २७ मुसदरः इ सन् १८७० ई० की दफः १९ में दाखिल किया गया है—जो तर्फीमात कि उस ऐक्ट के जरिये से अमल में आई हैं वह इस दुस्वः में दर्ज की गई हैं ।

(बाब १—तशरीहाते आम्मः के बयान में दफआत ६—८ ।)

बाब २ ।

तशरीहाते आम्मः के बयान में ।

इस मजमूअे में तारीफ़ात मुस्तस्नीयात से मशरूत समझी जायें ।

दफ़्तः ६— इस तमाम मजमूअः में किसी जुर्म की हर एक तारीफ़ और हर एक तार्इने सजा आर हर एक ऐसी तारीफ़ या तार्इने सजा की हर एक तमसील उन मुस्तस्नीयात से मशरूत समझी जायेगी जो बाब “मुस्तस्नीयाते आम्मः” में मजकूर है औ हर एक ऐसी तारीफ़ जुर्म या तार्इने सजा या तमसील में मुस्तस्नीयात मजकूरः का इआदः न हुआ हो ।

तमसीलें ।

(अलिक) इस मजमूअ की उन दफोंमें जहा जुर्मों की तारीफें मजकूर हैं यह नहीं लिखा गया है कि सात बरस से कम उमर का तिफ़ल जराइमे मजकूर का मुर्तक़िब नहीं होसता मगर उन तारीफों को उम मुत्तसनाय आग से मशरूत समझा चाहिये जिसमें यह मुकरर है कि कोई अमर जो सात बरस से कम उमर का तिफ़ल करे जुर्म नहीं होगा ।

(बे) अगर ज़ैद कि उहद-दारे पुलीस है वगैर वारंट के बज़र को जो मुर्तक़िब कतल अमद हुआ है गिरफ़्तार करे तो उस सूगत में ज़ैद जुर्म हवत बेजा का मुजरिम न हुआ क्योंकि ज़ैद पर बकर का गिरफ़्तार करना कानून वानिव था—परत यह सूगत उस मुस्तसनाय आग में दाख़िल है जिसमें यह मुकरर हुआ है कि “कोई अमर जुर्म नहीं है जिसको ऐसा शफ़्त करे जिस पर उसका करना कानून वानिव है” ।

शम्निमाले

लफ़ज बरिआ- महल पर हुई है उमी तशरीह की रिआयत से इस मजमूअः में त्र यन उस तशरीह के जो

दफ़्तः ७— हर लफ़ज जिसकी तशरीह इस मजमूअः में किसी महल पर हुई है उमी तशरीह की रिआयत से इस मजमूअः में त्र जगह सुरतअमल हुआ है ।

इस मजमूअ. में कहीं का गई ।

दफ़्तः ८— “बह” का लफ़ज याने जमीर वाहिदे गायब औ उसके मुश्तज़ात हर किसी शरूब के दास्ते मुस्तअमल हुये हैं आ इससे कि वह मुजबकर हो या मुअन्नस ।

मुजबकर मुज- पस ।

^१ मनाद का नाम ४ ।

^२ मनाद की दफ ८२ में ।

^३ मनाद की दफ ८६ में ।

(नाम २—तशरीहाने प्रान्त. के दयान में—दफ्तारान ६—१९१)

दफ्तारः ६—वह अल्फाज जो बेमानी सेगः इ वाहिद हैं सेगः इ वाहिद ओ जमा की शामिल हैं—और वह अल्फाज जो बेमानी सेगः इ जमा जमा है सेगः इ वाहिद की शामिल हैं—वशर्तकि करीनः से उसके खि-लाफ न जाहिर हो ।

दफ्तारः १०—“ मर्द ” के लफ्ज से मुजकर नोअ इन्सान मु-“ मर्द ” राद है किसी उमर का हो—“ औरत ” के लफ्ज से मुअन्नस नोअ “ औरत ” । इन्सान मुराद है किसी उमर की हो ।

दफ्तारः ११—“ शख्त ” का लफ्ज हर एक कम्पनी या जमा-“ शख्त ” । अत या गुरोहे अशखास की शामिल है खाह उनको सकार से सनद मिली हो या नहीं ।

दफ्तारः १२—“ आम्मः ” का लफ्ज हर फिर्कः इ अत्रामुन्नास “ आम्म ” । या तबकः इ खलायक की शामिल है ।

दफ्तारः १३—“ मलकः इ मुअज्जमः ” के लफ्ज से पादशाहे वक्त “ मलक इ मुअज्जमः ” । ममलिकते मुत्तहदः इ ग्रेटब्रिटन और आइरलन्ड मुराद है ।

दफ्तारः १४—“ मुलाजमे मलकः इ मुअज्जमः ” के लफ्ज से वह “ मुलाजमे मलक इ मुअज्जमः ” । सब उहदः दार या मुलाजम मुराद हैं जो हिन्द में बहुकम या बड़ता-अते हुकम वाव १०६—एक्ट आफ पार्लिमेन्ट मजकूर मजरीयः इ सन् २१ ओ २२ जुलूसे मलकः इ मुअज्जमः चिकटोरिया मौसूमः इ “ एक्ट मुतजम्बिन अहसने इन्तिजामे हिन्द ” या बहुकम या बड़ताअते हुकम गवर्नमेन्ट हिन्द, या किसी गवर्नमेन्ट के कायम रहे या मुकरर या मामूर हुये हों ।

दफ्तारः १५—“ ब्रिटिश इन्डिया, ” के लफ्ज से * * * * * “ ब्रिटिश इन्डिया ” । वह कलमरौ मुराद है जो वाव १०६ एक्ट आफ पार्लिमेन्ट मजकूर

१ “ गवर्नमेन्ट हिन्द के एक्ट सन् १८५८ ई० ” (मजरीय इ सन् २१ ओ २२ जुलूसे मलक इ मुअज्जमः चिकटोरिया—वाव १०६ के लिये मुलाहज तलव “ मजदूरी इ स्टैटिउट मुतअज्जिके हिन्द ” मतवूअ सन् १८८१ ई० जिल्द २—सफ. ६५१ ।

२ अल्फाज “ मिवाय आबादाहाय प्रिन्त आफ वेस्त आईलैन्ड जो तिहापुर ओ मलावा के ” मन्सूख और तर्फीम करने व ले रेक्ट सन् १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदर इ सन् १८९१ ई०) [एक्ट हाथे आग—जिल्द ६] के जरीये से मन्सूख विये गये ।

(वाच २—तशरीहाने खाम्म के वयान मे—दफ्त्रात १३—१६ ।)

मजरीयःइ सन् २१ आ २२ जुनुसे मलकःइ सु रुज्जमः विकटोरिया मौसूमःइ “ ऐक्ट मुतजन्मिन अहसने इन्तिजामे हिन्द ” की रु से मलकःइ मस्टूहः के कज्जये इक्तिदार में आई है या आइन्दःआये ।

“गवर्नमेन्ट हिन्द” ।

दफ्त्रः १६—“ गवर्नमेन्ट हिन्द ” के लफ्ज से जनाव नव्वाव गवर्नर जनरल बहादुरे हिन्द बइजलासे कौन्सिल या अगर जनाव नव्वाव मस्टूह कौन्सिल में तशरीफ न रखते हा तो जनाव प्रेजीडेन्ट बइजलासे कौन्सिल या सिर्फ नव्वाव गवर्नर जनरल बहादुरे हिन्द मुराद हैं वलिहाज उन इइलियारात के जिनको नव्वाव गवर्नर जनरल बहादुरे हिन्द बइजलासे कौन्सिल या जनाव प्रेजीडेन्ट बइजलासे कौन्सिल या नव्वाव मस्टूह बजाते खुद जवाजन् अमल मे लायें ।

“गवर्नमेन्ट” ।

दफ्त्रः १७—“ गवर्नमेन्ट ” के लफ्ज से वह शख्स या वह अशख्वास मुराद हैं जो ब्रिटिश इन्डिया के किसी हिस्सः में कानून नजम आ नसक मुल्क के मुख्तार हों ।

“प्रेजीडेन्सी” ।

दफ्त्रः १८—“ प्रेजीडेन्सी ” के लफ्ज से वह कलमरी मुराद है जो किसी एक प्रेजीडेन्सी की गवर्नमेन्ट के जेर हुक्मत हो ।

“जज” ।

दफ्त्रः १९—“ जज ” के लफ्ज से न सिर्फ हर ऐसा शख्स मुराद है जो दएतिवार अमले सर्कारी जज के लफ्ज से मुल्ककवहो वलिक हर वह शख्स भी मुराद है ।

जो कानून की रु से किसी दीवानी या फौजदारी के मुकदमः में फैसलःइ कतई सादिर करने का इइलियार रखता हो—या ऐसे फैसले के सादिर करने का इइलियार रखता हो कि अगर उम फैसले का अशील नहो तो वह फैसलः कतई हो—या ऐसे फैसले के सादिर करने का इइलियार रखता हो कि अगर वह फैसलः किसी दूसरे हाकिम की तजवीज से बहाल रहे तो कतई हो—या

जो किसी ऐसी जमाअत अख्तियार से हो जिन जमाअत को कानून ने फैसले के सादिर करने का इइलियार है ।

(धार २—तजरीहाते आम के बचान में—दफ २० ।)

तमसीलें ।

(अक्रिह) कोई कन्वटर जब कि वह किसी मुकद्दम में ऐक्ट १० मुसदर इ सन् १८५९ ई०^१ के मुताबिक अमल कर रहा हो—जम है ।

(बे) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी एने जुर्म को निस्वत अमल कर रहा हो जिम में उसको जुरमाने या कैद के हुक्म सादिर करने का इस्तिथार है जम है आम इससे कि उसका फैसल काबिले अपील हो या नहीं ।

(जीम) हर एक प्रहले पश्चायत जिसको रेगूलेशा ७ सन् १८५६ ई०^२ मजमू-अःइ कवानीने मदरास के मुताबिक मुकद्दमान के तजवीज ओ फैसल करने का इस्ति-थार हो जम है ।

(दाल) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी एने जुर्म की निस्वत अमल कर रहा हो जिसमें उसको निर्फ दूसरे महकम में तजवीज कलिये सपुर्द करने का इस्तिथार है जम नहीं है ।

दफ़ः २०—“कोर्ट आफ जस्टिस” के लफ़ज से वह जज गुराद “ कोर्ट आफ जस्टिस ” है जिसको कानून वजाते बाहिर अदालतके काम करने का इस्ति-थार हासिल हो—या जजों का वह मजमूअ गुराद है जिसको कानून

^१ ऐक्ट १० मुसदरःइ सन् १८५६ई० (ऐक्ट वमुाद तर्मीम कानून सुतअदिके वसूल जरे लगान के प्रेजिडेन्सी फोर्ट विलियम वाकें बङ्गाल में) बङ्गाल वी किस्मत छोटा नागपुर में (व इस्तसनाय जिचे माभूम और नडालात वाज गुजार के) छाटा नागपुर के ज-मोदार और रअयत के जाबित इ कार्रवाई के ऐक्ट सन् १८७६ ई० (वङ्गाल के ऐक्ट १ मुसदर इ सन् १८७९ ई०) के जरीये से—और बाकी डिस्टःड बङ्गाल में (वइस्त-सनाय कलकत्त और उड़ीस और इजलाय मुन्दरज इ फिहरिस्त के) बङ्गाल अगचीये रअयती के ऐक्ट सन् १८८५ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन् १८८५ ई०) के जरीये से मसूख होगया है—वह अब बङ्गाल क जिला मानभूम और जिला दारजिलिङ और लुज्व जिला जलपाई गेड़ी में न फिज है और उसके वह अजजाय जो ऐक्ट ८ मुसदरःइ सन् १८८५ ई० के उा अजजा के गैर मुताबक नहीं हैं जो किस्मत उड़ासः में वस-अत पिजीर कियेगये हैं किस्मते मजकूर में नाफिज है—ऐक्ट १० मुसदरःइ सन् १८५९ ई० मजमूअ इ कवानीने बङ्गालः मतइअ इ सन् १८८९ ई० गित्द १ के सफ-३४३ में छपा है ।

नोज ऐक्ट १० मुसदरःइ सन् १८५९ ई० ममालिके मगरबी ओ शिमाली में (ग-लुत वनिस्वत वाज एजला मुन्दरजःइ फिहरिस्त के) ममालिके मगरबी ओ शिमाली के लगान के ऐक्ट सन् १८७३ ई० (नम्बर १८ मुसदर इ सन् १८७३ ई०) के जरीये से और ममालिके मुतवस्तत में ममालिके मुतवस्तत की अराजीये रअयती के ऐक्ट सन् १८८३ ई० (नम्बर ९ मुसदरःइ सन् १८८३ ई०) के जरीये से मसूख होगया है—ममालिके मगरबी ओ शिमाली में इस तमभील की यों पढ़ाया चाहिये कि गोया वज स “ऐक्ट १० मुसदर इ सन् १८५६ ई०” के यह अल्फाज ओ आदाद “ ममालिके मगरबी ओ शिमाली के लगान का ऐक्ट सन् १८८६ ई० ” कायल किये गये हैं—मुलाहज तलव ममालिके मगरबी ओ शिमालीके लगान के ऐक्ट सन् १८८१ ई० (नम्बर १० मुसदर इ सन् १८८१ ई० की दफ. २—[मजमूअःइ कवानीने ममालिके मगरबी ओ शिमाली ओ अवध मतइअ इ सन् १८९२ ई०—सफ. ३०६] ।

मदरास का रेगूलेशा ७ मुसदर इ सन् १८५६ ई०—मदरास वी अदालत ह य दीवानी के ऐक्ट सन् १८७३ ई० (नम्बर ३ मुसदर इ सन् १८७३ ई०) के जरीये से मसूख होगया है—मुलाहज तलव मजमूअःइ कवानीने मदरास गतइअःइ सन् १८८८ ई० ।

(वाच २—तशरीहाते आम्म के वयान में—दफ् २१ ।)

दिल इजतिमा अदालत के काम करने का इस्तिथार हासिल हो उस हाल में कि वह जज या जर्जों का मजमा अदालत का काम कर रहा हो ।

तमसील ।

अइते पधायन जो वमूजिय रेगुलेशन ७ सन् १८१६ ई० १ मजमूअःइ कयानीने मदरास के अमल कर रहें और जिनको मुज्दगात की निस्वत तजवाजे ओ फैसल करणे का इस्तिथार हासिल हैं—कोर्ट आफ् जस्टिस हैं ।

“ सरकारी
मुलाजिम ”

दफ् २१—“सरकारी मुलाजिम”^२ के लफ्ज से वह शख्स मुराद है जो नीचे लिखी हुई क्रिस्मोंमें से किसी क्रिस्म में दाखिल हो—याने—

पहिले—मलकःइः मुअज़मः का हर मुलाजिम मुतअहद ।

दूमरे—हर एक साहिबे कमीशन उहदःदार जो मलकःइ मुअज़मः की आफवाजे दरों या बहरी में हो उस हाल में कि वह गवर्नमेन्ट हिन्द या और किसी गवर्नमेन्ट के तहत में किसी खिदमत पर माफ़रहो ।

तीसरे—हर एक जज ।

चौथे—कोर्ट आफ् जस्टिस का हर एक उहदःदार जिस पर उस उहदः की तैय्यत से लाजिम है कि वह किसी अमर मुतअल्लिकःइ कानून या किसी अमर मुतअल्लिकःइ याके की तहकीकात करे या उसकी निस्वत कैफियत लिंगे या कोर्टे दरतानेज मुरसतव या मुसफ़क करे या अपनी दिवाजत में रकणे या किसी माल को अपनी तहकीकात में ले या खर्चों अपनी तहकीकात से दूर करे या अदालत के किसी तकमनामे की तामील करे या कोर्टे मलाक दे या तजुमान का काम करे या मरकमः के प्रादाव का इन्तिजाम रकणे—और हर शख्स

(वाच २—वसतिहाते धाम्ने के वसति में— दक २१ ।)

जिसको कोई आफ जस्टिस की जानिव से लिखते गजपूजः में से किसी लिखता के दादा करने का इस्तिथार सास दाखिल हो ।

पाँचवीं—हर एक अहले पूरी या हर एक असेसर—या हर एक शरीक पश्चायत उस हाल में कि वह कोई आफ जस्टिस या किसी सरकारी मुताजिग की मदद करता हो ।

छठे—हर एक सालेस या कोई दूसरा शख्स जिसको किसी कोई आफ जस्टिस या किसी हाकिमे जी इस्तिथार से कोई गुक्त-कदमः या मुन्वायिलः फैसल करने या कैफीयत लिखने के लिये लिपुर्द हुआ हो ।

सातवीं—हर एक शख्स जो ऐसा उहदः रखता हो कि वह उसके एतिवार से किसी शख्स के कैद करने या कैद रखने का मुजाज हो ।

आठवीं—हर एक सरकारी उहदःदार जिसपर वहैसीयत उस के उहदे के लाजिम है कि जुर्मों की रोक करे या जुर्मों के दकू की इतिला दे या जुर्मों को जवाबदिही में माखूज कराये या आम्यःइ खलाइक की आफियत या सलालती या आसाइश की हिफाजत करे ।

नववीं—हर एक उहदःदार जिस पर वहैसीयत उसके उहदे के लाजिम है कि कोई माल गवर्नमेन्ट की जानिव से अपने कब्जे में लाये या अपनी तहकील में ले या अपनी तहकील में रखे या सर्फ करे या वह गवर्नमेन्ट की जानिव से कोई पैमाइश या तशखीस या मुन्वादहः करे या वह सरिरतःइ माल के किसी हुक्मनामः की तामील करे या किसी ऐसे अमर की तहकीकात करे जो गवर्नमेन्ट की अगराज मुतअल्लिकःइ जर पर मुअस्सर हो या उस वाच में कैफीयत लिखे या कोई दस्तावेज जो गवर्नमेन्ट की अगराज मुतअल्लिकःइ जर से तअल्लुक रखतीतो मुरत्तब या मुसदक करे या उस दस्तावेज को अपनी तहकील में रखे—या किसी ऐसे कानून के इन्डिराफ की रोक करे जो गवर्नमेन्ट की अगराज मुतअल्लिकःइ जर की हिफाजत

(वाक २—दसरीहाते ध्यान्म-के क्यानमें—दफ्तरात २२—२३ ।)

के लिये नाफिज़ है—और हर एक उद्देदार जो सरकार का मुलाजिम हो या गवर्नमेन्ट से हक़ूज़ मिहनात पाता हो—या उसको कोई कार सरकारी करने के एवज में फ़ीस या कमीशन की तरह पर उजरत मिलती हो ।

दशवीं—हर एक उद्देदार जिस पर बहैसीयत उसके उद्दे के लाजिम है कि इनज़र किसी आम गरज़ ग़ैर मज़हबी मुतच्छक़ः किसी गाओ या कस्बः या शहर या ज़िला के कोई माल अपने कब्जे में लाये या अपनी तहवील में ले या अपनी तहवील में रखे या सर्फ़ करे या कोई पैमाइश या तशखीस करे या किसी किरम की ख़ूम या टैक्स बसूल करे या किसी गाओ या कस्बे या शहर या ज़िला के वाशिन्दों के हुक़ूक की ताईन की गरज से कोई दस्तावेज मुस्तव या मुसद्क़ करे या अपनी तहवील में रखे ।

तमसील ।

मिउनीसिपल कमिन्डर सर्कारी मुलाजिम है ।

तशरीह १—वह सब अशख़ास जो ऊपर की लिखीहुई किस्मों में से किसी किस्म में दाखिल हों सर्कारी मुलाजिम हैं आम इससे कि उन्होंने गवर्नमेन्ट से वह मन्सब पाया हो या नहीं ।

तशरीह २—हर महल में जहां सर्कारी मुलाजिम का लफ़्ज़ आया है इतलाक़ उस का हर शख़्स पर है जो किसी सर्कारी मुलाजिम के उद्दे पर फिल्ट्राक़े कायमहो गो कि उस शख़्स के उम उद्दे पर कायम होने के इस्तिहक़ाम में क़ानून की ख़से कैसाही सुकुम हो ।

“ मात (या दफ़ः २२—“ माल (या जायदाद) मन्कूलः ” के लफ़्ज़ कायदाद) में हर किस्म का माल ओ असबाब माही दाखिल है सिवाय सरकारी । ” सरकारी ओ उन चीजों के जो जमीन से मुलसक हों या किसी चीज ने बिल इस्तिहक़ाम पैवस्तः रहें जो जमीन से मुदक़ है ।

दफ़ः २३—“ इस्तिहसाले बेजा ” वह इस्तिहसाले माल है जो नाजायज बर्तानों में किया जाय और शख़्स हामिल करने वाला उन माल का क़ानूनग़ मुस्तहक़ न हो ।

(बाब २—तजगीहाने आम्न के बयान मे —दफ्तार २४—२७ ।)

“जियाने बेजा” वह जियाने माल है जो नाजायज वस्तीलों “जियाने से किया जाय और शरूख जियान उठाने वाला उस माल का बेजा” । कानूनन् पुस्तक हो ।

यह बात कि किसी शरूख ने इस्तिहसाले बेजा किया न सिर्फ वतरीके बेजा उस हालत में कही जायेगी जबकि वह शरूख उस माल को वत- इस्तिहमाल रीके बेजा हासिल कमे बलिक उम सूरत में भी कही जायगी जबकि करना । वतरीके बेजा अपने कब्जे मे रखे—और यह बात कि किसी शरूख ने जियाने बेजा उठाया न सिर्फ उम हालत में कही जायगी जबकि जियाने बेजा वतरीके बेजा वह शरूख माल से महरूम रक्खा जाय बलिक उस उठाना । सूरत में भी कही जायेगी जबकि वह शरूख किसी माल से वतरीके बेजा वेदखल किया जाय ।

दफ्तः २४—जो कोई शरूख कोई अमर करे इस नीयत से कि “वद दिया- वह किसी शरूख को इस्तिहसाले बेजा कराये या किसी शरूख को नती से” । जियाने बेजा पहुँचाये तो कहा जायेगा कि उसने वह अमर “वद- दियानती से” किया ।

दफ्तः २५—जो कोई शरूख कोई अमर करे इस नीयत से कि “फरेव से” वह किसी को किसी माल या इस्तिहकाक से फरेव से महरूम या वेदखल करे तो उस हालत में कहा जायगा कि उस शरूख ने वह अमर फरेव से किया—न किसी दूसरी हालत में ।

दफ्तः २६—अगर किसी अमर के दावर करने की वजह काफी “दावर करने किसी शरूख के सामने मौजूद हो तो इस हालत में कहा जायगा की वजह” । कि वह शरूख उस अमर के “दावर करनेकी वजह” रखता है— न किसी दूसरी हालत में ।

दफ्तः २७—जब कोई माल किसी शरूख की जानिव से माल मकबू- उसकी जौजः या मुतसदी या नौकर के कब्जे में हो तो हस्व जये जौज या मन्शा इस मजमूअःइ के माले मजकूर शरूख मजकूर के कब्जे में मुतसदी या नौकर । समझा जायगा ।

तशरीह—जो कोई शरूख चन्द रोज के लिये या किसी खास जखरत पर मुतसदी या नौकर की हैसियत से मापूर किया जाय तो वह शरूख हस्व मन्शा इस दफ्तः के मुतसदी या नौकर है ।

(वाच २—तशरीहते घ.अ. के वयान में—दरुआत २८—२९ ।)

“तलीस” ।

दरुः २८—जब कोई शरूत एक शै में दूसरी शै की मुशाविहत पैदा करे इस नीयत से कि वह उस मुशाविहत के जरीये से मुगालतः दे या इम इल्म मे कि उसके जरीये से मुगालतः चल जाने का इइतिमाल है तो कहा जायेगा कि शरूत मजसूर ने “तलीस” की ।

^१तशरीह १—तलीस के हुतदक्किक होने के लिये जुरूर नहीं है कि मुशाविहत ठीक ठीक हो ।

^२तशरीह २—जब कोई शरूत एक शै में दूसरी शै की मुशाविहत पैदा करे और वह मुशाविहत ऐसी हो कि उससे कोई शरूत मुगालते में आ सकत हो तो—जब तक कि बरखिलाफ इसके सादित नहो—वह क़यास किया जायेगा कि उस शरूत की जिसने उस तरह पर एक शै में दूसरी शै की मुशाविहत पैदा की यह नीयत थी कि वह उस मुशाविहत के जरीये से मुगालतः दे या उसको इल्म इम अमर का था कि उसके जरीये से मुगालतः चल जाने का इइतिमाल है ।

“दस्तावेज”

दरुः २९—“दस्तावेज” के लफ़्ज से वह मजसूर मुराद है जो किसी शै पर हुक्क या हिन्दियों या अलामतों के जरीये से या उन में से दो या तीनों के जरीये से जाहिर या वयान किया गया हो या उन हुक्क या हिन्दियों या अलामतों को उम मजसूर की बजह सुबूत के लिये काम में लाने की नीयत हो या वह उस मजसूर की बजह सुबूत के काम में आममें ।

तशरीह १—वह बात कानिले लिहाज नहीं है कि कित्त वमीने से या किसी शै पर वह हुक्क या हिन्दिये या अलामतें बनाई जयें या वह कि किसी कोई आक जम्हिय में बजह सुबूत मजसूर को काममें लाने की नीयत हो या नहो या वह बजह सुबूत काम में आये या न आये ।

(वाच २-तशरीहते ग्राम के दयान में—दफ ३० ।)

तजसील ।

वह नाशित जिनमें जगयत निमी मुद्राहदे के मजकूर हैं और जो बतौर दफ्त सवृत वत मुद्राहदे के मुन्तखाल होमनाहो दस्तावेज है ।

रुम्क इ इस्मी किसी गहाजन का दस्तावेज है ।

मुख्तार नाम दस्तावेज है ।

नहश इ जमीन या नहज इ इमारत जिनमें गड नीयत हो कि वह वगैरे सवृतके तौर पर वाच में आये या जो वजहे सवृत के तौर पर काम में आमक-दस्तावेज है ।

जिस नविस्ते में अहकाम या हिदायते मु दर्ज हो वह दस्तावेज है ।

तशरीह २—जो मुराद हुरूफ या हिन्दसों या अलामतों से मुद्राफिकर रसम अहले तिजारत या किसी और रसम के लीजातीहै वही मुराद उस किसम के हुरूफ या हिन्दसों या अलामतों से हस्वे मन्शा इस दफः के समझी जायेगी गो वाक्ते में वही मुराद इदारत में न जाहिर की गई हो ॥

तमसील ।

अगर जैद किसी हुन्डी की पुश्त पर अपना नाम लिखदे और हुन्डी में लिखा हो कि जित को कड़े उते खय भिजे तो हस्व दस्तूर तिजारत इम इवारते जुहगी के यह माने हैं कि क्वाविज को हुन्डी का खयः देना चाहिये—पस इवारते जुहगीये मजकूर दस्तावेज है और उसमें वही मुगद लेनी चाहिये कि गोया दस्तखत के ऊपर यह इवारत लिखी होती कि “क्वाविजे हुन्डी को खय दो” या कोई और इवारत इसी मजमून की लिखी होती ।

दफः ३०—‘किफालतुलमाल’के लफ्ज से वह दस्तावेज मु- “किफालतु-रादहै जो ऐसी दस्तावेजहो या ऐसी दस्तावेज समझे जानेकी हैसीयत लमाल” । रखती हो जिस के जरीये से कोई कानूनी हक पैदा किया जाय या बढ़ाया जाय या मुन्तकल किया जाय या मुकैयद किया जाय या जायल किया जाय या छोड़ दिया जाय—या जिसके जरीये से कोई शख्स मुक्ति हो कि मैं कानूनन् जिम्मेदार हूँ या इकारार करे कि फलां कानूनी हक मेरा नहीं है ।

तमसील ।

अगर जैद किसी हुन्डी की पुश्त पर अपना नाम लिखदे तो चूकि इस इवारते जुहरी की रू से इस्तिहकार जरे हुन्डी उस शख्स को मुन्तकल हो जाता है जो उस हुन्डी पर खयान क्वाविज हो इस लिये यह इवारते जुहरी “किफालतुल अ” है ।

(वाव २—तशरीहाते ग्राम्मः के नयान में—दफ्ता ३७ ।)

तमसील ।

अगर जैद क़दन् बकर की मौत का बाइस इस तरह से हो कि कुछ तो यह बकर को खुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे और कुछ उस को मारे तो जैद क़तले अमद का मुतर्किब होगा ।

दफ़्तः ३७—जबकि इतिंकाव किसी जुर्म का बजरिये इतिंकाव चन्द फेलों में से जिनसे कोई जुर्म मुग्भव हो एक फेल कार-के शरीक होना ।
 चन्द फेलों में से जिनसे कोई जुर्म मुग्भव हो एक फेल कार-के शरीक होना ।
 चन्द फेलों के अमल में आये तो जो कोई शख्स उन फेलों में से किसी फेल का इतिंकाव तन्हा या दशिकत किसी और शख्स के करके क़स्द-न उस जुर्म के इतिंकाव में शरीक हो वह शख्स जुर्म मजकूर का मुतर्किब होगा ।

तमसीलें ।

(अलिफ) अगर जैद और बकर इस अमर पर मुतफ़िक़ हों कि हम दोनों फर्दन् फर्दन् मुफ़्तलिफ़ औज़ात पर थोड़ा थोड़ा ज़हर देकर अमर को हलाक करें—और मुताबिक़ इस ख़हद ओ पैमान के जैद ओ बकर अमर को हलाक करने की नीयत से ज़हर दें और उस ज़हर के असर से जो इस तरह बदक़श्चात दिया गया अमर मरजाय—तो इस सूरत में जैद ओ बकर क़स्दन् इस इतिंकावे क़तले अमद में शरीक हुये—और चूकि हर एक उन दोनों में से ऐसे फ़ेळ का मुतर्किब हुआ जो अमर की मौत का बाइस हुआ इस लिये यह दोनों शख्स जुर्म मजकूर के मुजरिम हुये गो उन के अफ़श्वाल अलाहद अलाहद हैं ।

(बे) जैद ओ बकर बिल इशितराक़ दारोगा इ महबस हैं—और अमर क़ैदी उन की सपुर्दिगी में बहैदीयत उन की दारोगा के छह छह घण्टे बारी बारी से रहता है—और जैद ओ बकर इस नीयत से कि अमर हलाक होजाय अपनी अपनी नौकरी की बारी बारी में अमर को उस ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करते हैं जो अमर के खिलाने के लिये उन को दी गई हो—और इस तरह उसकी मौत के बाइस होने में दीदः व दानिस्तः शरीक हुये—और अमर भूक से मरगया—तो जैद ओ बकर दोनों अमर के क़तले अमद के मुजरिम हुये ।

(जीम) जैद दारोगा इ महबस है—और अमर क़ैदी उसकी सपुर्दिगी में है—जैद इस नीयत से कि अमर हलाक होजाय अमर को ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे जिस के सबब से अमर निहायत ज़ईफ़ ओ कमजोर होजाय—मगर इस क़दर फ़ाक़े नहीं कि वह अमर की मौत के बाइस हों—जैद उहदे से माजल होजाय और बकर बजाय उसके मुक़रर हो और बकर भी बिला साज़िश या बिला इशितराक़ जैद के अमर को ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे इस इल्म से कि उस ख़ुराक देनेके तर्क में अमर के हलाक होने का इहतिमाल है और अमर भूक से मरजाय—ओ बकर क़तले अमद का मुजरिम है—मगर जैद इसलिये कि उसने बकर की गिकत नहीं की सिरफ़ इक़दामें क़तले अमद का मुजरिम है ।

(वाक ३-सजाओं के कथान में-दफ्तरान ५४-६३ ।)

उप दिते हुक्म
सजाय मौत ।

दफ्तरः ५४-हर हाल में जहां सजाय मौत का हुक्म सादिर हुआ हो गवर्नमेन्ट हिन्द या उस गवर्नमेन्ट को जिस के अलाके के अन्दर मुजरिम की निस्वत ऐसी सजा का हुक्म सादिर हुआ हो इख्तियार होगा कि मुजरिम की जिला रिजामन्दी उस सजा को और किसी सजा के साथ जो इस मजमूअे में मुकर्रर की गई है बदल दे ।

इधन दवाम
वउदूर दर्याय
शोर के हुक्म
सजा का
तथा दिना ।

दफ्तरः ५५-हर हाल में जहां हक्से दवाम वउदूरे दर्याय शोर का हुक्म सादिर हुआ हो गवर्नमेन्ट हिन्द या उस गवर्नमेन्ट को जिसके अलाके के अन्दर मुजरिम की निस्वत ऐसी सजा का हुक्म सादिर हुआ हो इख्तियार होगा कि मुजरिम को जिला रिजामन्दी उस सजा की दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद के साथ जिस की मीआद चौदः बरस से ज्यादाः न हो-बदल दे ।

अहले दृष्य
और अहले
अमरीक को
मुसमने न-
जोसे बरानने
कैद की सजा
का हुक्म दिसा
जाना ।

दफ्तरः ५६-जब कभी किसी शख्स पर जो अहले दृष्य या अहले अमरीकः हो कोई ऐला दुर्म साबित हो जिसकी पादाश में इस मजमूअः की रू से हक्स वउदूरे दर्याय शोर की सजा मुकर्रर है तो नदालत दो लाजिम है कि ऐक्ट २४ सुसदरःड सन् १८५५ ई० के अहकाम के बमूजिद मुजरिम की निस्वत हक्स वउदूरे दर्याय शोर की जगह मुसककते ताजीरी नदालते कैद की सजा तजवीज करे ।

(वाच ३—सजाओं के बयान में—दफ्तात १७-६० ।)

दफ्ताः ५७—सजा की मीआदों के अज्जा के हिसाब करने में सजा की मीआदों के अज्जा ।
हब्स टवाम बउबूरे दर्याय शोर बीस बरस के हब्स बउबूरे दर्याय शोर के बराबर समझा जायेगा ।

दफ्ताः ५८—हर हाल में जहां हब्स बउबूरे दर्याय शोर का हुकम सादिर हो तावक़े कि उबूरे दर्याय शोर अमल में न आये मुजरिम के साथ वैसाही अमल किया जायेगा कि गोया उसकी निस्वत कैद सरख्त का हुकम सादिर हुआ और जो मीआद ऐसी कैद में मुन्कजी होगी वह मीआद उसी हब्स बउबूरे दर्याय शोर में महसूब होगी ।
जिन मुजरिमों को निस्वत सजाय हब्स बउबूरे दर्याय शोर का हुकम हो चुका बउबूरे दर्याय शोर तक उनके साथ किसी तरह अमल किया जाय ।

दफ्ताः ५९—हर हाल में जहां मुजरिम सान बरस या जियादः मीआद की कैद का मुस्तौजिव हो अदालते मुजविजे सजा को इख्तियार होगा कि हुकम सजाय कैद सादिर करने के एवज में मुजरिम को किसी एक मीआद के वास्ते जो सात बरस से कम और उस मीआद से जियादः न हो जिस मीआद तक वह मुजरिम इस मजमूअः की रू से कैद का मुस्तौजिव है हब्स बउबूरे दर्याय शोर की सजा का हुकम दे ।
कैद की जगह हब्स बउबूरे दर्याय शोर ।

दफ्ताः ६०—हर हाल में जहां मुजरिम दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद का मुस्तौजिव हो अदालते मुजविजे सजा को इख्तियार होगा कि सजा के हुकम में यह हिदायत करे कि कैद कुल मीआद तक सरख्त हो या कुल मीआद तक कैद महज हो या यह कि उस मीआद की कुछ मुद्दत तक कैद सरख्त हो और बाकी मुद्दत में कैद महज रहे ।
हुकमे सजा (खास हालतों में ऐसी कैद के लिये) हो सक्ता है जो कुल या जुज़अर सख्त या महज हो ।

१ दरखुमूस तश्बलुक पिज़ीरीये दफ्तात ६० आं ६३ लशायत ७४ निस्वत उन अहकामे सजा के जो पजाब के ज़िले इ सईदीया विज़्चिस्तान में सादिर हों मुलाहज़ तलब पजाब के सईदी जरायम के रेगुलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ्तात १५ (२) ओ ५२- [छपी मजमूअः इ कवानीने पंजाब मतवृअः सन १८८८ ई० के सफ्हात ३९७ आं ४०९ और मजमूअः इ कवानीने विज़्चिस्तान मतवृअः सन १८९० ई० के सफ्हात ५७ ओ ६६ में] ।

(वाव ३-सजाओं के वयान में-दफ्तरात ६१-६३ ।)

हुकमे सजाये
जवनीये
जायदाद ।

दफ्तरः ६१—जब किसी हाल में जहाँ कोई शख्स किसी जुर्म का मुजरिम साबित होजाय जिसकी पादाश में वह इस अमर का मुस्तौ-जिव हो कि उसकी कुल जायदाद जवत की जाय मुजरिम किसी जायदाद के हासिल करने के काबिल न होगा ब्रजुज इसके कि वह जायदाद गवर्नमेन्ट के लिये हो तावत्ते कि वह सजायः गुज-विवजः या दूसरी सजा जो उसके बदले तजवीज हुई होतै न करले या वह माफ न हो ।

तमसील ।

जैद कि गवर्नमेन्ट हिन्द के मुक़ाबिले में जद करने का मुजरिम साबित हुआ है इस अमर का मुस्तौजिव है कि उसकी कुल जायदाद जवत कीजाय-हुकम सजा के सादिर होने के बाद और मुदत के अन्दर कि हुकम मजकूर नाफ़िज है जैद का वाप तर्क छोड़-कर मर गया और यह तर्कः जैद को उस सूरत में मिलता कि जैद की निस्वत जवतीये जायदाद का हुकम न हुआ होता-तो इस हालत में तर्क इ मजकूर गवर्नमेन्ट की जाय-दाद है ।

जवतीये जाय-
दाद वनिस्वत
मुजरिमाने
मुस्तौजिवे
सजाय मौत
या हुकम बउ-
वुरे दर्यायजोर
या कैद ।

दफ्तरः ६२—जब किसी शख्स पर ऐसा जुर्म साबित हो जिसकी पादाश में सजाय मौत मुकरर है तो अदालत को यह तजवीज करने का इख्तियार है कि मुजरिम की कुल जायदादे मनकूलः और मनकूलः गवर्नमेन्ट में जवत हो और जब कि किसी शख्स पर कोई ऐसा जुर्म साबित हो जिसकी पादाश में हक्स बउवुरे दर्याय शोर या सात बरस या जियादः की कैद का हुकम सादिर हो तो अदालत को यह तजवीज करने का इख्तियार है कि हक्स बउवुरे दर्याय शोर या कैद की मीआद के अन्दर मुजरिम की कुल जाय-दादे मनकूलः और मनकूलः का लगान और किरायः और गु-नाफा इस शर्त के साथ गवर्नमेन्ट में जवत रहे कि मुजरिम के अ-दलत और अयालत और मुतवसिलतों के बन्ने सजाय मजकूर की मीआद में जो मददे मन्नाश गवर्नमेन्ट मुनासिब समझे उस महा-सिल से मुअयन की जाय ।

(वाक ३-- सजाओं के बयान में--दफ् आत ६४--६५ ।)

की गई है उस महल में उस जुर्माने की मिकदार जिसका मुजरिम सुरतों-
जिव होगा गैर महदू है मगर चाहिये कि अन्दाजः से जायद नहो ।

दफ्ः^१ ६४—हर^२ सूरत जुर्म काविले सजाय कैद औ नीज जुर्मानः अदा न
जुर्माने में जिसमें मुजरिम की निस्वत हुक्म सजाय जुर्मानः मा कैद होने की सूरत
या विला कैद हो— में हुक्म सजाय
कैद ।

और हर सूरत जुर्म काविले सजाये [कैद या जुर्माने में या]
महज जुर्माने में जिसमें मुजरिम की निस्वत हुक्म सजाय जुर्मानः हो—

अदालते मुजविजे सजा को इस्तिथार होगा कि सजा के हुक्म
में यह हिदायत करे कि अगर जुर्मानः अदा न हो तो मुजरिम एक
खास मीआद तक कैद रहे और यह कैद उस कैद के अन्दाजः
होगी जैसा हुक्म मुजरिम की निस्वत हुआ हो या उस कैद के
अन्दाजः होगी जिसका मुजरिम हुक्म सजा के तवाडिल की रू से
मुस्तौजिव हो ।

दफ्ः^१ ६५—अगर किसी जुर्म की पादाशमें कैद और जुर्मानः जुर्मानः अदा न
होने की सूरत में
हदे मीआदे कैद
जब कि जुर्म की
सजा कैद और
जुर्मानः दानों
हैं ।

दरख्तस तश्ल्लुक पिजीरी दफ् आत ६४ लगाइत ६७ निस्वत जरायम तहते कवानीने
मुख्तस्सल अमर या मुख्तस्सल मुकामके—मुलाहज तलव माकवल की दफ् ४० ।

दरख्तस तश्ल्लुक पिजीरी दफ् आत ६० ओ ६३ लगायत ७४ के निस्वत उन
अहकामे सजा के जो पजाव के जिल इ सईदी या विल्चिस्तान में सादिर हों मुलाहजः
तलव पजाव के सईदी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन
१८८७ ई०) की दफ् आत १५ (२) ओ ५२ [छपी मजमूअ इ कवानीने पजाव
मतवूअः इ सन १८८८ ई० के सफ्हात ३९७ ओ ४०५ और मजमूअ इ कवानीने विल्-
चिस्तान मतवूअः इ सन १८९० ई० के सफ्हात ५७ ओ ६६ में] ।

^१मुलाहजः तलव सफ्ः २४ का फुट नोट ।

^२दफ्ः ६४ की अव्वल दो जिम्ने वजाय अल्फाज " हर हाल में जहा किसी मुज-
रिम की निस्वत जुर्मानः का हुक्म हो " के मजमूअ इ कवानीने ताजीराते हिन्द के तर्मांम
करने वाले ऐक्ट सन १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन १८८२ ई०) की दफ्ः २ के
जरीये से कायम की गई—वह ऐसी अकवामे कोही की सूरत से मुतअल्लिक नहीं हैं जिन
से कचीन की अकवामे कोही का रेगूलेशन सन १८९५ ई० (नम्बर १ मुसदर इ
सन १८९५ ई०) मुतअल्लिक किया गया है—मुलाहज तलव उस रेगूलेशन की दफ्-
आत १ (३) ओ ३ ।

^३ यह अल्फाज हिन्द के फौजदारी आईन के तर्मांम करने वाले ऐक्ट सन १८८६
ई० (नम्बर १० मुसदर इ सन १८८६ ई०) की दफ् २६ (२) के जरीये से
दाखिल किये गये ।

(वाव ३—सजाओं के बयान में—दफ्त्रात—६६—६७ ।)

दोनों सजायें मुकर्रर हों तो जो कैद जुर्मानः अदा न होने की सूरत में अदालत के हुक्म से तजवीज हो उस की मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई से ज़ियादः न होगी जो जुर्म मजकूर की पादाश में मुकर्रर है ।

उस कैद की किस्म जो वपादाशे अदम अदाय जुर्मान हो ।

मीआदे कैद दर सूरत अदमे अदाय जुर्मान. जब कि जुर्म की सजा सिर्फ जुर्मान है ।

दफ्तरः^१ ६६—जो कैद जुर्मानः अदा न होने की सूरत में अदालत के हुक्म से तजवीज हो वह उसी किस्म की होसक्ती है जो उस जुर्म की पादाश में मुजरिम के लिये तजवीज हो सक्ती हो ।

दफ्तरः^१ ६७—अगर जुर्म की पादाश में सिर्फ जुर्मानः की सजा मुकर्रर हो तो^२ [वह कैद जो अदालत वएवज्ज अदमे अदाय जुर्मानः तजवीज करे कैद सहज होगी और] उस कैद की मीआद जो जुर्मानः अदा न होने की सूरत में अदालत के हुक्म से तजवीज हो नीचे लिखी हुई हद से जायद न होगी याने^३ [जब जुर्मानः की मिकदार पचास रुपये से जायद न हो तो कोई मीआद जो दो महीने से जायद न हो— और जब जुर्मानः सौ रुपये से जायद न हो तो कोई मीआद जो चार

^१ मुलाहज़ तलव सफ २४ का फुट नोट ।

^२ यह अलफ़ाज़ मजमूअः३ कवानीने ताजीराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन १८८२ ई०) की दफ्तर ३ के ज़रीये से दाख़िल किये गये हैं [ऐक्ट हाय आम—जिन्द ४] ।

^३ उन अक़रामे कोही की सूरत में जिन से कचीन की अक़रामे कोही का रेगुलेशन सन १८५५ ई० (नम्बर १ मुसदर २ सन १८५५ ई०) मुतअतिफ़ है वजाय वराक़िट के अलफ़ाज़ के अलफ़ाज़े मरुमुहज़ज़ेल दायम किये गये हैं—यायेः—

“जब जुर्माने की मिकदार पचास रुपये से जायद नहो तो कोई मीआद जो चार महीने से जायद नहो—और जब जुर्मान सौ रुपये से जायद नहो तो कोई मीआद जो आठ महीने से जायद नहो चार बाजी और सूरतों में कोई मीआद जो बारह महीने से जायद न हो” —

मुलाहज़ तलव रेगुलेशन १ मुसदर २ सन १८५५ ई०—दफ्तरात १ (३) ओ३ ।

यह अलफ़ाज़ भी वराक़िट के अलफ़ाज़ के एवज्ज उन अक़रामे कोही की सूरत में दायम किये गये हैं जिनमें रेगुलेशन का रेगुलेशन सन १८५२ ई०—मुतअतिफ़ है (मुलाहज़ तलव रेगुलेशन ५ मुसदर २ सन १८५२ ई०—दफ्तर ३ और ज़मीमा) [मजमूअः३ कवानीने ताजीराते हिन्द सन १८९५ ई०]

(बाब ३-सज़ाओ के बयान में-दफ़आत ६८-७० ।)

महीने से जायद न हो और वाकी और सूरतों में कोई मीआद जो छः महीने से जायद न हो] ।

दफ़ः ६८—जो कैद जुर्मानः अदा न होने की सूरत में तज-
वीज हो वह उसी वक्त खतम हो जायगी जबकि जुर्मानः अदा
किया जाय या कानून के तरीकः इ मुअय्यनः के पुवाफिक वसूल
कर लिया जाय ।

ऐसी कैद का
जुर्मान अदा
कर देने पर ख-
तम होजाना ।

दफ़ः ६९—अगर उस कैद की मीआद गुजरने से पहिले जो
जुर्मानः अदा न होने की सूरत में तजवीज हो कोई ऐसा हिस्सः इ
मुतनासिदः जुर्माने का अदा किया जाय या वसूल कर लिया जाय
कि कैद की वह मीआद जो जुर्मानः अदा न होने की सूरत में
मुजरिम ने तै की जुर्माने के हिस्सः इ वाकीमांदः के साथ निश्चत
कभी की न रखती हो तो कैद खतम हो जायेगी ।

ऐसी कैद का
जुर्मान. के
हिस्स इ
मुतनासिद
अदा कर देने
पर खतम
होजाना ।

तमसाल ।

अगर जैद की निश्चत सौ रुपये जुर्माने की सज़ा और जुर्मान. अदा न होने की सूरत
में चार महीने की कैद वा हुक्म सादिग हुआ हो तो इस सूरत में अगर मीआद के एक
महीने के गुजरने से पहिले पछतर रुपये अदा किये जायें या वसूल करलिये जायें तो पहला
महीने गुजरतेही जैद रिहाई पायेगा अगर पहिले महीने के गुजर जाने के वक्त या उसके
बाद जैद की कैद की हालत में पछतर रुपये अदा किये जायें या वसूल करलिये जायें तो
जैद फौरन रिहाई पायेगा और अगर मीआद के दो महीने गुजरने से पहले मिनजुम्ला
जुर्माने के पचास रुपये अदा किये जायें या वसूल करलिये जायें तो दो महीने खतम हो-
तेही जैद रिहाई पायेगा और अगर इन दोनों महीनों के गुजरते ही या उसके बाद जैद
की कैद की हालत में पचास रुपये अदा किये जायें या वसूल कर लिये जायें तो जैद
फौरन रिहाई पायेगा ।

दफ़ः ७०—जुर्मानः या उस का कोई जुज जो वसूल होने से
वाकी रह गया हो तारीखे हुक्म सज़ा से छः वरस के अन्दर हर
वक्त वसूल किया जा सकता है और अगर सज़ा के हुक्म की रूसे
मुजरिम छः वरस से ज्यादा की कैद का मुम्ताजिब हो तो उस
मुद्दत के गुजरने से पहले हर वक्त वसूल किया जा सकता है—
और मुजरिम की मौत से कोई जायदाद जो उसकी मौत के बाद

जुर्मानः छ
वरस के अन्दर
या मीआद
कैद में फिरी
वक्त वसूल
किया जा
सक्ता है ।

(वाव ३-सज़ाओं के बयान में-दफ़. ७१ ।)

उस के क़र्ज़ की इल्लत में कानूनन् माग़ूज होसक्ती है इस मुवाखज़े से बरी नहीं हो सक्ती ।

दृष्टे सज़ाय जुर्म जो चन्द जुर्मों से मुरक़ब हो ।

दफ़ः ७१^१—जिस हाल में कोई अमर जो जुर्म है चन्द अजजा से मुरक़ब हो और उन अजजा का हर एक जुज़ बिनफ़-सिद्दी जुर्म है तो मुजरिम को उन जुर्मों में से एक से ज़ियादः जुर्म की सजा न दी जायेगी सिवाय उस हालत के कि ऐसी सजा का हुक़म बसराहत पाया जाय ।

^२[जब कोई अमर ऐसा जुर्म हो जो किसी ऐसे क़ानून मजरी-यःइ वक्त् की दो या ज़ियादः मुख्तलफ़ तारीफ़ात में दाख़िल हो जिस में ज़रायम की तारीफ़ात या उन की सजायें दर्ज हों—या

जब चन्द अफ़त्राल जिन में से एक या एक से ज़ियादः का मजमूअः फीनफ़िसिद्दी जुर्म है सब के सब इफ़ट्टे होकर और जुर्म होजायें ।

तो मुजरिम को उस सजा से ज़ियादः सख्त सजा न दी जायेगी जिस को अदालते मुजिव्वजे जुर्म किसी एक जुर्म मिन्जुम्लःइ ज़रायमे मुसर्रद्वे सदर की पादाश में उस पर आयद कर सक्ती है ।]

तमस्तीलें ।

(अलफ़) ज़ेदने लाठी से पचास ज़र्ब बफ़रक़ लगाई तो इस मूरतमें मुम्किन है कि ज़ेद उम तमाम ज़दओ क़ान से जोर भी एक एक ज़र्ब से निमगे बद्द तमाम ज़दओ को ब मुरफ़ बंदे मफ़र हो बिन् शगदः ज़रर पहुचने का मुजरिम हा पस अगर ज़ेद हर एक ज़र्ब की पादाश में

(बाब ३—सजाओं के बयान में—दफ्तात ७२—७३ ।)

सजा के लायक होता तो वह पचास बरस तक कैद हो सक्ता था; मगरे फौजर्व एक बरस तक मगर वह तमाम ज़दओ कोच की पादाश में सिर्फ एक सजा का मुस्तौजिव है ।

(वे) लेकिन जब कि ज़ैद बकर को मार रहा हो खालिद दस्तन्दाजी करे और ज़ैद खालिद को क़त्दन मारे तौ इम मूरत में चूकि वह ज़र्व जो खालिद के लगाई गई है उस फ़ैल का कोई जुज़ नहीं है जिससे ज़ैद ने बकर को बिल इरादः ज़रर पहुचाया इसलिये ज़ैद बकर को बिल इरादः ज़रर पहुचाने की पादाश में एक सजा का मुस्तौजिव और उस ज़र्व की पादाश में जो खालिद के लगाई गई दूसरी सजा का मुस्तौजिव है ।

^१
दफ्ता: ७२—हर हाल में जहां यह तजवीज़ करार पाये कि कोई जुर्मों में से जिन की तसरीह फ़ैसिले में हो किसी एक जुर्म का कोई शरूस् मुजरिम हुआ है मगर इसका शुबः रहजाय कि वह शरूस् उन जुर्मों में से कौनसे जुर्म का मुजरिम है तो मुजरिम को उस जुर्म की पादाश में सजा दीजायेगी जिसके लिये कमसे कम सजा मुकर्रर की गई है वशतकि उन सब जुर्मों के लिये एकसी सजा मुकर्रर न की गई हो ।

उस शरूस् की सजा जो चन्द जुर्मों में से एक का मुजरिम पाया जाय जब कि फ़ैसिले में इसवात का शुबह मज़कूर हो कि वह किस जुर्म का मुजरिम है ।

^१
दफ्ता: ७३—जब किसी शरूस् पर कोई ऐसा जुर्म साबित हो जिसकी पादाश में इस मजमूअे की रूसे अदालत को कैदे सरूत की सजा के हुक्म देने का इख्तियार हो तो अदालत अपने हुक्म सजा में यह हुक्म देने की मुजाज होगी कि मुजरिम कैदे मुजाव्विजः की भीआद से किसी एक असें तक या चन्द असें तक जिनकी कुल मुह्त तीन महीनेसे जायद न हो शरहे जैल के मुताबिक तन्हा कैद रहे—याने—

अगर कैद की भीआद छः महीने से जियादः नहो तो कैद तन्हाई एक महीने से जियादः न होगी ।

(वाच ३—सजाओं के वयान में—दफ्त्रात ७४-७५ ।)

अगर कैद की मीआद छः महीने से जियादः हो और [एक दरस से जियादः न हो] तो कैद तन्हाई दो महीने से जियादः न होगी ।

अगर कैद की मीआद एक दरस से जियादः हो तो कैद तन्हाई तीन महीने से जियादः न होगी ।

हृद कैदे
तन्हाई ।

दफ्त्रः ७४—कैदे तन्हाई के हुक्मकी तामील मे कैद की मीआद किसी हाल में एक मर्तबः चौदः रोज से जियादः न होगी और अर्सःइ मावैन दो मीआदों कैदे तन्हाई के मीआदे मजकूर की मुदत से कम न होगा—और जब कि कैदे मुजव्विजः की मीआद तीन महीने से जियादः हो तो कुल कैदे मुजव्विजः में से किसी एक महीने में कैद तन्हाई सात रोज से जियादः न होगी और अर्सःइ मावैन दो मीआदों कैदे तन्हाई के मीआदे मजकूर की मुदत से कम न होगा ।

सजा का
इज़ाफ
बःअन वाज
जुर्मे के
तहत वाच १२
या वाच १७
काद मुदत
साबिके जुर्म
के ।

दफ्त्रः ७५—अगर किसी शख्स पर कोई ऐसा जुर्म साबित हो चुका हो जिसकी पादाश में इस मजमूअे के वाच १२ या वाच १७ की रू से दोनों किस्मों में से किसी किस्म की तीन दरस या जियादः की कैद मुकरर है और वह शख्स फिर किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकिव हो जिसकी पादाश में किसी वाच मुतजव्विरःइ सदर की रू से दोनों किस्मों में से किसी किस्म की तीन दरस या जियादः की कैद मुकरर है तो ऐसे हर एक नये जुर्म की पादाश में शख्स मजकूर तबस दवाम बउदूरे दर्याय शोर [या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा का जिसकी मीआद दन बरस तक टोमक्ती है] मुस्तौजिव होगा ।

(वाव ८—मुस्तस्नीयाते आरम के वयाग में—दफः ७६ ।)

१ .

वाव ४ ।

मुस्तस्नीयाते आरमः के वयान में ।

दफः ७६—कोई अमर जुर्म नहीं है जिसको ऐसा शरक्स करे जिसपर उसका करना कानून वाजिव है या जिसको वह शरक्स करे जो वसवव किसी अमरे वकूई को गलत फहमी के न वसवव कानून की गलत फहमी के नेक नीयती से यह वावर करता हो कि इस अमर का करना उस पर कानून वाजिव है ।

तमसीलें ।

(अलिफ) अगर जैद कि सिगरी है अपने अफमर के हुकम से कानून के अहकाम के मुताबिक आदमियों के एक गरोह पर बन्दूक चलाये तो जैद किसी जुर्म का मुर्तकिब न होगा ।

(वे) अगर जैद को कि किसी कोर्ट आफ जस्टिस का उहदःदार है उस कोर्ट से वक्रर के गिरफ्तार करने का हुकम मिले और कमाइन्स तहकीकात के बाद खालिद वो वक्रर समझ कर गिरफ्तार करे तो जैद किसी जुर्म का मुर्तकिब न होगा ।

फ्रेण जो किसी एमे शरक्स से सर्जद हा जिस पर उस का करना कानून वाजिव हो या जिमने अमरे वकूई की गलत फहमी से यह वावर कर लिया हो कि उस पर उसका करना कानून वाजिव है ।

अक्रवामे कोही का रेगुलेशन सन १८९५ ई० (नम्बर १ मुसदरः इ सन १८९५ ई०) मुतअल्लिक है मुलाहज तलव उस रेगुलेशन की दफःआत १ (३) ओ ३ [मजमून इ कवानिने बर्मा मतवूअः इ सन १८९९ ई०] मजमून इ हाजा इस तरह पढ़ा जायेगा कि गोया मकूमुज्जैल दफः इ मुस्तजाद उस में दाखिल है —

“ दफः ७५ (अलिफ)—विला लिहज किसी मजमून के जो मजमून इ हाजा या किसी और उन इनाक्टमेन्ट नाफिशुल् वक्त में मुन्दर्ज हो जिस शरक्स पर कोई ऐसा जुर्म साबित होचुका हो जिसकी पादाश में वह मजमून इ हाजा या किसी और इनाक्टमेन्टकी रू से लाइके सजा है वह वजाय या अलावः किसी और सजाके जिसका वह मुस्तौजिव होसक्ता है जुर्माने का मुस्तौजिव होगा ”

कोहाय चीन में मजमून इ हाजा इस तरह पर पढ़ा जायेगा कि गोया उसमें एक दफा मुआसिले दफः इ मासवक वजुज चन्द लफजी इखितलाफात के उसी तरह पर नम्बर दी हुई दाखिल है—मुलाहज तलव कोहाय चीन का रेगुलेशन सन १८९६ ई० (नम्बर ५ मुसदरः इ मन १८९६ ई० ।)

वाव ४ उन जुर्मों से मुतअल्लिक है जिनकी पादाश में तहत दफःआत १२१ (अलिफ) ओ १२४ (अलिफ) ओ २२६ (अलिफ) ओ २२५ (वे) ओ २९४ (अलिफ) ३०४ (अलिफ) सजा मुकरर है—मुलाहज तलव मजमूनः इ कवानिने ताजीराते हिन्द के तर्मांम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरः इ सन १८७० ई०) की दफः १३ जैसी कि उसकी तर्मांम मन्सूर और तर्मांम करने वाले ऐक्ट सन १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदरः इ सन १८९१ ई०) के जरिये से हुई है [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] ।

दर खुसूस तअल्लिक पिजीर होने वाव ४ निस्वत जरायमे तहत कवानिने मुस्तस्सुठ अमर या मुस्तस्सुल मुकाम के—मुलाहज तलव माक्रुल की दफः ४० ।

(बाब ४-मुस्ततः गियाते ग्राम् के वयान में-दफअत ७७-८० ।)

जम का फेल
जम कि बढ
अदालत का
काम कर
रहा हो ।

दफः ७७-कोई अमर जुर्म नहीं है जो कोई जज अदालत का काम करते हुये उस इख्तियार के नाफिज करने की हालत में करे जो इख्तियार उसको कानून की रू से हासिल है या जिसको वह नेक नीयती से वावर करे कि वह इख्तियार उसको कानून की रू से हासिल है ।

फेल जो बोट
की तजवीज
या हुकम के
मुताविक
किया जाय ।

दफः ७८-कोई अमर जुर्म नहीं है जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस की तजवीज या हुकम के मुताविक किया जाय या जिसके करने की इजाजत उस तजवीज या हुकम से मुस्तम्बत होती हो वशत कि अमरे मजकूर उस असें के अन्दर किया जाय जब कि वह तजवीज या हुकम नाफिज रहे गो उस कोर्ट आफ जस्टिस को ऐसी तजवीज या हुकम सादिर करने का इख्तियार न हो मगर शर्त यह है कि फायल नेक नीयती से वावर करता हो कि कोर्ट आफ जस्टिस को उस क्रिसम का इख्तियार हासिल है ।

फेल जो किसी
ऐसे शरत
से मजद हो
जो कानून की
रू में उम के
फरो वा
मुनाज है
या जिमने
अमरे वरुई
वा मउ
फरमी से
अपने तई कानू-
न उमके करने
का मुनाज
वावर कर
लिया हो ।

दफः ७९-कोई अमर जुर्म नहीं है जिस को कोई ऐसा शरत करे जिसको उसका करना कानून जायज है या वह शरत करे जो वसवव किसी अमरे वरुई को गलत फहमी के न वसवव कानून की गलत फहमीके नेक नीयतीसे अपने तई उस अमर के करने का कानून मुजाज वावर करता है ।

तमसील ।

अगर जेद वरर को ऐमा फेल करते देखे जो जेद के नजदीक कतले आमद माष्टम हो और जेद अपी अकल को चुउ मरुद नेक नीयती से काम में लाकर उस इख्तियार के नाफिज करे में जो कानून सब सेगों को हासिल है कि कतले करते हुये कातिलों को गिरफ्तार करे वरर को इम लिये गिरफ्तार करे कि उमको हाकिम जाइख्तियार के सामने लाये तो इम मूरत में जे उर्म वा मुवकिब न हुआ गो यह बात मुतदफकर होजाय कि मरर पर फेल आपनी रिफाजत के वागो कर रहा था ।

दफः ८०-कोई अमर जुर्म नहीं है जो इत्तिफाक या शासन से और वगैर किसी मुजरिमानः नीयत या इल्म के किसी फेल जायज के करने में नादिम हो और वह जायज तरीक और जायज वमीनों ने मुनामिय इख्तियार और रजियारी के माय किया जाय ।

(नाम ४—मुरतस्नीयाते ध्यान्म के वयान मे—दक्र. ८१ ।)

तमसील ।

अगर जैद कुहानी से काम करता हो और फल निकलकर किसी शक्ति के जा लगे जो करीब खड़ा हो और वह हल्का होजाय तो वस सूरत में जैद का यह फल दरगुजर के क्राविल है खर्च नहीं बशर्तेकि जैद को तरफ से मुनासिन हुशियारी में कुछ हुपूर न हुआ हो ।

दक्रः ८१—कोई अमर सिर्फ इस वजह से जुर्म न होगा कि फाइल यह जानकर करे कि उससे किसी गजन्द के पैदा होने का इहतिमाल है बशर्ते कि उस अमर के इतिक्राव से गजन्द पहुंचाने की कोई मुजरिमानः नीयत न हो और इस शर्त से भी कि नेक नीयती से किसी दूसरे वदनी या माली गजन्द के रोकने या वचाने के वास्ते उस अमर का इतिक्राव हो ।

फल जिसमे गजन्द पहुंचने का इहतिमाल है लेकिन किसी नीयते मुजरिमान. के बगैर और दूसरा गजन्द रोकने के लिये किया जाय ।

तशरीह—ऐसी सूरत में यह अमर तनकीह तलव होगा कि आया वह गजन्द जिसका रोकना या वचाना मरूसूद था इस किरम का और इस कदर करीबुलवकू था कि ऐसे फेल के इतिक्राव से खतरे का पैदा करना जवाज या दर गुजर के क्राविल हो सक्ता है दर हालेकि मुर्तकिव जानता था कि उस फेल के इतिक्राव से गजन्द पैदा होने का इहतिमाल है ।

तमसीलें ।

(अलिक्र) अगर जैद किसी दुखानी जहाज का नाहूदा एकाएक माटम बरे कि में विला बकू अपनी खता या गफलत के ऐसे मुकाम में आपहुचा हू कि कबल इसके कि जहाज रुक सके वह (वे) किशती को जिसपर बीस तीस मुसाफिर सवार हैं टकराकर जुदूर तवाह कर डालेगा और रुख फेरता हू तो दूसरी किशती (जीम) के टकराकर तवाह करने का खतर है जिसमें सिर्फ दो आदमी सवार हैं और मुगकिन है कि जहाज उस किशती से बचकर निकल जाय तो इस सूरत में अगर जैद रुख फेरे और उसकी यह नीयत नहो कि (जीम) किशती को तवाह करे बल्कि नेक नीयती से यह गरज हो कि (वे) किशती के मुसाफिरों को मुखातिरे से बचाये तो जैद किसी जुर्म का मुजरिम नहीं है गो वह (जीम) किशती को ऐसे फेल के करने से तवाह करे जिस्से उसके इत्म में उस नतीजे के पैदा होने का इहतिमाल था बशर्ते कि यह अमर साबित हो कि वाक़े में वह खतर. जिस्से वचाना उसकी नीयत में था ऐसा था कि उसके वाइत से (जीम) किशती को तवाही के खतरे में डालना दर गुजर के क्राविल हुआ ।

(वे) अगर बदे जोर से आग लगी हो और जैद इस गरज से मजानों को मिस्माह

(बाब ४-मुस्तफ़ीयते आम् के बयान में-दफ़अ त ७७-८० ।)

जन का फ़ैज
जन कि वह
अदालत का
काम कर
रहा हो ।

दफ़ः ७७—कोई अमर जुर्म नहीं है जो कोई जन अदालत का काम करते हुये उस इख्तियार के नाफ़िज करने की हालत में करे जो इख्तियार उसको कानून की रु से हासिल है या जिसको वह नेक नीयती से वावर करे कि वह इख्तियार उसको कानून की रु से हासिल है ।

फ़ैज जो कोर्ट
की तजवीज़
या हुक्म के
मुताबिक़
किया जाय ।

दफ़ः ७८—कोई अमर जुर्म नहीं है जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस की तजवीज़ या हुक्म के मुताबिक़ किया जाय या जिसके करने की इजाजत उस तजवीज़ या हुक्म से मुस्तम्बत होती हो वशतं कि अमरे मज़कूर उस असें के अन्दर किया जाय जब कि वह तजवीज़ या हुक्म नाफ़िज रहे गो उस कोर्ट आफ़ जस्टिस को ऐसी तजवीज़ या हुक्म सादिर करने का इख्तियार न हो मगर शर्त यह है कि फ़ायल नेक नीयती से वावर करता हो कि कोर्ट आफ़ जस्टिस को उस किसम का इख्तियार हासिल है ।

फ़ैज जो किसी
ऐसे अमर
से सर्जद हो
जो क़ानून की
रु से उम के
फ़ैजो वा
मुनाज है
या जिने
अमरे वक़द
की मन्
फ़ैजो से
अपने तर्क क़ाद
नम् उनके कर
का मुनाज
कारर कर
दिया हो ।

दफ़ः ७९—कोई अमर जुर्म नहीं है जिस को कोई ऐसा शख्स करे जिसको उसका करना कानून जायज है या वह शख्स करे जो बसवव किसी अमरे बक़ूई को ग़लत फ़हमी के न बसवव क़ानून की ग़लत फ़हमीके नेक नीयतीसे अपने तर्क उस अमर के करने का क़ानून मुनाज वावर करता है ।

(वाच ४ - मुरतत्गीयाते आग्म कं वयान में - दफ्त्रात ८७ - ८८ ।)

में उस फेल का इतिकार करे उरी तरह अमल किया जायगा कि गोया उसको वही इल्म था जो उसको नशा न हाने की हालत में होता वजुज इसके कि वह शै जिससे उसको नशा हुआ उस शख्स के इल्म या खिलाफे मर्जी उसको दी गई हो ।

दफ्त्रः ८७ - जिस अमर के इतिकार से हलाकत या जररे शदीद फेल जिससे मकसूद न हो और जिसके मुर्तकिव को यह इल्म न हो कि उरा अमर हलाकत या जररे शदीद मकसूद से हलाकत या जररे शदीद का इहतिमाल है वह अमर किसी ऐसे गजन्द की वजह से जुर्म न होगा जो अमरे मजकूर से अठारह दरस न हो और न उके इहति- से जियादः उमर के किसी शख्स को पहुंच जाय या जिसका ऐसी गाल का इल्म उमर के किसी शख्स को पहुंचाना मुर्तकिव की नीयत में हो दर हाते कि उस शख्स ने गजन्द उठाने में लफ्जन खाह पानन् अ- हाते कि उस शख्स ने गजन्द उठाने में लफ्जन खाह पानन् अ- पनी रिजामन्दी जाहिर की हो और न ऐसे गजन्द की वजह से वह रिजामन्दी किया गया हो । अमर जुर्म होगा जिसके पहुंच जाने का इहतिमाल ऐसी उमर के किसी शख्स को मुर्तकिव के इल्म में हो दर हाते कि वह शख्स उस गजन्द का खतरः उठाने पर राजी हुआ हो ।

तयसील ।

अगर जैद और यकूर तफरीहन वाहप लकड़ी फेंकने पर मुत्तकिक हों तो इस इतिफाज से उस गजन्द के उठाने के लिये जो लकड़ी फेंकने में ने इतिकार वेदमामिलिगी वाले होसका है दोनों की रिजामन्दी समझीजाती है पर अगर जैद के इतिकार वेदमामिलिगी लकड़ी फेंकने में यकूर को जरर पहुंचाये तो जैद किसी जुर्म का मुर्तकिव न होगा ।

दफ्त्रः ८८ - कोई अमर जिसके इतिकार से हलाकत मकसूद न हो किसी ऐसे गजन्द की वजह से जुर्म नहीं है जो अमरे मजकूर से ऐसे शख्स को पहुंचे या ऐसे शख्स को जिसका पहुंचाना मुर्तकिव की नीयत में हो या ऐसे शख्स को जिसके पहुंचने का इहतिमाल मुर्तकिव के इल्म में हो जिसके फायदे के लिये नेक नीयती से अमरे फेल जिस्से हलाकत मकसूद न हो और व रिजामन्दी नेक नीयती से किसी शख्स के फायदे के लिये किया गया हो ।

१ दरवार इस्तिस्ना मुतश्छिके दफ्त्रात ८७ ओ ८८ थो ८९ के मुलाहजः तलब मावाद की दफ्त्र ९१ ।

२ फायद जो जर से मुतश्छिके है वह 'फायद' नहीं है जो दफ्तर ह जामे मकसूद है मुलाहज' तलब मावाद की दफ्त्र ९२ की तरगीह ।

(वाव ४—मुस्तस्नीयाते आम्मः के वयान मे—दफः ८६)

मजकूर किया जाय और जिसने उस गजन्द या गजन्द मजकूर के लतरे के उठाने के लिये अपनी रिजामन्दी लफ़्ज़न् या मानन् जाहिर की हो ।

तमसील ।

जैद कि जराह है यह बात जानकर कि अगर बकर पर जो एक मर्ज सफ़्त में मुबतिला है खास अमल जराही किया जाय तो बकर के हलाक होजाने का इहतिमाल है और जैद बकर की हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उस के फायदे का क़तद करके बकर पर उसकी रिजामन्दी से वह छमले जराही करे तो जैद किसी जुर्म का मुर्तकिन नहीं हुआ ।

फल जो नेक नीयती में किसी तिमूज़ या किसी फातिमूज़ अकल के फायदे के लिये बली से या बत्री की रिजामन्दी से सजद हो ।
नागस्त ।

दफ़ः ८६—जो अमर नेक नीयती से किसी शरूस् के फायदे के लिये जिसकी उमर वारह बरस से कम हो या जिसकी अकल में फ़तूर हो उसका बली या वह शरूस् जिसकी हिफाज़ते जायज़ में शरूस् मजकूर है करे या उस बली या मुहाफिज की इजाज़त से वह अमर किया जाय तब वह इजाज़त लफ़्ज़न् हो तब मानन् तो उस गजन्द के सबब से जो उस अमर से उस शरूस् को पहुंचे या जिसका पहुंचाना फाइल की नीयत में हो या उसके इल्म में हो कि उस अमर के इतिक़ाव से गजन्द पहुंचने का इहतिमाल है अमरे मजकूर इन नीचे लिखी हुई शर्तों के साथ जुर्म नहीं है कि—

पहिली—यह मुस्तस्ना करदन् हलाक कराने या हलाक कराने के इक़दाम पर मुद्दीत न होगा ।

दूसरी—यह मुस्तस्ना किसी ऐसे फेल के इतिक़ाव पर मुद्दीत न होगा जिनमें हलाकत का पदतियाल मुर्तकिन के इल्म में हो और जो किसी दूसरी गरज से किया जाय बजुज इस गरज के कि उससे हलाकत या जररे शदीद की रोज़ हो या उस से किसी मर्ज या नक़से शदीद का इलाज हो ।

तीसरी—यह मुस्तस्ना बिल इग़दः जररे शदीद पहुंचाने पर या जररे शदीद पहुंचाने के इक़दाम पर मुद्दीत न होगा बजुज इस के

(वाक ४—मुस्तस्नीयाते ह्याम्. के बयान में--दफ़ाआत ६०—६१ ।)

कि वह फेल हलाकत या जररे शदीद को रोक या किसी सर्ज या नक्कसे शदीद के इलाज की गरज से किया जाय ।

चौथी—यह मुस्तस्ना जिस जुर्म के इतिंकाव पर मुहीत नहीं है उसके इतिंकाव की इच्चानत पर भी मुहीत न होगा ।

तभसील ।

अगर ज़ेद नेक नीयती से अपने तिफ़ल के फायदे के लिये उस तिफ़ल की बिला रिज़ामन्दी पयरी निकलवाने के लिये ज़रीह से उस पर अमले ज़रीही कराये इस इल्म से कि उस ज़रीही के झमल में तिफ़ल की हलाकत का इहतिमाल है मगर यह नीयत न करके कि वह फेल उस तिफ़ल की हलाकत का वाइस हो तो ज़ेद इस मुस्तस्ना में दाख़िल है क्योंकि तिफ़ल की सिहत ज़ेद का मतलब था ।

दफ़ः ६०—जो रिज़ामन्दी किसी शरूस् ने खौफ़ नुक़सान या किसी अमरे दकूई की गलत फहमी की हालत में जाहिर की हो और उस फेल का मुर्तकिव यह जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि वह रिज़ामन्दी उस खौफ़ या गलत फहमी के सबव से जाहिर की गई है तो वह रिज़ामन्दी ऐसी रिज़ामन्दी नहीं है जैसी इस मजमूअे की किसी दफ़ः में मक़सूद है—और रिज़ामन्दी खौफ़ या गलत फहमी की हालत में जिसके दिये जाने का इल्म हो ।

न उस शरूस् की रिज़ामन्दी जो फ़ुतूरे अक़ल या नशा के सबव से उस अमर की माहीयत और उसका नतीजः नहीं समझ सक्ता जिसकी निस्वत वह अपनी रिज़ामन्दी जाहिर करता है—और फातिरुल अक़ल की रिज़ामन्दी ।

न उस शरूस् की रिज़ामन्दी (दरहालेकि करीने से ख़िलाफ़ त्तिफ़ल की रिज़ामन्दी ।) जिसकी उमर बारह बरस से कम हो ।

दफ़ः ६१—जो गुरतरनीयात ८७ ओ ८८ ओ ८९ दफ़ाअों में लिखे गये हैं वह उन अफ़आल पर मुहीत नहीं हैं जो विनफ़िसहः जुर्म हैं विला लिहाज किसी गज़न्द के जो उन से शरूसे मुजहिरे रिज़ामन्दी को या उस शरूस् को जिसकी जानिव से रिज़ामन्दी जाहिर कीजाये पहुंचे या जिस गज़न्द का शरूस् मज़कूर को पहुंचना नीयत में हो या जिस गज़न्द के उन अफ़आल से शरूसे मज़कूर को पहुंचने का पहतिमाल इल्म में हो । इख़राज उन अफ़आल का जो बिला लिहाज उस गज़न्द के जो पहुंचाया गया उर्म है ।

(बाव ४—मुस्तस्नीयाते आन्मः के वयान में—दफ. ९२ ।)

तमसील ।

इसकाते हमल कगना वज्ज इसके कि नेक नीयती से औरत की जान बचाने के लिये किया जाये विनफिमदी एक जुर्म है विला लिहाज किसी गजन्द के जो उससे औरते मज्ज-कूर को पहुँचे या जिस गजन्द के उस औरत को पहचाने की नीयत हो—इस लिये यह फ़ैल “उस गजन्द को वजह से” जुर्म नहीं है और ऐसे इसकाते हमल कराने की निस्वत औ त या उसके बली को रिजामन्दी फेल मज्जकूर को जायज नहीं करती ।

फेल जो नेकनीयती से किसी शरूत के फायदे के लिये बेरिजामन्दी किया गया है ।

दफ़ः ६२—कोई अमर किसी गजन्द की वजः से जुर्म नहीं है जो उस अमर से किसी ऐसे शरूतको पहुँचे जिसके फायदे^१ के लिये नेक नीयती से गो उस शरूत की विला रिजामन्दी हो वह अमर किया जाये उस हाल में जबकि उस शरूत को अपनी रिजामन्दी जाहिर करनी शरूमुमकिन हो या उस शरूत को अपनी रिजामन्दी जाहिर करने की इस्तिअदाद न हो और न उसका बली या कोई और शरूत जिसकी हिफाजते जायज में वह है मौजूद हो जिस से इतने असें में रिजामन्दी हासिल करनी मुमकिन हो कि उस अमर के इतिकाय से फायदा निकले मगर यह शर्त है कि—

शहरम ।

पंहिली—यह मुस्तस्ना कसदन् हलाक कराने या हलाक कराने के इक़दाम पर मुहीत न होगा ।

दूसरी—यह मुस्तस्ना किसी ऐसे फेल के इतिकाय पर मुहीत न होगा जिस से हलाकन का इहतिमाल मुर्तकिय के इल्म में हो और जो किसी दूसरी गरज से किया जाये वज्ज इस गरज के कि उस से हलाकन या जररे शदीद की रोक हो या उस से किसी मर्ज या नक्ससे शदीद का इलाज हो ।

तीसरी—यह मुस्तस्ना विल इरादः जररः पहुँचाने पर या जरर पहुँचने के इक़दाम पर मुहीत न होगा जो किसी और गरज से पहुँचाया जाये वज्ज इसके कि उस से हलाकन या जरर की रोक हो ।

(वाच ४—मुस्तस्नायाते क्षाम्मा के वयान में—दफ ९३ ।)

चौथी—यह मुस्तस्ना जिस जुर्म के इतिक्राय पर मुहीत नहीं है उस के इतिक्राय की इत्यानत पर भी मुहीत न होगा ।

तमसीलें ।

(अलिक्र) अगर जैद घोड़े से गिरकर बेहोश होजाय और बकर जो जर्हाह है माद्रम हो नि जैद की खापड़ी में सुराख करना जरूरी है और जैद की हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उसके फायदे के लिये कश्क इत के कि जैद को अपो नेक आं वद के समझने का ताकत द मिश्र हो जैद की खोपड़ी में सुराख करे तो बकर किसी जुर्म का मुर्तकिय नहीं है ।

(वे) अगर जैद को शेर उठा लेजाये और बकर इस इत के साथ कि बन्दूक चलाये से जैद की हलाकत का इहतिमाल है लेकिन उसकी हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उसके फायदे के कस्द से शेर पर बन्दूक चलाये और बकर की गोर्ला से जैद के जङ्गम मुदलिक लगे तो बकर किसी जुर्म का मुर्तकिय नहीं है ।

(जीम) अगर जैद कि जर्हाह है किसी तिफल को ऐसा हादिना पेश आते देखे जिसके मुदलिक होने का इहतिमाल है इहला उस सूरत में कि उस पर फौरन् जर्हाही का अमल किया जाये और तिफल के बली से इजाजत तलब करने की फुर्सत न हो मगर जैद जिस को नेकनीयती से तिफल का फायदः मकसूद है बावजूद उसके रोने पीटने के जर्हाही का अमल करे तो जैद किसी जुर्म का मुर्तकिय नहीं है ।

(दाल) अगर जैद बकर एक तिफल के साथ एक घर मे हो जिस में आग लगी है और कुछ लोग नीचे बम्मल तागे खड़े हों और जैद यह जान कर कि तिफल के नीचे फेकने में उसकी हलाकत का इहतिमाल है मगर उसकी हलाकत की नीयत न करके बल्कि नेक नीयती से उसके फायदे का कस्द करके उसको छत से नीचे डालदे तो अगर तिफल गिरने से मर भी जाय ताहम जैद किसी जुर्म का मुर्तकिय नहीं है ।

तशरीह—फायदः जो महज जर से मुतआल्लिक है वह फायदः नहीं है जो ८८ और ८९ और ९२ दफाओं में मकसूद है ।

दफः ९३—कोई एथलाम जो नेक नीयती से किसी शरत्स एथलाम जो को किया जाय किसी ऐसे गजन्द की वजह से जुर्म नहीं है जो नेक नीयती से शरत्स मजकूर को पहुचे वशत कि उस शरत्स के फायदे के लिये किया गया है । वह एथलाम किया जाय ।

(वाव ४—मुन्तस्नीयाते आन्मः के दयान में—दफ़ात ९४—९९ ।)

तमसीलें ।

अगर जैद कि जर्हाह है किसी मरीज़ को एअलाम करे कि मेरी रायमें तुम नहीं जीसतौ और वह मरीज़ उस एअलाम के सदमे से मर जाय तो जैद गो उसको यह इल्म था कि ऐसे एअलाम से मरीज़ की हलाकत का इहतिमाल है किसी जुर्म का मुर्तकिव नहीं है ।

फ़ैल जिसके
करने के
लिये कोई
शख्सन धम-
कीयों से
मजबूर किया
गया है ।

दफ़ः ६४—क़तले अमद और जरायमे ख़िलाफ़े वर्जी वा सर्कार के सिवा जिनकी पादाश में सज़ाय मौत मुर्करर है कोई अमर जुर्म नहीं है जब कि उसको कोई शख्स धमकी से मजबूर होकर करे और उस धमकी से इतिक्वाव के वक्त मुर्तकिव को माकूल तरह से यह अन्देशः पैदा होकि उस अमर का न करना उसके फौरन् हलाक किये जाने का वाइस होगा मगर शर्त यह है कि उस अमर के मुर्तकिव ने खुद अपनी रगवत से या अपने किसी गजन्द के माकूल अन्देशे से जो फौरन् हलाक किये जाने की निस्वत कमहो अपने तई ऐसी हालत में न ढाला हो जिसके सबब से वह ऐसी मजबूरी में मुवतिलः हुआ ।

तशरीह १—अगर कोई शख्स अपनी रगवत या मार पीट की धमकी से डाकुओं के किसी गुरोह का वावस्फ जानने उन के चाल चलन के शरीक होजाय तो शखसे मजकूर इस वजह से कि उसके साथियों ने उससे कोई फेल जो कानूनन् जुर्म है वजत्र कराया इस मुस्तस्ना से मुस्तफ़ीद होने का मुस्तहक़ नहीं है ।

तशरीह २—अगर डाकुओं का कोई गुरोह किसी शख्स को पकड़ ले और वह शख्स फौरन् हलाक किये जाने की धमकी से किसी फेल के करने पर जो कानूनन् जुर्म है मजबूर हो मसलन् कोई लुहार अपने औजार लेजाने और किसी मकान का दरवाज़ः तोड़ ढालने के लिये मजबूर किया जाय ताकि डाकू अन्दर घुसकर लूटें तो वह शख्स इस मुस्तस्ना से मुस्तफ़ीद होने का मुस्तहक़ है ।

जो गो क़तल

दफ़ः ६५—

क़तल

दफ़ः ६५—कोई अमर इस वजह से जुर्म नहीं है कि उसने कोई गजन्द पढ़ने या उससे किसी गजन्द का पढ़ाना मकसूद है या इल्म में है कि उसने किसी गजन्द के पढ़ाने का इहतिमाल है वरन् कि

(वाच ४--मुरातनीयाते गामः के दयान में--दफ्तात १९--१८ ।)

वह मजन्द ऐता खफीफ हो कि गुनतरस्त प्रदम ओ गिजाज का म्पादमी उस मजन्द का शाकी न हो ।

इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिथारी के बथाल में ।

दफ्तः ६६-कोई अमर जुर्म नहीं है जो इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिथारी के नाफिज करने में किया जाय ।

यह उमूर जो हिफाजत खुद इस्तिथारी में फिये जाये ।

दफ्तः ६७-उन कयूद की शर्त से जो दफ्तः ६६ में लिखी हैं हर एक शाखस को यह इस्तिहकाक हासिल है कि वह हिफाजत करे—

इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिथारीके जिस्म ओ माल ।

पहले—अपने और किसी दूसरे शाखस के जिस्म की किसी ऐसे जुर्म के दफ्तीयः में जो इन्सान के जिस्म पर मुवस्सर हो ।

दूसरे—अपने या किसी और शाखस के माल की खाह मानकूलः हो खाह गैर मानकूलः किसी फेल के दफ्तीयः में जो ऐसा जुर्म है कि सर्कः या सर्कः इ विलजत्र या मुक्रसान रसानी या मुदाखलते बेजा मुजरिमानः की तारीफमें दाखिल हो या जो सर्कः या सर्कः इ विलजत्र या मुक्रसान रसानी या मुदाखलते बेजा मुजरिमानः का इक़दामहो ।

दफ्तः ६८-जबकि कोई फेल मुर्तकिन की कन उमरी या लखभ पुरस्तः न होने या फतूरे अकल या नशे में होने के सबब से या उसकी शलत फहमी की जिहत से जुर्म न हो वर्नः और हालत में जुर्म होता तो हर शाखस को उस फेल के दफ्तीयः में वही इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिथारी हासिल है जो उस हाल में होता जबकि वह फेल जुर्म होता ।

फातिहत - फकल वमैर के दफ्तीय में इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिथारी ।

तमसीले ।

(अलिफ) अगर जैद जुनून के गलबे में बकर के हलाक करणे वा इश्रदाम करे तो जैद किसी जुर्म का मुजरिम नहीं है लेकिन बकर को वही इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिथारी हासिल है जो उस हाल में होता जबकि जैद सहीहु अकबल होता ।

(बे) अगर जैद रातके वक्त किसी घरमें जाय जिसमें जाने का वक़्त नूतन नुनाज है और बकर नेक नीयती से जैद को नक़बज़न जानकर जैद पर हमला करे तो बकर इस नरान फरती से जैद पर हमला करने में किसी हानि मूर्तकिन नहीं है मगर जैद को बकर के इस्तिहकाके

(वाक्य १ — मुत्तमगावने आम् के नयान में — इफः ९९ ।)

वही इस्तिहकाके हिफाजने खुद इस्तिहकारी हासिल है जो उस हाल में होता जब कि वही ऐसी गलत फहमी से अमल न करता ।

अफझाल जिन
के दफ्तीय में
इस्तिहकाके
हिफाजते
खुद इस्तिहकारी
नहीं है ।

दफः ६६—जिस फेल से हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फेल के दफ्तीय में कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिक़ाव या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाजिम की जानिव से नेक नीयते से बएतबार उसके उहदे के जुहर में आये गो वह फेल कानून की रू से दर असल जायज न हो ।

जिस फेलसे हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फेल के दफ्तीय में कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिक़ाव या इक़दाम किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम की हिदायत से जुहर में आये जो नेक नीयती से अपने उहदे के एतबार से अमल करता हो गो वह हिदायत कानून की रू से दर असल जायज न हो ।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी नहीं है जबकि हुकाम से इस्तिहकाकी मुहलत हासिल हो ।

इस्तिहकाके
हिफाजते
खुद इस्तिहकारी
नहीं है ।

इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी किसी हालत में उससे जियादः गज़न्द पहुंचाने पर मुहलत नहीं है जिसका पहुंचाना हिफाजत के लिये जरूरी है ।

तशरीह १—जिस फेल का इतिक़ाव या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाजिम की जानिव से बएतबार उसके उहदे के जुहर में आये तो उन फेल के दफ्तीय में किसी शख्सका इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी साकन नहीं होना निवा इसके कि वह शख्स जानता हो या बाबर करने की वजह सम्यता हो कि मुर्तकिय वैसाही सर्कारी मुलाजिम है ।

तशरीह २—जिम फेल का इतिक़ाव या इक़दाम किसी सर्कारी मुलाजिमकी हिदायत से जुहर में आये तो उस फेल के दफ्तीय में किसी शख्स का इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तिहकारी साकन नहीं होना

(वाच ४—मुरतसनीयाते आम्म के वयान में—दफ़ १०० ।)

सिवाय इसके कि वह शख्स जानता हो या वावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तकिव ऐसी हिदायतसे अमल करता है या यह कि मुर्तकिव उस हाकिम के उहदे को वता दे जिसके हुक्मसे वह अमल करता है या यह कि अगर मुर्तकिव के पास हुक्म तहरीरी मौजूद हो तो मुतालिवे की सूरत में उस हुक्म तहरीरी को दिखला दे ।

दफ़ः १००—उन कयूद की सिआयत से जो दफ़ःइ अखीरे मर्कू- जिस हालत में
सःइ वाला में वयान की गई हैं इस्तिहक्काके हिफाजते खुद इस्लियारी ये इस्तिहक्काके
जिस्म हम्लः करने वाले को बिलइरादः हलाक करने या कोई और हिफाजते खुद
गजन्द पहुंचाने पर मुहीत है अगर वह जुर्म जो उस इस्तिहक्काके जिस्म हलाक
निफाज का वाइस हो नीचे लिखी हुई किस्मों में से किसी किस्म में करने पर
दाखिल हो—यानेः— मुहीत है ।

पहली—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो कि अगर उस हम्ले से हिफाजत न कीजाय तो हलाकत उसका नतीजः होगा ।

दूसरी—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो अगर उस हमले से हिफाजत न कीजाय तो जररे शदीद उसका नतीजः होगा ।

तीसरी—वह हम्लः कि जिना वजत्र के इत्तिकाव के कस्द से किया जाय ।

चौथी—वह हम्लः कि इस्तिहसाले हज्जे खिलाफे वजह फि-
तरी के कस्द से किया जाय ।

पांचवीं—वह हम्लः कि
के कस्द से किया जाय ।

छठी—वह हम्लः कि
के कस्द से ऐसी हालतों
इस बात का अन्देशः ।
रिहाई के वाच में हुक्माम

(वाक्य ४—मुन्तमनायाने झाग्गः के नयान में—दफः १९ ।)

वही उन्निहकाके हिफाजते खुद इत्तियारी हासिल है जो उस हाल में होता जब कि वही ऐसी गलत फहमी से झमल न करता ।

कफझाल जिग
के दफीय. में
इस्तिहकाके
हिफाजते
खुद इत्तियारी
नहीं है ।

दफः ६६—जिस फेल से हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः याकूल वजह से न हो उस फेल के दफीयःमें कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इत्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इत्तिकाव या इकदाम किसी सर्कारी मुलाजिम की जानिव से नेक नीयते से बएतवार उसके उहदे के जुहर में आये गो वह फेल कानून की रुसे दर असल जायज न हो ।

जिस फेलसे हलाकत या जररे शदीद पहुंचने का अन्देशः याकूल वजह से न हो उस फेल के दफीयःमें कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इत्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इत्तिकाव या इकदाम किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम की हिदायत से जुहर में आये जो नेक नीयती से अपने उहदे के एतवार से झमल करता हो गो वह हिदायत कानून की रु से दर असल जायज न हो ।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इत्तियारी नहीं है जबकि हुकाम से इस्तिहकाकी मुहलत हासिल हो ।

दो निफते
उन्निहकाके
जुहर ।

इस्तिहकाके हिफाजते खुद इत्तियारी किसी हालत में उससे जियादः गजन्द पहुंचाने पर मुहीन नहीं है जिमका पहुंचाना हिफाजत के लिये जरूरी है ।

तशरीह १—जिस फेल का इत्तिकाव या इकदाम किसी सर्कारी मुलाजिम की जानिव से बएतवार उसके उहदे के जुहर में आये तो उस फेल के दफीयःमें किसी गजम्बुका उन्निहकाके हिफाजते खुद इत्तियारी साकत नहीं होता सिवा इसके कि वह गजम्बु जानता हो या बावर करने की वजह रखता हो कि मुत्तियव वैसाही सर्कारी मुलाजिम है ।

तशरीह २—जिस फेल का इत्तिकाव या इकदाम किसी सर्कारी मुलाजिमकी हिदायत से जुहर में आये तो उस फेल के दफीयःमें किसी गजम्बु का उन्निहकाके हिफाजते खुद इत्तियारी साकत नहीं होता

(वाच ४—मुरतसनीयाते शाम्म के वयान में—दफ़ १०० ।)

सिवाय इसके कि वह शख्स जानता हो या वावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तक़िब ऐसी हिदायतसे अमल करता है या यह कि मुर्तक़िब उस हाक़िम के उहदे को बता दे जिसके हुक़मसे वह अमल करता है या यह कि अगर मुर्तक़िब के पास हुक़म तहरीरी मौजूद हो तो मुतालिवे की सूरत में उस हुक़म तहरीरी को दिखला दे ।

दफ़ः १००—उन कयूद की रिआयत से जो दफ़ःइ अखीरे मर्कू- जिस हालत में
मःइ वाला में वयान की गई हैं इस्तिहकाके हिफाजते खुद इस्तियारी ये इस्तिहकाके
जिस्म हम्लः करने वाले को बिलइरादः हलाक करने या कोई और हिफाजते खुद
गजन्द पहुंचाने पर मुहीत है अगर वह जुर्म जो उस इस्तिहकाके जिस्म हलाक
निफाज का वाइस हो नीचे लिखी हुई किस्मों में से किसी किस्म में करने पर
दाखिल हो—यानेः— मुहीत है ।

पहली—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो कि अगर उस हमले से हिफाजत न कीजाय तो हलाकत उसका नतीजः होगा ।

दूसरी—हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो कि अगर उस हमले से हिफाजत न कीजाय तो जररे शदीद उसका नतीजः होगा ।

तीसरी—वह हम्लः कि जिना बन्न के इतिक़ाब के क़स्द से किया जाय ।

चौथी—वह हम्लः कि इस्तिहसालो हज्जे खिलाफ़े वजह फ़ि- त्री के क़स्द से किया जाय ।

पांचवीं—वह हम्लः कि इन्सान के ले भागने या भगा लेजाने के क़स्द से किया जाय ।

छठी—वह हम्लः कि किसी शख्स को बेजा तौर पर हब्स करने के क़स्द से ऐसी हालतों में किया जाय जिन से शख्ससे मजकूर को इस बात का अन्देशः माकूल वजह से पैदा हो कि उस को अपनी रिहाई के वाच में हुक़ाम मे इस्तमदाद करना गैर मुमकिन है ।

(बाब ५—इआनत के बयान में—दफ १०८ ।)

पहले—किसी शख्स को उस अमर के करने की तर्गीवदे—या

दूसरे—उस अमर के करने के लिये मशवरे में एक या चन्द शख्स से करारदाद करे वशते कि उस मशवरे के मुतादिक अमल करने से और उस अमर के करने की गरज़ से कोई फेल या तर्क खिलाफे क़ानून बाके हो—या

तीसरे—बज़रिये किसी फेल या तर्क खिलाफे क़ानून के उस अमर के करने में कस्दन् मदद करे ।

तशरीह १—किसी फेल के करने की तर्गीव देना उस शख्स की निस्वत कहा जायेगा जो खिलाफ वयानीये दिल् अमद से या ऐसे अमर अहम को अमदन् मावफी रखने से जिसका ज़ाहर करना उस पर बाजिव है दिल् इरादः फेले मज़कूर को कराये या उसके कराने की तदबीर करे या कराने या कराने की तदबीर में जिहद करे ।

तमसील ।

ज़ैद कि सर्कारी उहदःदार है किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के वारन्ट की रूसे ख़ालिद के गिरफ्तार करने का मुजाज़ है और बकर जिसको इस अमर का इल्म हो और वह यह भी जानता हो कि अमर ख़ालिद नहीं है ज़ैद से अमदन् बयान करे कि अमर ही ख़ालिद है और इस तरह ज़ैद से कस्दन् अमर को गिरफ्तार कराये तो इस सूरत में बकरने तर्गीव के अरिये से अमर की गिरफ्तारी में इआनत की ।

तशरीह २—जो कोई शख्स किसी फेल के इर्तिकाव के वक्त या उस से पहले कोई अमर इस गरज़ से करे कि उस फेल का इर्तिकाव सहल होजाय और उस अमर से उसका इर्तिकाव सहल होजाय तो कहा जायेगा कि शख्स मजकूर ने उस फेल के इर्तिकाव में मदद की ।

दफ़ः १०८—जो शख्स किसी जुर्म के इर्तिकाव में या किसी ऐसे फेल के इर्तिकाव में इआनत करे कि अगर मुईन की सी नीयत

(वाक ५—इज्जानत के दयान में—दफ्तर १०८ ।)

या इत्यसे उसका इतिहास वह शख्स करता जो इतिहास जुर्म के काबिल है तो वह फेल जुर्म होता तो शख्स मजसूर ने उस जुर्म में इज्जानत की ।

तशरीह १—फेल के तर्क खिलाफे कानून में इज्जानत करना जुर्म होसकता है गो खुद मुईन पर उस फेल का काना वाजिब नहो ।

तशरीह २—इज्जानत के जुर्म करार दिये जाने के लिये उस फेल का इतिहास जरूर नहीं है जिसमें इज्जानत की गई है और न उसे नतीजे का जुद्धर जिस पर फेले मजसूर का जुर्म करार दिया जाना मुतहरर है ।

तमसीले ।

(अन्विक) अगर जैद वजर को जज्ज के मार जल्ने की तर्गाव दे और वजर उस से रकार परे तो जैद वजर के इतिहासे जल्ने जल्द में इज्जानत करने का मुकतिम होगा ।

(बे) अगर जैद वजर को जजर के मार जल्ने की तर्गाव दे और वजर उन तर्गाव के मुतबिक जजर क कोई आना भोज के और वजर उन जल्द से सिहा पाये तो जैद वजर को इतिहासे जल्ने जल्द की तर्गाव देो का मुकतिम होगा ।

तशरीह ३—जरूर नहीं है कि मुज्जान कानून की रसे जुर्म के इतिहास के काबिल हो या यह कि उसकी नीयत या इत्य में क्वी पन्दा हो जो मुईन की नीयत या इत्य में है या उसकी नीयत या इत्य में कुछ पन्दा हो ।

तमसीले ।

(नाच ५—इआनत के बयान में—दफः १०८ ।)

जुर्म के काबिल नहीं है ताहम ज़ैद उसी तरह सज़ा का मुस्तौजिव है कि गोया खालिद कानून की रू से इतिक़ाबे जुर्म के काबिल है और मुर्तकिब कतले अमद का हुआ है और इस लिये ज़ैद सज़ाय मौत का मुस्तौजिव है ।

(जीम) ज़ैद बक्रर को किसी घर में जो इन्सान की वृद्ध ओ बाल के लिये हो आग लगाने की तर्गीब दे और बक्रर अक़ल में फ़ुतूर होने के सबब से उस फ़ैल की मादीयत न जानसके या यह जान सके कि जो मैं कर रहा हू वह बेजा या कानून के खिलाफ़ है और ज़ैद की तर्गीब के बाइस से उस घर में आग लगाये ता बक्रर किसी जुर्म का मुत्तकिब नहीं है मगर ज़ैद घर में आग लगाने के जुर्म में इआनत करने का मुजरिम होगा और उस सज़ा का मुस्तौजिव होगा जो उस जुर्म की पादाश में मुकर्रर है ।

(दाल) ज़ैद इस नीयत से कि सक़े का इतिक़ाब कराये बक्रर को यह तर्गीब दे कि तू खालिद का माल खालिद के कब्ज़े से निकाल ला और बक्रर को यह बावर कराय कि यह माल मेरा है और बक्रर नेक नीयती से यह बावर कभके कि वह माल ज़ैद का है खालिद के कब्ज़े से निकाल लाये तो चूकि बक्रर ने इस गलत फ़हमी पर अमल करने से बंद दियागती से माल को नहीं लिया इसलिये वह सक़े का मुर्तकिब न होगा मगर ज़ैद सक़े में इआनत करने का मुजरिम और उस सज़ा का मुस्तौजिव होगा जो ज़ैद को उस हाल में होती जब कि बक्रर सक़े का मुर्तकिब होता ।

तशरीह ४—चूँकि जुर्म में इआनत करना जुर्म है तो ऐसी इआनत में इआनत करना भी जुर्म है ।

तमसील ।

ज़ैद बक्रर को तर्गीब देता है कि तू अमर को खालिद के मारडालने की तर्गीब दे और बक्रर उसके मुताबिक़ अमर को खालिद के मारडालने की तर्गीब दे और अमर बक्रर की तर्गीब से उस जुर्म का इतिक़ाब करे तो बक्रर इस जुर्म की पादाश में उस सज़ा का मुस्तौजिव होगा जो कतले अमद की पादाश में मुकर्रर है और चूकि ज़ैद ने बक्रर को उस जुर्म के इतिक़ाब की तर्गीब दी है इसलिये ज़ैद भी उसी सज़ा का मुस्तौजिव होगा ।

तशरीह ५—इतिक़ाबे जुर्म इआनत बयशवरः के लिये यह जरूर नहीं है कि मुईन मुर्तकिब के साथ इतिक़ाबे जुर्म की तददीर में शरीक हो बल्कि यही काफी है कि वह उस बयशवरे में शरीक हो जिसपर अमल करने से उस जुर्म का इतिक़ाब हुआ ।

तमसील ।

ज़ैद अमर के जरूर देने के लिये बक्रर के साथ सामने तर्गीब दी जाय यह दर्जे में ज़ैद

(वाव ५—इआनत के वयान में—दफ्तरात १०८ (अलिफ)-१०९)

ज़हर दे- इसके बाद बकर इम मशवरे का हाल खालिद से वयान करे और फहे कि एन तीसरा अरस्त ज़हर देगा मगर ज़ैद का नाम न बतलाये और खालिद ज़हर का मुहैया कर देना झुठल करे और लाकर इस शागज़ से बकर के हवालः करे कि वह उस तरह जैसा ऊपर लिखा है काम में आये फिर ज़ैद ज़हर खिलाये और अमर उसके बाइस से हलाक होजाय-इस सूत्र में गो बाहम ज़ैद और खालिद के कुछ मशवरे नहीं हुआ ताहम खालिद उस मशवरे में शरीक रहा है जिन पर अमल करने से अमर हलाक हुआ और इसी लिये खालिद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीक़ इस दफ्तर में बीगई है और उस सज़ा का मुस्तौजिब होगा जो क़तले अमद की पादाश में मुक़रर है ।

इआनत
ब्रिटिश
इन्डिया में
जरायम की
जो उसके
बाहर हों ।

दफ्तरः १०८ (अलिफ)-जो शाख्स ब्रिटिश इन्डिया में रह कर किसी ऐसे फेल के इतिक़ाव में इआनत करता है जो ब्रिटिश इन्डिया से खारिज और उसके बाहर सादिर हो और जो अगर ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होता तो एक जुर्म करार दिया जाता-वह हस्व मन्शाय कवानीने हाजा उस जुर्म में इआनत करता है ।

तमसील ।

ज़ैद ने ब्रिटिश इन्डिया में रहकर अमर एक ग़र मुल्की सादिने गुआ को तर्गाव दी कि गुआ में मुर्तकिब क़तले अमद का हो-तो ज़ैद क़तले अमद में इआनत करने का मुजरिम हुआ ।

इआनत की
सज़ा अगर
उस फेल का
शतियाव
जिसमें इआ-
नत कीगई है
उस इआनत
के मन्ब से
हुआ हो और
जहा उमरी
रफ्तार लिये
दई गई
हुआ हो ।

दफ्तरः १०९-जो कोई शाख्स किसी जुर्म में इआनत करे तो अगर उस इआनत के बाइस से उस फेल का इतिक़ाव हो जिस में इआनत की गई है और इस मजमूये में ऐसी इआनत की सज़ा की निस्वत कोई मरीह हुकम न हो तो उस शाख्स को वही सज़ा दी जायगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुक़रर है ।

तशरीह-जब किसी फेल या जुर्म का इतिक़ाव उस तर्गाव के बाइस से या उस मशवरे पर अमल करने से या उस मदद से बाक़े हो

सन १८६० ई०] मजदूरों के कानूनी तारीखें हिन्द । ५१

(बाब ५-इन्जानत के बयान में-दफ्तरात ११०-१११ ।)

जिसको इन्जानत करार दिया गया है तो कहा जायगा कि फेल
मजदूर या जुर्म मजदूर का इतिहास इन्जानतके वाइस से वाक्रे हुआ ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद बकर को जो सरकारी मुलाजिम है एकदूसरे के तौरपर इस लिये रिशवत
देना चाहे कि बकर अपने लवाजिमे मन्सवी के निफाज में जैद के साथ कुछ रिआयत करे
और बकर उस रिशवत को कुबूल करले तो जैदने उस जुर्म में इन्जानत की जिसकी तारीफ
दफ्तर: १६१ में की गई है ।

(बे) जैद बकर को सज़ा देने की तर्गोब दे और बकर उस तर्गोब के वाइस से
उस जुर्म का मुर्तकिब हो तो जैद जुर्म मजदूर में इन्जानत करनेका मुजरिम होगा और उसी
सज़ा का मुस्तौजिब होगा जिसका बकर मुस्तौजिब है ।

(जीम) जैद और बकर अमर के ज़हर देने का मशवरः करें और जैद उस मशवरेपर
अमल करके ज़हर छुड़ा करे और इस शरज से बकर के हवाले करे कि वह अमर को
लिखाये और बकर उस मशवरे पर अमल करके जैद की गोवत में अमर को ज़हर दे और
उस फेल से अमरकी हलाकत का वाइस हो तो इस सूरत में बकर जुर्म कल्ले खगद का
मुजरिम होगा और जैद उस जुर्म में इन्जानत वमशवरः करने का मुजरिम होगा और कल्ले
खगद की सज़ाका मुस्तौजिब होगा ।

दफ्तर: ११०—जो कोई शख्स किसी जुर्मके इतिहास में इन्जानत
करे तो अगर शख्स मुआन उस फेल का इतिहास किसी नीयत या
इल्म से करे जो मुईन की नीयत या इल्म से मुगायर हो तो मुईन
को उस जुर्म की सज़ा दी जायगी जिसका इतिहास उस हाल में
होता कि फेले मजदूर किसी और नीयत या इल्म से नहीं बल्कि मुईन
ही की नीयत या इल्म से किया जाता ।

इन्जानत की
सज़ा अगर
शख्स मुआन
उस फेल को
नीयते मुगा-
यर नीयते
मुईन से करे ॥

दफ्तर: १११—जिस सूरतमें इन्जानत तो एक फेलमें कीजाय और
इतिहास किसी और फेल का हो जाय तो मुईन उस फेल की निस्वत
जिसका इतिहास हुआ उसी तरह से और उसी क़दर मुआखजे
के लायक़ होगा कि गोया उसने वीनिही उती फेल में इन्जानत की ।

मुईन का
लायक़े मुआ-
खजः होना
जब कि इन्जा-
नत एक फेल
में हो और
वैई फेले
मुगादर किया
जाय ।

(वाच ५-इआनत के वधान में -दक्र ११२ ।)

घर्ष

दर्शन कि वह फेल जिसका इतिकार हुआ उस इआनत का एक नतीजःइ सालिव हो और यह कि फेले मजकूर का इतिकार उस तर्गिब के असर से या उस मदद से या मशवरे पर अमल करने से जिसको इआनत करार दिया गयाहै-वाके हो ।

तमतीलें ।

(अलिफ) जैद एक तिफल को बकर के खाने में जहर डालने की तर्गिब दे और इस मतलब के वास्ते जहर उसके इवाले करे और उस तर्गिब के वास्त से वह तिफल खालिद के खाने में जो बकर के खाने के पाम रखा हो धोखा खाकर जहर डाल दे तो इस मूत्र में अगर तिफल मजकूर ने जैद की तर्गिबने वह फेल किया हो और भी कग-यन ने वह फेल जिसका इतिकार हुआ उन इआनत का एक नतीजःइ सालिव हो तो जैद उनी तरफ और उनी कतर मुजमजे के लायक है कि गोया उसने तिफल को खालिद के खाने में जहर डालने की तर्गिब दे ।

(ब) जैद ने बकर को अमर के घर जलाने की तर्गिब दी—बकरने घरमें जाग भी तग दी और उनी वमत वरा सर्व इ सालिब भी मुर्तबिब हुआ तो जैद इस सर्क में इआनत करने का मुजरिम नहीं हे इरचन्द कि वह घर के जलाने में इआनत करने का मुजरिम हे क्योंकि वह सर्क मुजमजे फेल था और घर जलाने का नतीजःइ सालिव न था ।

(जीम) जैद ने बकर और अमर दोनोंको तर्गिब दी कि किसी आवाद घर में सर्क इ बिजानव के लिये अ आगत को जवरन उम जाये और इस मतलब के लिये जैद ने उनकी हानिदार तर्गिबे—बकर और अमर उस घर में जवरन घुम जाये और घर वालों में से एक अमर खालिब हो तो उनका मजबान के मार डाले तो इस मूत्र में अगर वह मार डालना इआनत का नतीजःइ सालिव था तो जैद उस सजा का मुर्तबिब है जो बकरे अमर के लिये मुजरिम है ।

दक्रः ११२—अगर वह फेल जिसकी निस्वत मुईन टफःइ अगीर मजकूरःइ वाला की खुसे मुयारसजे के लायक है उस फेल के मलावः किया जाय जिनमें इआनत की गई है और वह फिलवाके हुना जुर्म है तो मुईन उन हुमां में से हर एक जुर्म की सजा का मुर्तबिब होगा ।

(वाच ५—इआनत के बयान में—दकषात १११—३१३ ।)

हुकों में तबर्हज करने और बिल इराद जररे शदीद पहुंचाने का मुर्तकब हुआ है इसलिये इन दोनों जुर्मों की पादाश में सजा का मुस्तौजिब है और अगर जैद को इस बात का इल्म था हुकों के तबर्हज करने में बक्रा से बिलइराद जररे शदीद वाक्के होने का इहतिमाल है तो जैद भी दोनों जुर्मोंकी सजा का मुस्तौजिब होगा ।

दफ्तः ११३—जब किसी फेल में इआनत कीजाय और मुईन की यह नीयत हो कि उससे कोई खास नतीजः पैदा हो और वह फेल जिसकी निस्वत मुईन इआनत के बाइस से मुआखजः के लायक है किसी नतीजे को पैदा करे जो उस नतीजे से मुगायर हो जो मुईन की नीयत में था तो मुईन उस नतीजे की निस्वत जो पैदा हुआ उसी तरह और उसी कदर मुआखजे के लायक है कि गोया उसने उसी नतीजः के पैदा करने की नीयत से उस फेल में इआनत की वशते कि मुईन को यह इल्म था कि उस फेल से जिसमें इआनत की गई है उस नतीजे के पैदा होने का इहतिमाल है ।

मुईन का क्वाबिले मुआखजः होना उस नतीजे के लिये जो उस फेल से पैदा हो जिस में इआनत की गई है और जो नतीजः मकसूद इ मुईन से मुगायर हो ।

तमसील ।

जैद बक्रर को अमर के जररे शदीद पहुंचाने की तरगीब दे और बक्रर उस तरगीबके व इससे अमर को जररे शदीद पहुंचाये और अमर उसके बाइस से मरजाय इससूरतमें अगर जैद को यह इल्म था कि उस जररे शदीद के सबब से जिसमें इआनत की गई है हलाकत का इहतिमाल है तो जैद उस सजा का मुस्तौजिब होगा जो कतले अमद के लिये मुकर्रर है ।

दफ्तः ११४—हर गाह कोई शख्स जो गैर हाजिरी की हालत में वहाँसियते मुईन सजा का मुस्तौजिब होता उस फेल या जुर्म के इतिकाव के वक्त हाजिर हो जिसकी पादाश में वह इआनत करने के सबब से सजा का मुस्तौजिब होता तो वह उस फेल या जुर्म का मुर्तकब समझा जायेगा ।

मुईन इतिकाव जुर्म के वक्त मौजूद हो ।

दफ्तः ११५—जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इतिकाव में इआनत करे जिसकी पादाश में सजाय मौत या हव्स दनाम वउदूरे दर्याय शोर मुकर्रर है तो अगर उस जुर्म का इतिकाव उस इआनत के बाइस से वाक्के न हो और ऐसी इआनत की निस्वत इस मजमूये में कोई खास सजा मुअयन न हो तो शख्स मजकूर को दोनों क्लिस्मों में से उस जुर्म में इआनत करने जिसकी सजा मौत या हव्स दनाम

(वाच ९—इश्मानत के नयान मे—दफ़ः ११६ ।)

बधुरे दर्याय
शोर है—अगर
जुर्म का इति-
काव इश्मानत
के सनब से
न हो ।

किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात
बरस तक होती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

अगर फेल
जिस से गजन्द
पहुंचे इश्मानत
के सनब से
कियाजाय ।

और अगर किसी ऐसे फेल का इतिंकाव किया जाय जिसकी
निस्वत मुईन इश्मानत के सवव मुआखजे के लायक है और उस
फेल से किसी शख्स को जरूर पहुंचे तो मुईन दोनों क्रिस्मों में से
किसी क्रिस्म की कैद का मुस्तौजिव होगा जिसकी मीआद चौदह
बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

तमसील ।

जैद ने बकर को खालिद के मार डालने की तर्गान दी मगर जुर्म वक़ू में न आया
लेकिन अगर बकर खालिद को मार डालता तो वह सजाय मौत या हन्त दवाम बधुरे
दर्याय शोर का मुस्तौजिव होता तो इस सूरतमें जैद किसी मीआद की कैद का मुस्तौ-
जिव होगा जो सात बरस तक होसक्ती है और जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा और अगर इस
इश्मानत के वाइस म खालिद को कुछ जरूर पहुंचे तो जैद किसी मीआद की कैद का
मुस्तौजिव होगा जो चौदह बरस तक होसक्ती है और जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ॥

उस जुर्म में
इश्मानत करना
जिसकी सजा
कैद है—अगर
जुर्म का इति-
काव इश्मानत के
सनब से न हो ।

दफ़ः ११६—जो कोई शख्स किसी जुर्म में इश्मानत करे जिस
की पादाश में कैद की सजा मुकर्रर है तो अगर उस जुर्मका इतिंकाव
उस इश्मानत के वाइस से वाक़े न हो और ऐसी इश्मानत की निस्वत
इस मजमूये में कोई खास सजा मुअय्यन नहो तो शख्ससे मजकूर
को उस क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जो उस जुर्म की
पादाश में मुकर्रर है और उस की मीआद उस कैद की बड़ी से
बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस जुर्म के लिये
मुकर्रर है या उस जुर्मने की सजा दी जायेगी जो जुर्म मजकूर के
लिये मुकर्रर है या कैद और जुर्मने दोनों सजायें दी जायेंगी ।

जिसकी सजा
कैद है—अगर
जुर्म का इति-
काव इश्मानत के
सनब से न हो ।

और अगर मुईन या मुमान सजायें मुलाजिम हो जिम्पर ऐसे
जुर्म के इतिंकाव या रोक्ना लाजिम है तो मुईन को उस क्रिस्म की

(बाब ५—इम्नानत के बयान में—दफः १२७ ।)

कैद की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म की पादाश में मुक़रर है और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ तक होसक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुक़रर है या उस जुर्माने की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म के लिये मुक़रर है या कैद और जुर्मानः दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मुलाजिम हो जिस पर उस जुर्म का रोकना लाजिम है ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) जैद बकर को जो सर्कारी मुलाजिम है हज़कुस्तई के तौर पर इस लिये रिशवत दे कि बकर अपने लवाजिमे मन्सबी के निफ़ाज़ में ज़ैद के साथ कुछ कुछ रिशायत करे और बकर रिशवत लेने से इन्कार करे तो जैद इस दफ़ की रू से सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

(बे) जैद ने बकर को छूठी गवाही देने की तर्गीव दी—इस सूरत में अगर बकर छूठी गवाही न दे तौ भी ज़ैद उस जुर्म का मुस्तौजिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है उसी मुताबिक़ सज़ा का मुस्तौजिब होगा ।

(जीम) जैद उहदःदारे पुलीस जिसपर सर्कः इ बिलजत्र का रोकना लाजिम है सर्क इ बिलजत्र के इतिहाव में इम्नानत करे इस सूरत में गो उस सर्कः इ बिलजत्र का इतिहाव न हुआ हो तौ भी ज़ैद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ का मुस्तौजिब होगा जो उस जुर्म के लिये मुक़रर है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

(दाल) बकर सर्क इ बिलजत्र के इतिहाव में जैद की इम्नानत करे और जैद पुलीस का एक उहद दार हो जिसपर ऐसे जुर्म के इतिहाव का रोकना लाजिम है तो इस सूरत में अगरचे सर्कः इ बिलजत्र का इतिहाव न हो तौ भी बकर उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ का मुस्तौजिब होगा जो जुर्म सर्कः इ बिलजत्र की पादाश में मुक़रर है और जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़ः ११७—जो कई शरूस् अक्सर आम्मः इ खलायक को या अशखास के किसी गुरोह या तवक़े को जो दस शरूस् से जियादः हो किसी जुर्म के इतिहाव में इम्नानत करे तो शरूस् मजफ़ूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या कैद और जुर्मानः दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

उस जुर्म के इतिहाव में इम्नानत करना जिस को आम्म इ खलायक या दससे जियादः शम्स करे ।

तमसील ।

जैद आमद ओ रफ़्त आम को किसी जगह में एक इतिहाव लगाये जिसमें किसी निश्

(वाच ६—इआनत के वयान मे—दफ्तात ११८—११९ ।)

को जिसकी तादाद दस से ज़ियादः हो यह तर्गाव दी जाये कि किसी खास वस्तु का पुक्राम पर इस गरज़ से जमा हों कि फिर्क इ मुखाळिक के खेगों पर जब वह बहसिये इन्तिमाई जाने हों हमल करे तो जेद उस जुर्म का मुर्वेविव होगा जिसकी तागेफ इ दफः मे की गई है ।

उस जुर्म के इतिकार की तदवीर का छुपाना

जिसकी सजा मौत या हव्स दयाम वउवरे दर्याय शोर है ।

दफः ११८—जो कोई शख्स यह नीयत करके कि किसी जुर्म का इतिकार जिसकी सजा मौत या हव्स दयाम वउवरे दर्याय शोर है सहल होजाय या यह जान के कि उसके सहल होजाने का इहतिमाल है—

किसी फेल या तर्क खिलाफ कानून के जरीये से उस तदवीर की मौजूदियत को विल इरादः छुपाये जो ऐसे जुर्म के इतिकार के लिये की गई हो या उस तदवीर की निस्वत कोई ऐसा दयान करे जिसको वह भूया जानता हो—

अगर जुर्म का इतिकार हुआ हो ।
अगर जुर्म का इतिकार न हुआ हो ।

तो उस जुर्म के इतिकार की सूरत में शख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों मे से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सान वरस तक होसक्ती है—और अगर जुर्म का इतिकार वाक्के न हुआ हो तो दोनों क्रिस्मों मे से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है और हरएक सूरत में वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

(बान ९—इशानत के बारा में—दफ. १२० ।)

किसी फेल या तर्क खिनाफे कानून के जरीये से बिल इरादा उस तदवीर की मौजूदियत को छुपाये जो जुर्म मजकूर के इतिहासके लिये फी गई हो या उस तदवीर की निस्वत कोई ऐसा वधान करे जिसको वह भूठा जानता हो—

पस अगर जुर्म का इतिहास वाक़े हो तो शरूसे मजकूर को उस क्रिम की कैद की सजा दी जायेगी जो उस जुर्म की पादाश में मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्फ तक हो सकती है जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है या उस जुर्माने की सजा जो जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है या कैद और जुर्मानः दोनों सजायें दी जायेंगी—

अगर जुर्म का इतिहास हुआ हो ।

और अगर उस जुर्म की पादाश में सजाय मौत या हवसे दवाम वउवूरे दर्याय शोर मुकर्रर है कि दोनों क्रिमों में से किसी क्रिम की कैद की जिसकी मीआद दस बरस तक होसकती है—

अगर जुर्म की सजा मौत वगैरः हो ।

और अगर जुर्म का इतिहास वाक़े न हो तो शरूसे मजकूर को उस क्रिम की कैद की सजा दी जायेगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसकती है जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है या उस जुर्माने की सजा जो जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है या कैद और जुर्मानः दोनों सजायें दी जायेंगी ।

अगर जुर्म का इतिहास न हुआ हो ।

तमसील ।

जैद उहदःदारे पुलीस पर कानूनन् वाजिब है कि सर्क इ बिल जत्रके इतिहास की तदवीरों जो उसको मालूम हों उन सबकी इतिला करे और जैद यह जानकर कि वकर सर्क इ बिल जत्र की इतिहास के लिये तदवीर कर रहा है ऐसी इतिला करनी इस नीयत से तर्क करे कि उस जुर्म का इतिहास सहल होजाय तो इस सूरतमें जैद ने तर्क खिलाफे कानून के जरीये से वकर की तदवीर की मौजूदियत को छुपाया और इस दफ. के हुक्म के मुताबिक जैद सजा का मुस्तौजिब होगा ।

दफः १२०—जो कोई शरूसे यह नीयत करके कि किसी जुर्म का इतिहास जिसकी पादाश में कैद की सजा मुकर्रर है सहल होजाय या यह जानकर कि उसके इतिहासके सहल होजाने का इतिहास है—

उस जुर्मके इतिहास की तदवीर का छुपाना जिसकी सजा कैद है ।

(क.व ६—जरायमे ख़िलाफ़ वर्ज़ी वा सर्कार के वयान में—दफ़ १२१ ।)

किसी फेल या तर्क ख़िलाफ़े क़ानून के ज़रीये से विल इरादः उस तदवीर की मौजूदियत को छुपाय जो जुर्म मज़कूर के इतिकाव के लिये की गई है या उस तदवीर की निस्वत कोई ऐसा वयान करे जिसको वह भूठा जानता हो—

अगर जुर्म का इतिकाव हुआ हो ।

तो अगर जुर्म मज़कूर का इतिकाव वाके हुआ हो तो शख्स मज़कूर को उस किसम की कैद की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद की

अगर जुर्म का इतिकाव न हुआ हो ।

एक चौथाई तक—और अगर जुर्म का इतिकाव वाके न हुआ हो तो एक आठवाँ तक हो सकती है जो जुर्म मज़कूर के लिये मुकर्रर है या उस जुर्मने की सज़ा जो जुर्म मज़कूर के लिये मुकर्रर है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

वाच ६ ।

जग़हमे ख़िलाफ़ वर्ज़ी वासर्कार के वयान में ।

मलक उ मुअ-
जम के ख़िला-
फ़े में जंग
करना या उस
का इज्जाम
या उसमें इज्जाम
ना करना

दफ़ः १२१—जो कोई शख्स मलकःउ मुअज्जमःके मुकाविले में जंग करे या ऐसी जंग करने का इक़दाम करे या ऐसी जंग करने में इज्जामत करे तो शख्स मज़कूर को मौत या हक्स दवाम बउबूरे दर्याय शौर की सज़ा दी जायेगी और उसकी कुल जायदाद जव्त होगी ।

तमसीलें ।

(बाब ६-जरायमे खिलाफ वज्रां वा सर्कार के वयान में-दफ्तरात १२१ (अलिफ)-१२३।)

(वे) जैद जो मुमालिके हिन्द में है सर्कशों को हथियार भेजने से एक सर्कशी में इम्पानत करता है जो गवर्नमेन्ट मलकःइ मुअज्जमः वाक्रे सीलोन के मुक्ताविले में हुई हो तो जैद मलकःइ मुअज्जमः के मुक्ताविले में जङ्ग करने में इम्पानत का मुजरिम होगा ।

दफ्तरः १२१-(अलिफ)-जो शरूस् कि ब्रिटिश इन्डिया में या उस से बाहर वास्ते इतिहास किसी जुर्म के उन जराइम में से जो अजख्ये दफ्तरः १२१ काविले सजा हैं या ब्रिटिश इन्डिया खाह उसके किसी जुज से मलकःइ मुअज्जमः को हुक्मत से वेदखल करने के लिये साजिश करे या वजरीयःइ जत्र मुजरिमानः या नुमायशे जत्र मुजरिमानः के गवर्नमेन्ट हिन्द या किसी लोकल गवर्नमेन्ट की तरफ के लिये साजिश करे वह सजाय हब्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर का या किसी कम्तर मीआद का या सजाय कैद की दोनों अन्नसाम में से किसी किसम का जिसकी मुद्दत दस बरस तक हो सकती है--मुस्तौजिव होगा ।

साजिशे इतिहास काव उन जरायम की जो हब्स दफ्तरः १२१ काविले सजा हैं ।

तशरीह-वमूजिव दफ्तरःइ हाजा के साजिश करार दिये जाने के वास्ते यह जरूर नहीं है कि कोई फेल या तर्क खिलाफे कानून उसकी पैरवी में वकू में आये ।

दफ्तरः १२२-जो कोई शरूस् आदमी या हथियार या गोले चारुइ की किसम से कोई सामान फराहम करे या किसी और तरह से जङ्ग की तैयारी करे इस नीयत से कि मलकःइ मुअज्जमः के मुक्ताविले में जंगकरे या जंग करने पर तैयार रहे तो शरूसे मजकूर को हब्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर या दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दस बरस से जियादः न हो और उसकी कुल जायदाद जन्त होगी ।

मलकःइ मुअज्जमः के मुक्ताविले में जंग करने की नीयत से हथियार वगैरेः फराहम करना ।

दफ्तरः १२३-जो कोई शरूस् किसी फेल या तर्क खिलाफे कानून के जरीये से किसी तदवीर की मौजूदीयत को जो मलकःइ

जंग करने की तदवीर को उस के सहल

१ दफ्तर १२१ (अलिफ) मजमूअःइ क्वानीने ताजीराते हिन्द के तर्मीम करनेवाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुत्तर-इ सन १८७० ई०) की दफ्तर ४ के जरीये से दाखिल की गई है ।

इस मजमूअ इ क्वानीन के बाब ४ ओ ५ ओ २३ उन जुर्मोंसे मुत्तअहिक हैं जो अजख्ये दफ्तरः १२१ (अलिफ) के काविले सजा हैं-म्लाहज तरब ऐक्ट मजकूर-दफ्तर १३ ।

करने की
नीयत से
छुपाना ।

गवर्नर
जिनेरल या
गवर्नर वरि-
वर इस्तियारे
जायज के
निकाज़ पर
गजबूर करने
या उससे वाज़
रसन की
नीयत से
शुद्ध करना ।

(बाब ६—जरायमे ख़िलाफ़ वजीर के वयान में—दफ़्तात १२४—१२४ (अलिफ़)।
मुअज्जमः के मुकाबिले में जंग करने के लिये की गई है छुपाय इस
नियत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से या ऐसे छुपाने से
जंग का करना सहल होजाय तो शरूख़ मजकूर को दोनों किस्मों
में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद
दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़्तातः १२४—जो कोई शरूख़ गवर्नर जिनेरल वहादुरे हिन्द या
किसी प्रेजीडन्सी के गवर्नर या लिफ़्टनन्ट गवर्नर जिनेरल वहादुरे
हिन्द की कौन्सिल या किसी प्रेजीडन्सी की कौन्सिल के मिम्बर पर ।

इम्लः करे या मुज़ाहमते बेजा करे या मुज़ाहमते बेजा का
इक़दाम करे या किसी ज़ब्र मुजरिमानः के जरीये या ज़ब्र मुजरिमानः
की नुमायश से डराये या इस तरह डराने का इक़दाम करे इस
नियत से कि वह उस गवर्नर जिनेरल वहादुर या गवर्नर या लि-
फ़्टनन्ट गवर्नर या मिन्बरे कौन्सिल को मायल या मजबूर करे कि वह
गवर्नर जिनेरल वहादुर या गवर्नर या लिफ़्टनन्ट गवर्नर या मिन्बरे
कौन्सिल किसी तरह अपने इस्तियाराते जायज मे से किसी इस्ति-
यार को नाफ़िज़ करे या किसी तरह नाफ़िज़ करने से वाज़ रहे—

तो शरूख़ मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की
सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक हो सक्ती है और
वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़्तातः १२४—(अलिफ़)—जो कोई शरूख़ ऐसी बातों के जरीये मे
जो तल्फ़ुज मे अदा की जायें या लिखी जायें या इशारों के जरीये मे
या नक़श मरई के जरीये मे या और तरह मे जनाब मलकःइ मुअज्जमः

(नाम ६—जरायमे खिलाफ वज़ी वा सर्कार के वयान में—दफ़ः १२५ ।)

की निस्वत या उस हुकूमते सर्कारी की निस्वत जो ब्रिटिश इन्डिया में कानूनन् कायम हुई हो—नफरत दिलाये या तौहीन कराये या एनकी या उसकी निस्वत नफरत दिलाने या तौहीन कराने का इक़दाम करे या जनाव मुहतशिम अलैहा या हुकूमते मज़कूरः की निस्वत बदखाही पैदा करे या पैदा करनेका इक़दाम करे वह सज़ाय हव्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर का या किसी कमतर मीआद का जिसपर जुर्मानः भी मुस्तजाद हो सक्ता है या ऐसी कैद की सज़ा का जिसकी हद तीन बरस तक हो सकती है और जिसपर जुर्मानः भी मुस्तजाद होसक्ता है मुस्तौजिव होगा या उसको सिर्फ़ जुर्माने की सज़ा दी जायेगी ।

तशरीह १—लफ़्ज़ 'बदखाही' में वे वफाई और जुम्लः ख़यालात दुश्मनी के दाख़िल हैं ।

तशरीह २—जिन रायों से तदावीरे सर्कार की नापसन्दीदगी का इज़हार वई नजर किया जाय कि जायज़ ज़रीयःसे—तनफ़्फ़ुर या इहानत या बदखाही पैदा करने के विदून या तनफ़्फ़ुर या इहानत या बदखाही पैदा करने के इक़दाम करने के विदून—उनकी तब्दीली हासिल की जाय—उन से हस्व दफ़ः इ हाज़ा जुर्म कायम नहीं होता है ।

तशरीह ३—जिन रायों से सर्कार के फेल मुतअल्लिक़ नज़म औ नसूक या दीगर फेल की नापसन्दीदगी का इज़हार—तनफ़्फ़ुर या इहानत या बदखाही पैदा करने के विदून या तनफ़्फ़ुर या इहानत या बदखाही पैदा करने के इक़दाम करने के विदून—किया जाय—उनसे हस्व दफ़ः इ हाज़ा जुर्म कायम नहीं होता है ।

दफ़ः १२५—जो कोई शरूल्स एशियाई मुल्क के किसी वाली के मुक्ताविले में जो मलकः इ मुअज़्जमः से रावितः इ इत्तिहाद या लुलह रखता हो जंग करे या ऐसी जंग करने का इक़दाम करे या ऐसी जंग करने में इअनत करे तो शरूल्स मज़कूर को हव्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सज़ा दीजायगी और अत्लावः इसके जुर्मानः भी होसक्ता है या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती

किमी एशि-
याई मुल्क के
वाली के मुक्ता-
विले में जंग
करना जो
मलक इ मुअ-
ज़्जम. से
रावित इ

६२ मजदूरः इ क्वानीने ताजीराते हिन्दि । [ऐक्ट ४५]

(वाच ६-जरायमे फ़िल्डाफ वर्जी वा सर्कार के वधान में-दफ्त्रात १२६-१२८ ।)

इतिहाद
रखता हो ।

हैं और अलावः इसके जुर्मानः भी होसक्ता है या सिर्फ जुर्माने की सजा दीजायगी ।^१

उस वाली के
मुन्कमें बगारते-
गरी करना
जो मलकः इ
मुन्कजमः से
सुलिह रखता
हो ।

दफ़ः १२६-जो कोई शख्स किसी ऐसे मुल्क में गारतगरी का इतिकार करे या गारतगरी के इतिकार की तैयारी करे जिसवा वाली मलकः इ मुन्कजमः से रावितः इ इतिहाद या सुलिह रखता हो तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में किसी क्रिस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह शख्स जुर्माने का और उस माल ओ असबाव की जवती का भी मुस्तौजिव होगा जो उस गारतगरी के इतिकार के काममें आया हो या जिसका उसके काम में आना मन्सूद हो या जो उस गारतगरी के करीये से हासिल हुआ हो ।^१

ऐसे माल को
आनी
सहवाल में
रखता जो
जग या
गारतगरी
मजकूर इ
दफ्त्रात १२५
जो १२६ के
जुर्माने से
सुलिह किया
गया हो ।
सर्कारी
मुन्कजम
अधीन सुन्-
तनी या
अधीन
को १२७
सुन्कजम

दफ़ः १२७-जो कोई शख्स कोई माल ओ असबाव यह जानकर ले कि वह उन जुर्मों में से किसी जुर्म के इतिकार में हासिल किया गया है जो दफ्त्रात १२५ ओ १२६ में मजकूर हुये हैं तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्मकी कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह शख्स जुर्माने का और उस माल ओ असबाव की जवती का भी मुस्तौजिव होगा जिसको वह इस तरह अपने कब्जे में लाया है ।

दफ़ः १२८-कोई शख्स जो नकारी मुलाजिम है और जिसकी हिरासत में कोई असीरे मुल्तानी या असीरे जंग हो उम असीर को किसी जगह से जहां वह मद्यम है विल इरादः भाग जानेदे तो शख्स मजकूर को दफ्त्रात १२७ के दर्याय शोर या दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्मकी कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दफ्त्रात

सन १८६० ई०] मजदूरः इ कवानीने ताजीराते हिन्द । ६३

(बाब ६—जरायम खिलाफ वर्गी वा सर्कार के वयान में—दफ्तरात—१२९—१३०—और
बाब ७—जरायम मुतअल्लिके अफवाजे वर्गी ओ वहरी के वयान में—दफ्तर १३१।)

दफ्तर: १२६—कोई शरूस् जो सर्कारी मुलाजिम है और जिसकी हिरासत में कोई असीरे सुल्तानी या असीरे जंग हो गफलत से उस असीर को महदस से जहां वह महदूस है भाग जाने दे तो शरूस् मजकूर को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

सर्कारी मुलाजिम वैते असीर को गफलत से भागजाने दे।

दफ्तर: १३०—जो कोई शरूस् जान बूझ कर किसी असीरे सुल्तानी या असीरे जंग को हिरासते जायज से भाग जाने में मदद या तक्रवियत करे या किसी ऐसे असीर को छुड़ा ले जाय या छुड़ा लेजाने का इकदाम करे या ऐसे असीर को जो हिरासते जायज से भाग गया हो पनाह दे या छुपा रखे या किसी ऐसे असीर के फिर गिरफ्तार किये जाने में किसी तरह का तअरूज करे या तअरूज करने का इकदाम करे तो शरूस् मजकूर को हक्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

असीरे मजकूर के भाग जाने में मदद करना या उसको छुडाना या पनाह देना।

तशरीह—किसी असीरे सुल्तानी या असीरे जंग की निस्बत जिसको उसके जवानी वादे पर ब्रिटिश इन्डिया को हुदूदे मुअय्यन के अन्दर आमद ओ रफ्त की इजाजत हो उस सूरत में कहा जायगा कि वह हिरासते जायज से भाग गया जब कि वह उन हुदूद के बाहर जाय जिनके अन्दर उसको आमद ओ रफ्त की इजाजत है।

बाब ७।

जरायम मुतअल्लिके अफवाजे वर्गी ओ वहरी के वयान में।

दफ्तर: १३१—जो कोई शरूस् वगावत के इतिक़ाव में जो मलिकः इ मुम्ज्जमः की फौजे वर्गी या वहरी के किसी अफसर या सिपाही या खलासीये जहाजी की जानिव से हो इअनत करे या उस अफसर

वगावत में इजानत करना या किसी हिपाही या खलासीये जहाजी को

१ नीज मुलाजिमते वहरीये हिन्द—मुलाहज तलव मावाद की दफ्तर १३८ (अल्लिक)

(बाब७-जगयम मुनअधिके अफराजे वरीं ओ बहरी के बगम मे-दफअ.त १३४-१३७।)

मजदूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

अन्ते उहदे का काम अन्जम दे रहा हो— करे ।

दफ्तः १३४—जो कोई शरक्स किसी हस्ले में इअनत करे जो मलिकः इ मुअज्जमः की फौजे वरीं या बहरी का कोई अप्रसर या सिपाही या खलासीये जहाजी किसी अप्रसरे वाला दस्त पर करे उस हाल में कि वह अपने उहदे का काम अंजाम देरहा हो तो अगर उस इअनत के वाइस से उस हस्ले का इतिकाम हो तो शरक्स मजदूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

इअनते हम- लः इ मजदूर अगर हस्ले का इतिकाम हो ।

दफ्तः १३५—जो कोई शरक्स मलिकः इ मुअज्जमः की फौजे वरीं या बहरी के किसी अप्रसर या सिपाही या खलासीये जहाजी के नौकरी पर से भाग जाने में इअनत करे तो शरक्स मजदूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

किसी सिपाही या खलासीये जहाजी के नौकरी पर से भाग जाने में इअनत करना ।

दफ्तः १३६—सिवाय उस हालत के जो नीचे मुस्तसना की गई है जो कोई शरक्स यह जानकर या दावर करने की वजह रखकर कि मलिकः इ मुअज्जमः की फौजे वरीं या बहरी का कोई अप्रसर या सिपाही या खलासीये जहाजी नौकरी पर से भाग गया है उस अप्रसर या सिपाही या खलासीये जहाजी को पनाह दे तो शरसे मजदूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

किसी नौकर को पनाह देना ।

मुस्तसना—यह हुक्म उस हालत पर मुहीन नहीं है जबकि जौजः अपने शौहर को पनाह दे ।

दफ्तः १३७—उस सौदागरी मर्कये तरी का नाखुदा या मुह- तमिम जिस पर कोई ऐसा शरक्स छुपा हो जो मलिकः इ मुअज्जमः की फौजे वरीं या बहरी की नौकरी से भाग गया है जुर्माने की सजाः

किसी नौकर का किसी सौदागरी

(वाव ७ जरायम मुतअल्लिके अफवाजे वरीं ओ वहरी के वयान में—दफआत १३८-१४०।)

मर्कबे तरी में नाखुदा की शफलत से छुपा होना ।

मुस्तौजिव होगा जो पांच सौ रुपये से ज़ियादः न होगी उस छुपे होने का उस को इल्म न हो मगर शर्त यह है कि उस छुपे होनेका मालूम कर लेना उसके इस्कान में था अगर वह अपनी खिदमते मन्सर्वा में वहाँसियत नाखुदा या मुहतमिम के शफलत न करता या मर्कबे के इन्तिज़ाम में कुछ नुक़स न होता ।

उदूल हुक्मी में किसी सिपाही या खलासीये जहाजी की इम्नानत करना ।

दफ़ः १३८—जो कोई शख्स किसी फेल में इम्नानत करे जिस को वह मलिकःइ मुअज्जमः की फौजे वरीं या वहरी के किसी अप्रसर या सिपाही या खलासीये जहाजी की जानिव से उदूल हुक्मी जानता है तो अगर उस फेले उदूल हुक्मी का इतिकाव उस इम्नानत के वायस से वकू में आये तो शख्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सकती है या जुर्मने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ़आते मर्कू-मअे वाला का मुलाज़मते वहरीये हिन्द रे मुतअल्लिके होना ।

दफ़ः १३८—(अलिफ)—इस वावकी दफआते मर्कूमअे वाला इस तरह पर मुतअल्लिक होंगी कि गोया मलिकःइ मुअज्जमः की मुलाजिमते वहरीये हिन्द मलिकःइ ममदूहा की अफवाजे वहरी को शामिल है ।

अदाइम जो जंगी आईन के तावे है ।

दफ़ः १३९—जो कोई शख्स किसी जंगी आईन(आरटीकल्स आफ वार) के तावे हो जो मलिकःइ मुअज्जमः की अफवाज वरीं या वहरी या अफवाजे मज़कूर के किसी जुड़व के वास्ते मुक्करर है तो वह शख्स उन जुर्मों में से किसी जुर्म की पादाश में जिनकी तमरीक इस वाव में की गई है इस मजमूये की रसे सजा का मुस्तौजिव न होगा ।

तिव दिआत निशानपरफा या मिददि-अन जिआत निवे जिआत ।

दफ़ः १४०—जो कोई शख्स कि मलिकःइ मुअज्जमः की अफवाजे वरीं या वहरी का निगरी न ले कोई पेना निवास पहने या पेना निशान निये फिर जो उस निवास या निशान के मुशावटि हो जो वगैरे गिपादियो में मस्तअमन है इम नीयत से कि वह पैना निगरी

१३८ () १३८० () १३८० () १३८० () १३८० ()

सन १८६० ई०] मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द । ६७

(बाब ८—उन जुमों के बयानों जो आसूदगीये आम्मः इ ख़लायक़ के मुख़ालिफ़ह—दफ़ः १४१।)

समझा जाये तो शरूख़ मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सकती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक्कदार पांचसौ रुपये तक हो सकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

१

बाब ८ ।

उन जुमों के बयान में जो आसूदगीये आम्मः इ ख़लायक़ के मुख़ालिफ़ हैं ।

दफ़ः १४१—पांच या जियादः शरूख़ों का हर एक मजमअ मजमअेनाजा-
“मजमअे नाजायज़” कहलयेगा जबकि उन शरूख़ोंकी जिनसे वह यज़ ।
मजमअ मुरक़ब है गरजे मुश्तरक़ यह हो—

पहली—हिन्द की लेजिस्लेटिफ़ या इक्ज़ीक्यूटिफ़ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेज़ीडेन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़्टेनन्ट गवर्नर या किसी सर्कारी मुलाज़िम को उस सर्कारी मुलाज़िम के इरदियारे जा-यज़ के इस्तिअमाल में जबरे मुजरिमानः या जबरे मुजरिमानः की नुमायश से डरायें—या

१ उन जुमों के इत्तिला देने की फ़र्जियत के बारे में जिनकी सज़ा दफ़ः १४३—१४४—१४५—१४७ या १४८ में मुक़रर है मुलाहज़ः तलब मजमूअः इ जावित इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ः जात ४४ओ ४५ [ऐक्ट हाय आम्—जिन्द ६] ।
दरवारः तअल्लुक़ पिजीर होने दफ़ः १४१ निस्वते जरायम तहत क़वानीने मुख़तस्सल अमर या मुख़तम्सुल मक़ाम के—मुलाहज़ः तलब माक़बल की दफ़ः ४० ।

दरवारः सज़ा बपादाशे जुर्म तहत दफ़ः १४८ के जिसकी ज़िलाये सरहदी पंजाब या बिष्टिचिस्तान में बज़रियः कौन्सिले सर्दारान तहक़ीक़ात हो—मुलाहज़ः तलब पंजाब के सरहदी जरायमके रेगुलेशन सन १८८७ ई० (न. ४ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ़ः १४ [मज़-मूअः इ क़वानीने पंजाब मतवूअ इ सन १८८८ ई०—सफ़ह ३९६—जो मजमूअः इ क़वानीने बिष्टिचिस्तान मतवूअः इ सन १८६० ई० सफ़हः ५७] ।

दरवारः मुन्तशर करदेने मजामअे नाजायज़ ने—मुलाहज़ः तलब मजमूअः इ जावित इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरः इ सन १८९८ ई०) का बाब ९ [ऐक्ट हाय आम्—जिन्द ६] ।

(वाक्य ८—उन जुमो के बयान में जो आम्दगीये आम्प इ खयालक के मुवालिफ है—दफआत १४२—१४३ ।)

दूसरी—किसी कानून या तरीकः इ मुआयनः इ क़ानून की तामील में तन्नर्रज करे—या

तीसरी—किसी नुकसान रस्तानी या मुदाखिलते बेजा मुजरिमानः या किती और जुर्म का इतिक़ाव करे—या

चौथी—किसी शरूत्स पर जवरे मुजरिमानः या जवरे मुजरिमानः की नुमायश करने के जरिये से कोई माल लेले या उस पर क़ब्जः करले या किसी शरूत्स को किसी रास्ते की आमद औरफ्त या किसी पानी के काम में लाने के इस्तिहकाक या किसी और गैर मादी इस्तिहकाक के तमचुअ में जो शरूत्से मजकूर के क़ब्जे में हो या जिससे उसको तमचुअ हो महरूम करे या किसी इस्तिहकाक या क़िती इस्तिहकाके खियाली को काम में लाये—या

पांचवीं—जवरे मुजरिमानः या जवरे मुजरिमानः की नुमायश करने के जरिये से किसी शरूत्स को उस फेल के करने में जितका करना उस पर क़ानूनन् वाजिब न हो या एमे फेल के तर्क करने में जिसके करने का वह क़ानूनन् मुस्तहक हो—मजूर करे ।

तशरीह—मुमकिन है कि कोई मजमत्र जो जमा होने के वक़्त नाजायज़ न था बाद अजां मजममे नाजायज़ होजाये ।

कि मजमत्र
नाजायज़ का
इतिहास ।

दफ़ः १४२—जो कोई शरूत्स उन उम्र से वाक़िफ होकर निर के वायग से कोई मजमत्र मजममे नाजायज़ होजाता है क़रदन उस मजमत्र में दाखिल होजाये या दाखिल रहे तो कहा जायगा कि शरूत्स मजकूर मजममे नाजायज़ का शर्क है ।

१४३ ।

दफ़ः १४३—जो कोई शरूत्स मजमत्र नाजायज़ का शर्क हो उनमें दोनों हिस्सों में से किसी हिस्स की कैद की सजा दीजायेगी अथवा सजादद हो जायेगी तब होसकती है या सुर्गाने की सजा या दोनों सजाये दीजायेगी ।

(वार ८—उन जुर्मों के बयान में जो आम्दनीये आम्म इ खलायक के
मुस्त्रालिह हैं—दफः १४४—१४८ ।)

दफः १४४—जो कोई शख्स किसी सिलाहे मुहलिक या किसी
ऐसी शै से मुसल्लः होकर कि अगर उसको हरवे के तौरपर काम में
लायें तो उससे हलाकत का इहतिमाल है किसी मजमअे नाजायज
का शरीक हो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद
की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या
जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

सिलाहे मुह-
लिक से मुसल्लः
होकर किसी
मजमअे नाजा-
यज का शरीक
होना ।

दफः १४५—जो कोई शख्स किसी मजमअे नाजायज में
दाखिल होजाये या दाखिल रहे यह जानकर कि उस मजमअे ना-
जायज को तरीकःइ मुकररःइ कानून के मुताबिक मुतफर्रिक होनेका
हुक्म हो चुका है तो शख्से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी
किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक
हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

किसी मजमअे
नाजायज में
यह जान कर
कि उसको
मुतफर्रिक
होजाने का
हुक्म होचुका
है दाखिल
होना या
दाखिल रहना ।
बलवा करना ।

दफः १४६—जब कभी किसी मजमअे नाजायज या उसके
किसी शरीक की जानिव से मजमअे मजकूर की गरजे मुशतरक के
हासिल करने में जबर या सरती अमल में आये तो उस मजमअ
का हर एक शख्स बलवा करने के जुर्म का मुजरिम होगा ।

दफः १४७—जो कोई शख्स बलवा करने का मुजरिम हो
उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी
जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की
सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

बलवा करने
की सजा ।

दफः १४८—जो कोई शख्स सिलाहे मुहलिक या ऐसी शै से
मुसल्लः होकर कि अगर उसको हरवे के तौर पर काम में लायें तो
उससे हलाकत का इहतिमाल है बलवा करने का मुजरिम हो तो
शख्स मजकूर दो दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की
सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है या
जुर्माने की सजा या दोनों सजाये दीजायेंगी ।

सिलाहे
मुहलिक से
मुसल्ल होकर
बलवा करना ।

(वाव ८—उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्नःइ खलायक के मुज्रादिह
हैं दफ्त्रात १४९—१५१ ।)

मजमूअे
नाजायज का
हर एक
शरीक उस
जुर्म का
मुजरिम है
जिसका
इतिकाव
गरजे
मुशतरक के
हासिल करने
में हो ।

दफ्त्रः १४६—अगर मजमूअे नाजायज के किसी शरीक की जानिव से उस मजमूअ की गरजे मुशतरक हासिल करने में किसी जुर्म का इतिकाव हो या किसी ऐसे जुर्मका इतिकाव हो जिसको उस मजमूअ के शोरका जानते हों कि उस गरज के हासिल करने में उस के इतिकाव का इहतिमाल है तो हर एक शरूस् जो उस जुर्म के इतिकाव के वक़्त उस मजमूअ का शरीकहै जुर्म मजकूरका मुजरिमहै ।

किसी मजमूअे
नाजायज में
दाखिल होने
के लिये
अशदास को
उजरत पर
रखना या
उनके उजरत
पर रखे जाने
में मुसामहत
करना ।

दफ्त्रः १५०—जो कोई शरूस् किसी दूसरे शरूस् को उजरत पर रखे या उस से करारदाद ले या उससे काम ले या उस उजरत पर रखने या करारदाद लेने या काम लेने में मदद या मुसामहत करे इस गरज से कि वह दूसरा शरूस् किसी मजमूअे नाजायज में दाखिल या शरीक हो तो शरूस् अशदास उस मजमूअे नाजायज के शरीक की हैसियत से सजा का मुस्तौजिव है और किसी जुर्म की पादाश में जिसका इतिकाव उस उजरत पर रखने या करारदाद लेने या काम लेने के वाइस से वह दूसरा शरूस् उस मजमूअे नाजायज के शरीक के तौर पर करे तो शरूस् अशदास उसी तरह सजा का मुस्तौजिव होगा कि गोया वह उस मजमूअे नाजायज का एक शरीक था या उसने खुद उस जुर्म का इतिकाव किया ।

पांच या
जियाद
शरूस् के
मजमूअ में
बाद इनके
कि उनको
मुजरिम
होने का इम्न
होना हो
उस मजमूअ
के मुजरिम
होना ।

दफ्त्रः १५१—जो कोई शरूस् जान बूझ कर पांच या जियादः शरूस् के किसी ऐसे मजमूअ में जिन्मे अपने खलायक में खलल पढ़ने का इहतिमाल हो बश्रद इसके कि मजमूअे मजकूर को मुतफरिंक होने का बतारे जायज हुक्म होचुका हो दाखिल हो या दाखिल रहे तो शरूस् मजकूर को दोनों जिनमें से किसी जिनम की कद की सजा दी जायगी जिसकी भीमाद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

तशरीह—अगर वह मजमूअ इन्हे मन्शा दफ्त्रः १५१ के मजमूअे

(वाच ८—उन जुर्मों के बयान में जो आसूदगीये आम्मः इ खलायक के मुज्जालिफ हैं—दफ्तात १५२—१५३ (अलिफ) ।)

नाजायज हो तो मुजरिमे मजकूर दफः १४५ के मुताबिक सजा का मुस्तौजिब होगा ।

दफः १५२—जो कोई शख्स किसी सर्कारी मुलाजिम पर उस वक़्त हमलः करे या हमलः करने की धमकी दे या उसका मुजाहिम हो या मुजाहिम होने का इक़दाम करे जब कि मुलाजिमे मजकूर किसी मजमूअे नाजायज के मुतफर्रक करने या किसी बलवे या हंगामेके फरो करनेमें उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से अपनी खिदमते मन्सवी को अन्जाम दे रहा हो या ऐसे मुलाजिम पर जवरे मुजरिमानः करे या जवरे मुजरिमानः की धमकी दे या जवरे मुजरिमानः का इक़दाम करे तो शख्ससे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिस की मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफः १५३—जो कोई शख्स बराहे खवासत या बदी कोई अमर खिलाफे कानून करने से किसी शख्स की तबअ की इशितआल दे और उसकी यह नीयत हो या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में हो कि उस इशितआल के वायस से बलवा करने के जुर्म का इतिक़ाव दकू में आये तो शख्स मजकूर को दोना किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी और अगर बलवा करने के जुर्म का इतिक़ाव दकू में न आये तो दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफः १५३—(अलिफ)—जो कोई शख्स ऐसी बातों के जरिये

१ दफ १५३ (अलिफ) मजमूअ इ कवानिने ताजीराते हिन्द के तर्मां करनेवाले ऐक्ट सन् १८९८ ई० (न० ५ मुस्तर इ सन् १८९८ ई०) की दफ ५ के जरिये से इलहाक की गई [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] ।

मुलाहज़ा: तलब ख़ास कमेटी की रिपोर्ट गज़ट आफ इन्डिया मजमूअ इ सन् १८९८ ई० के हिस्सः ५ सफ़ह. १३ में ।

दरवारः इ इशितयार वास्ते ख़ुज़ूअ करने इस्तिगासों के तहत दफः इ हाज़ा मुलाहज़ा: तलब मजमूअः इ ज़ाबितः इ फ़ौजदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुस्तर इ सन् १८९८ ई०) की दफः १९६ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] ।

किसी सर्कारी मुलाजिम पर उस वक़्त हमलः करना या उसका मुजाहिम होना जब कि वह बलवे वगैरह को फरो कर रहा हो ।

बलवा करने की नीयत से बवदों इशितआले तबअ देना—अगर बलवे का इतिक़ाव हो

अगर बलवे का इतिक़ाव न हो ।

तबक़ाते रिआया के दर्भियान दुशमनी बढ़ानी ।

(बाब ८-उन जुर्मोंके बयानमें जो अस्तदगीये आत्मःइ ख़लायक के मुख़ालिफ़ है-दफ़ १ ।

से जो तलफ़फ़ुज से अदा कीजायें या लिखी जायें या इशारों ज़रिये से या तुक़ूशे मरीया के ज़रिये से-या और तरह से ज़रिये से मलिकःइ गुञ्जमः की रिआया की मुख़्तलिफ़ तवकात के दर्मियान दुश्मनी या नफ़रत के ख़ियालात बढ़ाये या बढ़ाने का इक़दाम करे उसको ऐसी कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी हद ढो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

तश्रीह-जिन उमूर से जनाव मलिकः मुख़ज्जमः की रिआया के मुख़्तलिफ़ तवकात के दर्मियान दुश्मनी या नफ़रत के ख़ियालात पैदा हो रहे हों या जिनका मैतान उन ख़ियालात के पैदा करने की तरफ़ पाया जाता हो उनका विद्वान बढ अन्देशी के और उनके दुश्मनी करदेने की सच्ची नियत से बतानेना हस्वे मन्शाये दफ़ःइ हाजा बमर जिलःइ जुर्म नहीं है ।

उम ज़मीन का मालिक या दख़ील जिस पर कै इ मजमूअे नाजायज़ रक्कत हो ।

दफ़ः १ ५ ४-जब कभी कोई मजमूअे नाजायज़ जमअ हो या वलवा बकू में आये तो उस जमीन का मालिक या दख़ील जहां व मजमूअे नाजायज़ जमा हुआ है या उस बलवे का इतिक़ाव हुआ है और भी वह शख़्स जो जमीने मजकूर में इस्तिहकाक रखता हो जमीने मजकूर में इस्तिहकाक का दावा रखता हो जुर्माने का मुस्तौजिव होगा जिसकी मिकद़ार एक हजार रुपयेसे ज़ियादा न हो ।

मगर शर्त यह है कि शख़से मजकूर या उस का एजन्ट या मुख़्तलिफ़ यह जान करकि जुर्म मजकूर का इतिक़ाव हो रहा है या हो चुका है या वावर करने की बजह से रख करकि जुर्म मजकूर के इतिक़ाव हो रहतिमात्त है उस अफ़सरे आला का जो क़रीबतर मक़ामे पुलिस में मजमूर हो इन अमर की इत्तिला हत्तल उमकान जल्द न करें-

और जब वह वावर करने की बजह रखता हो या रखते हों कि मुख़्तलिफ़ जुर्म मजकूर का इतिक़ाव होगा वह तमाप जायज़ बर्ताने जो उनके या उनके उमकान में हों जुर्म मजकूर की ग़ोत के लिये क़ानून में न लाये या न लायें और जुर्म मजकूर के वाकिफ़ा हो जाने के मालिक से इस मजमूअे नाजायज़ के मुख़्तलिफ़ करने या उमकान

(वाव ८—उन सुभों के बयान में जो आपदगीये आःमःइ फ़लायत के मुखालिक ह—
दफ़्त्रात १९५-१५६ ।)

के फ़रो करने में सब जायज वसीले जो उसके या उनके इमकान में हों—अमल में न लाये या न लायें ।

दफ़्त्रः १५५—जब कभी किसी बलवे का इतिकार किसी ऐसे शरूख के नफ़ा या खातिर के लिये किया जाय जो किसी ऐसी जमीन का मालिक या दखील हो जिसकी वावत वह बलवा हुआ या जो शरूख उस जमीन में या किसी अमरे माविहिल निजा में जो बलवे की बिना है इस्तिहकाक का दावा रखता हो या जिसने उस जमीन या उस अमर से कुछ नफ़ा कुबूल किया या हासिल किया हो—

उस मजमूअ का मुस्तौजिम सज़ा होना जिसके नफ़ा के लिये बलवे का इतिकार हुआ हो ।

तो शरूखे मजकूर जुर्माने का मुस्तौजिम होगा वशर्ते कि वह या उसका एजन्ट या मुन्सरिम यह वावर करने की वजह रखकर कि उस बलवे के इतिकार का इहतिमाल था या यह कि उस मजमूअे नाजायज के जमा होने का इहतिमाल था जिससे उस बलवे का इतिकार हुआ वह तमाम तदावीरे जायज जो उसके या उनके इमकान में हों उस मजमूअ के इज्तिमा के रोकने और उसके मुतफरिक् करने के लिये या उस बलवे के बकू के रोकने और उसके फ़रो करने के लिये काम में न लाये या न लायें ।

दफ़्त्रः १५६—जब कभी किसी बलवे का इतिकार किसी ऐसे शरूख के नफ़ा या खातिर के लिये किया जाय जो किसी ऐसी जमीन का मालिक या दखील हो जिसकी वावत वह बलवा हुआ या जो शरूख उस जमीन में या किसी अमरे माविहिल निजा में जो बलवे की बिना है किसी इस्तिहकाक का दावा रखता हो या जिसने उस जमीन या अमर से कुछ नफ़ा कुबूल किया या हासिल किया हो—

उस मालिक या दखील के एजन्ट का मुस्तौजिम सज़ा होना जिसके नफ़ा के लिये इतिकार बलवा हो ।

तो शरूखे मजकूर का एजन्ट या मुन्सरिम जुर्माने का मुस्तौजिम होगा वशर्ते कि वह एजन्ट या मुन्सरिम यह वावर करने की वजह रखकर कि उस बलवे के इतिकार का इहतिमाल था या उस मजमूअे नाजायज के जमा होने का इहतिमाल था जिससे उस बलवे का इतिकार हुआ वह तमाम तदावीरे जायज जो उसके इमकान में हों उस बलवे के

(२२२ - उन हकों के बगान में जो शरूकीये खामः खराब के मुझीक है -
दफ्तरात १५७—१५९ ।)

वह के लकने और उसके फ़रो करने के लिये या उस मजमूअ के इत्तिहाज के रोकने और उसके मुतफरिक् करने के लिये काम में लाने

२- लोको लो पिलो मजमूअे मजमूअ के अिदे उकरत पर रहे गये हो-इया रखना ।

दफ्तरः १५७—जो कोई शरूख लोगों को किसी घर या इलाक़े में जो उसके दखल या तहदील या इत्तिहार में हो-लुषा रखे या खाने दे या जमा करे यह जानकर कि वह लोग किसी मजमूअे नाजायज़े टारिख या शरीक होने के लिये उजरत पर रखे गये हैं या उनमें करारदाद या काम लिया गया है या अन्करीव वह उजरत पर रहे जायेंगे या उनसे करारदाद या काम लिया जायगा तो शरूखे मजमूअ को दोनों फ़िस्मों में से किसी फ़िस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद हः महीने तक हो सकती है या हुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

किसी मजमूअे नाजायज़ या अन्करीव के लिये उजरत पर रखा गया—

दफ्तरः १५८—जो कोई शरूख उन अफ़वाल में से जिनकी तसरीह दफ्तरः १४१ में हुई है किसी फ़ेल के इत्तिहाज के लिये या उसके इत्तिहाज में मदद करने के लिये करारदाद करना या उजरत पर रखा जाना हुकूल करे या करारदाद करने या उजरत पर रखे जाने को कहे या उसका इत्तदाम करे तो शरूखे मजमूअ को दोनों फ़िस्मों में से किसी फ़िस्म की कैद की सजा दी जायेंगी जिसकी मीआद हः महीने तक हो सकती है या हुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी-

बाब ८-उन जुर्मों के वयान में जो आसूदगीये आत्म इ खलायक़ के मुज्जालिक़ ई-
दफ़ः १६०—और बाब ९-उन जुर्मों के धयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों स
सरज़द हों या उनसे मुतअल्लिक़ हों—दफ़ः १६१)

दफ़ः १६०—जो कोई शरूस् हंगामे का मुतेक़िव हो उस शरूस् सज़ाय शर्ति-
को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी काने हंगाम ।
जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा
जिसकी मिक़दार एक सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी
जायेंगी ।

१
बाब ६ ।

उन जुर्मों के वयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से
सरज़द हों या उनसे मुतअल्लिक़ हों ।

दफ़ः १६१—जो कोई शरूस् कि सर्कारी मुलाज़िम है या सर्कारी मुला-
सर्कारी मुलाज़िमी का उम्मेदवार है कोई मन्सबी अमल करने या ज़िम जो
उससे वाज रहने के लिये या अपने लवाज़िमें मन्सबी के निफ़ाज में किसी अमले
किसी शरूस् की तरफ़दारी या उस शरूस् के खिलाफ़ पर होने या मन्सबी की
उससे वाज रहने के लिये या हिन्द की लोजिस्लेटिफ़ या इक्ज़िक्यू- वाकत अजर
टिफ़ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेजीडन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़्टिनेन्ट मुताविके
गवर्नर या सर्कारी मुलाज़िमी कौ हैसियत से किसी सर्कारी मुलाज़िम सिवा और
के ख़बरू किसी शरूस् के साथ भलाई या बुराई करने के लिये या माविहिल
उसका इक़दाम करने के लिये अजर मुताविके क़ानून के सिवा किसी इहतिज़ाज़
शरूस् से किसी तरह का कोई माविहिल इहतिज़ाज़ वजहे तहरीक ले ।
या हक्कुस्सई के तौर पर अपने वास्ते खाह किसी और शरूस् के वास्ते
कुबूल करे या हासिल करे या कुबूल करने पर राज़ी हो या हासिल
करने का इक़दाम करे तो शरूस् मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी
किस्म की कैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक
हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

तशरीहात—“सर्कारी मुलाज़िमी का उम्मेदवार होना” अजर
कोई शरूस् जिसको सर्कारी मुलाज़िमी की उम्मेद न हो धोखा देकर

^१ दरवार शरिफ़तदार वास्ते रजुअ करने इस्तिगतों के वाज़ सर्कारी मुलाज़िमों के नाम
पर मुलाहज़ तउब मजमूअःइ जाबितःइ फोजदारी सन् १८९८ ई० (एक्ट न युसदर.०
सा १८९८ ३०) की दफ़ १९७ [एक्ट्हाये आय—जिन्द ५] ।

(बाब ९ — उन जुर्मों के बयान में जो सरकारी मुलाजिमों से सम्बन्ध हैं या उनके
मुतअल्लिक हैं — दफ. १६१ ।)

धरौं को यह वावर कराये कि मैं सरकारी मुलाजिम होनेवाला हूँ और तब तुम्हारे काम आऊंगा और इस जरिये से कोई माविहिल इहतिजाज हासिल करे तो इस सूरत में शरूसे मजकूर दगा करने का मुजरिम होसक्ता है लेकिन उस जुर्म का मुजरिम न होगा जिसकी तारीफ इस दफः में की गई है ।

“माविहिल इहतिजाज” — “माविहिल इहतिजाज” के लफ्ज से न सिर्फ वह शै वाइसे इहतिजाज मुराद है जो जर से मुतअल्लिक हो या जिसकी कदर का तखमीना जर में होसके ।

“अजरे मुताविके कानून” — “अजरे मुताविके कानून” के लफ्ज से न सिर्फ वह अजर मुराद है जिसका कोई सरकारी मुलाजिम जवाज्ज् मुतालवा कर सके वलिक यह लफ्ज हर एक अजर पर मुहीत है जिसके कुवूल करने की उसको उस गवर्नमेन्टे^३ की जानिव से इजाजत है जिसका वह मुलाजिम है ।

“वजहे तहरीक या दकुस्सई कोई काम करने के लिये” — जो कोई शरूसे कोई काम करने के वास्ते जिसका करना उसकी नीयत में न हो “वजहे तहरीक के तौर पर या कोई काम करने के वास्ते जो उसने न किया हो दकुस्सई के तौर पर कोई माविहिल इहतिजाज कुवूल करे वह शरूसे इस इन्डरत के मिसदाक में दाखिल है ।

(वान ९—उन जुर्मों के बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से सरजद हों या उनसे मुतअज़र हों—दफः १६२ ।)

हज़कुस्सई के तौरपर साहूकारे मज़कूर की कोठी में कोई ओहदः अपने भाई के लिये हासिल करे तो जैद उस जुर्म का मुतक़िब होगा जिस की तारीफ़ इस दफ़्त में की गई है ।

(वे) जैद ने जो किसी वालिये मुतीये गवर्नमेन्ट के दरवार में रेजीडेन्ट का उहदः रखता है उस वाली के दीवान से एक लाख रुपयः कुबूल किया—यह तो ज़ाहिर नहीं होता कि जैद ने यह रुपयः वजहे तहरीक या हज़कुस्सई के तौर पर किसी खास मन्सवी कामके करने या उससे वाज़ रइने या ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के हुज़ूर में उस वाली की कोई खास मतलब बरारी करने या किसी खास मतलब बरारी में जिहिद करने के लिये कुबूल किया मगर यह ज़ाहिर होता है कि जैद ने यह रुपय वजहे तहरीक या हज़कुस्सई के तौरपर अपने लवाज़िमे मन्सवी के निफ़ाज़ में उस वाली की मुतलक़ तरफ़दारी करने के लिये कुबूल किया तो जैद उस जुर्म का मुतक़िब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़्त में की गई है ।

(जीम) जैद जो सर्कारी मुलाज़िम है बक़र को मुग़ालत देकर बावर कराये कि उस रनूक के सबब जो मुस्र को गवर्नमेन्ट में है तुज़को एक खिताब हासिल हुआ है और जैद इस तरह बक़र को तहरीक करे कि वह इस खिदमत के हज़कुस्सई के तौरपर जैद को रुपयः दे तो जैद उस जुर्म का मुतक़िब होगा जिसकी तअर्रीक़ इस दफ़्त में की गई है ।

दफ़्तः १६२—जो कोई शरूस् किसी सर्कारी मुलाज़िम को फ़ासिद या फ़ासिद या खिल्लाफे कानून वसीलों के ज़रीये से इस बात की तहरीक करने के लिये कि वह सर्कारी मुलाज़िमी कोई मन्सवी अमल करे या उस से वाज़ रहे या सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से अपने लवाज़िमे मन्सवी के निफ़ाज़ में किसी शरूस् की तरफ़दारी करे या उसके खिल्लाफ़ पर हो या हिन्द की लेजिस्लेटिफ़ या इक्ज़िक्यूटिफ़ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेज़ीडन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर [या इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के सिनिट के किसी मिम्बर] या सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से किसी सर्कारी मुलाज़िम के ख़ूब किसी शरूस् के साथ भलाई या बुराई करे या उसका इक़दाम करे—किसी शरूस् से किसी तरह का कोई माविहिल इहतिजाज वजहे तहरीक या हज़कुस्सई के तौरपर अपने वास्ते खाह किसी और शरूस् के वास्ते कुबूल करे या हासिल करे या कुबूल करने पर राजी हो या हासिल करने में जिहिद करे तो शरूस् मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी सज़ा दीजायेगी

फ़ासिद या खिल्लाफ कानून वसीलों से सर्कारी मुलाज़िम पर दवाब डालने के लिये माविहिल इहतिजाज लेना ।

^१ यह अलफ़ाज़ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के ऐक्ट सन १८८७ ई० (नः १८ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ़्त १८ (२) के ज़रीये से दाख़िल किये गये [मजमूज इ क़वानीने मुपालिके मगरबी ओ शिमाली ओ अयध मतअज़रः इ सन १८९२ ई०—सक्रह ६९६] ।

(वाव ९—उन जुर्मों के बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से सरज़द हों या उनसे मुतअद्विज़ हों—दरुअत १६३-१६४ ।)

जिस की मीआद तीन वरस तक हो सकती है या जुर्मने की सजा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

सर्कारी मुला-
ज़िम के साथ
रसूखे जाती
अमल में
लाने के लिये
माविहिल
इहतिजाज़
लेना ।

दफ़ः १६३—जो कोई शरूस् किसी सर्कारी मुलाज़िम को अपने जाती रसूख के अमल में लाने से इस बात की तहरीक करे के लिये कि वह सर्कारी मुलाज़िम कोई मन्सवी अमल करे या उसने वाज़ रहे या सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से अपने लवाज़िमे मन्सवी के निफाज़ में किसी शरूस् की तरफदारी करे या उसके खिलाफ पर हो या हिन्द की लेजिस्लैटिव या इक्ज़िक्यूटिव गवर्नमेन्ट या किसी प्रेज़िडेन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर^१ [या इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के सिनिट के किसी मिम्बर] या सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से किसी सर्कारी मुलाज़िम के रूवरु किसी शरूस्के साथ भलाई या बुराई करे या उसका इक़दाम करे किसी शरूस् से किसी तरहका माविहिल इहतिजाज़ वजह तहरीक या हक़ूसई के तौर पर अपने वास्ते खाह किसी और शरूस् के वास्ते क़बूल करे या हासिल करे या क़बूल करने पर राजी हो या हासिल करने में जिह्द करे तो शरूस्से मजकूर को क़ैद महज़ की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सजा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

तममील ।

(भाग ९-उन जुर्मों के बयान में जो सरकारी मुलाजिमों से सरजद हों या उन से मुतअल्लुक हों—दफ. १६५ ।)

है किसी जुर्म के इतिकार की बिना है और वह उस जुर्म में इन्जा-
म करे तो शरखसे मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की
सजा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है
जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

जिम उन
जरायम में
करे जिन की
तारीक दफ.
१६२ या १६३
में की गई है ।

तमसील ।

जैद सरकारी मुलाजिम है और हिन्दू जो जैद की जौनः है जैद से किसी खास शरख को
ई उहदः देने की दरखास्त करने के लिये वजह तहरीर के तौर पर कोई तुहफ ले और
ऐसा करने में हिन्दू को इआनत करे तो हिन्दू सजाय कैद की मुस्तौजिब है जिसकी
आद एक बरस से जियाद न हो या जुर्मने की या दोनों की और जैद सजाय कैद का
तौजिब है जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्मने का या दोनों का ।

दफः १६५—कोई शरख जो सरकारी मुलाजिम है किसी ऐसे
शरख से जिसको उसकी इल्म में किसी ऐसे मुकदमे या मुआभिले से
अल्लुक था या तअल्लुक है या तअल्लुक रखने का इहतिमाल है
जिसको उस सरकारी मुलाजिम ने अन्जाम दिया या जिसको वह अन्-
जाम देने वाला है या जो उस सरकारी मुलाजिम या किसी और सरकारी
मुलाजिम के लवाजिमे मन्सबी से इलाकः रखता है जिसका वह ताबे है ।

सरकारी मुला
जिम किसी
शरख से जो
किसी मुकदमे
या मुआभिले
से तअल्लुक
रखता हो
जिसको उस
सरकारी मुला-
जिम ने अन्-
जाम दिया—
कोई क्रीमती
शै बिछा बदल
हासिल करे ।

या किसी ऐसे शरखसे जिसको वह सरकारी मुलाजिम जानता है
के वह उस शरखसे जिसको तअल्लुक मजकूर है कुछ वास्तः या रिशतः
रखता है—कोई क्रीमती शै बगैर देने बदल के या ऐसे बदल पर जिसको
वह सरकारी मुलाजिम गैर मुकतफी जानता हो अपने वास्ते या किसी
दूसरे शरख के वास्ते कुबूल करे या हासिल करे या कुबूल करने पर
राजी हो या हासिल करने की जिहद करे—

तो शरख मजकूर को कैद महज की सजा दी जायगी जिसकी
मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें
दी जायेंगी ।

तमसीलें ।

(अल्लुक) जैद जो कलक्टर है बकर का एक घर किराये पर ले जिसका कोई मुकदमेः
बन्दोबस्त जैद के यहा दायर है और यह शर्त ठहरे कि जैद पचास बरस माहवारी दिया
करेगा इत्यादि कि वह घर इस हैमियत का है कि अगर नेक नीयती से मुआभिला निया

(वाच ९—उन जुर्मों के बयान में जो सरकारी मुलाजिमों से सरजद हों या उन से मुतअल्लिक हों—दफ्तात १६६—१६७ ।)

जाता तो जैद को दो सौ नया माहवारी देने पड़ने तो जैद ने विला देने पूरे बदल के रूप से एक क्रीमती शै हासिल की ।

(वे) जैद जो जज है एक शकस मस्लम बकर से जिसका मुकदमः जैद के मद्दे में दाइर है गवर्नमेन्ट के ग्रामीसरी नोट बट्टेपर खरीदे जब कि बाज़ार में उन नोटों पर फिरत मिलता हो तां जैद ने बकर से विला देने पूरे बदल के एक क्रीमती शै हासिल की ।

(जीम) बकर का भार गिरफ्तार होकर जैद के रूपरु जो मगिस्ट्रेट है इजाजत दार हलफों की इरलत में लाया जाय और जैद बकर के हाथ किसी बक के हिस्से फिरते पर बदे जब कि बाज़ार में उन हिस्सों पर बट्टा लगता हो और बकर उस हिसाब से उन हिस्सों में क्रीमत जैद को देदे तो रुपय. जो जैद ने इस तरह हासिल किया एक क्रीमती शै है जो जैद ने विला देने पूरे बदल के हासिल की ।

सरकारी मुला-
जिम जो किसी
शकस को
नुकसान पहुंचाने की
नीयत से
कानून से
इन्हिराफ
करे ।

दफ्तरः १६६—कोई शकस जो सरकारी मुलाजिम है कानून की किसी हिदायत से जो उस तरीके से मुतअल्लिक हो जिसमें उसको सरकारी मुलाजिमों की हैसियत से चलना चाहिये जान बूझकर इन्हिराफ करे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस इन्हिराफ से किसी शकस को नुकसान पहुंचाये तो उसको कैद यहज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

नयाजील ।

खन १८६०ई० ।] मजमूअःइ कवानीने ताजीराते हिन्द । ८१

(नाव ९-उन जुमों के बयान में जो सर्कारी मुलाजिमो से सरजद हों या उन से मुतअहिक हों-दफ्तराद १६८-१७१ ।)

में से किसी किसमकी कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन वरसतक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

दफ्तरः १६८-कोई शख्स जो सर्कारी मुलाजिम है और जिस सर्कारी मुलाजिम जो पर उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से तिजारत से सरोकार न नाजायज़ तौर पर रखना कानूनन वाजिव है तिजारत से सरोकार रखे तो शख्स मजकूर तौर पर को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक तिजारत से होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी । सरोकार रखे ।

दफ्तरः १६९-कोई शख्स जो सर्कारी मुलाजिम है और जिसपर सर्कारी घुला-उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी खास मालको खरीद न जिम जो करना या उसके लिये बोली न बोलना कानूनन वाजिव है उस माल को नाजायज़ तौर पर कोई अपने नाम से या किसी दूसरे शख्स के नाम से बिल इशितराक खाह माल खरीदे औरों के साथ वित्तखसीस हिसस् खरीदे या उसके लिये बोली बोले या उसके तो शख्स मजकूर को कैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो लिये बोली वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी बोले । और माले मजकूर अगर खरीदा गया हो तो जब्त किया जायेगा ।

दफ्तरः १७०-जो कोई शख्स सर्कारी मुलाजिम के तौर पर किसी सर्कारी मुला-खास उहदे पर मन्सूब होने का इद्दिआ करे यह जान कर कि वह उस जिम वनना ४ उहदे पर मन्सूब नहीं है या झूठ मूठ कोई ऐसा शख्स बने जो उस उहदे पर मन्सूब है और उस वजये इद्दिआई की हालत में उहदःइ मजकूर के एतिवार से कोई फेल करे या किसी फेल का इक़दाम करे तो शख्स मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तरः १७१-कोई शख्स जो सर्कारी मुलाजिमों के किसी खास करेव की तवके में दाखिल न हो कोई ऐसा लिवास पहने या कोई ऐसा निशान नीयत से वह लिये फिरे जो उस लिवास या निशान के मुशाविह हो जो सर्कारी पहना या वह मुलाजिमों के उस तवके में मुस्तअमल है इस नीयत से या इस अमरके निशान लिये फिरना ।

(बाब १०—सर्कारी मुलाजिमों के इख्तियाराते जायज़ की तहकीर के बयान में—दफ़ः १७१)

जिमकों
सर्कारी मुला-
जिम इन्ति
अमाल करता
हो ।

इहतिमाल के इल्म से कि वह शरूस् सर्कारी मुलाजिमों के उस तद्वे
में दाखिल समझा जाय तो शरूस् मज़कूर को दोनों क्रिस्मों में से
किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने
तक हो सकती है या जुर्माने की सजा जिस की मिकदार दो सौ रुपये
तक हो सकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

१

बाब १० ।

सर्कारी मुलाजिमों के इख्तियाराते जायज़ की
तहकीर के बयान में ।

समन या और
इत्तिलानामे
का अपने पास
रहूचना
दा- देने के
लिये रूपोश
हो जाना ।

दफ़ः १७२—जो कोई शरूस् इस लिये रूपोश होजाय कि
किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम के जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे
या हुक्म का उस तक पहुंचना टल जाय जो उस सर्कारी मुलाजिम की
हैसियत से उस समन या इत्तिलानामे या हुक्म के जारी करने का
कानूनन् मुजाज़ है तो उस शरूस् को कैद महज की सजा दी जायेगी
जिसकी मीआद एक महीने तक हो सकती है या जुर्माने की सजा जिसकी
मिकदार पांच सौ रुपये तक हो सकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी—
या अगर वह समन या इत्तिलानामे या हुक्म इस मजमून से सादिर
हुआ हो कि कोई शरूस् किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें खुद हाज़िर हो या
अपने एजिन्ट को हाज़िर करे या वहां कोई दस्तावेज पेश करे तो उस शरूस्

सन १८६०ई०।] मजमूअःइ कवानीने ताजीराते हिन्द । ८३

(बाब १०-सर्कारी मुलाजिमों के इस्तिनयाराते जायज़ की तहकीर के बयान में-
दफ़्तात-१७३-१७४।)

को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ़्तातः १७३-जो कोई शख्स किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम के समन या और जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे या हुक्म के अपने या औरके इत्तिला नामे पास पहुंचने को किसी तरह कसदन् रोके जो उस सर्कारी के अपने या मुलाजिमी की हैसियत से उस समन या इत्तिला नामे या हुक्म के और के पास जारी करने का कानूनन् मुजाज़ है- तक पहुंचने को या उसके

या कसदन् उस समन या इत्तिला नामे या हुक्म के किसी जगह मुस्तहर किये जवाजन् चस्पां किये जाने को रोके- जाने को

या किसी ऐसे समन या इत्तिला नामे या हुक्म को किसी जगह से जहां वह जवाजन् चस्पां किया गया है कसदन् उखाड़े- रोकना ।

या किसी ऐसे इश्तिहार के इजराय जायज़ को कसदन् रोके जो किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम के हुक्म के मुताबिक हो जो उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से उस इश्तिहार के जारी कराने का कानूनन् मुजाज़ है-

तो उस शख्स को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी-

या अगर वह समन या इत्तिलानामः या हुक्म या इश्तिहार इस मजमून से सादिर हुआ हो कि कोई शख्स किसी कोर्ट आफ जस्टिस में खुद हाजिर हो या अपने एजिन्ट को हाजिर करे या वहां कोई दस्तावेज पेश करे तो शख्स मजकूर को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ़्तातः १७४-कोई शख्स जिसको किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम हाजिर होने के जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे या हुक्म या इश्तिहार की को जो सर्कारी

(बाब १०-सर्कारी मुलाज़िमों के इन्विटयाराते जायज़ की तद्दीर के वक़्त में-दफ़् १७५ ।)

उन् ज़िम के हुक्म की तामील में हो तर्क करना ।

तामील में जो उस सर्कारी मुलाज़िमी की हैसियत से उस समन या इत्तिला नामे या हुक्म या इश्तिहार के जारी करने का कानूनन् गुज़ाज है किसी खास मुक़ाम औ खास वक्त् पर खुद हाज़िर होना या अपने एजन्ट को हाज़िर करना कानूनन् वाजिव हो और वह शख्स-

उस मौक़ा या वक्त् पर हाज़िर होना कसूदन तर्क करे या उस मुक़ाम से जहां उसको हाज़िर रहना वाजिव है उस वक्त् से पहले चला जाय जब कि उसका वहां से चला जाना जायज है-

तो उस शख्स को कैद महज़ की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसकती है या जुर्मानेकी सज़ा जिसकी मिक़दार पाच सौ रुपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी-

या अगर वह समन या इत्तिला नामः या हुक्म या इश्तिहार इन मज़मून से सादिर हुआ हो कि कोई शख्स किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस में खुद हाज़िर हो या अपने एजन्ट को हाज़िर करे तो कैद महज़ की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

(बाब १०-सर्कारी मुलाजिमोंके इच्छियाराते जगज की तहकीरके बयानमें-दफ १७६)

तो शरूख मजदूर को कैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मी- तर्क करे
आद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्मानेकी सजा जिसकी मिकदार जिसपर उरा
पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी— का पेश करना
कानूनन् वाजिव है ।

या अगर वह दस्तावेज किसी कोर्ट आफ जस्टिस में पेश किये जाने या हवाले किये जाने को हो तो कैद महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्मानेकी सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी—

तमसील ।

जैद जिसको किसी जिला कोर्ट के हुजूर में किसी दस्तावेज का पेश करना कानूनन् वाजिव है दस्तावेज मजदूर का पेश करना कस्टन् तर्क करे तो जैद उस जुर्म का मुर्तिकव होगा जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है ।

दफः १७६—^१कोई शरूख जिसपर किसी सर्कारी मुलाजिमको वह शरूख
उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी अमर की निश्चत सर्कारी मुला-
कोई इत्तिला देनी या खबर करनी कानूनन् वाजिव है उस वकत इत्तिला या
और उस तौर पर जो कानून की रू से मुअय्यन है वह इत्तिला खबर देनी
देनी या खबर करनी कस्टन् तर्क करे तो उस शरूख को कैद महज तर्क करे
की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है जिसपर
या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार पांच सौ रुपये तक होसक्ती इत्तिला या
है या दोनों सजायें दी जायेंगी— खबर देनी
कानूनन् वाजिव है ।

या अगर वह इत्तिला या खबर जिसके देने का हुक्म है किसी जुर्म के इत्तिकाव से मुतअल्लिक हो या किसी जुर्म के इत्तिकावकी रोक के लिये या किसी मुजरिम के गिरफ्तार करनेके लिये जरूर हो तो उस शरूख को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

^१ मुलाहजः तलव माकल्ल के सक.८२ का फुट नोट ।

^२ लफज "जुर्म" और "मुजरिम" केमाने के लिये मुलाहज तलव मावाद की दफ १७७ की तराई ।

(बाब १०-तर्कारी मुलाजिमों के इत्तियार ते जायज़ की तहज़ीबे कयाने-इफः १३३)

एडी खबर
देना ।

इफः १७७-कोई शख्स जिसपर किसी सरकारी मुलाजिम, उसकी सरकारी मुलाजिमी की हैसियतसे किसी खमरकी निरदत खबर देनी कानून बाजिब हो उस खमर की निरदत ऐसी रास्तदत खबर दे जिसको वह झूठी जानता हो या जिसके झूठी खबर देने की बजह रखता हो तो शख्स मजकूर को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीयाद छः महीने तक होसकती है या दुर्गाने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों सजाये दी जायेगी--

या खगर वह खबर जिसका देना उस शख्स पर कानून बाजिब है किसी जुर्मके इत्तिकावसे मुतजल्लिक हो या किसी जुर्मके इत्तिकाव की रोकके लिये या किसी मुजरिमके गिरिफ्तार करने के लिये हुआ हो तो शख्स मजकूर को दोनों खिस्मों में से किसी खिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिमकी मीयाद दो बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजाये दी जायेगी या ।

सन १८६० ई० ।] मजमूच्चः इ क़वातीने ताजीराते हिन्द । ८७

(वाच १०-सर्कारी मुलाज़िमों के इस्तिथारते जायज़ की तहकीर के बयान में-
दफ़्तात १७८-१७९ ।)

तशरीह—दफ़ः १७६—और इस दफ़ः में लफज़ “जुर्म” में
हर एक ऐसा फेल दाखिल है जिसका इतिहास किसी मुक़ाम खारिजे
ब्रिटिश इन्डियामें हुआ हो और जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर
होनेकी तहदीर में दफ़्ताते मर्कूमज्जैल याने दफ़्तात ३०२ ओ ३०४
ओ ३०२ ओ ३१२ ओ ३१३ ओ ३१४ ओ ३१५ ओ ३१६ ओ ३१७
ओ ३१८ ओ ३१९ ओ ४०२ ओ ४३५ ओ ४३६ ओ ४४९ ओ ४५०
ओ ४५७ ओ ४५८ ओ ४५९ ओ ४६० में से किसी दफ़ः की खसे
लायके सजा होता—और लफज़ “मुजरिम” में हर एक शख्स दाखिल
है जिसकी निस्वत किसी वैसे फेल का मुजरिम होना जाहिर किया
गया है ।

दफ़ः १७८—जो कोई शख्स सच सच बयान करने के लिये हलफ़ उठाने
हलफ़ उठाने [या इकरार सालिह करने] से उस हालमें इन्कार करे या इकरारे
जब कि कोई ऐसा सर्कारी मुलाज़िम उसको उस अमरका हुकमदे जो सालिह करने
उस अमर के लिये हुकम देने का कानूनन् मुजाज है तो उस शख्स से इन्कार
को कैद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक करना जब
होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपयेतक कोई सर्कारी
होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी । मुलाज़िम उस
का बाज़ावितः
हुकम दे ।

दफ़ः १७९—कोई शख्स जिसपर किसी अमर की निस्वत सर्कारी मुला-
किसी सर्कारी मुलाज़िमसे सच सच बयान करना कानूनन् वाजिब जिम को जो
हो कि किसी ऐसे सवालके जवाब देने से इन्कार करे जो वह सर्कारी सवाल करने
मुलाज़िम उस सर्कारी मुलाज़िमी के इस्तिथारते कानूनी के निफ़ाजमें का इस्तिथार
उस अमर की निस्वत उससे पूछे तो उस शख्स को कैद महज की रखता है
सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक जवाब देने से
जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपयेतक होसक्ती है इन्कार
या दोनों सजायें दीजायेंगी । करना ।

१ यह तशरीह हिन्दके फौजदाी आर्देनके तर्मांम करनेवाले ऐक्ट सन् १८९४ ई० (नम्बर ३
मुसदर इ सन १८९४ ई०) की दफ़ः १ के ज़रीयेसे इल्ह क वागई [ऐक्ट हायज़ाम-जिल्द ६]

२ यह अलफ़ाज़ ऐक्ट मुतअह्लिके हलफ़ मजरीय इ हिन्द सन् १८७३ ई० (नम्बर १० मुसदरः
इ सन् १८७३ ई०) की दफ़ः १५ के ज़रीय से दाखिल कियेगये [ऐक्ट हायज़ाम-जिल्द ३]

(बाब १०—सर्कारी मुलाजिमों के इख्तियारते जायज़की तहकीरके बयान में—दफ्तरात १८०—१८२ ।)

बयान पर
दस्तखत करने
से इन्कार
करना ।

दफ्तर: १८०—जो कोई शख्स अपने किसी बयानपर जो कतब
वन्द हुआहो उस हालमें दस्तखत करने से इन्कारकरे जब कि कोई
सर्कारी मुलाजिम जो उस शख्स को उस बयान पर दस्तखत करने
के लिये हुक्म देने का कानूनन् मुजाज़ है उस को उस बयान पर
दस्तखत करने का हुक्म दे तो शख्स मजकूर को कैद महज की मर
दी जायेगी जिसकी मीजाद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्माने
की सज़ा जिसकी मिकदार पांचसौ रुपये तक होसकती है या दोनों
सज़ायें दीजायेंगी ।

सर्कारी मुला-
जिम या उस
शख्स से जो
हलफ या
इकरारे
सालिह लेने
का इख्तियार
रखता है व
हलफ व
इकरारे
सालिह गूठ
नकल परमा ।

दफ्तर: १८१—कोई शख्स जिसका हलफ^१ [या इकरारे सालिह]
की रूसे किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम या किसी ऐसे दूसरे शख्स
के रूख जिसको कानूनन् ऐमे हलफ [या इकरारे सालिह] लेने
का इख्तियार है किसी अमर में सच सच बयान करना कानूनन्
वाजिवहो उस सर्कारी मुलाजिम या उस दूसरे शख्स ने जिसका
उपर जिक्र हुआहै उस अमर की निस्वत कुछ बयानकरे जो भूठाने
और जिसको वह भूठा जानता या भूठा बावर करताहो या जिनके
वह सच्चा बावर न करता हो तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से
किसी किस्मकी कैदकी सज़ा दीजायेगी जिनकी मीजाद तीन महीने
तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुरतोजिव होगा ।

दफ्तर: १८२—जो कोई शख्स किसी सर्कारी मुलाजिमको कैद
ऐसी राब दे जिनको वह भूठी जानता या भूठी बावर करता है
और उसकी यह नीयत हो या इन अमर का इत्तिमाल उसको
में हो कि उनके जरीये से उस सर्कारी मुलाजिम से—

(बाब १०—सर्कारी मुलाजिमों के इख्तियारे जायज भोतःइओरके बयागेम—दफ्तः१८३)

(अलिफ) कोई ऐसा अमर कराय या तर्क कराय जिस का करना या तर्क करना उस सर्कारी मुलाजिम को न चाहिये था अगर उन वाकिआतका सच्चा हाल जिनकी निरवत वह खबर दी गई है उसको मानूम होता—या

(बे) उस की सर्कारी मुलाजिमी का इख्तियारे जायज किसी शरूस् को नुकसान या रंज पहुंचाने के लिये नाफिज कराय—

तो शरूस् मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किरमकी कैद ही सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसकी है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसती है या दोनों सजायें दीजायें गी ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद किसी मजिस्ट्रेट को यह खबर दे कि बकर जो एक उहद दारे पुलीस है और उस मजिस्ट्रेट का मातहत है अपने काम में गफ़लत या बदचलनीता मुजरिम हुआ है यह जानकर कि वह खबर झूठी है और यह जानकर कि उस खबर के सबब से इहतिमाल है कि वह मजिस्ट्रेट बकर को मौकूफ कर देगा तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीक इस दफ्तः में की गई है ।

(बे) जैद किसी सर्कारी मुलाजिम को यह झूठी खबर दे कि बकरके पास एकमखर की जगह में नमके नमनू मौजूद है यह जानकर कि वह खबर झूठी है और यह जानकर कि उस खबर के सबब से बकर की खानः तलाशी होने का इहतिमाल है जिससे बकरको रज पहुंचेगा तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीक इस दफ्तः में की गई है ।

(जीम) जैद किसी अहले पुलीस को यह झूठी खबर दे कि फुला गावके दुर्ब ओ जवार में मुझपर हस्ला हुआ है और मैं लूटागया हू मगर जैद उसपर हंग करनेवालों में से किसी एक का भी नाम नहीं बताता है मगर यह जानता है कि इसका इहतिमाल है कि इन खबर के सबब से पुलीस उस गावमें तहकीकातकरेगा और तलाशी लेगा जिससे गाववालोंको या उनमें से बाइको रज पहुंचे गा तो जैद इस दफ्तः की रू से मुर्तकिब जुर्म हुआ ।

दफ्तः १८३—जो कोई शरूस् किसी माल के लिये जाने में जो किसी सर्कारी मुलाजिमके इख्तियारे जायज की रू से लिया जाता हो किसी माल के लिये जाने में जो तरह का तअरिज करे यह जानकर या चाकर करने की बजद रस कर सर्कारी मुला-

(भाग १०—सर्कारी मुलाजिमों के इस्तिथाराने जायजकी तहकीर के बयान में—
दफ्तारात १८४—१८६ ।)

जिमके इस्तिथार जायजकी रु से लिया जाता है तब नज करना । कि वह है । ही सर्कारी मुलाजिम है तो शख्स मजमूर को दोनों किस्मों से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीमादः मीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिमकी मिकदार एक हजार रु से तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

माउ के नालाम में जो नर्कारी मुलाजिमके इस्तिथार की रु से नालाम पर चढ़ाया गया हो कस्टन् मुजादमत पर चढ़ाया गया हो—मुजादमत होना । दफ्तः १८४—जो कोई शख्स किसी माल के नीलाप में जो वहैसियते मुलाजिमी किसी सर्कारी मुलाजिम के इस्तिथार जायजकी रु से नालाम पर चढ़ाया गया हो कस्टन् मुजादमत पर चढ़ाया गया हो तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीमाद एक गहीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिमकी मिकदार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तः १८५—जो कोई शख्स किसी माल के नीलापमें जाई सियते मुलाजिमी किसी सर्कारी मुलाजिम के इस्तिथार जायजकी रु से होता हो किसी शख्स के लिये—ज्याम इससे कि खुद ही तो कोई थौर—इंईमाल करीबे या उसके लिये बोली बोले यह जान कि उस शख्स को उस नीलापमें माले मजमूरका करीदना कानून ममनू है या उम माल पर बोली बोले थौर उन शरायद के अदा करने की नीयत न रखता हो जो उम बोली बोले से उस पर जायद होगी तो शख्स मजमूरको दोनों किस्मोंमें से किसी किस्मकी कैद की सजा दी जायेगी जिमकी मीमाद एक गहीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिमकी मिकदार दो सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

(बाब १०—सर्कारी मुलाजिमों के इन्तियागते जायज़ की तहज़ार के बयान
में—दफ़्वात १८७—१८८ ।)

दफ़्ता: १ १ ८७—जो कोई शख्स जिस पर किसी सर्कारी मुला- सर्कारी मुला-
जिम को उसके लवाजिमे मन्सवी की अंजामदिही में मदद देनी जिम के मदद
या पहुँचानी क़ानूनन् वाजिब हो क़सदन् ऐसी मदद देनी तर्क देने को तर्क
तो उसको कैद महज़ की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक करना जब कि
महीने तक होसकती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार दोसौ क़ानून की रू
रुपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी— से मदद देना
वाजिब हो ।

और अगर वह मदद उस शख्स से किसी ऐसे सर्कारी मुलाजि-
मने मांगी हो जो क़ानूनन् गुजाज है ऐसी मदद तलब करने का वास्ते
तामील किसी हुक़मनामे के जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसने जवाज़न्
जारी किया हो या किसी जुर्म के इतिक़ाव के रोकने या किसी बलबे
या हंगामे के फ़रो करने के लिये या किसी ऐसे शख्स के गिरफ़्तार
करने के लिये जिसपर किसी जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो या जो
किसी जुर्म का या हिरासते जायज़ से भाग जाने का मुजरिम हुआ
हो तो शख्स मजकूर को कैद महज़ की सजा दी जायेगी जिसकी
मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्माने की सजा जिसकी मि-
क़दार पांचसौ रुपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्ता: १ १ ८८—जो कोई शख्स यह जान कर कि उसको हुक़म सर्कारी मुला-
के जरीये लें जो किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम ने मशहूर कराया हो जिम के
जो क़ानून की रू से ऐसे हुक़म के मशहूर कराने का मुजाज है किसी वाज़ावितः
खास फेल से बाज रहने या किसी खास माल की निस्वत जो उसके मशहूर कराये
कब्जे या इहतिमाम में है कोई खास बन्दोबस्त करने की हिदायत हुये हुक़म से
हुई है और वह शख्स उस हिदायत से इन्हिराफ़ करे— इन्हिराफ़ ।

तो अगर वह इन्हिराफ़ उन लोगों को जो किसी कारेजायज़ में
मसरूफ़ हैं मुजाहमत या रंज या नुक़सान या मुजाहमत या रंज या
नुक़सान का खतरः पहुँचाय या पहुँचाने की तरफ़ मुन्ज़र हो तो
उस शख्स को कैद महज़ की सजा दीजायेगी जो एक महीने तक
होसकती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार दोसौ रुपये तक
होसकती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी—

(भाव १०-सर्कारी मुलाजिमों के इन्डिराते जायज़ की तहकीर के बयान में-दफः १८१)

और अगर वह इन्डिराफ इन्सान की जान या आफियत या सलामती को खतरः पहुंचाय या पहुंचाने की तरफ मुन्जर हो या कोई बलबः या हंगामः करण करे या बरजा करने की तरफ मुन्जर हो तो उस शख्त को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सकती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

तशरीह—यह जरूर नहीं है कि गजन्द पहुंचाना मुजरिम की नीयत में हो या उस अमर का इहतिमाल उसके जिन में हो कि उसके इन्डिराफ से गजन्द पैदा होगा बल्कि इतना ही काफी है कि वह उस हुक्म को जानता हो जिसे वह इन्डिराफ करता है और यह कि उसका इन्डिराफ गजन्द पैदा करता है या उससे गजन्द पैदा होने का इहतिमाल है ।

(बाब १०-सर्कारी मुलाजिमो के इस्तिगारते जायज़की तडकीर के वयानमें दफ़ १९० और बाब ११-झूठी गवाही और जरायम मुखालिफे मआदलते आमः के वयानमें-द० १९१)

दफ़ः १६०- जो कोई किसी शख्स को इस गरज से नुक़सान किसी शख्स पहुंचानेकी धम्की दे कि वह किसी नुक़सान से मुहाफ़िजत कियेजाने को सर्कारी के लिये किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिमके हुनूरमें हस्व क़ानून दर्खास्त मुलाजिम से करने से बाज़रहे या दस्तक़शहो जो उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसि- दर्खास्त मुहा- क्रिज़त करने यत से ऐसी मुहाफ़िजत करने या कराने का क़ानूनन् मुजाजहो तो उस से बाज़रहने शख्स को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्मकी कैदकी सजा दीजायेगी की तहरीफ़ जिसकी भीआद एक वरस तक होसकती है या जुर्माने की सजा या करने के लिये दोनों सजायें दीजायेंगी । नुक़सान की धम्की देना ।

१

बाब ११ ।

झूठी गवाही और जरायम मुखालिफे मआदलते आमः के वयानमें।

दफ़ः १६१- कोई शख्स जिसपर क़ानूनन् हल्फ़की रूसे या झूठी गवाही क़ानूनके किसी खास हुक्मसे सच सच वयान करना या क़ानूनकी रूसे देना ।

^१ दरवार-तश्कलुक पिज़ौर होने दफ़आत १९४ ओ १९५ ओ २०१ लगायत २०३ ओ २११ लगायत २१४ ओ २१६ ओ २२१ लगायत २२५ निस्वते जरायम तहते क़वानीने धुन्नस्सुख अमर या मुन्नस्सुख मुक़ामके-मुलाहज़. तलब माकवल की दफ़. ४० ।

दरवार इ इस्तिगार वास्ते रुजू करने इस्तिगारों के तहते दफ़आत १९३ लगायत १९६ या दफ़ १९९ या २०० या २०५ लगायत २११ या २२८-मुलाहज़. तलब मजमूअ इ ज़ावित इ फ़ौजदारों सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरः इ सन् १८९८ ई०) की दफ़ १९५ जिम्न (व) [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६] ।

दरवारः इ ज़ावित इ कार्रवाई उन जुर्मों की सूत में जो दफ़ १९३ या १९६ या १९९ या २०० या २०५ लगायत २१० में मज़कूरहैं-मुलाहज़ तलब मजमूअ इ ज़ावित इ दीवानी की दफ़ ६४३ [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ४] और उस जुर्मकी सूतमें जो दफ़ २२८ में मज़कूर है-मुलाहज़ तलब मजमूअः इ ज़ावित इ फ़ौजदारों सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर-रः इ सन् १८९८ ई०) की दफ़आत ४८० ओ ४८१ ओ ४८२-और प्रेज़ीडेन्सी शहरों की सदादलतहाय मुतालिवाते ख़क़ीक़ः के ऐक्ट सन् १८८२ ई० (नम्बर १५ मुसदर इ सन् १८८२ ई०) का बाब १२ [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ४] ।

दरवारः इ सज़ाय ताज़ियानः व पात श उन जुर्मों के जो हस्व दफ़ १९३ क़ाविले सज़ा हे जिनकी ताज़ीफ़ दफ़ १०२ या १०५ या १०१ म क़ाविले है-मुलाहज़ तलब ऐक्ट सज़ाय

(क.व ११-ठूठी गवाही और जरायम मुज्जालिके मादलते श्यामःके वयान में-दफ १११)

किसी अमर की निस्वत कुछ इकरार करना वाजिव हो कोई ऐसा वयानकरे जो भूठाहो और जिसको वह भूठा जानता रहा भूठा वायस करताहो या जिसको वह सच्चा वावर न करता हो तो कहा जायगा कि उसने भूठी गवाही दी ।

तशरीह १—कोई वयान आम इससे कि वह जवान से किया जाय या किसी और तरह इस दफः की मुराद में दाखिल है ।

तशरीह २—कोई भूठा वयान जो तसदीक करनेवाला शख्स अपनी दानिस्त की निस्वतकरे इस दफा की मुरादमें दाखिल है और जैसे कि कोई शख्स यह वयान करने से कि मैं फलानी बात जानताहूं जिसको वह न जानताहो भूठी गवाही देनेका मुजरिम है वैसेही वह शख्स भी भूठी गवाही देनेका मुजरिम होसकताहै जो वयान करे कि मैं फलानी बातको वावर करताहूं जिसको वह वावर न करताहो ।

(बाब ११-श्री गवाही और जरायम मुत्ताजिके मादलत आम्मः के बयान में-दरु १९२)

(जीम) जैद जो बकर की खत की शान पहचानता है यह बयान करे कि मैं वाब करता हूँ कि फुला दस्तखत बकर के हाथ के लिखे हुये हैं और नेकनीयती से ऐसाही नाघर करता हूँ तो इस खत में जैद का बयान सिर्फ अपनी दानिस्त की निस्वत है और वह उसकी दानिस्त की निस्वत सच्चा है और इस लिये जैद ने श्री गवाही नहीं दी गो वह दस्तखत बकरके हाथ के लिखे न हों ।

(दाल) जैद जिसपर एक हलफ की रूसे सच सच बयान करना वाजिब है यह बयान करे कि मैं जानता हूँ कि बकर फुला दिन फुला जगह मौजूद था हालाकि वह इस अमरकी निस्वत कुछ न जानताहो तो जैदने श्री गवाही दी जाम इससे कि बकर उस रोज उस जगह मौजूद था या नहीं ।

(हे) जैद तर्जुमान या मुतरविजम है जिसपर हलफ की रूसे वाजिब है कि किसी बयान या दस्तावेज का जवानी या तहरीरी सच्चा तर्जुम करे और वह जवानी या तहरीरी सच्चे तर्जुमे के तौरपर उसका ऐसा जवानी या तहरीरी शूठा तर्जुमः करे या उसकी तसदीक करे जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना वावर न करता हो तो जैद ने श्री गवाही दी ।

दफ्तः १६२—जो कोई शख्स कोई खुरत पैदाकरे या किसी श्री गवाही किताब या किसी कागजे सरिश्तः में कोई भूठी तहरीर बनाय या ^{बनाना।} कोई दस्तावेज जिस में कोई भूठा बयान मुन्दर्जहो बनाय इस नीयत से कि वह खुरत या भूठी तहरीर या भूठा बयान अदालत की किसी कार्रवाई में या किसी कार्रवाई में जो कानून की रूसे किसी सर्कारी मुत्ताजिम के खरू उस की सर्कारी मुत्ताजिमी की हौसियत से या किसी सालिस के खरू होरही हो वजह सबूत में पेश होसके और इस नीयत से कि वह खुरत या भूठी तहरीर या भूठा बयान जो इसी तरह वजह सबूत में पेश होसके किसी ऐसे शख्स को जो उस कार्रवाई में वजह सबूत की निस्वत राय लगायेगा किसी अमर की निस्वत जो उस कार्रवाई के नतीजे के लिये अहम है गलत राय वहम पहुंचाने का वाइस होसके तो कहा जायेगा कि उस शख्स ने “भूठी गवाही बनाई” ।

तमसीलें ।

(अलिक) जैद किसी सन्दूक में जो बकर का है इस नीयत से कुछ जेवर रखदे कि वह जेवर उस सन्दूक से बरामद हो और यह खुरत बकर को सकें का मुजरिम साबित कराय तो जैदने श्री गवाही बनाई ।

(वाक ११-श्रुती गवाही और जरायम मुझालिके मादलते अ.म. के बयान में-दफ़ः १९३)

(वे) जैद अपनी दूकान के वही तांत में डम गरज से कोई श्रुती तहरीर बनाय कि वह उमको किसी कोर्ट आफ जस्टिस में बमदज़लः इ सुवृते मुवय्यद काम में लाय तो जैदे श्रुती गवाही बनाई ।

(जाम) जैद इस नीयत से कि बकरको मगवरः ड मुजरिमानः का मुजरिम साबि कराय डम तरह एक चिट्ठी लिखे कि उममें बकर के खत से अपना खत भिलादे और वः चिट्ठी उस मशवरः ड मुजरिमानः के किसी शरीक के नाम लिखी हुई जानी जाय और उस चिट्ठी को ऐसी जगह रखे जहां वह जानता हो कि न लिखने पुत्रीसके उद्द दार तलाश कर लेंगे तो जैदेने श्रुती गवाही बनाई ।

श्रुती गवाही की सज़ा ।

दफ़ः १६३—जो कोई शरूक्स अदालत की कार्रवाई की किसी हालत में कस्टन् भ्रूठी गवाही दे या इस गरज से भ्रूठी गवाही बनाय कि वह अदालत की किसी कार्रवाई की किसी हालत में काम में लाई जाय तो उस शरूक्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

और जो कोई शरूक्स कस्टन् किसी और हाल में भ्रूठी गवाही दे या बनाय तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का मुस्तौजिब होगा ।

तशरीह १—जो कोई मुकदमः किसी कोर्ट मार्शल * * * * के हुज़ूर में दर पेशहो उसकी तहकीक़ात और तजवीज़ अदालत की एक कार्रवाई है ।

तशरीह २—किसी कोर्ट आफ जस्टिस के हुज़ूर की कार्रवाई से पहले जिस तफतीश की निस्वत कानून की रुले हिदायतहो वह तफतीश अदालत की कार्रवाई की एक हालत है गो वह तफतीश किसी कोर्ट आफ जस्टिस के हुज़ूर में दाक़े न हो ।

^१ अल्लाना "या किनी मिर्लीटगी वंटे आफ रेकविन्ट" जवनियों के ऐक्ट सन् १८८० ई० (नम्बर १३ मुसदरः ड सन् १=८९ ई०) के जरीये मन्वज़ जियेगे [ऐक्ट हायग्राम-जिन्ड^५]

^२ "अदालत की कार्रवाई" की तारीफ के लिये मुलाहज़ तयब मजमूतः ड जाविद ३ फौ जवारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५, मुसदरः ड सन् १८९८ ई०) की दफ़ः ४ जिन्ग (मिंज) [ऐक्ट ६ य अम-जिन्ड ३] ।

(बाब ११-घुठी गवाही और जरायम मुखालिके मादलते आम्मः के नयान में-दक्र १९४ ।)

तमसील ।

ज़ैद किसी तहकीकात में जो किसी मजिस्ट्रेट के रू वरू इस अमर की तन्कीह करने को गरज़ से हो रही हो कि आया बज़र तजवीज़े मुक़दम के लिये सिशन में सपुर्दे किया जाय या नहीं हलक़ से कुछ बयान करे जिसको वह पूठा जानता हो तो चूकि यह तहकीकात अदालत की कार्रवाई की एक हालत है इस लिये ज़ैदने घुठी गवाही दी ।

तशरीह ३-कोई तफतीश जिसके लिये क़ानून के मुताबिक़ किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस की जानिव से हिदायत हो और जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुक़म के मुताबिक़ अमल में आये अदालत की कार्रवाई की एक हालत है गो वह तफतीश किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुज़ूर में बाक़े न हो ।

तमसील ।

ज़ैद एक तहकीकात में किसी अहलकार के रूवरू जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस की तरफ़ से बर सरे ज़मीन किसी अराज़ी की हुदूद को दर्याफ़्त करने के लिये मुअय्यन हुआ हो हलक़ की रू से कुछ बयान करे जिसको वह पूठा जानता हो तो चूकि यह तहकीकात अदालत की कार्रवाई की एक हालत है तो ज़ैदने घुठी गवाही दी ।

दक्रः १६४-जो कोई शख्स भूठी गवाही दे या बनाये इस उर्म क़ाबिले सज़ाय मौत के साबित कराने की नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस भूठी गवाही के बाइस किसी शख्सको ऐसे जुर्मका मुजरिम साबित कराये जिसकी पादाश में [क़ानून ब्रिटिश इन्डिया या इंगलिस्तान की रू से] स-नीयत से घुठी ज़ाय मौत मुकर्रर है तो शख्स मजकूर को हक्स दवाम वउबूरे दर्याय गवाही देना शोर या क़ैद सरख्त की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दस बरस या बनाना ।) तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा-

और अगर कोई वै गुनाह शख्स उस भूठी गवाही के सबब मुजरिम साबित होजाय और सज़ाय मौत पाजाय तो उस शख्स को जि-अगर बेग़ाह शख्स उसके सबब से सजा जो इस दक्रः में पहले मजकूर हुई है । मुजरिम साबित होजाय और सज़ाय मौत पाजाय ।

^१ यह अलफ़ाज़ बजाय अलफ़ाज़ " वज़रीये इस मजमूअ के" हिन्द की रेलवयों के ऐक्ट सन् १८९० ई० (नम्बर ९ मुक़दरःइ सन् १८९० ई०) की दक्रः १४९ के ज़रीये से क़ायम कियेगये [ऐक्ट हाय अम-गिन्द ५] ।

(वाव ११-शुठी गवाही और जरायम मुज्जाळिक्रे मादळते आन्मः के वयान में-
दफ्तात १९५-१९७ ।)

जुर्म झाविल
सजाय ह्वस
दववूरे दर्याय
शोर या क़ैद
के सावित
काराने की
नीयत से शुठी
गवाही देना
या बनाना ।

दफ्ताः १९५-जो कोई शरूत्स भूठी गवाही दे या बनाये इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस भूठी गवाही के वाइस किसी शरूत्स को ऐसे जुर्मका मुजरिम सावित कराये जिसकी पादाश में [कानून ब्रिटिश इन्डिया या इंगलिस्तान की रू से] सजाय मौत तो मुकर्रर नहीं है मगर ह्वस दवाम वउवूरे दर्याय शोर या क़ैद जिसकी मीअ्याद सात वरस या जियादः है मुकर्रर है तो शरूत्स मजकूर को वह सजा दी जायेगी जिसका मुस्तौजिव वह शरूत्स है जो उस जुर्म का मुजरिम सावित होजाय ।

तमसील ।

जैद किसी कोर्टे आफ्र जस्टिस के हुजूर में इस नीयत से शुठी गवाही दे कि उसके जुरीम से वकर को डकैती का मुजरिम सावित कराये तो चूकि डकैती के लिये ह्वस दवाम वउवूरे दर्याय शोर या क़ैद सज्जत की सजा मुकर्रर है जिसकी मीअ्याद दन वरस तक हो सक्ती है मअ्र जुर्मानः वा बिछा जुर्मानः इस लिये जैद उस ह्वस दवाम वउवूरे दर्याय शोर या उत क़ैद सख्त का मअ्र जुर्मानः वा बिछा जुर्मानः मुस्तौजिव है ।

शुठ जानी हुई
वजह सुवूत को
काममें लाना ।

दफ्ताः १९६-जो कोई शरूत्स फ़ासिद तौर से किसी वजह सुवूत को जिसे वह जानता है कि भूठी या बनाई हुई है सच्ची या असली वजह सुवूत की हैसियत से काम में लाये या काम में लाने का इकदाम करे तो उसको उसी तरह सजा दी जायेगी कि गोण उसने भूठी गवाही दी या बनाई ।

शुठा सर्टी-
फ़िकट जारी
करना या उस
पर दस्तखत
करना ।

दफ्ताः १९७-जो कोई शरूत्स कोई ऐसा सर्टीफ़िकट जारीकरे या उसपर दस्तखत करे जिसका दिया जाना या जिसपर दस्तखत किया जाना कानून की रू से जुखर है या जो किसी ऐसे उमूरे वाकई से मुतअल्लिक हो जिसकी वजह सुवूत के तौर पर वह सर्टीफ़िकट कानून ले लिये जाने के लायक है और यह जानकर या वावर करने की वजह रखकर कि उस सर्टीफ़िकट में कोई अमर अहम भूठ लिखा

१ यह अलफ़ाज़ वजाय अलफ़ाज़ " वजरीये इत मजमूअ इके" हिन्द की रेलवयों के ऐक्ट सन् १८९० ई० (नम्बर ९ मुसदाःइ सन् १८९० ई०) की दफ्ता १८९ के जुरीये से क़ादम कियेगये [ऐक्ट हायअग-जिन्द ५] ।

(बाब ११—छूठी गवाही और जरायम मुज्वालिक़े मादक़ते आम्म के बयान में—
दफ़्तात १९८—२०१ ।)

है तो उस शख़्स को उसी तरह सज़ा दीजायेगी कि गोया उसने भूठी गवाही दी ।

दफ़्ता: १६८—जो कोई शख़्स फ़ासिद तौर से किसी ऐसे सर्टीफ़िकेट को सच्चे सर्टीफ़िकेटकी हैसियत से काम में लाये या काममें लाने का इक़दाम करे यह जानकर कि उस सर्टीफ़िकेट में कोई अमर अहम भूठ लिखा है तो उस को उसी तरह सज़ा दीजायेगी कि गोया उसने भूठी गवाही दी ।

किसी सर्टीफ़िकेटको जो झूठ जानाहुआ है सच्चेकी हैसियत से काम में लाना ।

दफ़्ता: १६९—जो कोई शख़्स किसी इजहार में जो उसने दिया या जिसपर उसने दस्तख़त किये हों और जिस इजहार को किसी अमर वकूई की वजह सुबूत के तौर पर ले लेना किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस या किसी सर्कारी मुलाजिम या किसी और शख़्स पर क़ानूनन् वाजिव या उसके लिये क़ानूनन् जायज हो उस मतलब के किसी अमर अहमकी निस्वत जिसके लिये वह इजहार दिया गया या काम में लाया गयाहै कुछ बयान करे जो भूठा हो और जिसका भूठा होना या तो वह जानता या बावर करता हो या जिसका सच्चा होना वह बावर न करता होतो उस शख़्स को उसी तरह सज़ा दीजायेगी गोया कि उसने भूठी गवाही दी ।

इजहार में जो क़ानून की रू से वजह सुबूत के तौर पर लिये जाने के लायक है झूठ बयान करना ।

दफ़्ता: २००—जो कोई शख़्स फ़ासिद तौर से किसी ऐसे इजहार को सच्चे इजहार की हैसियत से काम में लाये या काम में लानेका इक़दाम करे यह जानकर कि उसमें कोई अमर अहम भूठा है तो उसको उसी तरह सज़ा दीजायेगी कि गोया उसने भूठी गवाही दी ।

झूठ जाने हुये किसी ऐसे इजहारको सच्चे की हैसियत से काम में लाना ।

तशरीह—हर एक ऐसा इजहार जो सिर्फ़ किसी बेज़ावन्तिगी की वजह से ले लिये जाने के क़ाबिल नहो दफ़्तात १६९ और २०० की गुराद में दाखिल है ।

दफ़्ता: २०१—जो कोई शख़्स यह जान कर या इस अमर के बावर करने की वजह रख कर कि किसी जुर्म का इतिहास हुआ उस जुर्म के इतिहास की किसी वजह सुबूत को इस नीयत से गायब करादे

मुजरिम को बचाने के लिये जुर्म की वजह सुबूतको गायब करा देना या

१ "इजहार" के माने के लिये मुलाहज़ तलब दफ़्ता: २०० की तशरीह ।

२ "जुर्म" के माने के लिये मुलाहज़ तलब मावाद की दफ़्ता: २०३ की तशरीह ।

(बाब ११- झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़े मादलते आन्मः के बयानमें-दफ़ः २०१)

झूठ खबर
देना-

कि मुजरिम को सज़ाय जायज़ से बचाये या इसी नीयत से उस जुर्म की निस्वत कुछ खबर दे जिसका झूठा होना वह जानता या बाबर करता हो—

अगर मुस्तौजिब तो अगर उस जुर्म की पादाश में जिसको वह जानता या बाबर तज़ाय मौत हो करता है कि उसका इतिफ़ाव हुआ सज़ाय मौत मुकर्रर है तो उस शरूब को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसकती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिब होगा—=

अगर मुस्तौजिब
हब्स बउबूरे
दर्याय शोरहे

और अगर उस जुर्मकी पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी कैद की सज़ा मुकर्रर है जिसकी मीआद दस बरस तक हो सकती है तो उस शरूब को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसकती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिब होगा—

अगर मुस्तौजिब
कैद कम अज़दइ
सात हो ।

और अगर उस जुर्मकी पादाश में ऐसी कैद की सज़ा मुकर्रर है जिसकी मीआद दस बरस से कम हो तो उस शरूब को उस क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है और जिसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसकती है जो जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है या जुर्मने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

तमसील ।

ज़ैद यह जानकर कि बक्र ने खालिदको मार डाला है लाश दफनने में इत नीयत ते बक्र की मदद करे कि बक्र को सज़ा से बचाये तो जैद सात बरस के लिये दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद का मुस्तौजिब है और जुर्मने का भी मुस्तौजिब है ।

जुर्म की खबर
देने को वह
शरूब जत्दन
तर्क करे

दफ़ः २०२—जो कोई शरूब यह जान कर या इस अमर के बाबर करने की वजह रखकर कि किसी जुर्म का इतिफ़ाव हुआ कस्टदर उस जुर्म की निस्वत कोई ऐसी खबर देनी तर्क करे जिसका देना क़ादून

सन १८६० ई० ।] मजमूयः इ कवानीने ताजीराते हिन्द । १०१

(वाव ११—पूठी गवाही और जगयम मुतालिके मादलते अम्म के वयान में—
दफआत २०३--२०४ ।)

उस पर वाजिव है तो उस शख्स को दोनों किसमों में से किसी किसम जिसपर
की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है खबर देना
या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी । वाजिव है ।

दफः २०३—जो कोई शख्स यह जान कर या इस अमर के वावर इतिकार
करने की वजह रखकर कि किसी जुर्म का इतिकार हुआ है उस जुर्म किये हुये
की निस्वत कोई खबर दे जिसका भूठा होना वह जानता या वावर किसी जुर्म
करता हो तो उस शख्स को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की निस्वत
की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या घूठ खबर
जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी । देना ।

तशरीह—दफआत २०१ और २०२ में और इस दफः में
तलफज 'जुर्म' में हर एक फेल दाखिल है जिसका इतिकार किसी
मुकाम त्वारिजे ब्रिटिश इन्डिया में हुआ हो और जो ब्रिटिश इन्डियाके
अन्दर सादिर होने की तक्दीर में दफआते मर्कुमुज्जैल याने दफआत
३०२ ओ ३०४ ओ ३८२ ओ ३९२ ओ ३९३ ओ ३९४ ओ ३९५
ओ ३९६ ओ ३९७ ओ ३९८ ओ ३९९ ओ ४०२ ओ ४३५ ओ
४३९ ओ ४४६ ओ ४५० ओ ४५७ ओ ४५८ ओ ४५९ ओ ४६०
में से किसी दफः की रूसे लायके सजा होता ।

दफः २०४—जो कोई शख्स किसी ऐसी दस्तावेज को छुपाये वजह सुवूत
या तलफ कर डाले जिसको वह किसी कोर्ट आफ जस्टिस के हुजूर के तौर पर
में या किसी कार्रवाई में जो कानून के मुताबिक किसी सर्कारी मुला- किसी दस्ता-
जिम के रूबरू उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से हो रही वेज का पेश
हो सुवूत के तौर पर पेश करने के लिये कानून मजबूर होसके या किये जाना
उस तमाम दस्तावेज या उसके किसी जुज को मिटा डाले या ऐसा रोक देने के
करदे कि पढ़ी न जाय इस नीयत से कि उस कोर्ट या उस सर्कारी लिये उसे
मुलाजिमे मजकूरस्तदर के हुजूर में उस दस्तावेज का वजह सुवूत के ज्ञाये करना ।
तौर पर पेश होना या काम में आना रोक दे या वाद इस के कि उस

१ यह तशरीह हिन्द क फौजदारी आर्डिन के तरमिम करने वाले ऐक्ट सन् १८९४ ई०
(नम्बर ३ मुमदरः इ सन् १८९४ ई०) की दफः ६ के जरिये से इल्हाक की गई ।

(वाक ११—झूठी गवाही और जरायम मुज्जालिफ़े मादलते आन्म. के वयान में—
दफ़्तात २०६—२०७ ।)

को वज़रजे मज़कूर उस दस्तावेज़ के पेश करने के लिये क़ानून के
रू से हुक्म या हिदायत हो चुकी हो अफ़त्राले मज़कूर; में से किसी
फ़ैल का मुर्तक़िव हो तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी
क़िस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक
होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मुक़दमे या
इस्तिग़ासे में
किसी अमर
या अमल
दरामद् की
शरज़म झूठ
मूठ कोई और
शख्स बनना ।

दफ़्ता: २०५—जो कोई शख्स झूठ झूठ कोई और शख्स बनना
उस वज़ये इद्देआई की हालत में कोई इकरार या वयान करे या कोई
इक़वाल दावा दाखिल करे या कोई हुक्मनामः जारी कराये या
हाज़िर ज़ामिन या माल ज़ामिन होजाय या दीवानी के किसी
मुक़दमे या फौजदारी के किसी इस्तिग़ासे में कोई और अमर को
तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की
सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या
जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

ज़ब्ती के तौर
पर या डिगरी
की तामील
में किसी माल
का कुर्क
किया जाना
रोकने के लिये
उसे फ़ेव
से दूरकरना
या छुपाना ।

दफ़्ता: २०६—जो कोई शख्स फरेव से किसी माल को या
किसी इस्तिहकाक को जो उस माल में हो इस नीयत से दूर करे या
छुपाये या किसी के नाम पर मुन्तकिल कर दे या किसी शख्स के
हवाले कर दे कि हुक्म के मुताबिक़ जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस
या किसी और हाकिमे मुजाज की जानिव से सादिर हुआ हो या
जिसको वह शख्स जानता है कि उसके सादिर होने का इहतिमाल
है वह माल या इस्तिहकाक जो उस माल में है जब्ती या एवजे जु
र्मानः में या उस डिगरी या हुक्म की तामील में जो दीवानी के
किसी मुक़दमे में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसने जारी की हो या जिस
को वह शख्स जानता हो कि उसका जारी होने का इहतिमाल है
लिया न जाय तो उस शख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म
की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होस
क्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

ज़ब्ती के
तौरपर या
डिगरी की
तामिल में

दफ़्ता: २०७—जो कोई शख्स किसी माल को या किसी इस्तिह
काक को जो उस माल में हो फरेव से छुड़ल करे या अपनी तहवील
में ले या उसका दावा करे यह जान कर कि उस माल या इस्तिह

दावा ११—जूठी गयाही और जराइम मुन्नालिके मादकने आम्नःके वगान में दफ २०८।)
 काक में उसका कुछ हक या वाजिबी दावा नहीं है या किसी माल किमी मालका
 या उस इस्तिहकाकके किसी हक की निस्वत जो उस मालमें है कोई कुर्क किया
 गुगालतः दिही चमल में लाये इस नीयत से कि उसके सबब से वह जाना रोकने
 माल या इस्तिहकाक जो उस माल में है ऐसे हुक्म के मुताबिक जो के लिये फरेव
 किसी कोर्ट आफ जस्टिस या किसी और हाकिमे मुजाज की जानिव कालू से उस
 के सादिर हुआ हो या जिसको वह शरूख जानता हो कि उसके का दावा
 सादिर होने का इहतिमाल है जवती या एवजे जुर्मानः में या किसी करना
 एसी डिगरी या हुक्म की तामील में जो किसी कोर्ट आफ जस्टिसकी
 जानिव से दीवानी के किसी मुकद्दमे में जारी हुआ हो या जिसको
 वह शरूख जानता हो कि उसके जारी होने का इहतिमाल है लिया
 न जाय तो शरूख मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की
 कैद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती
 है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफः २०८—जो कोई शरूख किसी शरूख के दावा में ऐसे रुपये और वाजिव
 के लिये जो वाजिवुल अदान हो या उस रुपये से जो उस शरूखका रुपये के लिये
 वाजिवुल अदा है जायद हो या किसी माल या इस्तिहकाक के लिये फरेव से
 जो उस माल में हो जिसका वह शरूख मुस्तहक न हो फरेव से अपने डिगरी जारी
 ऊपर डिगरी या हुक्म जारी कराये या जारी होनेदे या किसी डिगरी होने देना ।
 या हुक्म को उसकी तामील हो चुकने के बाद अपने ऊपर या किसी
 ऐसी शै के लिये जिसकी निस्वत उस की तामील हो चुकी हो फरेव
 से जारी कराये या जारी होने दे—तो शरूख मजकूर को दोनों
 क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजादी जायेगी जिसकी
 मीआद दो बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों
 सजायें दी जायेंगी ।

तमसील ।

जैदवकर पर दावा करे और बकर यह जानकर कि मुझ पर जैद के डिगरी पाजाने
 का इहतिमाल है खालिद के दावा में जिसका उसपर कुछ वाजिबी दावा नहीं है इस शरूख
 से अपने ऊपर फरेव से जियाद तादाद की निस्वत क्रिसल सादिर होनदे कि खालिद अपने
 लिये खाह उसी के लिये बकरके माल के जरे नीलाम से जो जैद की डिगरीकी हस्ते नीलाम
 हो हिस्सा पाये तो बकरने इस दफः की रू से उर्माका इतिबाव किया ।

(बाब ११—झूठा गवाही और जरायम मुखाळिके मादलते आन्म. के कयान में
दफ्तरात २०९—२२१)

कोर्ट में
बददियानती
से झूठा दावा
करना ।

दफ्तर: २०९—जो कोई शख्स फरेब से या बद् दियातती से या किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने या रंज देनेकी नीयत से किसी को आफ्र जस्टिस में कुछ दावा करे जिसका झूठा होना वह जानता हो-तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

और वाजिव
रपयेके लिये
फरेब से
डिगरीहातिल
करना ।

दफ्तर: २१०—जो कोई शख्स किसी शख्स पर ऐसे रपये वं वादत जो उसका वाजिबुल अदा न होया उसके वाजिबुल अदाने ज्ञायद हो या किसी ऐसे माल या इस्तिहकाककी वादत जो उस माल में हो और जिसका वह मुस्तहक नहीं है कोई डिगरी या हुक्म फरेब से हासिल करे या कोई डिगरी या हुक्म उसकी तामील होचुकने वं वाद किसी शख्स पर जारी कराये या किसी ऐसी शै के लिये जारी कराये जिसकी निस्वत उसकी तामील होचुकी हो या फरेब से इन किस्म का कोई अमर अपने नाम से होने दे या उसके करने की इजाजत दे-तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

नुकसान पहुंचाने कीनीयत से झूठ दावीये हुर्म ।

दफ्तर: २११—जो कोई शख्स किसी शख्स को नुकसान पहुंचानेकी नीयत से उस पर फौजदारी में नालिश दायर करे या करावे या किसी शख्स पर किसी जुर्म के इतिहास की निस्वत झूठ मूठ इल्जाम लगाये यह जानकर कि इन्साफन् या कानूनन् उस शख्स पर उन नालिश या दावा की कोई बुनियाद नहीं है-तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दोबरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी

और अगर वह फौजदारी की नालिश किसी ऐसे जुर्म के झूठे दावा से दाइर कीजाय जिसकी पादाश में सजाय मौत या हवस दवान वज्रै दर्याय शोर या सात बरस या जियादः मीआद की कैद मुस्तौजिव है-तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा

सन १८६० ई०] मजमूच्याः कवानीने ताजीराते हिन्द । १०५

(बाब ११-झूठी गवाही और जगयम मुज्रिमके मादलेत आपा के बयानमें-१८५२)

दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ्तः २१२—जिस हाल में कि किसी जुर्म का इतिकार हुआ पनाह दिहीने

हो तो जो कोई शख्स इस नीयत से किसी शख्स को पनाह दे या मुजरिम ।
छुपाये जिसका मुजरिम होना वह जानता या बाबर करने की वजह
रखता हो कि उस मुजरिम को सजाय जायज से बचाये—

तो अगर उस जुर्म की पादाशमें सजाय मौत मुकर्रर हो तो उस अगर काबिले
शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सजा दी जायेगी सजाय मौत
जिसकी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी हो ।
मुस्तौजिव होगा—

और अगर उस जुर्म की पादाश में हक्स दवाम बउबरे दर्याय अगर काबिले
शोर या ऐसी कैद की सजा मुकर्रर हो जिसकी मीआद दस बरस सजाये हक्स
तक हो सक्ती है तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म दवाम बउबरे
की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो कैद हो ।
सक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा—

और अगर उस जुर्म की पादाश में ऐसी कैद की सजा मुकर्रर
हो जिसकी मीआद एक बरस से जियादः और दस बरस से कम
हो तो उस शख्स को उस किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जो
जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैद की
वड़ी से वड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस जुर्म
के लिये मुकर्रर है जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

लफ्ज “जुर्म” में इस दफ्तः में हर एक ऐसा फेल दाखिल है
जिसका इतिकार किसी मुकाम खारिजे ब्रिटिश इन्डिया में हुआ हो
और जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होने की तक्दीर में दफ्तः
आत मर्कूमुज्जैल याने दफ्तःआत ३०२ औ ३०४ औ ३०२ औ ३६२

१ “पनाह देना” के माने के लिये मुलाहजः तलब मावाद की दफ्तः २१६ (२) ।

२ यह कित्ताः हिन्द के क्रांजदारी आदिन के तर्मांम करने वाले ऐक्ट सन् १८९४ ई०
(नम्बर ३ मसदर इ सन् १८९४ ई०) की दफ्तः ७ के जरीये से दखिद किया गया ।

(बाब ११-घुटी गवाही और जरायम मुखालिके मादलेते आम्मः के बयानमें-दफ. २१३)
 ओ ३६३ ओ ३६४ ओ ३६५ ओ ३६६ ओ ३६७ ओ ३६८ ओ
 ३६९ ओ ४०२ ओ ४३५ ओ ४३६ ओ ४४६ ओ ४५० ओ ४५७
 ओ ४५८ ओ ४५९ ओ ४६० में से किसी दफः की रू से लायके
 सजा होता-और वैसा हर एक फेल दफःइ हाज़ा की गरजों के
 लिये लायके सजा मुतसौवर होगा इस तरह पर कि गोया शरूस्
 मुलज़िम ब्रिटिश इन्डियाके अन्दर फेल मज़कूरका मुजरिम हुआथा ।

मुस्तस्ना-इस दफः का हुक्म उस हालत को शामिल न
 होगा जहां पनाह देना या छुपाना मुजरिम का शौहर या उसकी
 जौजः से सर्जद हो ।

तमसील ।

ज़ेद यह जानकर कि बकरने डकैती का इतिकार किया है जान वृक्षकर बकर के सजाय
 जायज़ से बचाने के लिये छुपये-तो इस घूरत में चकि बकर हस्त दवाम वउदूरे दर्याय
 शोरका मुस्तौजिब है इसलिये ज़ेद दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की क़ैद का मुस्तौजिब
 होगा जिसकी मीआद तीन वरस से जायद न हो और वह उर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

मुजरिम को
 सजा से बचाने
 के लिये सिला
 बगैरःलेना ।

दफः २१३-जो कोई शरूस् किसी जुर्म के छुपाने या किसी
 शरूस् को किसी जुर्म की सजाय जायज़ से बचाने या किसी शरूस्
 को सजाय जायज़ कराने से वाज़ रहने के एवज़ में अपने वास्ते
 या किसी और शरूस् के वास्ते कोई माविहिल इहतियाज़ या अपने
 वास्ते या किसी और शरूस् के वास्ते इस्तर्दाद के जरीये से कोई
 माल हासिल या कुबूल करे या हासिल करने पर इक़दाम करे या
 कुबूल करने पर राजी हो-

अगर क़ाबिले
 सजाय मौत
 हो ।

तो अगर उस जुर्मकी पादाश में सजाय मौत मुक़ररहै-तो शरूस्
 मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की क़ैद की सजा दी
 जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक हो सकती है और वह
 उर्माने का भी मुस्तौजिब होगा-

और अगर उस जुर्म की पादाश में हस्त दवाम वउदूरे दर्याय शोर
 या ऐसी क़ैद मुक़रर है जिसकी मीआद ढस वरस तक होसकतीहै तो

(वाच ११-छठी गवाही और जरायम मुखालिके मादकते आमः के बयान में-दफ्तर २१४)

उस शरूख को दोनों किस्मों से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा—

अगर कबिले सजाये हवस दवाम वउवूरे दर्याय शोर या कैद हो ।

और अगर उस जुर्म की पादाशमें ऐसी कैद की सजा मुकर्रर है जो दस वरस से कम हो तो उस शरूख को उस किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक हो सकेगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तरः २१४—जो कोई शरूख कोई जुर्म छुपाने या किसी शरूख को किसी जुर्म की सजाय जायज से बचाने या किसी शरूख को सजाय जायज कराने से बाज रहने के एवज में किसी शरूख को कुछ माविहित इहतिजाज दे या पहुंचाये या देने या पहुंचाने को कहे या देने या पहुंचाने पर राजी हो या किसी शरूख को कोई माल वापस करे या वापस कराये या वापस करने या वापस कराने को कहे या वापस करने या वापस कराने पर राजीहो—

मुजरिम को बचाने के एवज में सिलाह देने या मालवापस करने के लिये कहना ।

तो अगर उस जुर्म की पादाश में सजाय मौत मुकर्रर है तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा—

अगर जुर्म कबिले सजाय मौत हो ।

और अगर उस जुर्म की पादाश में हवस दवाम वउवूरे दर्याय शोर या ऐसी कैद की सजा मुकर्रर है जो दस वरस तक होसक्ती है तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा—

अगर कबिले सजाय हवस दवाम वउवूरे दर्यायशोर या कैद हो ।

और अगर उस जुर्म की पादाश में ऐसी कैद की सजा मुकर्रर है जो दस वरस से कम हो तो शरूख मजकूर को उस किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है और उस की

(बाब ११-घृती गवाही और नरायण मुत्तालिके मादकते आन्वःके वयान में-
दफ्त्रात २१५-२१६ ।)

मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक हो सकेगी जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

मुस्तस्ना-दफ्त्रात २१३ ओ २१४ के अटकाम किसी ऐसी सूरत से मुत्तल्लिक नहीं हैं जिसमें जुर्म की वावत जवाज़न राजीनामः होसक्ता हो ।

[तमसीलें]-ऐक्ट १० मुसदरःइ सन १८८२ ई० की रू से सन्सूत्र की गई ।

दफ्त्रः २१५-जो कोई शरूस् किसी शरूस् को किसी ऐसे

माले मसलूकः
वैशरःकी
वाज़याफ्त में
मदद करने
के लिये
सिलाह लेना ।

माले मनकूलः की वाजयाफ्त में मदद करने के हीला या सबवसे कुछ माविदिल इइतिजाज ले या लेने पर राजीहो या लेना कबूल करे जिसस वह शरूस् किसी जुर्म के सबव जिसके लिये इस मजमूये में सजा मुकर्रर है महरूम किया गया हो तो फिर वडुज इसके कि शरूस् मजकूर मुजरिम के गिरिफ्तार कराने और उसको उस जुर्म का मुजरिम साधित कराने के लिये अपने हत्तुल् मकदूर सब वसीलों को काम में लाये उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्त्रः २१६-जब कभी कोई शरूस् जो किसी जुर्मका मुजरिम

ऐसे मुजरिम
को पनाह
देना जो
हिगसत से
भागा हो यां
जिमकी गिर-
फ्तारी का
हुक्म होचुफा
हो ।

साधित हुआ हो या जिसपर उस जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो उस जुर्म के लिये हिरासते जायज में होकर उस हिरासत से भाग जाय-

या जब कभी कोई सरकारी मुत्ताजिम अपनी सरकारी मुत्ताजिमी के इस्लियाराते जायज के निफाज में किसी जुर्म के लिये किसी नाम शरूस् की निस्वत गिरफ्तार किये जानेका हुक्म दे जो कोई शरूस् उस भाग जाने या उस गिरफ्तारी के हुक्म को जानकर उस शरूस् को

१ यट मुस्तस्ना साधिक मुस्तस्ना की जगइ मजमूअ इ कवानिने ताज़ीराते हिन्द के तम.५ वरने वाले ऐक्ट सन् १८८० ई० (नम्बर ८ मुसदर. इ नन १८८० ई०) की दफ्त्र ६ के जगिये से नरायण किया गया [ऐक्ट हाय अम-निद ४] ।

सन् १८६० ई०] मजसूअः कवानीने ताजीराते हिन्द । १०६

(बाब ११-फूडो गवाःही और जरायन मुखातिके मादलते आम्हःके बयान में-दफ्. २१६।)

गिरफ्तार न होने देने की नीयत से पनाह दे'या छुपाये तो शरूस्स मजकूरको नीचे लिखे हुये तरीके के मुआफिक सजा दी जायेगी-याने-

अगर उस जुर्म की पादाश में जिसके लिये वह शरूस्स हिरासत में था या जिसके लिये उसके गिरफ्तार किये जाने का हुक्म दिया गया है सजाय मौत मुकर्रर है तो शरूस्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा-

और अगर उस जुर्म की पादाश में हब्स दवाम वउवूरे दर्यायशोर या दस बरस की कैद मुकर्रर है तो शरूस्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्मने या बिला जुर्मने दी जायेगी-

और अगर उस जुर्म की पादाश में ऐसी कैद की सजा मुकर्रर है जो एक बरससे जायद और दस बरस से कम हो तो शरूस्स मजकूर को उस किस्मकी कैद की सजा दी जायेगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई तक होसकेगी जो उस जुर्म के लिये मुकर्रर है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दी जायेगी ।

२. 'जुर्म' के लफ्ज में इस दफः में हर ऐसा फेल या तर्क फेल भी दाखिल है जिसके मुजरिम होने का ब्रिटिश इन्डिया के किसी ऐसे शरूस्सकी नि. त बयान किया गया है जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर उसके मुजरिम होने की सूरत में वतौर जुर्म के मुस्तलजमें सजा होता और जिसके लिये शरूस्स मजकूर वमूजिव किसी कानून नम् मु. अड्डिके हवालिगीये मुजरिमान बरियासते और या वमूजिवे ऐक्ट फिरारीये मुजरिमान मुसदरःइ सन् १८८१ ई० के या और

१ "पनाह देना" के माने के लिये मुलाहजः तलब मावाद की दफ् २१६ (बे) ।

२ यह फिकरः हिन्द के फौजदारी आईन के तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन् १८८६ ई० (नं १० मुसदर इ सन् १८८६ ई०) की दफ्. २३ के जरीये से दाखिल किया गया [ऐक्ट हाय क्षाम-जिल्द ५] ।

३ छया "मजसूअःइ स्टैट्यूट मुतशरूहिके हिन्द" पर्वःइ मुस्तलजद मतवूअ २ सन १८८१ ई० के मुसदर इ सन् १८८१ ई० की दफ्. २३ के जरीये से दाखिल किया गया

११० मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द । [ऐक्ट ४५]

(बाब ११-झूठी गवःही और जरायम मुज्जालिके मादलेते आत्मः के बयान में-
दफ़आत २१६ (अलिफ़)-२१६ (बे) ।)

तरह पर ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर गिरफ़्तार किये जाने या हिरासत में नजरबन्द रहने का मुस्तौजिव है-और ऐसा हर फेल या तर्क फेल इस दफः की गज़ों के लिये इस तरह पर लायक़े सज़ा मुत-सौवर होगा कि गोया शरूस् मुल्जिम ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर फेल या तर्क फेल मज़कूर का मुजरिम हुआ ।

मुस्तस्ना-इस दफः का हुक्म उस हालत को शामिल न होगा जहां पनाह देना या छुपाना उस शरूस् के शौहर या जौजे से सर्जद हो जिसका गिरफ़्तार किया जाना मकसूद है ।

सारिकाने विलजब्र या डकैती को पनाह देने की पादाश में सज़ा ।

दफः २१६ (अलिफ़)-जो कोई शरूस् यह जानकर या इस बात के वावर करने की वजह रखकर कि बाज अशखास सर्कःइ विलजब्र या डकैती करने वाले हैं या हाल में उन्होंने सर्कःइ विलजब्र या डकैती की है उन सब को या उनमें से किसी को इस नीयत से पनाह दे^२ कि वैसे सर्कःइ विलजब्र या डकैती का इत्तिकाव सहल होजाय या वह लोग या उनमें से कोई सज़ा से वचजाय-उसको कैद सरूत की सज़ा जिसकी मीआद सात वरस तक हो सकती है दी जायगी और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

तशरीह-इस दफः की गज़ों के लिये यह अमर काविले लिहाज़ नहीं है कि आया ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर या बाहर सर्कःइ विलजब्र या डकैती के इत्तिकाव का इरादः किया गया है या नहीं या उस का इत्तिकाव हुआ है नहीं ।

मुस्तस्ना-इस दफः का हुक्म उस हालत को शामिल नहीं है जहां पनाह देना मुजरिम के शौहर या उसकी जौजे से सर्जद हो ।

दफ़आत २१२ ओ २१६ ओ २१६ (अलिफ़) में "पनाह" का तौराफ़ ।

दफः २१६ (बे)-दफ़आत २१२ ओ २१६ ओ २१६ (अलिफ़) में लफज़ "पनाह" में किसी शरूस् को पनाह देना या उस

१ दफ़आत २१६ (अलिफ़) ओ २१६ (बे) हिन्द के फ़ौजदारी आईन के तर्माफ़ करने वाले ऐक्ट सन १८९४ ई० (नम्बर ३ मुमदः ६ सन १८९४ ई०) का दफ़ ८ के ज़रीये से दाख़िल की गई [ऐक्ट हाय आम-जिन्द ६] ।

२ "पनाह देना" के माने के लिये मुलाहज़ तलब नाचे की दफ़ २१६ (बे) ।

सन १८६०ई०।] मजमूच्चःइ कचानीने ताजीराते हिन्द । ११?

(वाच ११-शुठी गवाही और जरायम मुस्तालिफ्ते मादलते आम्पः के वयान मे—
दफ्तावात २१७—२१९ ।)

को खुराक या शे नोशीदनी या जरे नक्तद या कपड़े या असबाब हर्ब
ओ जर्ब या तहमील के वसाइल का पहुंचाना या किसी शरूस् को
किसी नौ सेगिरिफ्ततारी से निकल भागने में मदद देना—दाखिल है ।

दफ्तः २१७—अगर कोई शरूस् जो सर्कारी मुलाजिम हो सर्कारी मुला-
कानूनकी किसी हिदायत से जो उस तरीके से मुतच्चलिक है जिस जिम जो किसी
पर उसको उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से चलना चाहिये शरूस् को सजा
जान वूफ कर इन्हिराफ करे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल जन्ती से बचाने
के इल्म से कि उसके वाइस किसी शरूस् को सजाय कानूनी से वचाये की नियत से
या जिस कदर सजा का शरूस् मुस्तौजिव है उससे कम सजा हिदायते कानून
दिलाये या किसी माल को जन्ती या किसी खर्च से जिसका वह से इन्हिराफ
कानूनन् मुस्तौजिव है वचाये तो उसको दोनों किस्मों में से किसी करे ।
किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक
होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तः २१८—अगर कोई शरूस् जो सर्कारी मुलाजिम हो और सर्कारी मुला-
सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी कागजे सरिश्तः या किसी जिम जो किसी
और नविश्ते का तैयार करना उस पर लाजिम किया गया हो और वह शरूस् को सजा
उस कागजे सरिश्तः या नविश्ते को ऐसे तौर से मुरत्तब करे जिसको वह जन्ती से बचाने
गजत जानता हो इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि की नियत से
उस के वाइस आम्पःइ खलायकको या किसी शरूस् को जियान या शरूस् कागजे
नुफ्तसान पहुंचाये या इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से सरिश्तः या
कि उसके वाइस किसी शरूस् को सजाय कानूनी से वचाये या इस नीयत नविश्त मुरत्तब
से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उसके वाइस किसी माल करे ।
को जन्ती या किसी और खर्च से जिसका वह माल कानूनन् मुस्तौजिव
है वचाये तो शरूस् मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की
कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है
या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तः २१९—अगर कोई शरूस् जो सर्कारी मुलाजिम है अदा- सर्कारी मुला-
लतकी कार्रवाई की किसी हालत में फामिट तौर से या खवामत से जिम जो

(वाक ११-झूठी गवादी और जरायम मुखातिके मादलते आम्म. के ववान में-
दफ्तात २२०-२२१।)

अदाखत की का- कोई कैफियत मुरत्तव करे या कोई हुक्म दे या कोई तजवीज या फैसलः
रेवाई में फ़ामिद करे जिसका खिलाफे कानून होना वह जानता हो तो उसको दोनों
तौरसे कैफियत क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सजादी जायेगी जिसकी मीआद
अगर खिलाफ़ कानून मुरत्तव सात बरस तक होसक्ती है या जुर्मानेकी सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।
करे ।

दफ्ताः २२०-अगर कोई शख्स जो किसी ऐसे उहदे पर है

वह शखसे जिसकी रू से उसको कानूनन् लोगों को तजवीज या कैद के लिये
मुजाज तजवीज सपुर्द करने या कैद रखने का इख्तियार हासिल है उस इख्तियारके
या कैदके लिये निफाज में किसी शख्स को फासिद तौर या खवासत से तजवीज या
सपुर्द करे जो कैद के लिये सपुर्द करे या कैद रखे यह जानकर कि ऐसा करने में
जानता हो कि खिलाफे कानून अमल करता हूं तो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी
में खिलाफे कानून अमल करता हूं । क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक
होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

कस्दन् तर्क
गि फतागी
उस सर्कारी
मुलाजिम की
तरफ से जिस
पर गिरफ्तार
करना वाजिब
है ।

दफ्ताः २२१-अगर कोई शख्स जो सर्कारी मुलाजिम है और
जिसपर अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी ऐसे शख्स
का गिरफ्तार करना या हव्स में रखना कानूनन् वाजिब है जिस पर
किसी जुर्म का इल्जाम लगाया गया है या जो किसी जुर्म की वावत
गिरफ्तार किये जाने का मुस्तौजिब है उस शख्स का गिरफ्तार करना
कस्दन् तर्क करे या कस्दन् उस शख्स को उस हव्स से भागजाने दे या
भागजाने या भागजाने के इक्दाम में कस्दन् मदद करे तो उसको नीचे
लिखी हुई सजा दी जायेगी-यानेः-

दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद जिसकी मीआद सात
बरस तक होसक्ती है जुर्मानः या विला जुर्मानः अगर उस शख्स पर
जो हव्स में था या जिसका गिरफ्तार किया जाना चाहिये था ऐमे जुर्म
का इल्जाम लगाया गया था या ऐसे जुर्म के लिये वह गिरफ्तार किये
जाने का मुस्तौजिब था जिसकी पादाश में सजाय मौत मुकर्रर है-या

दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद जिसकी मीआद तीन
बरस तक होसक्ती है या जुर्मानः या विला जुर्मानः अगर उस शख्स
पर जो हव्स में था या जिसका गिरफ्तार किया जाना चाहिये था ऐमे

(पान ११-ग्रंठी गवाही और जरायम मुत्तालिफे मादलते आम्मः के बयानमें-दफः २२२।)

जुर्म का इल्जाम लगाया गया था या ऐसे जुर्म के लिये वह गिरफ्तार किये जाने का मुस्तौजिव था जिसकी पादाश में हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या ऐसी कैद मुकर्रर है जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है—या

दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद जिसकी मीआद दो बरस तक हो सक्ती है मा जुर्मानः या विला जुर्मानः अगर उस शरूस् पर जो हब्स में था या जिसका गिरफ्तार किया जाना चाहिये था ऐसे जुर्मका इल्जाम लगाया गया था या ऐसे जुर्म की वावत वह गिरफ्तार किये जाने का मुस्तौजिव था जिसकी पादाश में दश बरस से कम मीआद की कैद मुकर्रर है ।

दफः २२२—अगर कोई शरूस् जो सर्कारी मुलाजिम है और जिस पर अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी ऐसे शरूस् का गिरफ्तार करना या हब्स में रखना कानूनन् वाजिव है जिसकी निस्वत किसी जुर्म की वाक्त किसी कोर्ट आफ जस्टिस ने हुक्मसजा सादिर किया हो [या जो जवाज़न् हिरासत में रखा गया हो] उस शरूस् का गिरफ्तार करना कस्टन् तर्क करे या उस शरूस् को कस्टन् उस हब्स से भाग जाने दे या उस हब्स से भाग जाने के इकदाम में कस्टन् उस शरूस् की मदद करे तो उसको नीचे लिखी हुई सजा दी जायेगी—यानेः—

हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद जिसकी मीआद चौदः बरस तक होसक्ती है मा जुर्मानः या विला जुर्मानः अगर उस शरूस् की निस्वत जो हब्स में था या जिसका गिरफ्तार किया जाना चाहिये था सजाय मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो—या

दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है मा जुर्मानः या विला जुर्मानः अगर वह शरूस्

१ यह अलफाज़ मजमूअःइ क्तवानीने ताजौराते हिन्द के तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरःइ सन १८७० ई०) की दफ ८ के ज़रिये से दाखिल किये गये [ऐक्ट हाय आम-जिन्द २] ।

(बाब ११ घूटा गताही और जरायम मुखालिफे मादलते आन्मः के बयान में—दफ २२५ (अलिफ) ।)

गिरफ्तार किये जाने का मुस्तौजिव हो जिसकी पादाश में सजाय मौत मुकर्रर है तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

या अगर वह शख्स जो गिरफ्तार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुकम सज़ा या उस हुकम सज़ा के तवादिल की रू से हबसे दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दस बरस या ज़ियादः मीआद के हबसे बउबूरे दर्याय शोर या मशक़क़ते ताजीरी बहालते कैद या कैद का मुस्तौजिव हो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा—

या अगर वह शख्स जो गिरफ्तार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो उसकी निस्वत सज़ाय मौत का हुकम सादिर हो चुका हो तो उसको हबसे दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस से ज़ायद न हो और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

ऐसी वरतों में सर्कारी

दफ़ः २२५^१ (अलिफ) — जो कोई शख्स सर्कारी मुलाज़िम होकर बहैसियत बंसी सर्कारी मुलाज़िमी के क़ानूनन् किसी शख्स के किसी

१ दफ़्आत २२५ (अलिफ) ओ २२५ (बे) हिन्द के फ़ौजदारी आर्इन के तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८६६ ई० (नम्बर १० मुसदर ३ सन १८८६ ई० की दफ़ २४ (१) [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ५] के ज़रीये से दफ़ २२५ (अलिफ) के एवज़ मजमूअःइ क़वानीने त ज़ीराते हिन्द के तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर १७ (मुसदरः ३ सन १८७०) की दफ़ ९ के ज़रीये से दाख़िल हुई थी—क़ायम की गई ।

इम मजमूअ इक़वानीन के बाब ४ ओ ५ उन उर्गों से मुतअहिक है जो दफ़्आत २२५ (अलिफ) ओ २२५ (बे) की रू से क़ाबिले सज़ा हैं—मुलाहज़ तलब मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्द के तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदर ३ सन १८७० ई०) की दफ़्आत २३ ज़मी कि उमकी तर्फीम मजमूअ और तर्फीम करने वाले ऐक्ट सन १८९२ ई० (नम्बर १२ मुसदरः ३ सन १८९२ ई०) [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६] के ज़रीये से हुई है ।

(बाब ११-भूठी गवाही और जरायन मुखालिके मादलते आम्म' के वयान में-
दफ़्त त २२५ (वे)-२२६ ।)

ऐसी सूरत में गिरफ़्तार करने या कैदमें रखने का पावन्द है जिसकी निसवत दफ़ः २२१ या दफ़ः २२२ या दफ़ः २२३ या किसी और कानूने नाफिजुल्वक्त में कोई हुक्म मुन्दर्ज नहीं है किसी ऐसे शरव्स की गिरफ़्तारी तर्क करे या उसको कैद से भाग जाने दे तो उसको हख जैल सज़ा दी जायेगी-

मुलाज़िम की तरफ़ से तर्क गिरफ़्तारी या भागजाने देना जिनकी निसवत और तरह का हुक्म न हो ।

(अलिफ) अगर मुलाजिमे भजकूर क़स्दन् उस फेलका मुर्तकिव हो-तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी-और

(वे) अगर वह उस फेलका गफलतन् मुर्तकिवहो तो उसको कैद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़ः २२५ (वे)-जो कोई शरव्स क़स्दन् किसी ऐसी सूरत में जिसकी निसवत दफ़ः २२४ या दफ़ः २२५ में या किसी और कानून नाफिजुल्वक्त में कुछ हुक्म मुन्दर्ज नहीं है अपने या किसी और शरव्स के जवाजन् गिरफ़्तार कियेजानेमें तअरुज या खिलाफे कानून मुजाहमत करे या उस हिरासत से भाग जाय या भागजाने का इक़दाम करे जिस में वह जवाजन् नजरवन्द हो या किसी और शरव्स को छुड़ाले या छुड़ा लेने का इक़दाम करे जिसमें वह शरव्स जवाजन् नजर वन्दहो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

ऐसी सूरतों में जवाजन् गिरफ़्तार किये जाने में तअरुज या मुजाहमत करना या भाग जाना या छुड़ा लेना जिनकी निसवत और तरह से हुक्म न हो ।

दफ़ः २२६-अगर कोई शरव्स जिसकी निसवत जवाजन् हवसे वउवूरे दर्याय शोर अमल में आया है हव्स मजकूर से भागकर फिर वउवूरे दर्याय शीरसे ।

(वाच ११ छठी गवाही और जरायम मुखालिफे म.दलते आम्मः के वयान में-
दफआत २२७-२२९ ।)

आये उस हाल में कि हक्स वउवूरे दर्याय शोर की मीआद मुनकजी न हुई हो और उसकी सजा माफ न हुई हो तो उसको हक्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर की सजा दी जायेगी और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा और इस हक्स वउवूरे दर्याय शोर के अमल में लाने से पहले कैद सरख का मुस्तौजिव होगा जिसकी मीआद तीन बरस से जायद न हो

मुखालिफते
शतें गाक्रिये
मजा ।

दफः २२७—कोई शख्स जिसने सजा की माफिये मशरूत कुबूल की हो जान बूझ कर किसी शर्त के खिलाफ करे जिसपर वह माफी मंजूर की गई है तो उस को वही सजा दी जायेगी जिसका हुक्म उसकी निसवत इन्तिदाअन सादिर हुआ हो अगर उसने उस सजा का कोई जुज भुगता न हो—और अगर वह उस सजा का कोई जुज भुगत चुकाहो तो सजाय मजकूर के उस क्रदर जुज की सजा दी जायेगी जो उसने नहीं भुगती ।

कसदन्
सर्कारी मुला-
जिमकी
तौहीन करनी
या उस
का हारिज
होगा जबकि
वह अदालत
की कारिवाई
में इजलास
कर रहाहो
अहले जुरी
या असेसर
वनना ।

दफः २२८—जो कोई शख्स कसदन् किसी सर्कारी मुलाजिम की तौहीन करे या किसी तरह से किसी सर्कारी मुलाजिम का हारिज हो जब कि वह सर्कारी मुलाजिम अदालत की कारिवाई की किसी हालत में इजलास कर रहा हो तो उसको कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या दुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफः २२९—जो कोई शख्स दूसरा शख्स वन जाने से या किसी और तरह से कसदन् यह बात कराये या जान बूझकर यह बात होने दे कि उस का नाम उन लोगों की फिहरिस्त में दर्ज हो जो अहले जुरी में दाखिल होने की लियाकत रखते हैं या उस का नाम अहले जुरी में दाखिल हो या उससे अहले जुरी या असेसर के तौर पर हलफ लिया जाय किसी ऐसे मुकदमे में जिस में वह जानता है कि वह कानून की रू से ऐसी जुरी की फिहरिस्त में मुन्दर्ज किये जाने या अहले जुरी में दाखिल किये जाने या हलफ लिये

सन १८६०ई०] मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्द । ११९

(वाच १२-उा जुर्मों के वयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतअल्लिक हैं-
दफ़ः २३०।)

जाने का मुस्तहक़ नहीं है या यह जानकर कि वह खिलाफ़े क़ानून
ऐसी जूरी की फ़िदरिस्त में मुन्दर्ज किया गया या अहले जूरी में
टाखिल किया गया है या उससे हलफ़ लिया गया है विल इरादः
ऐसी जूरी में या ऐसे असेसर का काम दे-तो उस शरूत्स को
दोनों किस्मों में से किसी किस्म की नैद की सजा दी जायेगी
जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या
दोनों सजायें दी जायेंगी ।

बाच १२

उन-जुर्मों जे वयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट
स्टाम्प से मुतअल्लिक हैं ।

दफ़ः २३०-^१ [सिक्कः वह धात है जो कि वक्कत मौजूदःवतौर "सिक्कः"
जरे नक़द के रायज हो और बहुकम किसी सर्कार या शाहे वक्कत के की तारीफ़ ।
इस तौरपर रायज होने की गर्जसे मनकूश और जारी किया
गया हो ।)

^२ मलकःइ मुअज़्जमःका सिक्कः वह धात है जो मलकःइ मुअ-मलकःइ मुअ-
ज़्जमः या गवर्नमेन्ट हिन्द या किसी प्रेज़ीडिन्सी की गवर्नमेन्ट या इज़्जमः का
किसी और गवर्नमेन्ट वाक़अेक़लमरौ मलकःइ मद्दूहः के हुक़म की सिक्कः ।
रू से वतौर जरे नक़द के रायज होने की शरज़ से ठप्पा किया और

^१ दरमारःइ इज़ाफ़ इ सज़ा इवजः सुन्न जुर्म सानी के बाज़ जरायम तहत वाच १२ की
पादाश में-मुलाहज़. तलर माक़ल की दफ़ ५७ ।

^२ यह फ़िक़रः साविक़ फ़िक़रे की जगह मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्द के तर्मीम
करनेवाले ऐक्ट सन १८७२ ई० (नम्बर १९ मुसदर इ सन १८७२ ई०) के ज़रीये से
क़ायम किया गया [ऐक्ट हायआम-जिल्द २] ।

^३ यह फ़िक़र साविक़ फ़िक़रे की जगह मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्दके तर्मीम
करने वाले ऐक्ट सन १८६६ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सन १८६६ ई०) की दफ़ ९
(१) के ज़रीये से क़ायम किया गया [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६.] ।

(वाव १२—उन जुर्मों के बयान में जो सिके और गवर्नमेन्ट स्टान्प से मुतश्किक
हैं—दफ्त्रात २३१—२३२ ।)

जारी किया गयाहो—और वह धात जो इस तौर पर ठप्पा किया
और जारी किया गया हो इस वाव की अगराज के लिये मलकःइ
मुअज़्जमः का सिकः काइम रहेगा विला लिहाज इस अमर के कि
वतौर जरे नकद के उसका रायज होना मौकूफ होगया हो ।

तमसीछें ।

(अलिफ) कौड़िया सिकः नहीं हैं ।

(बे) वे ठप्पा किये हुये ताबे के टुकड़े सिकः नहीं हैं गो वह नकद के तौर पर मुस्त-
श्मल हों ।

(जीम) तम्गे सिकः नहीं हैं क्योंकि उनसे मकसूद नहीं है कि वह नकद के तौरपर
मुस्तश्मल हों ।

(दाल) सिकः जो कम्पनी का रुपया कहलाताहै मलक इ मुअज़्जमः का सिकः है ।

^१ (हे " फर्इश्वादादी" रुपया जो गवर्नमेन्ट हिन्द के हुक्म के बमूजिव पेशतर वतौर
जरे नकद के रायज था मलकःइ मुअज़्जमः का सिकः है अर्गाचि वह अवहस्व मजकूरवाला
रायज न रहाहो ।]

तलवी से
सिकः ।

दफ्त्रः २३१—जो कोई शख्स सिके की तलवीस करे या सिके
की तलवीस के अमल का कोई जुज जान बूझ कर अन्जाम दे
तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की
सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है
और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

तशरीह—वह शख्स इस जुर्म का मुर्तकिव होगा जो मुगालतः
देने की नीयत से या इस इल्म से कि उस के जरीये से उस मुगा-
लते के चल जाने का इहतिमाल है किसी असली सिके को ऐसा
करदे कि वह किसी और सिके की मानिन्द मालूम हो ।

तलवी से
सिकःइ
मलक इ
मुअज़्जमः ।

दफ्त्रः २३२—जो कोई शख्स मलकःइ मुअज़्जमः के सिके की
तलवीस करे या उसकी तलवीस के अमल का कोई जुज जानबूझ कर

^१ यह तमसीछ मजमूअःइ क्तवानीने ताजीराते हिन्द के तर्मांम करने वाले ऐक्ट सन
१८५६ ई० (नम्बर ६ मुसदर २ सन १८५६ ई०) की दफ्त्र १ (०) के जर्गादे से
जुर्माने की गई [ऐक्ट सन १८५६ ई०] ।

(नाव १२—उन जुमा के वयान में जो सिक्क और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुस्तौजिब
है—दफ्तरात २३३—२३५

अन्जाम दे तो शरूख मजदूर को हक्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर या दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिस की मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ्तरः २३३—जो कोई शरूख कोई ठप्पा या आला बनाये या उस की मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करने के अमल का कोई जुज्ज अन्जाम दे या उसको खरीदे या बेचे या अपने कब्जे से जुदा करे इस गरज से कि वह सिक्के की तलबीस के लिये काम में आये या यह जान कर या वावर करने की बजःरखकर कि उसका सिक्के की तलबीस के लिये काम में लाया जाना मकसूद है तो शरूख मजदूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ्तरः २३४—जो कोई शरूख कोई ठप्पा या आला बनाये या उस की मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करने के अमल का कोई जुज्ज अन्जाम दे या उसको खरीदे या बेचे या अपने कब्जे से जुदा करे इस गरज से कि वह मत्कः इ मुअज्जमः के सिक्के की तलबीस के लिये काम में लाया जाय या यह जान कर या वावर करने की बजःरखकर कि उस का उस सिक्के की तलबीस के लिये काम में लाया जाना मकसूद है तो शरूख मजदूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ्तरः २३५—जो कोई शरूख कोई आला या सामान अपने पास रखता हो इस गरज से कि वह सिक्के की तलबीस के लिये काम में लाया जाय या यह जानकर या वावर करने की बजःरख कर कि उसका उस गरज के लिये काम में लाया जाना मकसूद है तो शरूख मजदूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा—

और अगर सिक्कः जो तलबीस किये जाने को है मत्कः इ मुअज्जमः अगमः इ

(वाक १२-उन लोगों के क्याग में जो सिक्के और गवर्नमेंट स्ट्याम्प से मुतलक हैं—दफ़्तात २३६—२४० ।)

मुतलकः
का सिक्के
हो ।

का सिक्के है तो शाहस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

हिन्दुस्तान में
रहकर
हिन्दुस्तान के
बाहर तल-
वीस सिक्के
की इशानत
करना ।

दफ़्तातः २३६—कोई शाहस जो ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद के अन्दर हो ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद से बाहर सिक्के की तलवीस में इशानत करे तो शाहस मजकूर को उसी तरह सज़ा दी जायेगी कि गोया उसने ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद के अन्दर उस सिक्के की तलवीस में इशानत की ।

मुतलक
सिक्के को
अन्दर लाना
या बाहर ले
जाना ।

दफ़्तातः २३७—जो कोई शाहस कोई मुतलक सिक्के ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर लाये या उसे बाहर लेजाय यह जान कर या दावर करने की वजःरखकर कि वह मुतलक है तो शाहस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

मलकः
मुतलकः के
सिक्के से
मुतलक
सिक्के को
अन्दर लाना
या बाहर
लेजाना ।

दफ़्तातः २३८—जो कोई शाहस कोई मुतलक सिक्के जिसको वह जानता या दावर करने की वजःरखता हो कि वह मलकःइ मुतलकःके सिक्के से मुतलक है ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर लाये या उसे बाहर लेजाय तो शाहस मजकूर को हक्स दचाम बडबूरे दर्याय शौर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

क़ब्जे में लेने
बन्द जिस
सिक्के को
जाना गया
हो कि यह
मुतलक है
उसे हवा
करना ।

दफ़्तातः २३९—कोई शाहस जिसके पास कोई मुतलक सिक्के हो और जिस को उसने क़ब्जे में लेते वक़्त मुतलक जाना हो उस सिक्के को फ़रेब से या फ़रेबका इतिहास किये जानेकी नीयत से किसी शाहस के हवाले करे या किसी शाहस को उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शाहस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

क़ब्जे में लेने
बन्द जिस

दफ़्तातः २४०—जो कोई शाहस जिसके पास कोई ऐसा सिक्के मुतलक हो जो मलकःइ मुतलकःके सिक्के से मुतलक हो और जिस

(वाच १२—उन जुर्मों के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतञ्जिह हैं—दफ्त्रात २४१—२४२ ।)

को उसने क़ब्जे में लेते वक्त् मलकःइ मुअज्जमः के सिक्के से मुलत सिक्के को जाना
 वस जाना हो उस सिक्के को फरेव से या फरेव के इर्तिक़ाव क्रिये गया हो कि
 जाने की नीयत से किसी शरूख के हवाले करे या किसी शरूख को यह मलकःइ
 उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो मुअज्जमःके
 शरूख मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा सिक्के से मुलत-
 दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस तक हो सकती है और वह हवालः करना ।
 जुर्माने का भी गुस्तौजिब होगा ।

दफ्त्रः २४१—जो कोई शरूख कोई मुलतवस सिक्कःजिसको वह ऐसे सिक्के को
 मुलतवस जानता हो लेकिन उसको क़ब्जे में लेते वक्त्त मुलतवस न अस्ली सिक्के की
 जाना हो सिक्कःइ असली की हैसियत से किसी दूसरे शरूख के हैसियत से
 वाले करे या किसी शरूख को सिक्कःइ असली की हैसियत से उसे हवालः करना
 अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शरूख जिसको हवाले
 मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी करने वाले ने
 जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक हो सकती है या उस जुर्माने पहले क़ब्जे
 की सज़ा जिस की मिक़दार उस सिक्के की मालियत के दसगुने तक में लेतेवक्त्त न
 हो सकती है जिसकी तहवीस की गई या दोनों सज़ायें दी जायेंगी । है ।

तमसील ।

अगर ज़ेद कि क़लब साज़ है अपने शरीक वक्त्तर को कुछ रुपया जो कम्पनी के रुपये से मुलतवस हो—चलाने के लिये हवाले करे—और बक्कर उन रुपयोंको ख़ालिद के हाथ कि वह भी क़लबी रुपये का चलाने वाला है बेचडाले—और ख़ाद को मुलतवस जानकर ख़रीद ले—फिर ख़ालिद उनको किसी माल की क़ीमत में हामिद को दे डाले और हामिद उनको मुलतवस न जान कर लेखे—और उन रुपयों के लेने के बाद यह मात्म करे कि वह मुलतवस है और किसी शै की क़ीमत में इस तौर से देडाले कि गोया वह खरे भे—तो इस ख़रत में हामिद सिर्फ इसी दफ्. की रू से सज़ा का मुस्तौजिब है मगर वक्त्तर और ख़ा-लिद—जैसा हाल हो—दफ्. २३९ या २४० की रू से सज़ा के मुस्तौजिब है ।

दफ्त्रः २४२—जो कोई शरूख फरेव से या इस नीयत से कि उन शरूख
 फरेव का इर्तिक़ाव किया जाय मुलतवस सिक्कः अपने पास रखता का सिक्के इ
 हो और उसको क़ब्जे में लाते वक्त् उसे यह इल्म था कि वह मुलतवस के
 मुलतवस के

(बाब २२—उन जुर्मों के बयान में जो सिके और गवर्नमेण्ट स्टान्प से मुतश्दिक
हैं—दफ़्आत २५१—२५३ ।)

गया हो कि
यह मुबदल
हैं उसे हवाला
करना ।

२४८ में की गई है और जिसने उस सिके को क़ब्जे में लाते वक्त जान लिया हो कि उस सिके की निस्वत जुर्म मजकूर का इतिहास हो चुका है फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय उस सिके को किसी दूसरे शरख के हवाले करे या किसी दूसरे शरख को उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शरख मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी किसी मीआद पांच बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

क़ब्जे में लेते
वक्त मलकःइ
मुश्दज़म' क
जिस सिके को
जाना गया
हो कि यह
मुबदल है उसे
हवाले करना ।

दफ़्ः २५१—कोई शरख जिसके पास ऐसा सिकः हो जिसकी निस्वत उस जुर्म का इतिहास हो चुका है जिसकी तारीफ़ दफ़्ः २४७ या २४६ में की गई है और जिसने उस सिके को क़ब्जे में लेते वक्त जान लिया हो कि उस सिके की निस्वत जुर्म मजकूर का इतिहास हो चुका है उस सिके को फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय किसी दूसरे शरख के हवाले करे या किसी दूसरे शरख को उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शरख मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

उस शरख का
सिके को पास
रखना जिसने
उसे क़ब्जे में
लेना जाना
हो कि
यह मुबदल
है ।

दफ़्ः २५२—जो कोई शरख फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय कोई ऐसा सिकः अपने पास रखता हो जिसकी निस्वत उस जुर्म का इतिहास हो चुका है जिसकी तारीफ़ दफ़्ः २४६ या २४८ में की गई है और उसने सिकःइ मजकूर को क़ब्जे में लेते वक्त जान लिया हो कि उस सिके की निस्वत जुर्म मजकूर का इतिहास हो चुका है—तो शरख मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

उस शरख का
मलकःइ
मुश्दज़म' ।

दफ़्ः २५३—जो कोई शरख फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इतिहास किया जाय कोई सिकः अपने पास रखता हो जिसकी निस्वत उस जुर्म का इतिहास हो चुका है जिसकी तारीफ़ दफ़्ः २४७

(वाक १२-उन जुर्मों के बयान में जो सिके और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुक्त किये हैं-दफ्तात २५४-२५५ ।)

खाह २४६ में की गई है और उराने सिके मजदूर को कब्जे में लेते सिक्के को पात वकत जानलिया हो कि उस सिके की निस्वत जुर्म मजदूर का इति रत ॥ जिस । काव हो चुका है तो शरुस मजदूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म उमे कब्जे के की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक होस- नेत वकत सुवदल जाना कती है और जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा । हो ।

दफ्ता: २५४-जो कोई शरुस कोई सिके जिसकी निस्वत वह एगे सिक्के को जानता है कि कोई ऐसा अमल जिसका जिम्मा दफ्ता: २४६ या २४७ असली सिक्के या २४८ या २४९ में हुआ है अंजाम पाचुका है लेकिन जिसकी की हसीयत निस्वत अपने कब्जे में लाते वकत वह नहीं जानता था कि वह अमल से हवाले का ॥ अंजाम पाचुका है असली सिके की हसीयत से या जिस किस्मका जिसका वह है उस से मुगायर किस्म के सिके की हसीयत से किसी शरुस के हवाले करने हवाले करे या किसी शरुस को इस बात की तहरीक करने का इक- वाले ने पहले दाम करे कि वह शरुस उस सिके को असली सिके की हसीयत से कब्जे में लेते या जिस किस्म का वह है उससे मुगायर सिके की हसीयत से अपनी वकत सुवदल तहरील में ले तो शरुस मजदूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म न जाना हो । की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसकती है या जुर्मने की सजा जिसकी मिकदार उस सिके की मालियत के दस गुने तक होसकती है जिसके एद्रज सिक्के सुवदल चलाया गया है या जिसके चलाने का इक दाम क्रियागया है ।

दफ्ता: २५५-जो कोई शरुस किसी ऐसे स्टाम्प की तलवीस तलवीसे गवर्न- करे या जान बूझकर उसकी तलवीस के अमल का कोई जुज्ज अं- मेन्ट स्टाम्प जाम दे जो गवर्नमेन्ट की जानिव से सर्कारी आयदनी के लिये जारी किया गया है तो शरुस मजदूर को हक्स दवाम बखूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसकती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

तशरीह-वह शरुस इस जुर्म का मुर्तकिव होगा जो एक नौ के असली स्टाम्प को और नौ के असली स्टाम्प की चूरतका करदेने से तलवीस करे ।

१ "गवर्नमेन्ट" के मानिक लिये मुलाइज्ज तलव मीआद की दक २६३ (अलिफ) (४)।

(वाव १२—उन जुर्मों के वगान में जो सिफे और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुत्तवस हैं—दफ्तरात २५६—२५९ ।)

तलवीसे गवर्न
मेन्ट स्टाम्प की
गरज से कोई
आल. या
सामान पास
रखना ।

दफ्तरात २५६—जो कोई शख्स कोई आलः या सामान इस
गरज से अपने कब्जे में रखता हो कि वह किसी ऐसे स्टाम्प की
तलवीस के काम में आये या यह जानता या वावर करने की वजः
रखता हो कि उसका किसी ऐसे स्टाम्प की तलवीस के काम में आना
मजसूद है जो गवर्नमेन्ट की जानिव से सर्कारी आमदनी के लिये
जारी किया गया हो तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिमों में से किसी
क्रिम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक
होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

गवर्नमेन्ट
स्टाम्प की
तलवीस की
गरज से
आलः की
साखन या
फरोख्त ।

दफ्तरात २५७—जो कोई शख्स कोई आलः बनाये या उसकी
साख्त के अमल का कोई जुज अन्जाम दे या उस आलः को ररीदे
या बेचे या अपने कब्जे से जुदा करे इस गरज से कि वह किसी ऐसे
स्टाम्प की तलवीस के काम में आये या यह जानकर या वावर करने
की वजः रखकर कि उसका किसी ऐसे स्टाम्प की तलवीस के काम में
आना मजसूद है जो गवर्नमेन्ट की जानिव से सर्कारी आमदनी के
लिये जारी किया गया है तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिमों में से
किसी क्रिम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात
वरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

फरोख्त मुत्त-
वस गवर्नमेन्ट
स्टाम्प

दफ्तरात २५८—जो कोई शख्स कोई स्टाम्प बेचे या मारजे व में
रखे यह जानकर या वावर करने की वजः रखकर कि वह किसी ऐसे
स्टाम्प से मुत्तवस है जो गवर्नमेन्ट की जानिव से सर्कारी आमदनी
के लिये जारी किया गया है तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिमों में
से किसी क्रिम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात
वरस तक होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

मत्तवस
गवर्नमेन्ट
स्टाम्प को
पास रखना

दफ्तरात २५९—जो कोई शख्स कोई स्टाम्प जिसको वह जानता
हो कि किसी ऐसे स्टाम्प से मुत्तवस है जो गवर्नमेन्ट की जानिव से
सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गया है ।

(व.व १२-उन छुपों के बयान में जो सिके और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतझालिक हैं-दफ्तरात २६०-२६२ ।)

अपने पास रखता हो इस नीयत से कि उस स्टाम्प को असली स्टाम्प की हैसियत से काम में लाये या अपने कब्जे से जुदा करे या यह गरज हो कि वह असली स्टाम्प की हैसियत से काम में लाया जाय तो शरूस्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी भीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ्तरः २६०—जो कोई शरूस्स असली स्टाम्पकी हैसियत से कोई मुलतवस जान स्टाम्प काममें लाये यह जान कर कि वह स्टाम्प किसी ऐसे स्टाम्प से हुये गवर्नमेन्ट स्टाम्प की मुलतवस है जो गवर्नमेन्टकी जानिवसे सर्कारी आमदनीके लिये जारी असली स्टाम्प किया गयाहै तो शरूस्से मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की हैसियत से की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी भीआद सात बरस तक होसक्ती काम मे लाना है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तरः २६१—जो कोई शरूस्स फरेवसे या इस नीयत से कि गवर्न- गवर्नमेन्ट को मेंट का जियान कराये किसी मादे से जिसपर कोई ऐसा स्टाम्प लगाहो जियान पहुचाने की नीयत से जो गवर्नमेन्ट की जानिव से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया किसी मादे से गया है कोई तहरीर या दस्तावेज दूर करे या मिटा डाले जिसके लिये जिसपर गवर्न- वह स्टाम्प काम में लाया गया था या किसी तहरीर या दस्तावेज से मेट स्टाम्प हो कोई स्टाम्प जो उस तहरीर या दस्तावेज के लिये काम में लाया गया तहरीर मिटाना या दस्तावेज हो इस गरज से दूरकरे कि वह स्टाम्प किसी और तहरीर या दस्तावेज से वह स्टाम्प के लिये काम में लाया जाय तो शरूस्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से जो उसके लिये किसी क्रिस्म की कैदकी सजा दी जायेगी जिसकी भीआद तीन बरस काम मे लाया गया है दूर तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी । करना ।

दफ्तरः २६२—जो कोई शरूस्स फरेवसे या इस नीयतसे कि गवर्न मुस्तअमल मेंट का जियान कराये कोई स्टाम्प जो गवर्नमेंट से सर्कारी आमदनी के जाने हुये गवर्न- लिये जारी किया गया हो किसी गरज से काम में लाये यह जानकर मेंट स्टाम्प की काम मे कि वह पहले काममें आनुका है तो शरूस्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में लाना ।

१६ "गवर्नमेन्ट" के मानेके लिये मुलहज्जा तलब मानादकी दफ्तर २६३ (अन्तिक) (४) ।

(नाब १२—उन जुर्मों के बयान में जो सिके और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतजलिह है—दफ्तःआत २६३—२६३ (अलिफ) ।)

से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

उन निशान को छलना जिस से यह जाहिर होता है कि स्टाम्प काम में आचुता है ।

दफ्तः २६३—जो कोई शख्स फरेब से या इस नीयत से गवर्न-
मेन्ट का जियान कराये किसी स्टाम्प पर से जो गवर्नमेन्ट की जानिब
स तद्वारी आमदनी के लिये जारी किया गया है कोई ऐसा निशान
छील डाले या दूर करे जो इस बात के जाहिर करने के लिये उस
स्टाम्प पर लगाया या नक़्श किया गया हो कि वह स्टाम्प काम में
आचुका है या ऐसा स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि काममें आचुका
है और जिसपर से वह निशान छीला गया या दूर किया गया हो जान
बूझकर अपने पास रखे या बेचे या अपने कब्जे से जुदाकरे तो शख्स
सज्जकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी
जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसती है या जुर्माने की
सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

मसनुई स्टाम्प
की मुमानिफ़ता

दफ्तः २६३—(अलिफ)—

(?) जो कोई शख्स—

(अलिफ) कोई मसनुई स्टाम्प बनाये या जान बूझ कर चलाये
या उसका कारोबार करे या उसे बेचे या कोई
मसनुई स्टाम्प किसी ढाक की गरज से जान
बूझ कर इस्तअमाल करे—या

(बे) कोई मसनुई स्टाम्प त्रिदून वजरे जायज के अपने पास रखे—या

(जीम) कोई टप्पा या धात की कन्ठः की हुई तरुती या औजार
या सामान कोई मसनुई स्टाम्प तैयार करने के लिये बनाये
या त्रिदून वजरे जायज के अपने पास रखे—

१ 'गवर्नमेन्ट' के नामके लिये मुल्गइज्जः तलब मावाद की दफ्तः २६३ (अलिफ) (१)।

२ दफ्तः २६३ (अलिफ) हिन्दके कौमदागी आर्दन के तर्माय करने वाले ऐक्ट सन १८९५ ई- (गन्वर ३ गन्वरःइ सन् १८९५ ई०) के अफ्तः २ के जर्गिये से एलटाक की गई [ऐक्ट
हाय आग जिन्द ६]

सन १८६०ई०] मजसूमःइ कवानीने ताजीराते हिन्द । १३१

(वाच १३-उन जुमों के वयान में जो बांटों और पैमानों से मुतअल्लिक है-दफ्त २६४)

तो उसको जुर्माने की सजा दी जायेगी जिसकी मिकदार दो सौ रुपये तक हो सकती है ।

(२) हर ऐसा स्टाम्प या ठप्पा या धात की कन्दः की हुई तरखती या आँजार या सामान मसतुई स्टाम्प बनाने का जो किसी शख्स के पास पाया जाय वह कुर्क होकर जब्त हो जायेगा ।

(३) इस दफ्तः में "मसतुई स्टाम्प" के लफ्ज से हर स्टाम्प मुराद है जो भूठ मूठ मुक्तजी इस का हो कि गवर्नमेन्ट ने उसे महसूले डाक की शरह के जाहिर करने की गरज से जारी किया है या ऐसे स्टाम्प की कोई नकल या तर्कलीद या शबीह मुराद है जिसे गवर्नमेन्ट ने उस गरज के लिये जारी किया है आम इससे कि वह कागज पर हो या और निहज पर ।

(४) इस दफ्तः में और नीज दफ्तःआत २५५ से २६३ तक में (वशमूल इन दोनों दफ्तःआत के) "गवर्नमेन्ट" के लफ्ज से जब वह बइलाका या बनिसबत किसी ऐसे स्टाम्प के मुस्तअमल हो जो महसूले डाक की शरह के जाहिर करने की गरज से जारी किया जाय वावजूद इसके कि दफ्तः १७ में कोई मजसूम मौजूद हो वह शख्स या अशखस समझे जायेंगे जो इकजीकिउटिक गवर्नमेन्ट का इन्तिजाम करने के लिये किसी जुजवे इन्डिया में और नीज जनाव मलकःइ मुअज्जमः की कलमगै किसी हिस्से में या किसी मुल्क सैद में-कानूनन् मुजाज्ज गर्दाने गये हों ।

वाच १३ ।

उन जुमों के वयान में जो बांटों और पैमानों से मुतअल्लिक हैं ।

दफ्तः २६४-जो कोई शख्स तौलने के किसी आले की जिसे तौलने के वह भूठा जानता हो फरेव से काम में लाये तो उस शख्स को दोनों बड़े आले की किस्मों मेंसे किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद फरेव से अरिद- एक बरस तक होसकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जयेंगी ।

(वाच १३-उन जुर्मों के वयान में जो वाटों और पैमानों से मुतवाहिक हैं-दफ्तरात २६५-२६७-और वाच १४-उन जुर्मों के वयान में जो आम्नःइ खलाइक की आफियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं-दफ्तरः २६८ ।)

घूटे वाट या पैमाने को फरेव से इस्तिश्माल करना ।

दफ्तरः २६५- जो कोई शख्स किसी भूटे वांटको या तूल या वसअत के भूटे पैमाने को फरेव से काममें लाये या किसी वांट या तूल या वसअत के किसी पैमाने को किसी और वांट या पैमाने की हैसियत से जो उसे मुगायर हो फरेव से काम में लाये तो शख्स मजकूरको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

घूटे वाट या पैमाने को पास रखना ।

दफ्तरः २६६- जो कोई शख्स तौलने का कोई आला या कोई वांट या तूल या वसअत का कोई पैमानः जिसे वह भूटा जानता हो अपने पास रखता हो और उसकी यह नीयत हो कि वह फरेव से काम में लाया जाय तो शख्स मजकूरको दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

घूटे वाट या पैमाने का बनाना या बेचना ।

दफ्तरः २६७- जो कोई शख्स तौलने का कोई आला या कोई वांट या वसअत का कोई पैमानः जिसे वह भूटा जानता हो इस गरज से बनाये या बेचे या अपने कब्जे से जुदा करे कि वह सच्चे की हैसियत से काममें लाया जाय या यह जानकर कि सच्चे की हैसियत से उसके काम में लाये जाने का इहतिमाल है तों शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

वाच १४ ।

उन जुर्मों के वयान में जो आम्नःइ खलायक की आफियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्सर हैं ।

५५२ १५१

५५३ १५२

५५४ १५३

दफ्तरः २६८- वह शख्स अमर वाइसे तकलीफे आम का मुजरिफ

३ तागिर "अमर वाइसे तकलीफे आम" को जो यहा लिखा गई-बनात गरमर जाउ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सन १८६० ई० ।] मजमूअः इ क्तवानीने ताजीरते हिन्द । १३३

(वाच १४-३१ जुबों के बयान में जो आमम इ खलायक की आफ्रियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर सुअस्तरहै-दरुआत २६९-२७० ।)

होगा जो कोई ऐसा फेल करे या किसी ऐसे तर्क खिलाफे कानून का मुजरिम हो जो आममः इ खलायक को या उमूमन उन लोगों को जो उसके कुर्व ओ जवार में रहते या किसी जमीन या मकान पर दखल रखते हों कोई नुकसाने आमया खतरः इ आम या रंज आम पहुंचाये या जो उन लोगों को जिन्हें किसी इस्तिहकाके आममः के काम में लाने की जरूरत हो विज़ुखर नुकसान या मुजाहमत या खतरः या रंज पहुंचाये ।

कोई अमर वाइसे तकलीफे आम इस वजह से दर गुजर के लायक न होगा कि उससे कुछ आसाइश या नफा जुहूरमें आताहै ।

दफः २६६-जो कोई शख्स ना जवाजन् या गफलत से कोई फेल करे जो ऐसा है और जिसको वह जानताहै या जिसकी निस्वत वह वावर करने की वजह रखता है कि उससे किसी ऐसे मर्ज की उफूनत फैलनेका इहतिमाल है जिससे जान को खतरः है तो शख्स मजकूरको दोनो क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

गफलत वह काम करना जिससे जान को खतर पहुंचाने वाले किसी मर्ज की उफूनत फैलने का इहतिमालहो ।

दफः २७०-जो कोई शख्स वद अन्देशी से ऐसा फेल करे जो ऐसा है और जिसको वह जानताहै या जिसकी निस्वत वह वावर करने की वजह रखता है कि उससे किसी ऐसे मर्ज की उफूनत फैलने का इहतिमाल है जिससे जान को खतरः है तो शख्स मजकूरको दोनों क्रिस्मोंमें से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी

वद अन्देशी से वह काम करना जिससे जान को खतरः पहुंचाने वाले किसी मर्ज की

स्टेटिउट सन ३३ जुलूसे मलक इ मुअज्जः- विक्टोरिया से जो १४-जनवरीतन् १८८७ ई० के बाद सादिर हुये हों-मुतअत्रिकहै-मुलाहज तलव ऐकट मजामीने आम सन १८९७ ई० (नम्बर १० मुसदर इ सन् १८९७ ई०) की दफः ३ जिम्न ४५ और दफः ४ (२) [ऐकट हाय आम-जिल्द ६ ।]

दरवारः इ ज्जावित इ कार्वार्दे के उमूर वादसे तकलीफे आम की घूरत में-मुलाहजः तलव मजमूअः इ ज्जावित इ क्कौजदागी सन १८९८ ई० (ऐकट ५ मुसदर इ सन १८९८ ई०)- वाच १०-दफः ३३ वगैर. [ऐकट हाय आम-जिल्द ६ ।]

(वान १४—उन जुर्मों के वयान में जो आम्मः इ ख़लायक़ की आक्रियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअ़स्मर हैं—दफ़्तरात २७१—२७३ ।)

उफ़ूनत फ़ैलने का इहतिमाल हो ।

क्रायदः इ कुवारनटीन् से इन्हिराफ़ करना ।

मीआद दो वरस तक हो सकती है या जुर्मानी की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ़ः २७१—जो कोई शख़्स जान बूझकर किसी ऐसे क़ायदे से इन्हिराफ़ करे जो गवर्नमेन्ट हिन्द या किसी और गवर्नमेन्ट ने किसी मर्कबे तरी को कुवारनटीन् की हालत में रखने के लिये या वास्ते इन्तिजाम आमद ओ रफ़्त दरमियान उन मराक़बे तरी के जो कुवारनटीन् की हालत में हैं और साहेल दर्या या और मराक़बे तरी के या वास्ते इन्तिजामे आमद ओ रफ़्त दरमियान ऐसे मुक़ामों के जहां कि कोई मर्जे उफ़ूनती फैला हुआ है और और मुक़ामात के जारी या मुशतहर किया हो तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सकती है या जुर्मानी की सजा या दोनों सजाये दी जायेंगी ।

खाने या पीने की शै में जिसका बेचना मक़रूद हो आभेजिश करना ।

दफ़ः २७२—जो कोई खाने या पीने की किसी शै में ऐसी तरह से आभेजिश करे कि वह शै खाने या पीने में मुजिर होजाय इत नीयत से कि उस शै को खाने या पीने की शै की हैसियत से बेचे या इस इल्म से कि खाने या पीने की शै की हैसियत से उस शै के विक्राने का इहतिमाल है तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो सकती है या जुर्मानी की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

खाने या पीने की मुजिर शै को बेचना ।

दफ़ः २७३—जो कोई शख़्स खाने या पीने की शै की हैसियत से किसी ऐसी शै को बेचे या मअरिजे वै में रखे या बेचने के लिये

^१ दरवार इ इक्वियार वज़अ क़वाइर मुग़दरिफ़ कुवारनटीन् (क़रनतीन) के—मन्दाइज़ तलब ऐक्ट क़ानतीन मजरियः इ हिन्द सन १८७० ई० (नम्बर १ मुग़दर सन १८७० ई०) [ऐक्ट हाय आम—जिद २ ।]

२ उस खाने या पीने की शै के नेस्त ओ ग़ादद करने के हुक़म देने के इक्वियार के बारे में जिमकी निस्बा तहत दफ़्तरात २७२—२७५ सुवृते जुर्म हो चुका हो—मन्दाइज़ तलब मजदूर नज़ाबिन इ क़ानतीन सन १८९२ ई० (ऐक्ट मजदूर सन १८९२ ई०) पृ २३ २०१ (२) [ऐक्ट हाय आम जिद २ ।]

सन १८६०ई० ।] मजमूअःइ क़वानीने ताजीराते हिन्द । १३५

(बाब १४-उन जुर्मों के बयान में जो आम्म इ सलायक की आफियत और सलायती और आसाइश और हया और आदात पर मुअररर हैं-दक्रआत २७४-२७५ ।)

निकाले जो मुजिर बना दीगई हो या मुजिर होगई हो या ऐसी हालत में हो कि खाने या पीने के काविल न हो यह जानकर या इस अमर के बावर करने की वनह रखकर कि शै मजकूर खाने या पीने के लिये मुजिर है तो शरूख मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ़ः २७४-जो कोई शरूख किसी दवाय मुफरिद या मुरक़व दवाओं में ऐसी तरह से आमैजिश करे कि उसके जरीये से उस दवाय मुफरिद आमैजिश करनी + या मुरक़व की तासीर कम करदे या उसका अमल बदल दे या उसको मुजिर बनादे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि वह किसी मुआलिजे के लिये इस तरह से बिकजाय या काम में आये कि गोया उसमें आमैजिश नहीं हुई तो शरूख मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

दफ़ः २७५-जो कोई शरूख यह जानकर कि किसी दवाय आमैजिश की मुफरिद या मुरक़व में ऐसी तरह पर आमैजिश की गई है कि उसके दुई दवाओं से उसकी तासीर कम होगई या अमल बदल गया या वह मुजिर का बेचना । बना दीगई है उसको बेचे या मारजे वै में रखे या बेचने के लिये निकाले या दवाखाने से मुआलिजे के लिये ऐसी दवा की हैसीयत से जिसमें आमैजिश नहीं की गई तकसीम करे या किसी शरूख से जो उस आमैजिश से वाकिफ न हो मुआलिजे के लिये उसका इस्ति-अमाल कराये तो शरूख मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

^१ मुलाहज़ तलब सफः १३४ का फूट नोट २ ।

(व न १४—उन जुर्मों के बयान में जो आन्मःइ खलायक की आफियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्तर हैं—दफ्त्तात २७६—२७९ ।)

किसी दव को
किमी और
दवाय मुफ़रिद
या मुक्कव
की हैसियत
से बेचना

दफ़ः २७६—जो कोई शरूस् किसी दवाय मुफ़रिद या मुक्कव को किसी और दवाय मुफ़रिद या मुक्कव की हैसियत से जान बूझकर देचे या मारिजे बै में रखे या बेचने के लिये निकाले या दवाखाने से मुआलजे के लिये तकसीम करे तो शरूस् मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक्कदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

आम चश्मे
या हाँज़ के
पानी को
गदला करना ।

दफ़ः २७७—जो कोई शरूस् किसी चश्मःइ आम या हाँज़ आम के पानी को विलइरादः खराव या गदला करे इस तरह पर कि उसको ऐसा करदे कि जिस मतलब के वास्ते वह हस्वे मामूल काम में आता है जैसा था वैसा उसके लायक न रहे तो शरूस् मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक्कदार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

हवा को मुज़िरे
सिहत करना ।

दफ़ः २७८—जो कोई शरूस् किसी जगह की हवा को विलइरादः फ़ासिद करदे इस तरह पर कि वह उन लोगोंकी सेहतके लिये मुज़िर हो जो उमूमन् उसके कुर्व में बूद आं वाश रखते या कारोदार करते हों या किसी गुज़रगाहे आम से होकर आमद आं रफ्त रखते हों तो शरूस् मजकूर को जुर्माने की सजा दी जायेगी जो पांच सौ रुपये तक होसक्ता है ।

किमी शारेअ
आम पर बे
इहतियाती से
गाड़ी चलाना
या सवार
होकर
निकलना ।

दफ़ः २७९—जो कोई शरूस् किसी शारेअ आममें ऐसी बेइहतियाती या गफ़लत से कोई गाड़ी चलाये या सवार होकर निकले कि उससे इन्सान की जान को खतर हो या किसी दूसरे शरूस् का ज़रर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो तो शरूस् मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीनेतक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक्कदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

सन १८६०ई०] मजबूतः क़वानीने ताजीराते हिन्द ! १६७

(बाब १४-उन ज़मों के बयान में जो आम्म इ इलायक़ की आफ़ियत और सन्तमनी और आसाइज और हया और आदात पर मुअस्तर ह-दफ़्त्नात २८०-२८४।)

दफ़्त्: २८०-जो कोई शरूस् किसी मर्क़वेतरी को इस तौर पर वे इहतियाती से मर्क़वेतरी को चलाया।
वे इहतियाती या गफलत से चलाये कि उससे इन्सान की जान को खतर हो-या किसी और शरूस् को जरर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो तो शरूस् मजफूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक हो-सकती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ़्त्: २८१-जो कोई शरूस् भूठी रोशनी या भूठा निशान बूठी रोशनी या पानी पर तैरने वाला निशान दिखलाये इस नीयत से या इस या झूठा श्रमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस दिखलाने के सबब से किसी निशान या मर्क़वेतरी के चलाने वाले की गुमराह करे तो शरूस् मजफूर को दोनों पानी पर तैरने वाले निशान किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी दिखाना। मीआद सात बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ़्त्: २८२-जो कोई शरूस् पानी की राह से किसी शरूस्को किसी शरूस् किसी मर्क़वेतरी में जब कि वह मर्क़वेतरी ऐसी हालत में हो या इस को पानी की क़दर लदा हो कि उसमे उस शरूस् की जानको खतर हो जान बूझ कर या गफलत करके अज़ूरे पर लेजाय या लिवा लेजाय तो शरूस् राहे अज़ूरे पर गैर मामूज या हद से मजफूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी ज़ियाद लदे जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्माने की हुये मर्क़वेतरी सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों में लेजाया। सजायें दी जायेंगी।

दफ़्त्: २८३-जो कोई शरूस् किसी फेल के करने से या किसी चुटकी या माल की निस्वत जो उसके क़वज़े या इहतिमाम मे हो निगहदाश्त तरी की आम तर्क़ करने से किसी शारेअ आम या मराक़िवे तरी की आम राह पर खतरः किसी शरूस् को खतरः या गुजाहमत या नुक़सान पहुंचाये तो या मुज़ाहमत शरूस् मजफूर को जुर्माने की सज़ा दी जायेगी जिसकी मिकदार दो पड़ना। सौ रुपये तक होसकती है।

दफ़्त्: २८४-जो कोई शरूस् किसी जहरीले मादे से कोई फेल जहरीले मादे ऐसी वे इहतियाती या गफलतके साथ करे जिममे इन्सान की जान या निन्वत

(बाब १४-उन जुर्मों के बयान में जो आत्मःइ खलायक की आफियत और सलापती और आसाइश और हया और ज़ादात पर मुअस्तर हैं-दफ्तात २८५-२८६ ।)

तगाकुल
करना ।

को खतर हो या किसी और शख्स को जरर या नुकसान पहुंचने का इहतिमाल हो-

या किसी जहरीले मादे की निस्वत जो उसके पास हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगाह दाश्त तर्क करे जो उस खतरे के दफ्ताः के लिये जिसके पहुंचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस जहरीले मादे से है काफी हो-

तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

आग या आत-
शगीर मादे की
निस्वन तगा-
कुल करना ।

दफ़ः २८५-जो कोई शख्स आग या किसी आतशगीर मादे से कोई फेल ऐसी वेइहतियाती या गफलतके साथ करे जिससे इन्सान की जान को खतर हो या जिससे किसी और शख्स को जरर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो-

या किसी आग या किसी आतशगीर मादे की निस्वत जो उस के पास हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगाह दाश्त तर्क करे जो उस खतरे के दफ्ताः के लिये जिसे पहुंचने का इहतिमाल इन्सान की जानको उस आग या आतशगीर मादे से है काफी हो-

तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

भरते उद-
जाने माते
गदे की निम्न
१९५३
१९५३

दफ़ः २८६-जो कोई शख्स भक से उड़ जानेवाले किमी मादे से कोई फेल ऐसी वेइहतियाती या गफलत के साथ करे जिसमें इन्सान की जान को खतर हो या जिससे किसी दूसरे शख्स को जरर या नुक़सान पहुंचने का इहतिमाल हो-

(बाब १४—उन लुमों के बयान में जो श्वाभः इ इलायक की साक्रियत और सलामती और आसाइश और ह्या और श्वादात पर मुत्तसर है—दफ्तरात २८७—२८८ ।)

या भक से उड़ जाने वाले किसी गाढ़े की निसबत जो उसके पास हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगहदारत तर्ककरे जो उस खतरे के दफैअः के लिये जिराके पहुंचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस भक से उड़ जाने वाले गाढ़े से है काफी हो—

तो शरूस् मजदूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सजा दी जायेगी जिसकी भीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तरः २८७—जो कोई शरूस् किसी कल से कोई फेल ऐसी कल की नि- वेइहतियाती या गफलत के साथ करे जिससे इन्सान की जान को स्वत तशाफुल करना । खतर हो या जिससे किसी दूसरे शरूस् को जरर या नुफ्तान पहुंचने का इहतिमाल हो—

या किसी कल की निसबत जो उसके पास हो या उसके इहति- माय में हो जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगहदारत तर्क करे जो उस खतरे के दफैअः में जिसके पहुंचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस कल से है काफी हो—

तो शरूस् मजदूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी भीआद छः महीने तक हो सकती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तरः २८८—जो कोई शरूस् किसी इमारतके मिस्मार करने या इमारत के मरम्मत करने में उस इमारत की निस्वत ऐसी निगहदारत जान बूझ मिस्मार करने कर या गफलत करके तर्क करे जो उस खतरे से जिसके पहुंचने का या उसकी इहतिमाल इन्सान की जान को उस इमारत या उसके किसी जुज के मरम्मत करने की निस्वत गिरने से है काफी हो तो शरूस् मजदूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी तगाफुल क्रिस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी भीआद छः महीने तक करना ।

(क.व १४-उन जुमा के वयान में जो आम्मःइ खलागक की आक्रियत और सलामती और आसाइश और हया और आदात पर मुअस्तर हैं-दफआत २८९-२९२ ।)

होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

हैवान की निस्वत तगा- फुल करना ।

दफः २८६-जो कोई शख्स किसी हैवान की निस्वत जो उसके पास ही जान बूझ कर या गफलत करके ऐसी निगहदास्त तर्क करे जो इन्सान की जान के खतरे या जररे शदीद के अंदेशे के टफैअः के लिये जिसके पहुंचने का इहतिमाल उस हैवान से है काफी हो तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी-किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजाये दी जायेंगी ।

गजाय अमर वाइसे तकलीफे आम उन सूरतों में कि जिनमें और तरह पर हुकम नहीं है ।

दफः २६०-जो कोई शख्स किसी ऐसी हालतमें किसी अमर वाइसे तकलीफे आम का मुर्तकिय हो जिसकी पादाश में इस मजमूअे की रुसे कोई और सजा मुअययन नहीं है तो शख्स मजकूरको जुर्माने की सजा दी जायेगी जिसकी मिकदार दो सौ रुपये तक होसक्ती है ।

अमरे वाइसे तकलीफ के न करते रहने की हिदायत पाकर उसे करने रहना ।

दफः २६१-अगर कोई शख्स किसी अमर वाइसे तकलीफे आम का इआदः करे या उसे करता रहे जिसको किसी ऐसे सकारी मुलाजिम की जानिव से उस अमरे वाइसे तकलीफ के इआदःन करने या उसे न करते रहने की हिदायत होचुकी हो जो ऐसी हिदायत नाफिज करने का इख्तियारे जायज रखताहो तो शख्स मजकूर को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

कहूश गिाव रिगह का बनना बगैर ।

दफः २६२-जो कोई शख्स कोई फुहुश किताव या रिसाल या तहरीर या तसवीर सादः या रंगदार या शबीह या मूरत बेचे या

१ उन को भी नकल के नेमत ओ नाशुत करने के हुकम देनेके इख्तियारके बारेमें निरदः निस्वत तहने दफः२९२ या दफः २९३ के सुवूत उर्पा होचुका हो-मुलाहकः तन्व मन्मूअः जायिन - तौजराते सव १८९६ ई० (ऐक्ट २ फनदः ३ सव १८९६ ई०) की दफः १३३ [रिगह २५५ गिाव =]

(बाब १४-उन जुमों के वयान में जो आम्मःइ खयालक की आक्रियत और सलामती और आसाइश और ह्या और आदात पर मुअदर हैं—दफआत २९३-२९४ ।)

वांटे या बेचने या किरायः पर चलाने के लिये दूसरे मुल्क से लाये या छापे या अमदन् आम्मःइ खलायक को दिखलाये या ऐसा करने पर इकदाम करे या ऐसा करने को खुद कहे तो शाख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

मुस्तसना—इस दफः का हुक्म उस शबीह को शामिल न होगा (तर्शां हुई हो या खुदी हुई या रंगदार वनी हुई हो या और तरह पर बनाई गई हो) जो किसी मन्दिर के ऊपर हो या अन्दर या किसी ऐसी गाड़ी के ऊपर हो जो बुतों के लेजाने के वास्ते इस्तिअमाल की जाती हो या किसी मजहबी गरज के लिये रखी या इस्तिअमाल की गई हो ।

दफः २६३—जो कोई शाख्स कोई ऐसी फुहुश किताब या फुहुश किताब कोई और शै जो दफःइ अखीरे मजकूरःइ वाला में मुसरः हुई बेचने वगैरः को या वांटने या आम्मःइ खयालक को दिखलाने के लिये अपने पास बेचने या रखता हो तो शाख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की दिखाने के कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती लिये पास हैं या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी । रखना ।

दफः २६४—जो कोई शाख्स औरों के रंज पहुंचाने को— फुहुश अफ- (अलिफ) कोई फुहुश फेल आम्मःइ खलायक की आमद ओ आल और रप्रत की जगह में करे—या गीत ।

(बे) आम्मःइ खलायक की आमद ओ रप्रत की जगह में या उसके करीब कोई फुहुश गीत गाये या कोई फुहुश शेर पढ़े या फुहुश बातें बके—

^१ मुन्नाइज्ज-तलब सफ १४० का फुट नोट ।

^२ दफःइ हाजा असल दफ २९४ की जगह हिन्द के फौजदारी आदिन के तर्माफ करने वाले ऐक्ट सन १८९५ ई० (नम्बर ३ मुसदर इ सन १८९५ ई०) की दफः ३ के जूरी से कायम की गई [ऐक्टहाय आद—जिल्द ६] ।

(ब व १५-उन जुमों के दयान में जो वास्म-इ इजायक की आफिशत और अदन
 लंर आहारा और हदा और सादात पर मुवत्तर है-दफः २९४ (अलिफ)-अ-
 वाव १२ उन जुमों के दयान में जो मजहब से मुतअहिक है-दफः २९५ ।)

उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी
 जायेगी जिसकी मीन्याद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की
 सजा या दोनों सजायें दी जायेगी ।

चिठ्ठी डालने
 के दफ्तर का
 रखना ।

दफः २९४-(अलिफ)-जो कोई शख्स कोई दफ्तर या
 सकान दगरज ऐसी चिठ्ठी डालने के रखे जिसकी इजाजत सर्कार
 से नहीं है तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की
 सजा दी जायेगी जिसकी मीन्याद छः महीने तक होसक्ती है या
 जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेगी ।

और जो कोई शख्स किसी वाक्किअःया इत्तिफाक के बकू पर जो
 निश्चत या तजल्लुक किसी टिकट या कुरःया नम्बर या हिन्दसः
 से ऐसी चिठ्ठी डालने में रखता हो किसी शख्स की सन्फिगत के
 वास्ते कुछ खपया अदा करने या कोई असबाब हचाले करने या किसी
 फेल के चमल में लाने या किसी फेल के करने न देने के लिये कोई
 तजवीज मुस्तहर करे उसको जुर्माने की सजा होगी जो एक हजार
 रुपये तक हो सक्ती है ।

बाब १५ ।

उन जुमों के दयान में जो मजहब से मुतअहिक हैं ।

किसी फिके
 के मजहब
 की तौहीन
 करने की
 नीयत से ।

दफः २९५-जो कोई शख्स किसी इजादतगाह या किसी शैको
 जो लोगों के किसी फिके के नजदीक मुनयरेक समझी जाती हो खराब
 करे या मजरत पहुंचाये या नजिस करे उसके जरीये से लोगोंके किसी
 फिकेके मजहबकी तौहीन करने की नीयतसे या इस अमरके इहतिमालके

सन १८६० ई०] मजमूअः इ क़दानीने ताजीराते हिन्द । १४३

(याव १५-उन जुर्मोंके बयान में जो मजहब से मुतअहिकहै-दफ़्तात २९६-२९८ ।)

इल्म से कि लोगों का कोई फ़िर्कः उस खराब करने या मजूरत पहुँचाने या नजिस करने को अपने मजहब की एक तरह की तौहीन समझेगा तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्ताः २६६-जो कोई शरूख विल इरादः किसी मजमे को ईज़ा पहुंचाये जो मजहबी इवादत या मजहबी रस्मों के अदा करने में ज़ाज़न मसरूफ हों तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्ताः २६७-जो कोई शरूख किसी शरूख का दिल दुखाने या किसी शरूख के मजहब की तौहीन करने की नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि इस के ज़रीये से किसी शरूख का दिल दुखेगा या किसी शरूख के मजहब की तौहीन होभी-

किसी इवादत गाह या कबरस्तान या ऐसे मुक़ाम में जो अदाय सरासिमे तदफ़ीन के लिये मुअय्यन हो या व मंज़िला लाश की बद्रीअत गाहके हो-किसी मुद्राखलते बेजा का मुर्तक़िब हो या किसी लाशे इन्सानी की तजलील करे या उन शरूखों को ईज़ा पहुंचाये जो अदाय सरासिमे तदफ़ीन के लिये जमा हुये हों-

तो शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

दफ़्ताः २६८-जो कोई शरूख सोच विचार कर मजहब की सोच विचार

^१ उन जुर्मों में जो हस्व दफ़्ता २९८ काबिले सज़ा हों राज़ीनाम. हो सक्ता है मुलाहज़ा कर मजहब की वाबत तलब मजमूअ इ ज़ाबित इ फ़ौजदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुत्तदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़्ता ३४५ [ऐक्ट हाय अम-जिल्द ६]-दखुमस उस नौबते दौराने मुक़हम के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनामः जायज़ नहीं है मुलाहज़ाः तलब मजमूअ इ मजकूर की दफ़्ता मजबूर की दफ़्ता इ तहती (५) ।

दिल दोखने
की नीयतसेवात
बैगर करना ।

(बाब १६-उन जुमों के वयान में जो जिन्म इन्सान पर मुअस्तर हैं-दफ़. २९९ ।)
निसवत किसी शरूख का दिल दोखने की नियत से कोई बात कहे
या कोई आवाज़ निकाले जिसको वह शरूख सुन सके या उस शरूख
के पेशे नजर कोई हरकत करे या कोई शै उसके पेशे नजर रखे तो
शरूख मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा
दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सकती है या जुर्माने
की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

बाब १६ ।

उन जुमों के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर हैं ।

उन जुमों के वयान में जो इन्सान की जान पर मुअस्तर हैं^३ ।

कतले इन्सान
मुस्तल्जमे
सजा ।

दफ़: २६६—जो कोई शरूख किसी फेल के इर्तिकाव से हलाकत
का वाइस हो इस नीयत से कि हलाकत बकू में आये या इस नीयत से
कि ऐसा नुक़साने जिस्मानी बकू में आये जिससे हलाकत होजाने का

^३ उन जुमों की इत्तिला के पहुचाने की पाबन्दी के बारे में जो दफ़: ३०२ या ३०३ या
३०४ की रुसे क्राविले सजा है मुलाहज़ तलब मजमूअ इ ज़ावित इ ज़ौनदारी सन १८९८
ई० (ऐक्ट ५ मुसदर ह सन १८६८ ई०) की दफ़ ४४—नीज़ मुलाहज़ तलब (उन
जुमों के बारे में जो दफ़: ३०२ या ३०४ की रुसे क्राविले सजा है) मजमूअ इ मजकूर
की दफ़ ४५—और (दरवार इ कतले अमद और कतले इन्सान मुस्तल्जमे सजा का
हद्दे कतले अमद तक न पहुचवा हो) मजमूअ इ मजकूर की दफ़: ४५ जैसी कि उसकी
तर्फीमे बर्मा के लिये अपर बर्मा के गाओं के रेगुलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर १८ मु-
सदर:३ सन १८८७ ई०) की दफ़ ५ के ज़रीये से—और लोअर बर्मा के गाओं के ऐक्ट
सन १८८९ ई० (नम्बर ३ मुसदर:३ सन १८८९ ई०) की दफ़ ५ के ज़रीये से हुए
हैं [उगा मजमूअ इ कवानीने बर्मा मतवूअ:३ सन १८६६ ई० में] ।

दरवार सजायताबियान. के अपर बर्मा में जरायमे मुसदर इ दफ़आत ३०२ ओ ३०६
ओ ३०७ की पादाश में मुलाहज़: तलब बर्मा के आईनों के ऐक्ट सन १८९८ ई० (नम्बर
१३ मुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ़ ८ (३) (ये) और ज़मीम [मजमूअ इ कवा-
नीने बर्मा मतवूअ:३ सन १८९९ ई०] ।

दरवार इ सजा बपादाश जरायमे तहते दफ़आत ३०२ ओ ३०४ जो ३०७ जो १८८
के जिन्फी तहकीज़ात पंजाब के जिल इ सर्हीदी या विलोचिन्तान में बज़ायिमे कर्तिये
सर्दारान के अमल में आय मुलाहज़. तलब पंजाब के सर्हीदीजरायमे के रेगुलेशन सन
१८८७ ई० (नम्बर ८ मुसदर:३ सन १८८७ ई०) की दफ़. १४ [उगी मजमूअ:
कवानीने पंजाब मतवूअ:३ सन १८८८ ई० के सफ़ह ३९६—और मजमूअ: का

(वाव १६-उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर हैं-दफः २९९ ।)
इहतिमाल है या इस इल्म से कि शालिवन उस फेल के करनेसे वह
हलाकत का दाइस होगा तो वह शख्स जुम कतले इन्सान मुस्तल-
जमे सजा का मुर्तकिब है ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद किसी गार पर लफडिया और घास फूस पाट दे इस नीयत से कि उसके
जरीये से हलाकत का दाइस हो या इस इल्म से कि उसके जरीये से हलाकत होनेका इहति-
माल है और बकर उसको सख्त जर्मान समझ कर उस पर चले और उसमें गिरकर हलाक
होजाय तो जैद कतल इन्सान मुस्तलजम सजाके जुर्मका मुर्तकिब हुआ ।

(बे) जैद यह जानता हो कि बकर किसी झाड़ी के पीछे है और अमर यह न जानता हो
और जैद अमर को उस झाड़ी पर बन्दूक चलाये की तहरीक करे इस नीयत से या इस अमर
के इहतिमाल के इल्म से कि वह तहरीक बकर की हलाकत का दाइस होगी-अमर बन्दूक
चलाये और बकर को हलाक करे-तो इस सूरत में मुमकिन है कि अमर किसी जुर्म का मुज-
रिम न हो मगर जैद कतल इन्सान मुस्तलजम सजाके जुर्मका मुर्तकिब हुआ ।

(जीम) जैद किसी मुर्गी को मारने और चुराने की नीयत से मुर्गी पर बन्दूक चलाये और
बकर को जो किसी झाड़ी के पीछे हो हलाक करे-और जैद को यह न मालूम हो कि बकर
वहाँ है-तो इस सूरत में जैद कतल इन्सान मुस्तलजम सजाके जुर्म का मुजरिम न होगा गो
वह एक फेल नाजायज करता था क्योंकि उसने बकर के मारडालने की नीयत नहीं की थी
और न उसको यह नीयत थी कि ऐसे फेल के करने से जिससे वह जानता था कि हलाकत
होजाने का इहतिमाल है हलाकत का दाइस होजाये ।

तशरीह १-जो कोई शख्स किसी और शख्स को जो किसी
आरजे या मर्ज या जोअफे जिस्मानी में मुबतिलाहो नुकसाने जिस्मानी
पहुँचाये और उसके जरिये से उसकी हलाकत की ताजीलका दाइस
हो तो शख्स मजकूर उसकी हलाकत का दाइस मुतसौवर होगा ।

तशरीह २-जिस हाल में नुकसाने जिस्मानी के सबब से
हलाकत बाके हो वह शख्स जो उस नुकसाने जिस्मानी का दाइस है
उस हलाकत का दाइस मुतसौवर होगा गो मुनासिब तदवीरों और
आकेलानःइलाज की तरफ रुजू करने से उस हलाकत की रोक हो
सक्ती थी ।

(वाव १६—उन जुमों के नयान में, जो जिस्म इन्सान पर मुच्चस्तर हैं—दफ़ः ३००।)

तशरीह ३—रिहमे मादर में किसी वच्चे की हलाकत का वाइस होना क़तले इन्सान नहीं है मगर किसी जिन्दः वच्चे की हलाकतका वाइस होना क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाकी हदतक पहुँच सकता है अगर उस वच्चे का कोई जुज़ रिहम से बाहर निकल आया हो गो उस वच्चे ने सांस न लिया हो या तमाम ओ कमाल पैदा न हुआ हो ।

क़तले अमद ।

दफ़ः ३००—उन सूरतों के सिवा जो नीचे मुस्तसना की जाती हैं क़तले इन्साने मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद होगा ।

पहली—अगर वह फेल जिसके वाइस से हलाकत वाक़े हुई इस नीयत से किया गया कि हलाकत का वाइस हो—या—

दूसरी—अगर फेल ऐसे नुक़साने जिस्मानी के पहुंचाने की नीयत से किया गया हो जिस से मुजरिम के इल्म में शरूख गजन्द रसीदः के हलाक होने का इहतिमाल है—या—

तीसरी—अगर फेल किसी शरूख को नुक़सान जिस्मानी पहुंचानेकी नीयत से किया गया और वह नुक़सान जिस्मानी जिसका पहुंचाना मक़सूद था तवाअत की आदत मामूली के मुवाफ़िक़ याने आदतन् हलाक करने को काफी हो—या—

चौथी—अगर वह शरूख जो उस फेल का मुर्तक़िव है यह जानता हो कि वह फेल ऐसा शिदत से खतरनाक है कि अग़लबन हलाकत या ऐसे नुक़सान जिस्मानीका वाइस होगा जिस से हलाकत वाक़े होनेका इहतिमाल है और उस फेल के इतिक़ाव में हलाकत का खतरः या नुक़सान मज़क़ूरस्सदर का खतरः पैदा करना मद्दज़ विला वजः हो ।

तमसीलें ।

(अलिक़) ज़ैद मज़र के मारबालने की नीयत से उस पर बन्दूक़ चलाये और वज़ा वम सङ्ग से मरनाय तो ज़ैद मज़र अमद का मुर्तक़िव हुआ ।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर है—दफः ३०० ।)

(बे) ज़ैद यह जानकर कि बकर ऐसे मर्ज़ में मुवितला है कि एक ज़र्व से उसके हलाक होजाने का इहतिमाल है उक़सान जिस्मानी पहुचाने की नीयत से बकर को मारे और बकर उस ज़र्व के सबब से मरजाय—तो ज़ैद क़तल अमद का मुजरिम होगा गो ऐसी ज़र्व तबीअत की आदत माहूदः के मुवाफ़िक़ यानी आदतन् किसी तन्दुरस्त शरफ़स की हलाकत के बाइस होने को काफ़ी न होसके लेकिन अगर ज़ैद यह न जानताहो कि बकर किसी मर्ज़ में मुवतिला है और उसके ऐसी ज़र्व लगाये जो तबीअत की आदत माहूदः के मुवाफ़िक़ यानी आदतन् किसी तन्दुरस्त शरफ़स की हलाकत के बाइस होने को काफ़ी न होसके—तो इस सूरत में ज़ैद क़तल अमद का मुजरिम न होगा अगर्चे उसने उक़सान जिस्मानी पहुचाने की नीयत की हो बशर्ते कि हलाक करना या ऐसा उक़सान जिस्मानी पहुचाना उसकी नीयत में न था जो तबीअत की आदत माहूदः के मुवाफ़िक़ यानी आदतन् हलाकत का बाइस होसका है ।

(जीम) ज़ैद तलवार या लठ से बकर को क़सदन् ऐसा ज़रफ़म पहुचाये जो तबीअत की आदते माहूद के मुवाफ़िक़ याने आदतन् किसी आदमी के हलाक करने को काफ़ी होता है और बकर उस ज़रफ़म के सबब से मरजाय तो इस सूरत में ज़ैद क़तले अमद का मुजरिम होगा गो बकर का हलाक करना उसकी नीयत में न था ।

(दाल) ज़ैद लोगों के एक ग़ोल पर महज़ बिला वजह भरी हुई तोप चलाये और उनमें से एक को हलाक करे तो ज़ैद क़तले अमद का मुजरिम होगा गो पहले से फ़िक़ करके उसने किसी ख़ास शरफ़स के हलाक करने का इरादः न कियाहो ।

मुस्तसना १—क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद जबकि क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद नहीं है ।
 न होगा जब कि सरख्त ओ नागहानी वाइसे इश्तिआले तवअ के सबब से मुजरिम को अपने ज़ब्त करने की कुदरत न रहे और वह उस शरफ़स को हलाक करे जिसने वह वाइसे इश्तिआले तवअ दिलाया हो या ग़लती या इत्तिफ़ाक़ से किसी दूसरे शरफ़स की हलाकत का वाइस हो ।

ऊपर लिखा हुआ मुस्तसना नीचे लिखी हुई शर्तों से मशरूत होगाः—

पहली—यह कि मुजरिम खुद उस वाइसे इश्तिआले तवअ का तालिव न हुआ हो या विलइरादः इस गरज़ से उस वाइसे इश्तिआले तवअ का मुहरिक़ न हुआ

^१ दरनारः तख़ल्लुक़ पिज़ार होने इन शर्तों के वाइसे इश्तिआले तवअ पर ज़रर पहुचाने की सूरत में—मुलाहज़ तलव मावाद की दफः ३३५ की तशरीह ।

(वाक १६-उन जुर्मानों के बयान में जो जिरम इन्सान पर मुअस्तर हैं-दफा: ३००।)

हो कि उसे किसी शरवत के हलाक करने या उस को गजन्द पहुंचाने की वजह होजाय ।

दूसरी-यह कि वह वाइसे इशितआले तवअ ऐसे अमर के सबव से न दिलाया गयाहो जो कानून की तामील में किया गया है या जिसको किसी सर्कारी मुलाजिमेने अपनी सर्कारी मुलाजिमी के इशितयारात के निफाजे जायज में किया है ।

तीसरी-यह कि वह वाइसे इशितआले तवअ किसी ऐसे अमर के सबव से न दिलाया गयाहो - जो इस्तिहकाके हिफाजते खुद इशितयारी के निफाजे जायज में किया गयाहै ।

चौथी-यह बात कि आया वह वाइसे इशितआले तवअ वाके में ऐसा शरवत ओ नागहानी था या नहीं कि उससे उस जुर्माने का कतले अमद की हद तक पहुंचना रुक जाय एक अमरे तमकीह तलव है ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद शरवत इ शेज में ओ वकर के दिनाये हुये वाइसे इशितआले तवअ के सबव मुश्नअल होगया हो वकर के तिफल हामिद नाभी को कतदन् हलाक करे तां पर कतले अमद है क्योंकि वह वाइसे इशितआले तवअ तिफल ने नहीं दिलाया था और उन तिफल की हलाकत इत्तिहाक या शामत से किसी ऐसे फेल के करने में बाक़े नहीं हैं जिसका सबव वह वाइसे इशितआले तवअ हुआ हो ।

(बे) वकर जैद को सख्त और नागहान वाइसे इशितआले तवअ दिनाये और जैद उन वाइसे इशितआले तवअ के होते ही वकर पर तपच चलाये और खान्दि के इतफाकाने की न उसकी नीयत हो और न इस अमर का इशितपाल उमके इत्म में हो कि न खान्दि को हलाक करे जो उमके पास खड़ा है मगर नकर नहीं आता और जैद खान्दि को हलाक करे-तो इस अमर में जैद कतले अमद का मुर्तफिय नहीं हुआ बल्कि जिसे तबे इन्सान मुन्तज्जम सजा दा ।

(वाव १६-उन जुर्मों के वयान में जो जिसम इन्सान पर मुअस्तर हैं-दफ्तर ३०० ।)

(दाल) जैद बकर के रूबरू जो मजिस्ट्रेट है गवाह के तौरपर हाजिर हो और बकर यह कहे कि मैं जैद के इजहार के किसी एक लफ्ज पर भी एतिमाद नहीं करता और जैद ने हलफ़दरोशी की और जद इन बातों से दफ़अतन गैज़ में आजाय और बकर को हलाक करे तो यह कतले अमद है ।

(हे) जैद बकर भी नाक मड़ोरने का इक़दाम करे और बकर इस्तिहकाके हिफ़ाजते खुद इस्तियारी के निफ़ाज में जैद को इस लिये पकड़ ले कि उसकी यह हरकत रोके और जैद इस सबब से दफ़अतन् गैज़े शदीद में आकर बकर को हलाक करे तो यह क़तले अमद है क्योंकि वह वारते इस्तिआले नवअ ऐसे अमर से दिलाया गया जो इस्तिहकाके हिफ़ाजते खुद इस्तियारी के निफ़ाज में सरज़द हुआ ।

(वाव) जैद बकर को मारे और बकर उस वाइसे इस्तिआल तबअ के सबब से मुस्तःइ शदीद में मर जाय जैसे ख़ालिद जो करीब खड़ा हुआ हो इस नीयत से कि इस मुस्ते मे जैद को बकर से हलाक कराने का मौक़ा मिल जाय बकर के हाथ में इस शरज़ से एक छुरी देदे और बकर उस छुरी से जैद को हलाक करे तो इस मूरत में मुमकिन है कि बकर सिर्फ़ क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाका मुर्तकिव हो मगर ख़ालिद क़तले अमदका मुर्तकिव होगा ।

मुस्तसना २-क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद न होगा अगर मुजरिम नेक नीयती से इस्तिहकाके हिफ़ाजते खुद इस्ति-यारीये जिसम या माल के निफ़ाज में उस इस्तियार से बढ़ जाय जो उस को क़ानून की रूख़े हासिल है और उस गज़न्द से जो उस हिफ़ा-जत के लिये ज़रूर है जियादः गज़न्द पहुंचाने की पहले से कोई फिक्र या नीयत न करके उस शख्स को हलाक करे जिस के दफ़ैअः में उस इस्तहकाके हिफ़ाजत को नाफ़िज करता है ।

तमसील ।

जैद बकर के कोड़े मारने का इक़दाम करे न इस तरह पर कि बकर को जररे शदीद पहुंच और बकर तपचः निकाल ले और जैद उस हमले में इमरार करे और बकर नेक नीयती से यह समझ कर कि वह अग्ने तई किन्ती और तदवीर से कोड़े खाने से नहीं बचा सक्ता जैद को तपच मार कर हलाक करे तो बकर क़तले अमद का मुर्तकिव नहीं हुआ वरिक्त सिर्फ़ क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाका ।

मुस्तसना ३-क़तले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा क़तले अमद न होगा अगर मुजरिम जो सर्कारी मुत्ताजिम हो या किसी ऐसे सर्कारी मुत्ताजिम की मदद कर रहा हो जो मअदलते आरुमःके इजरा के लिये

(वाक १६—उन जुमों के बयान में जो जिस्म इन्तान पर मुअत्तर हैं—दफ. ३०१ ।)

अमल कर रहा है उन इख्तियारात से जो उसको कानूनकी रूसे हासिल हैं बढ़ जाय और किसी ऐसे फेलके करने से हलाकत का वाइसहो जिस को वह नेक नीयती से जायज़ और अपनी मन्सवी खिदमतकी मुनासिब अन्जाम दिही के लिये बहैसियत उस सर्कारी मुलाज़िमी के जुखुरी सम्भता हो और उस शरूस् से जो हलाक हुआ कुछ अदावत न रखताहो ।

मुस्तसना ४—कतले इन्सान मुस्तलजमे सजा कतले अमद न होगा अगर पहले से फिक्र न करके नागहानी तनाजों के वाके होने पर बहालते गैज़ नागहानी लड़ाई में उसका इत्तिकाव हुआहो—और विदून इसके कि मुजरिमने उस अमलमें ना मुनासिब इस्तिफादः किया हो वे रहमी से या गैर मुस्तअमल तौरपर अमल किय हो ।

तशरीह—ऐसी सूरतों में यह अमर लिहाज़ तलब नहीं है कि इश्तिआले तबअ किस फरीक ने दिलाया या किसने पहले हम्ले का इत्तिकाव किया ।

मुस्तसना ५—कतले इन्सान मुस्तलजमे सजा उस हालत में कतले अमद न होगा जब कि वह शरूस् जो हलाक किया गया है अद्वारः बरस से ज़ियादः उमर का हो और अपनी रिजामन्दी से हलाक कियाजाय या हलाकत का खतरः उठाये ।

तमसील ।

ज़ेद बकर से जिसकी उमर अद्वारः बरस से कम है तर्षीब देकर बिल इशदः खुद इशी का इत्तिकाव कराये तो चूकि इस घूरत में बकर फम उमरी के वाइस से अपनी हलाकत की इत्तबत रिजामन्दी ज़ाहिर करे के ज़ाविल न था इत्त लिये ज़ेदेन कतल अमदमें इज़ानतबी ।

जिन शरूस्
का हलाक
करना मक-
रूद था उक्तके
सिवा किसी
और जो
इतक तरे
के इत्तबत

दफ़ः ३०१—अगर कोई शरूस् कोई ऐसा अमर करने से जिस से उसकी यह नीयत हो या जिससे इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में हो कि वह हलाकत का वाइस होगा किसी ऐसे शरूस् की हलाकत का वाइस होकर कतले इन्सान मुस्तलजमे सजाका इत्तिकाव करे जिसकी हलाकत के वाइस होने की न तो उसने नीयत की न इम अमर का इहतिमाल उसके इल्म में था कि वह उसकी हलाकतका

(वाच १६—उन जुर्मों के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर हैं—

दफआत ३०२-३०४ (अलिफ) ।)

वाइस हो तो यह कतल इन्सान मुस्तलजमे सज़ा जिस का वह इन्सान मुस्तल-
मुजरिम मुर्तकिव हुआ है उसी किसम का है जो उस हाल में ज़मे सज़ा ।
होता जब कि मुजरिम उस शरूस् की हलाकत का वाइस हुआ होता
जिसकी हलाकत उसकी नीयत में था या इस अमर का इहतिमाल
उसके इल्म में था कि उसकी हलाकत का वाइस होगा ।

दफ़ा ३०२—जो कोई शरूस् कतल अमद का मुर्तकिवहो उस सज़ाय क़तले
को सज़ाय मौत या हब्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर की सज़ा दीजा- अमद ।
येगी और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ा: ३०३—कोई शरूस् जिसकी निस्वत हब्स दवाम वउवूरे सज़ाय क़तले
दर्याय शोर का हुक्म सज़ा सादिर होचुका हो क़तले अमद का कव.इ मुज-
मुर्तकिव हो तो उसको सज़ाय मौत दी जायेगी । रिम जो जनम
कैदी हो ।

दफ़ा: ३०४—जो कोई शरूस् ऐसे क़तले इन्सान मुस्तलजमे सज़ाय क़तले
सज़ा का मुर्तकिव हो जो क़तले अमद की हद को न पहुंचता हो तो इन्सान मुस्तल-
उस शरूस् को हब्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर की सज़ा दी जायेगी ज़मे सज़ा जो
या दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सज़ा दी जायेगी क़तले अमद
जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी तक न पहुंचे ।
मुस्तौजिव होगा वशर्तेकि वह फेल जिससे हलाकत वाक़े हुई हलाकत
के वाइस होने की नीयत से या ऐसे नुक़साने जिस्मानी के वाइस होने
की नीयत से किया गया जिससे हलाकत वाक़े होने का इहतिमालहै—

या दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सज़ा दी जायेगी
जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सज़ा या
दोनों सज़ायें दी जायेंगी वशर्तेकि फेल मजकूर इस इल्म से किया
गया हो कि उससे हलाकत के वाक़े होने का इहतिमाल है मगर कुछ
यह नीयत नहो कि उससे हलाकत वाक़े हो या ऐसा नुक़साने जि-
स्मानी पहुंचे जिससे हलाकत वाक़े होनेका इहतिमाल है ।

दफ़ा: ३०४ (अलिफ)—अगर कोई शरूस् किसी वेइहतियाती गफ़लत करने
या गफ़लत के फेल से जो क़तले इन्सान मुस्तलजमे सज़ाकी हदतक से वाइस
हलाकती का

^१ दफ़ा ३०४ (अलिफ) मजमूअःइ कवानीने ताजीराते हिन्दके तर्पाम करनेवाले ऐवट होना ।

(वाच १६-उन जुमों के वयान में जो जिस्म इस्तान पर मुअस्सर हैं-
दफ्त्रात ३०५-३०७।)

न पहुंचे किसी शरूस् की हलाकत का वाइस हो तो उसको दोनों
किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी
मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों
सजायें दी जायेंगी ।

खुद कुशी में
निष्क या
फातिरक
अकल की
इआनत ।

दफ्त्रः ३०५-अगर कोई शरूस् जिसकी उमर अठारह बरस से
कम हो या कोई फातिरक अकल या कोई बसलूबुल्हवास या कोई
मखवते फितरी या कोई सुतनशरी खुदकुशी का इतिंकाव करे तो
जो कोई शरूस् उस खुदकुशी के इतिंकाव में इआनत करे उसको
सजाय मौत या हवस दवाय बडवूरे दर्याय शोर या ऐसी कैद की
सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस से जायद न हो और
वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

खुद कुशी में
इआनत ।

दफ्त्रः ३०६-अगर कोई शरूस् खुदकुशी का इतिंकाव करे तो
जो कोई शरूस् उस खुदकुशी के इतिंकाव में इआनत करे उसको
दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी
जिसकी मीआद दस बरस होसक्ती है और वह जुर्माने का भी
मुस्तौजिव होगा ।

कानके अगद
का इकदाम

दफ्त्रः ३०७-जो कोई शरूस् कोई फेल ऐसी नीयत या ऐसे
इल्म से और ऐसी हालत में करे कि अगर वह उस फेल के जरीये से
हलाकत का वाइस होता तो कतल अमद का मुजरिम होता उसको
दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी
जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी
मुस्तौजिव होगा और अगर उस फेल के वाइस से किसी शरूस् को
जरर पहुंचे तो मुजरिम या तो हवस दवाय बडवूरे दर्याय शोर का या
उम सजाका जो इस दफ्त्रः में पहले वयान कीगई है मुस्तौजिव होगा ।

रन् १८७० ई० (नम्बर २७ मुमदर इ सन् १८७० ई०) की दफ्त्रः ६२ के इतिंके
यासिक कीगई [ऐक्ट हाय ग्राम की-हिन्द २] ।

दस मजमूअःइ कवानीन के वाच ८ ओ ५ ओ २३ उन जुमों के मुवशरिफ हैं के इल्म
दफ्त्रः ३०४ (अलिक) काबिले मजा है-मजमूअ तयन मजमूअ इ अवागी ताजीरा
दिन्द के तर्फीम बरनेवाले ऐक्ट रन् १८७० ई० (नम्बर २७ मुमदर इ रन् १८७० ई०
की दफ्त्रः ३३ [ऐक्ट हाय ग्राम-हिन्द २] ।

(वाच १६-उन जुर्मों के बयाग में जो जिसम इन्सान पर मुअस्तर हैं-दफ़. ३०८ ।)

जिस हालत में कि कोई शख्स जो हस्व दफ़इ हाजा मुजरिम होकर इकदाम मुज-
रजाये हस्व दवाय वउसूरे दर्याय शोर की भुगत रहाहो उस खूरत में गिर्मों की तरफ
अगर किसी शख्स को जरूर पहुंचे तो उसको सजाय मौत होसक्ती है। मे जो जन्म
कैरी हो ।

तमसीलें ।

(अलिक) जैद बकर को हलाक करने की नीयत से ऐसी हालत में उस पर बन्दूक चलाये
कि अगर उससे हलाकत वाके होती तो जैद कतल आमद का मुजरिम होता तो जैद इस दफ़ः
की रू से सजाका मुस्तौजिब है ।

(बे) जैद किसी कम उमर तिफ़ल के हलाक कराने की नीयत से उसको किसी तीरान
जगह में डालदे तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़. में की गई
है गो उस तिफ़ल की हलाकत वाके न हो ।

(जीम) जैद बकर के मारडालने की नीयत करके एक बन्दूक खरीदे और उसको भरे
तो हनोज़ जैद जुर्म का मुर्तकिब नहीं है फिर जैद बकरपर बन्दूक चलाये तो जैद उस
जुर्म का मुर्तकिब होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है और अगर उस बन्दूक च
लाने से वह बकर को ज़हमी करे तो जैद उस राजा का मुस्तौजिब होगा जो इस दफ़ः के
२ [फ़िक्कःइ अब्वल] के हुज़ाव अख़ीर में मुकरर की गई है ।

(दाल) जैद बकर को ज़हर से मारडालने की नीयत करके ज़हर खरीदे और उसको
उस खाने में मिलादे जो जैद की तहवील में रहताहो तो हनोज़ जैद ने उस जुर्म का इति-
बाव नहीं किया जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है, फिर जैद उस खाने को बकरकी
मेज़ पर लगाये या बकर के नौकरों को दे दे कि वह उसको बकर की मेज़ पर लगाये तो
जैद उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है ।

दफ़ः ३०८—जो कोई शख्स कोई फेल ऐसी नीयत या ऐसे कतल इन्सान
इल्म से और ऐसी हालत में करे कि अगर वह उस फेल के जरीये मुस्तलज़मे
से हलाकत का बाइस हो तो वह उस कतले इन्सान मुस्तलज़मे सजा का इति-
काव का
का मुजरिम हो जो कतल आमद की हद को नहीं पहुंचता है तो शख्स इकदाम ।
यज़कूर को दोनों क़िसमों में से किसी क़िसम की कैद की सजा दी

^१ यह जिम्न मजमूअइ क्वालीने ताजीराते हिन्दके तर्माग करनेवाले ऐक्ट सन् १८७०
ई० (नम्बर २७ मुसदर इ सन् १८७० ई०) की दफ़. ११ के ज़रीये से इलाहक की
गई [ऐक्ट हाय शाम-जिल्द २] ।

^२ यह अल्फ़ाज़ मन्सूअ और तर्माग करने वाले ऐक्ट सन् १८९२ ई० (नम्बर १२
मुसदरः सन् १८९१ ई०) के जरीये में तामिल कियेगये [ऐक्ट हायशाम-जिल्द ६] ।

(बाब १६—उन हकों के बयान में जो जिरम इन्सानपर मुअत्तर है—
दफ्तान ३०९—३११ ।)

जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी और अगर उस फेल के वाइस से किसी शख्स को जरर पहुंचे तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

तमसील ।

जैद तख्त तौर नागहानी बाइसे इश्तियाल तवअ के सबसे बकर पर ऐमी हान में तमच- चलाये कि अगर वह उस के जरिये से हलाकत का नाइत होता तो वह उम कतले इन्सान हुस्तलजमे सजाका मुजरिम होता जो कतले आमद को हद तक नहीं पहुंचता है तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिन हुआ जिसकी तारीफ इत दफ्तः में की गई है ।

खुद कुशी के
इतिकार का
इल्दाम ।

दफ्तः ३०६—जो कोई शख्स खुदकुशी के इतिकार का इल्दाम करे और कोई ऐसा फेल करे जो जुर्म मजकूर के इतिकार की तरफ मुन्जर हो तो शख्स मजकूर को कैद महजकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है [या जुर्माने की सजा दी जायेगी या दोनों सजायें ।]

ठग

दफ्तः ३१०—जिस किसी शख्सने किसी वक्त वाद जारी होने इस ऐक्ट के किसी और शख्स या और अशख्स के साथ आदत में इस गरज से मिलाप रखाहो कि कतले आमद के जरिये से या यशूल कतले आमद के सर्कःइ विल जत्र या दुजदीये अतफाल के जुर्म का इतिकारहो वह ठग कहलाया जायेगा ।

सजा ।

दफ्तः ३११—जो कोई शख्स ठगहो उसको हक्स टवाम चउवरेद-र्याय शोरकी सजा दी जायेगी और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब होगा ।

(बाब १६ उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्तान पर मुअस्तरह-
दफ़आत ३१२—३१४ ।)

इस्काते हमल कराने और जनीन को नुक़सान पहुंच-
चाने और बच्चों को बाहर डाल देने और
इस्काय तवल्लुदके बयान में ।

दफ़ः ३१२—जो कोई शख्स बिलइरादः किसी औरत के इस्काते हमल
इस्काते हमल का वाइस हो तो अगर वह इस्काते हमल नेक नी- करना ।
यती से उस औरत की जान बचाने के लिये न कराया गया हो
तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की
सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या
जुर्मने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी और अगर उस औ-
रत के जनीन में जान पड़ गई हो तो शख्स मजकूर को दोनों
किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायगी जिसकी
मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मु-
स्तौजिव होगा ।

तशरीह—वह औरत जो खुद अपने इस्काते हमल की वाइस
हो इस दफ़ः की मुराद में दाखिल है ।

दफ़ः ३१३—जो कोई शख्स बिला रिजामन्दी औरत के उस औरतकी बिला
जुर्म का मुर्तकिव हो जिसकी तारीफ़ दफ़ः इ अखीरे मजकूरः इ वाला रिजामन्दी
में की गई है आम इस से कि उस औरत के जनीन में जान पड़ गई इस्काते हमल
हो या नहीं तो शख्स मजकूर को हबस दवाम चउबूरे दरियाय शोर करना ।
की सज़ा दीजायेगी या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैदकी
सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह
जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ३१४—जो कोई शख्स किसी औरत का इस्काते हमल हलाकत
कराने की नीयत से कोई ऐसा फेलकरे जो उस औरत की हलाकत जिमका व इम
का वाइसहो तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में किसी किस्म वह फेल हो
की कैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती जो इस्काते
है और वह जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा । हमल कराने
की नीयत में
नियोग्य है ।

और अगर वह फेल बिला रिजामन्दी उस औरत के किया जाय

(कान १६-उन उमों के बचान में जो कित्म इन्तान पर हज़रत है-
दफ्तरात २१९-२२७ ।)

लौकिक की
जिन्दा रिजा-
गन्दी जिन्दा
करा है ।

तो या तो हक्स वचान बखूरे दरियाय शोर की सज़ा दीजायेगी या
वह सज़ा दीजायेगी जो पहिले वचान की गई है ।

तशरीह-इस जुर्म के सुतहक़िक होने के लिये हुजरिम या
यह जानना ज़रूर नहीं है कि उस फ़ेल से हलाकत चाहे होने का
इत्तिमाल है ।

फ़ेल को बच्चे
को जिन्दः
पैदा होने देने
या पैदा होने
के बाद उसकी
रक्तमन का
व्यक्त होने
की नीयत से
किया गया है ।

दफ्तरः ३१५-जो कोई शख्स किसी बच्चे को पैदा होनेसे पहले
कोई फ़ेल इस नीयत से करे कि वह उसके चाइस से उस बच्चे के
जिन्दः पैदा होनेको रोके या उसके पैदा होनेके बाद उसकी हलाकत
का चाइस ही और उस फ़ेल से उस बच्चे के जिन्दः पैदा होनेको
रोके या उसके पैदा होने के बाद उसकी हलाकत का चाइस हो तो
अगर वह फ़ेल नेक नीयती से म की जान बचाने के लिये किया
गया हो तो शख्स मजसूम को दोनों कित्मों में से किसी कित्म की
कैद सज़ा दीजायेगी जिसकी सीज़ाद दस बरस तक होसकती है या
हुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दीजायेगी ।

दफ्तरः ३१६-जो कोई शख्स ऐसी हालत में कोई फ़ेल करे
कि वह अगर उसके ज़रीये से हलाकत का चाइस होता तो वह ज़रते
इन्सान हुस्तदजमे सज़ा का हुजरिम होता और उस फ़ेल से किसी
वानदार जनीन को हलाक कराने तो शख्स मजसूम को दोनों
कित्मों में से किसी कित्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी
सीज़ाद दस बरस तक होसकती है और वह हुर्माने का भी हुर्मा
जिन्द होगा ।

(बाब १६-उन जुमो के बयानमें जो जिस इन्तानफ गुअस्तरहें- दफ्तरात ३१८-३१९।)
 इस नीयत से डाल दे या छोड़ दे कि उस तिफूल से कता तबल्लुक मुहाकिल का
 करे तो शख्स मजदूर को दोनों किराँ में से किसी किसम की कैद वारहवरस से
 की सजा दी जायेगी जिसकी मीन्नाद सात बरस तक होसक्ती है या कम उमर के
 जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी । बच्चे को डाल
 देना और

लशरीह-इस दफ्तः से यह सुराद नहीं है कि मगर उस डाल- छोड़ देना ।
 देने के समय से वह तिफूल हलाक हो जाय तो मुजरिम जुर्म कतले
 अमद या कतले इन्तान मुस्ततजमे सजा में-जैसी सुरत हो माखूज
 न किया जाय ।

दफ्तः ३१८-जो कोई शख्स किसी तिफूल की लाश चुपके से लाश को चुप
 दफन कर देनेसे या किसी और तरह उस को अलाहिदः कर देने से के से रख देने
 कुरादन उस तिफूल के तबल्लुक का इखफा करे या उसके इखफा में से इखफाय
 जिहद करे आम इससे कि वह तिफूल पैदा होने से पहले या पीछे या बलादत ।
 पैदा होने में मर गया होतो शख्स मजदूर को दोनों किसमों में से
 किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीन्नाद दो
 बरस तक होसक्ती या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

१

जरर के बयान हैं ।

दफ्तः ३१६-जो कोई शख्स किसी शख्स को दर्द जिस्मानी जरर
 या मर्ज जिस्मानी या जोफे जिस्मानी पहुंचाये तो कहा जायेगा
 कि उसने जरर पहुंचाया ।

^१ दरवार. तम्बलुक पज़ार होंगे दफ्तरात ३२७ लगायत ३३१ मित्तवत जगयम तहत
 कानूनी मुद्दतस्तुक अमर या मुद्दतस्तुक मकामके-मुल्हाइज़ तलवमा कवल की दफ्तः ४० ।

उप शर्तों में जो तहत दफ्तरात ३२३ ओ ३३४ काबिले सजा हैं। राजीनामः हो सकता
 है और जो तहत दफ्तरात ३२४ ओ ३२५ ओ ३२५ ओ ३३७ ओ ३२८ काबिले सजा है उन
 में बइजाज़ते अदालत राजीनाम होसक्ता है-मुल्हाइज़ तलव मजमूअ इ जावितः २ फौजदा-
 री सन् १८९८ ई० (एफ्टपमुसदर इ सन १८९८ ई०) की दफ्तः ३४५ [छपा ऐन्टहाय-आम-
 जिद ६] दर सुफूस उम नौवने दौगने मुकदम के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदुरा-
 जीनामः जायज़ नहीं है मुल्हाइज़ तलव मजमूअ इ मजदूर की दफ्तः इ तहतती (५)।

दरवारः सजाय ताज़ियानः के अरर वर्मा में जगयपे मुसरः इ दफ्तरात ३२५ ओ ३२६
 ओ ३२७ ओ ३२९ ओ ३३२ की पादाता में-मुल्हाइज़. तलव अमर वर्मा के जानो के ऐन्ट

१५८ मजमूअः इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द । [ऐक्ट ४५]

(बाब १६- उन जुमोंके बयानमें जो जिस्म इन्सानपर मुअस्मर हैं दक्रुआत ३२०-३२१।)

ज़ररे शदीद ।

दक्रुः ३२०-ज़रर की सिर्फ़ वह किस्में जो नीचे लिखी जाती हैं "ज़ररे शदीद" कही जायेंगी ।

पहली-मुखन्नस किया जाना ।

दूसरी-किसी एक आंख की वसारत का हमेशः के लिये मादूम किया जाना ।

तीसरी-किसी एक कान की समाअत का हमेशः के लिये मादूम किया जाना ।

चौथी-किसी अज़्व या मुफ़स्सल का मादूम किया जाना ।

पांचवीं-किसी अज़्व या मुफ़स्सल के कुत्रा का मादूम किया जाना या हमेशः के लिये जईफ़ किया जाना ।

छठी-सर या चिहरे का हमेशः के लिये बद सूरत किया जाना ।

सातवीं-किसी हड्डी या दांत का तोड़ डाला जाना या उखाड़ डाला जाना ।

आठवीं-कोई ज़रर जो जान को खतरे में डाले या वीसरोज़के अर्से तक शख्स ज़रर रसीदःको सख्त दर्द जिस्ममानीमें मुवतलारसे या उसको अपने मामूली कारोबार के करने के नाकाविल करदे ।

दक्रुः ३२१-जो कोई शख्स इस नीयतसे कोई फेल करे कि उस के जरीये से किसी शख्स को ज़रर पहुंचाये या इसअमर के इहतिमात

बिल इराद
ज़रर पहु-
चाना ।

सा १८९८ ई० (नम्बर १३ मुसदरः इ सन १८९८ ई०) की दक्रु. ४ (३) वे और ज़र्मायः
[मजमूअः इ क़वानीने वर्मा मतवूअ इ सन १८९९ ई०]-और ज़िलः इ सहेदीये पजब में
बिल्दचिस्तान में बपादाश उन जरायमके जो तहत दक्रुआत ३२५ ओ ३२६ के शामिल सहा
है-मुलाहज़ तलबपंजाब के सहेदी जरायम के रेगुलेशा सन १८८७ ई० (नम्बर १
मु-दर इ सन १८८७ ई० की) दक्रु. ८ [मजमूअ इ क़वानीने पजाब मतवूअ इ सन
१८८८ ई०-और मजमूअः इ क़वानीने बिल्दचिस्तान मतवूअ इ सन १८९० ई०] ।

दरबारः इ सज़ा बपादाश जरायम तहत दक्रुआत ३२५ ओ ३२६ ओ ३२८ के तहत
तहकीकात पजाब के ज़िल इ सहेदी या बिल्दचिस्तान में बज़रिये कोनितले सर्दागन के अमर
में आये-मुलाहज़ तलब पंजाब के सहेदी जरायम के रेगुलेशा सन १८८७ ई० (नम्बर १
मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दक्रु. १५ [मजमूअ इ क़वानीने पजब मतवूअ इ सन
१८८८ ई०] और मजमूअ इ क़वानीने पजब मतवूअ इ सन १८८८ ई० (नम्बर १)

सन १८६०ई०] मजपूचःइ क्तानीने ताजीराते हिन्द । १५६

(वाच १६—उन जुओंके बयानमें जो जिसम इन्सानपर मुअस्तरहै—दरुआत ३२२—३२४।)

के इल्म से कि उस फेल के जरीये से वह किसी शख्स को जरर पहुंचायेगा और उस के जरीये से वह किसी शख्स को जरर पहुंचाये तो कहा जायेगा कि उसने “विल इरादः जरर पहुंचाया” ।

दफः ३२२—जो कोई शख्स विलइरादः जरर पहुंचाये तो अगर वह जरर जिसका पहुंचाना उसकी नीयत में हो या जिसको वह जानता हो कि उससे उसके पहुंचने का इहतिमाल है जररे शदीद हो और जो जरर उसने पहुंचाया है वह जररे शदीद है तो कहा जायेगा कि उसने “विलइरादः जररे शदीद पहुंचाया” ।

तशरीह—यह बात कि एक शख्सने विलइरादः जररेशदीद पहुंचाया न कही जायेगी बजुज इसके कि वह जररे शदीद पहुंचाये और उस की यह नीयत भी हो या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में भी हो कि वह उस फेल के जरीये से जररे शदीद पहुंचाये लेकिन अगर वह यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जानकर कि वह एक किसम का जररे शदीद पहुंचायेगा फिलवाके किसी और किसम का जररे शदीद पहुंचाये तो कहा जायेगा कि उस शख्सने विलइरादः जररे शदीद पहुंचाया ।

तमसील ।

जैद यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जान कर कि बकर के चिहरे को हमेश के लिये बदपूरत करदे बकर के एक जर्ब लगाये जो बकर के चिहरे को हमेशःके लिये बदपूरत तो न करे मगर उस क सबब से बामरोज के अन्ते तक बकर को सख्त दर्द जिस्मानी में मुबतिला रखे—तो जैदो विल इराद जररे शदीद पहुंचाया ।

दफः ३२३—जो कोई शख्स उस सूरत के सिवा जिसकी निस्वत दफः ३३४ में हुकम है विलइरादः जरर पहुंचाये तो मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसक्ती है या जुर्मानेकी सजा जिसकी मिक्तरदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफः ३२४—जो कोई शख्स उस सूरत के सिवा जिसकी निस्वत दफः ३३४ में हुकम है तीर या गोली वगैरः छोड़ने या भोंकने या काटने

(बान १६-उन दुनों के बयानने जो जिहम इन्सान पर मुअत्तर हैं-उरुशान २५-२७)

पत्तीलेंते बिल
इरादः जरर
पहुंचाना ।

के किसी हथियार या किसी ऐसे हथियार के जरीये से जिसको हवे में
काम में लाये तो उसके बाइस से हलाकत के दाने होनेका इहतिमान
है या घान या किसी गर्भ कियेहुये मादे के जरीये से या किसी जहर या
किसी अकाल मादे के जरीये से या भकसे उड़ जाने वाले किसी दाने
के जरीयेसे या किसी ऐसे मादे के जरीये से जिसका दान लगाना या लिग
लना या खून में फिला लेना इन्सान के जिस्म को मसयूम करे या किसी
हैवान के जरीये से बिलइरादः जरर पहुंचाये तो उस शख्स को दोनो
किस्मों में से किसी किस्म की कैदगी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद
तीन बरस तक होसकती है या जुर्माने की सजा या दोनो सजायें दीजायेंगी ।

बिल इरादः
जररे शदीद
पहुंचाने की
सजा ।

दफः ३२५-जो कोई शख्स उरु खूरत के सिवा जिसकी नि-
रयत दफः ३३५ में हुक्म है बिल इरादः जररे शदीद पहुंचाये तो उस
शख्स को दोनो किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी
जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसकती है और वह जुर्माने
का भी मुस्तौजिब होगा ।

सन १८६०ई०] मजबूतः कवानीने ताजीराते हिन्द । १६१

(भाव १६—उन जुर्मों ले बयानमें जो जिस्म इन्मानपर गुअस्तरहे—दफ्तात ३२८—३३०।)

विलजत्र करे या इस लिये कि शख्स जररसीदः को या किसी कने या किसी
 और शख्स को जो शख्स जररसीदः से गरज रखता हो कोई ऐसा फेले खिलाफे
 अमर करने पर मजबूर करे जो खिलाफे कानून है जिससे किसी जुर्म कानून पर मज-
 का इतिकार सहल होजाये तो शख्स मजबूर को दोनों किस्मों में बुर करने के
 से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस लिये विलइराद
 बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा । जरर पहुंचना ।

दफ्ता: ३२८—जो कोई शख्स किसी किस्म का जहर या कोई इतिकारजुर्मकी
 बेहोश करनेवाली या मुनश्शी या मुजिरे सिहत दवाय मुफरिद या नीयत से जहर
 कोई दूसरी शै इस नीयत से किसी शख्स को खिलाये या खिलवाये वगैरे के जरिये
 कि उस शख्स को जरर पहुंचाये या इस नीयत से कि किसी जुर्म का पहुंचना ।
 इतिकार करे या उसके इतिकार को सहल करे या इस अमर के इह-
 तिमाल के इल्म से कि वह उसके जरिये से जरर पहुंचायेगा तो
 शख्स मजबूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा
 दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह
 जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ्ता: ३२९—जो कोई शख्स विलइरादः इसलिये जररे शदीद मालका इतिह-
 पहुंचाये कि शख्स जररसीदः से या किसी और शख्स से जो साले विल जत्र
 शख्स जररसीदः से गरज रखता हो किसी माल या किफालतुल- वरने या किसी
 माल का इस्तिहसाले विलजत्र करे या इस लिये कि जररसीदः को फेले खिलाफे
 या किसी और शख्स को जो शख्स जररसीदः से गरज रखता हो कानून पर मज-
 कोई ऐसा फेल करने पर मजबूरकरे जो खिलाफे कानून है या जिससे बुर करने के
 किसी जुर्म का इतिकार सहल होजाय तो शख्स मजबूर को हक्स लिये विलइरादः
 दवाम बखूरेदर्याय शोर की सजा दी जायेगी या दोनों किस्मों में से जररे अदाद
 किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दसबरस पहुंचाना ।
 तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ्ता: ३३०—जो कोई शख्स विल इरादः इसलिये जरर प इकरारका इस्ति-
 पहुंचाये कि जररसीदः से या किसी और शख्स से जो जररसीदः इसाले विलजत्र
 से गरज रखताहो जररन कोई ऐसा इकरार या मुखबिरी कराये जो करे या

(भाव २६-उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर है-दफ्तः ३३१।)

माल के वापस किसी जुर्म या बदकिर्दारी के मुनक़शिफ कर देने की तरफ मुंजर कर देने पर हों या इस लिये कि जरररसीदः को या किसी और शख्स को जो मजबूर करने के लिये बिल जरररसीदः से गरज रखता हो किसी माल या किफालतुलमाल के वापस करने या वापस कराने पर या किसी दावे या मुतालिवे के अदा करने या ऐसी मुखबिरी करनेपर जो किसी माल या किफालतुलमाल के वापस करनेकी तरफ मुंजर हो मजबूर करे तो शख्स यजकूर को दोनों किरियों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

तमसीलें ।

(अलिक) ज़ैद कि उहद दारे पुछीस है बकर को इस अगर के इकरार करनेकी तहरीक करने के लिये कि उसने जुर्म वा इर्तिक़ाब कियाहै उक़ूवत दे तो ज़ैद इस दफ्तः की रू से एक जुर्म का मुजरिम है ।

(बे) ज़ैद कि उहदःदारे पुछीस है बकर को उस जगह के बतलाने की तहरीक करनेके लिये जहा कोई माले मतरूकः रखा हो उक़ूवत दे तो ज़ैद इस दफ्तः की रू से एक जुर्म का मुजरिम है ।

(जीम) ज़ैद कि सरिश्तः मालका उहद दार है बकर को सर्कारी नाक़ी के अदा करने पर मजबूर करने के लिये जो उसके जिम्मा वाजिबुलअदा है उक़ूवतदे तो ज़ैद इस दफ्तः की रू से एक जुर्म का मुजरिम है ।

(टाल) ज़ैद कि ज़मींदार है किसी काश्नकार को अपना ज़रे लगान अदा करने पर मजबूर करने के लिये उक़ूवत दे तो ज़ैद इस दफ्तः की रू से एक जुर्म का मुजरिम है ।

इकरार का इतिहासाले बिलजत्र करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये दफ्तः ३३१ — जो कोई शख्स बिल इरादः इसलिये जररे शर्दीद पहुंचाये कि जरररसीदः से या किसी और शख्स से जो जरररसीदः से गरज रखताहो जवरन कोई ऐसा इकरार या मुखबरी कराये जो किसी जुर्म या बदकिर्दारी के मुनक़शिफ कर देने की तरफ मुंजर हो या इस लिये कि जरररसीदः को या किसी और शख्स को जो जरररसीदः से गरज रखता है किसी माल या किफालतुलमाल के वापस करने या वापस कराने पर या किसी दावे या मुतालिवे के अदा करने या ऐसी मुखबिरी करने पर जो किसी माल या किफालतुलमाल के वापस करने

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुग़लतर है—

दफ़्तार ३३२-३३४ ।)

की तरफ़ मुंजरहो मजबूर करे तो उस शरूख को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दस वरस तक हो सकती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़्तः ३३२—जो कोई शरूख किसी शरूख को जो सर्कारी मुलाजिम है जब कि वह अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से खिदमते मन्सवी को अन्जाम देरहाहो विल्इरादः जरर पहुंचाये या इस नीयत से कि वह उस शरूख को या किसी दूसरे सर्कारी मुलाजिम को उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से उसकी खिदमते मन्सवी की अन्जामदिही से रोके या डराये विल्इरादः जरर पहुंचाये या बसवव किसी अमर के जो उस शरूख ने अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से खिदमते मन्सवी की अन्जामदिहीये जायज में किया हो या करने की जिहद की हो विल्इरादः जरर पहुंचाये तो शरूख मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्तः ३३३—जो कोई शरूख किसी शरूख को जो सर्कारी मुलाजिम हो जब कि वह अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियतसे अपनी खिदमते मन्सवीको अन्जाम देरहा हो विल्इरादः जररे सदीद पहुंचाये या इस नीयत से कि उस शरूखको या किसी दूसरे सर्कारी मुलाजिम को उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से उसकी खिदमते मन्सवी की अन्जामदिहीसे रोके या डराये या बसवव किसी अमर के जो उस शरूखने अपनी सर्कारी मुलाजिमीकी हैसियतसे खिदमते मन्सवी की अन्जामदिहीये जायज में किया हो या करने की जिहदकी हो विल्इरादः जररे सदीद पहुंचाये तो शरूख मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरसतक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिब होगा ।

दफ़्तः ३३४—जो कोई शरूख सरूख और नागहानी वाइसे इशित-वाइसे इशित-

(बाबर १६-उन जुर्मों के बयानमें जो जिस्म इन्तानपर मुअ्रस्तरहैं-दफ़्तात ३३७-३३९।)

दफ़्ताः ३३७-जो कोई शरूस् कोई फेल ऐसी वे इहतियाती या ऐसे फ़ेल से जरूर पहुंचाना जो जान या औरों की सलामतीये जातीको खतर हो किसी शरूस् को जरूर पहुंचाये तो उस शरूस् को दोनों क्रिस्मोंमें से किसी क्रिस्मकी क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीनेतक होसक्ती है या जुर्मने की सज़ा जिसकी मिफ़दार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्ताः ३३८-जो कोई शरूस् कोई फेल ऐसी वे इहतियाती या गफ़लत के साथ करने से कि उससे इन्सान की जानको या औरों की सलामतीये जातीको खतर हो किसी शरूस् को जरूर शदीद पहुंचाये तो उस शरूस् को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सज़ा जिसकी मिफ़दार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मुज़ाहमते बेजा और हठस बेजा के बयान में । १

दफ़्ताः ३३६-जो कोई शरूस् किसी शरूस् का विल्इरादः मुज़ाहमते बेजा । इस तरह सदेराह हो कि उस शरूस् को किसी ऐसी सिम्त में जाने से रोके जिसमें वह जाने का इस्तिहक्काक़ रखता हो तो कहा जायेगा कि उसने उस शरूस् की मुज़ाहमत बेजा की ।

मुस्तसना-ख़ुशकी या तरी की किसी निज की राह को मसदूद करना जिसकी निस्वत कोई शरूस् नेकनीयती से वावर करता है कि वह उसके मसदूद करने का इस्तिहक्काक़े जायज़ रखता है हस्व मनशा इस दफ़्ताः के जुर्म नहीं है ।

^१ दरबारः तख़ल्लुक़ पिज़ीर होने दफ़्तात ३४७ ओ ३४८ के निस्वतेमरायम तहते क़वानीने मुफ़्तस्सुल अमर या मुफ़्तस्सुल मुक़ाम के-मुलाहज़ा. तलब माक़ुल की दफ़्ता ४०।

उन जुर्मों में जो तहते दफ़्तात ३४१ ओ ३४२ क़ाबिले सज़ा हों-राज़ीनामः होसक्ता है मुलाहज़ा तलब मजमूअः ज़ाबित.६ क़ौबदारी सन् १८९८ ई० (एक्ट ५ मुमदरः इ सन १८९८ ई०) की दफ़्ताः ३४५ [एक्ट हाय आम-जिल्द ६]-दरखुस् उस नौबते दौराने मुक़दमः के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राज़ीनाम जायज़ नहीं है-मुलाहज़ा. तलब मजमूअ ३ मज़कूर की दफ़्ता इ तहती (५) ।

(बाब १६—उन जुमोंके वयान में जो-जिस्म इन्तान पर मुअस्तरहैं—दफ़्त त ३४०-३४५)

तमपील ।

जैद किसी राह को जिसपर चलने का बन्दर इस्तिहकाक रखता है मसदूद को नैब नीयती से यह वावर न करके कि मैं उस राह के रोक देने का इस्तिहकाक रखता हूँ और उस वाइत से बन्दर उस राह पर चलने से रोक जाय तो जैद बन्दर की मुजाहमते बेजा की ।

हव्स बेजा ।

दफ़्तः ३४०—जो कोई शरूख किसी शरूख की इस तरह से मुजाहमते बेजा करे कि उस शरूख को किसी खास हुदूदे मुहीतः के बाहर जाने से रोके—तो कहा जायेगा कि शरूख मजकूर ने उसकी निस्वत “हव्स बेजा” किया ।

तमसीलें ।

(अधिक) जैद इस अमरका वाइत हो कि बन्दर एक चार दीवारी के अन्दर जाय और जैद कुफ़ल लगाकर उसको उसके अन्दर बन्द करदे और इस तरह बन्दर दीवार के फ़ते मुहीत से बाहर किसी सिम्तमें जाने से रुक जाय तो जैद ने बन्दर को हव्स बेजा किया ।

(बे) जैद आदमियों को जो गोली मारने के हथियार लिये हुये हैं किसी मकान की दर मद गाहों पर मुतअयन करे और बन्दर से कहदे कि अगर तू इस मकान से जानेकी जिहद करैगा तो यह तुझे गोली मारेंगे तो इस मूरत में जैद ने बन्दर को हव्स बेजा किया ।

मुजाहमते
बेजा की
सजा ।

दफ़्तः ३४१—जो कोई शरूख किसी शरूख को मुजाहमते बेजा करे तो उसको कैद महज़ की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकूदार पांचसौ रुपये तक होसक्ती या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

हव्स बेजा
की सजा ।

दफ़्तः ३४२—जो कोई शरूख किसी शरूख को हव्स बेजा करे तो उसको दोनों क्रिर्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकूदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

तीन या
जियादः दिन
तक हव्स
बेजा ।

दफ़्तः ३४३—जो कोई शरूख किसी शरूख को तीन रोज या जियादः हव्स बेजा करे तो उस शरूखको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दस या अग़राहः

दफ़्तः ३४४—जो कोई शरूख किसी शरूख को दस रोज

सन १८६०ई०] मजमूअःइ क़त्रानीने ताजीराते हिन्द । १६७

(बाब १६-उन छुमों के धयानमें जो जिस्म इन्तानपर ह्बस्तर है-दफ़्तात ३४५-३४८।)

या जियादः ह्बस् बेजा करे तो उस शरूस् को दोनों क़िस्मों में से दिन तक किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस ह्बस् बेजा । तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़्ताः ३४५-जो कोई शरूस् किसी शरूस् को ह्बस् बेजामें रखे उस शरूस् का यह जानकर कि उस शरूस्की रिहाई की निस्बत ह्बस् ज़ायितः हुक्म- ह्बस् बेजा नामः जारी होचुका है तो शरूस् मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक नाम जारी होसक्ती है और यह उस क़ैदकी मीआद के अलावः होगी जिसका वह होचुका है । इस मजमूअे की किसी और दफ़्ताः की रूसे मुस्तौजिव हो ।

दफ़्ताः ३४६-जो कोई शरूस् किसी शरूस्को इसतरह से ह्बस् मख़ली ह्बस् बेजा करे कि जिससे यह नीयत जाहिरहो कि उस शरूस् का महदूस बेजा । होना किसी शरूस् को जो शरूस् महदूस से गरज रखताहो या किसी सर्कारी मुलाजिम को न मालूम होसके या यहकि उस ह्बस्की जगह ऐसे शरूस् या सर्कारी मुलाजिमको जिसका जिक्र इस दफ़्ताःमें पहले किया गया मालूम या दर्थाप्रत न होजाय तो शरूस् मजकूर को किसी और सज़ा के अलावः जिसका वह उस ह्बस् बेजा की पादाश में मुस्तौजिव हो दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है ।

दफ़्ताः ३४७-जो कोई शरूस् किसी शरूस्को इस लिये ह्बस् मालका इस्ति- बेजा करे कि शरूस् महदूस से या किसी और शरूस् से जो शरूस् म- इसाले विलजत्र ह्बस् से गरज रखताहै किसी माल या क़िफ़ालतुलमूलका इस्तिह- करने या फ़ेल साले विलजत्रकरे या शरूस् महदूसको या किसी और शरूस् को जो ख़िलाफ़े क़ानून पर मजबूत करने शरूस् महदूस से गरज रखताहै कोई ऐसा अमर करनेपर जो ख़िलाफ़े के लिये ह्बस् कानून है या ऐसी मुखबरी करने पर जिससे किसी जुर्मका इतिक़ाव बेजा । सहल होजाय मजबूर करे तो शरूस् मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़्ताः ३४८-जो कोई शरूस् किसी शरूस् को इस लिये ह्बस् इकरार का

(बाब १६-उन जुमों के बयानमें जो जित्म इन्सान पर मुअस्तर है-दक्रः ३४९।)

इस्तिहसाले
विलज्ज करने
या माल के
वापस कर देने
पर मजदूर
करने के लिये
इष्टे बेजा ।

बेजा करे कि शख्सले महदूस से या किसी और शख्स से जो शख्स
महदूस से गरज़ रखता है जवरन् कोई ऐसाइकरार या मुखविरी कराये
जो किसी जुर्म या बदकिर्दारी के मुनकशिक कर देने की तरफ मुंजर
हो या इस लिये कि शख्स महदूस को या किसी और शख्स को जो
शख्स महदूस से गरज़ रखता है किसी माल या किफालतुल माल के
वापस करने या वापस कराने के वास्ते या किसी दावे या मुतालिवेक
अदा करने या ऐसी मुखविरी करने के वास्ते जो किसी माल या
किफालतुल माल के वापस किये जाने की तरफ मुंजर हो मजदूर
करे-तो शख्स मजकूर दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद
की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसकती है और
वह जुर्मने का मुस्तौजिव होगा ।

जत्र मुजरिमानः और हमले के बयान में ।

मस्र ।

दक्रः ३४६—अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की हरकत या
तबदीले हरकत या इन्क़िताय हरकतका वाइस हो या किसी शै की
निस्वत ऐसी हरकत या तबदीले हरकत या इन्क़िताय हरकत का
वाइस हो कि वह शै उस दूसरे शख्स के जिस्मके किसी जुज़ से इत्ति-
साल पाये या किसी ऐसी चीज़से इत्तिसाल पाये जिसको वह दूसरा
शख्स पहने हुये या लिये हुये हो या किसी ऐसी चीज से इत्तिसाल
पाये जो ऐसे मौक़ेमें हो कि वह इत्तिसाल उस दूसरे शख्स के लामिसेग

१ उन जुमों में जो तह्ने दक्रम्यात ३४२ ओ ३६२ ओ ३५८ क़ाबिल सज़ाहों ग़र्ज़ान-
होसता है-मुल्हाइक़-नलब मजमूअःइजावितःइक्रौजदागीसन् १८९८ ई० (एक्ट ५ मुज्जूर १
सन् १८९८ ई०) की दक्रः ३४५ [ऐक्ट हायाम-मिल्द ६]-दग़लुसत उम नौबत दौले
मुक़दम.के कि जब इदाएत को इजाज़त के बिदून राजीनामः जायज़ नही है मुल्हाइक़ नलब
मजमूअः ३ मजदूर की दक्रः ३ मजदूर की दक्रः ३ तहती (५) ।

दरबारःसज़ा व पादाना हर्ष तह्ने दक्रः ३५४ के जिसको तहक्रौज़ात पज़ान के जिस्म
सहते या निश्चितान में नज़रीये कौन्सिफ़े सदरान के अमल में आये-मुल्हाइक़ तह
पज़ान के सहदी जगामके रेगूज़न सन् १८८७ ई० (नश्वर ४ मुमदर ४ सन् १८८० ई०)
की दक्रः १४ [मजमूअः ३ क़वानीने पंजाब मजदूर ३ सन् १८८८ ई० और मजमूअः
इजावितः बिदू जम्नात मजदूर १ सन् १८५० ई०] ।

(बाब १६—उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर हैं—दक्र ३५० ।)
 मुअस्तर हो तो कहा जायेगा कि शख्स मजकूर ने दूसरे शख्स पर
 जन्न किया—मगर शर्त यह है कि वह शख्स जो हरकत या तवदीले हर-
 कत या इन्किताय हरकत का वाइस हो नीचे लिखेहुये तीनों तरीकों
 मेंसे किसी तरीक पर उस हरकत या तवदीले हरकत या इन्किताय
 हरकत का वाइस हो—

पहले—खुद अपनी कूचते जिस्मानी से ।

दूसरे—किसी शै को ऐसे तौर पर रखने से कि वह हरकत या
 तवदीले हरकत या इन्किताय हरकत बिला इत्तिकाव किसी और
 फेल के उस शख्स की जानिव से या किसी दूसरे शख्स की जा-
 निव से वकू में आये ।

तीसरे—किसी हैवान को हरकत या तवदीले हरकत या इन्-
 किताय हरकत की तहरीक करने से ।

दक्रः ३५०—जो कोई शख्स किसी जुर्म के इत्तिकाव के लिये ^{जन्न मुज-}
 किसी शख्स पर उसकी विला रिजामन्दी कस्दन जन्न करे या इस ^{रिमान-}
 नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि ऐसा जन्न
 करने से वह उस शख्स को जिस पर जन्न कियागया है नुकूसान
 या खौफ या रंज पहुंचायेगा तो कहा जायेगा कि उस शख्स ने
 दूसरे शख्स पर जन्न मुजरिमानः किया ।

तमसीलें ॥

(अलिक्र) वक्रर किसी कश्ती पर जो दर्या में रस्तों से बधी है बैठा है और जैद रस्तों को
 खोल दे और इस तरह कस्दन कश्ती को धार में बहा दे तो इस सूरत में जैद कस्दन वक्रर
 की हरकत का वाइस हुआ और उसने यह फ़ैले अशया को इस तरह रखने से किया कि विला
 इत्तिकाव किसी और फ़ैले के किसी शख्स की जानिव से हरकत पैदा होगई तो इस लिये जैद
 ने वक्रर पर कस्दन जन्न किया और अगर उसने किमी जुर्म का इत्तिकाव करने के लिये
 या इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि वह जन्नकरने से वक्रर को
 नुकूसान या खौफ या रंज पहुंचाये वक्रर की विला रिजामन्दी ऐसा किया तो जैद ने वक्रर
 पर जन्न मुजरिमानः किया ।

(च) वक्रर चरेट गाड़ी पर सवार है और जैद वक्रर के घोड़ों के चातुक मारे इस
 ज़रीये से उनकी रफ़्तार तेज़ करदे तो इस सूरत में जैद हैवानों को तवदीले हरकत की

(बाब १६-उन जुर्मों के बयान में जो जितम इन्तान पर मुकत्तर हैं-दफ्तः३५०१)

तहरीक करने से बकर की नित्यत तबदिले हरकत का दाइत हुआ और इतलिये जैदने बकर पर जम किया और अगर जैद ने बिला रिजामन्दी बकर के इत नीयत से या इत जमर के इहतिमाल के इत्म से कि वह उत जम से बकर को मुकत्तान या खौक या रंज पहुचाये ऐत किया तो जैद ने बकर पर जम मुजरिमानः किया ।

(जीम) बकर पालकी में सवार है और जैद बकर की नित्यत तर्कः३ दितजम करने के लिये पालकी का हंडा पकड़ कर पालकी को रोक ले तो इत सूरतमें जैद बकर की नित्यत इन्किताय हरकत का दाइत हुआ और यह उसने खुद अपनी कूवते जितमानी से किया और इत लिये जैद ने बकर पर जम किया और चूंकि जैदने जर्म का इतिहाद करने के लिये बिला रिजामन्दी बकर के इत्दन् ऐसा किया तो जैदने बकर पर जम मुजरिमानः किया ।

(दात) अगर जैद गली में बकर को इत्दन् धरुः लगाये तो इत सूरत में जैदने अपनी कूवते जितमानी से रस तौर से अपने जितमको हरकत दी कि उसने बकर से इत्तिताय परा इत लिये जैदने इत्दन् बकर पर जम किया और अगर जैद ने बिला रिजामन्दी बकर के इत नीयत से या इत जमर के इहतिमाल के इत्म से कि वह उतके जरीये से बकर को मुकत्तान या खौक या रंज पहुचाये ऐसा किया तो जैदने बकर पर जम मुजरिमानः किया ।

(वाव १६-उन जुमों के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर है—

दफ़्तात ३५१—३५२ ।)

(हे) जैद किसी कुत्ते को बिछा रिज़ामन्दी बक्रर के बक्रर पर दौड़ने की तहरीक करे तो इस सूरत में अगर जैद की यह नीयत हो कि बक्रर को उक्रसान या ख़ौक्र या रज पहुचाये तो जैदने बक्रर पर जन्न मुजरिमानः किया ।

दफ़्तातः ३५१—जो कोई शरूस् कोई सूरत बनाये या कोई तैयारी हमलः ।

करे इस नीयतसे या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस सूरत बनाने या तैयारी करने से कोई शरूस् हाज़िरे मौक्ता यह तसव्वर करे कि सूरत बनानेवाला या तैयारी करनेवाला शरूस् उस पर अन-क़रीब जन्न मुजरिमानः करनेवाला है तो कहा जायेगा कि शरूस् मज़कूर हम्ले का मुर्तक़िव है ।

तशरीह—महज़ अल्फ़ाज़ हम्ले की हद को नहीं पहुंचते मगर मुमकिन है कि उन अल्फ़ाज़ से जिनका कोई शरूस् इस्तिअमाल करे उस शरूस् की सूरत बनाने या तैयारी करने की निस्वत ऐसा मतलब ज़ाहिर हो कि वह सूरत बनाना या तैयारी करना हम्ले की हद को पहुंच जाय ।

तमसीलें ॥

(अलिक्र) जैद बक्रर पर घूमा उठाये यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जान कर कि वह उसके ज़रीये से बक्रर को यह नावर कराये कि वह उसको अन्क़रीब मारने वाला है तो जैद ने हम्ले का इर्तिकाव किया ।

(वे) जैद किसी कटखने कुत्ते का दहानबन्द मुह से खोचना शुरू करे इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस के ज़रीये से बक्रर को यह नावर कराये कि वह बक्रर पर अन्क़रीब उस कुत्ते को दौड़ानेवाला है तो जैद ने बक्रर पर हम्ले का इर्तिकाव किया ।

(जीम) जैद एक लकड़ी उठाकर बक्रर से कहे कि “मैं तुझ को मारूंगा” इस सूरत में अगरचें यह अल्फ़ाज़ जिनका इस्तिअमाल जैद ने किया किसी हालत में हम्ले की हद को नहीं पहुंच सक्ते और भी महज़ यह सूरत बनाना वगैर शामिल होने और हालत के हम्ले की हद को न पहुंचे ताहम वह सूरत बनाना जितका मतलब लफ़जों के ज़रीये से ज़ाहिर किया गया हम्ले की हद को पहुंच सकता है ।

दफ़्तातः ३५२—जो कोई शरूस् किसी शरूस् पर हमलः या जन्न वाइसे सफ़्त मुजरिमानः करे सिवा इसके कि उस शरूस्की जानिव से कोई शरूस् इस्तिअमाले और नागहानी वाइसे इस्तिअमाले तवन्न जुहूरमें आये तो शरूस् मज़कूर तवन्न के अलाव. और को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी तरह पर

(वाव १६-उन जुर्मों के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअत्तर हैं-दफ्त. ३२३ ।)

हम्लः या
जब मुजरि-
मानः करने
की सजा ।

जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सकती है या जुर्मने की सजा
जिसकी मिकूदार पांचसौ रुपये तक हो सकती है या दोनों सजायें दी
जायेंगी ।

तशरीह-सख्त और नागहानी वाइसे इश्तिआले तवन्न की
वजह से उस सजाये जुर्ममें तखफीफन होगी जो इस दफ्तः में मजकूर
है अगर मुजरिम खुद उस वाइसे इश्तिआले तवन्नका तालिव या विल
इरादःमुहरिक हुआ हो ताकि उस जुर्मके लिये एक वजह बनजाय-या

अगर वाइसे इश्तिआले तवन्न किसी ऐसे अमर के सबवसे ज़हूर
में आया हो जो व इत्तिवाये कानून किया गया है या जो किसी
सर्कारी मुलाजिम ने अपनी सर्कारी मुलाजिमी के इश्तियारात के
निफाजे जायज में कियाहो-या

अगर वाइसे इश्तिआले तवन्न किसी ऐसे अमर के सबवसे ज़हूर
में आया हो जो इश्तिहकाके हिफाजते खुद इश्तियारी के निफाजे
जायज में किया गया हो ।

यह बात कि आया वह वाइसे इश्तिआले तवन्न फिलवा के ऐसा
सख्त और नागहानी था कि वह उस जुर्म के खफीफ करने को काफी
हो एक अमर तन्कीह तलवहै ।

सर्कारा मुल-
जिम को
अपनी त्विद-
मत अदा
करने से उरा
रतने के लिये
दफ्तः या
जब मुजरि-
मानः ।

दफ्तः ३५३-जो कोई शख्स किसी शख्सपर जो सर्कारी मुला-
जिम है जब कि वह मुलाजिम वहसियत अपनी सर्कारी मुलाजिमी के
अपनी त्विदमते मन्सवी को अंजाम दे रहा हो हम्लः या जब मुजरि-
मानः करे इस नीयत से कि उस मुलाजिम को उसकी मुलाजिमी वी
हसियत से उसकी त्विदमते मन्सवीकी अज्जामदिही से रोके या उराये
हम्लः या जब मुजरिमानः करे या व सबव किसी अमर के जो उस
शख्स ने अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हसियत से त्विदमते मन्सवी
की अज्जामदिहीये जायज में किया हो या करने का इक्दाम कियाहो
हम्लः या जब मुजरिमानः करे तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में
से किसी किस्म की कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो वरस
तक हो सकती है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

(वाव १६-उन जुर्मों के वयान में जो जिस्म इस्तान पर मुज्रस्तर हैं-

दफ़्तात ३५४-३५८ ।)

दफ़्ता: ३५४-जो कोई शरूस् किसी औरत पर हम्लः या जत्र किसी औरत मुजरिमानः करे यह नीयत करके या इस अमर का इहतिमाल जान की इफ़्त कर कि वह उसके जरीयेसे उसकी इफ़्त में खलल डाले तो शरूस् में खलल डाल- ने की नीयत मजकूर को दोनों क्रिस्में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी ने हम्लः या जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सकती है या जुर्माने की जत्र मुजरि मानः । सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेगी ।

दफ़्ता: ३५५-जो कोई शरूस् किसी शरूस् पर हम्लः या जत्र सफ़्त इशित- आले तवअ मुजरिमानः करे यह नीयत करके कि उसके जरीये से उस शरूस् की के अलावः वेहुर्मती करे सिवा इसके कि उस शरूस् की जानिव से कोई शरूस् और तरह और नागहानी वाइसे इशितआले तवअ जुहूर में आया हो तो शरूस् शरूस् को मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्मकी कैद की सज़ा दी वेहुर्मत करने की नीयत से जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक हो सकती है या जुर्माने की हम्लः या सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी । जत्र मुजरि- मानः ।

दफ़्ता: ३५६-जो कोई शरूस् किसी शरूस् पर किसी ऐसे उस माल के माल के सक्के का इतिकाव करने के इक़दाम में हम्लः या जत्र मुज- सक्के के इति- रिमानः करे जिसको वह शरूस् उस वक्त पहने या लिये हो तो कावके इक़दाम में शरूस् मजकूर को दोनों क्रिस्मोंमें से किसी क्रिस्मकी कैद की सज़ा हम्लः या दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की जत्र मुजरि मानः जिसको सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी । कोई शरूस् लिये हुये हो ।

दफ़्ता: ३५७-जो कोई शरूस् किसी शरूस्को ह्वसवेजा करने किसी शरूस् के इक़दाम में उसपर हम्लः या जत्र मुजरिमानः करे तो उस शरूस् को के ह्वस वेजा दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी के इक़दाम में मीआद एक बरस तक हो सकती है या जुर्मानेकी सज़ा जिसकी मिक़दार हम्ल या जत्र मजकूर को एक हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी । मुजरिमानः ।

दफ़्ता: ३५८-जो कोई शरूस् सफ़्त और नागहानी वाइसे इ- सफ़्त इशितआ- शितआले तवअ के सबव से जो किसी शरूस् की जानिव से जुहूर में ले तवअ पर आयाहो उस शरूस् पर हम्लः या जत्र मुजरिमानः करे तो शरूस् हम्लः या जत्र मजकूर को कैद महज की मजा दीजायेगी जिस्मकी मीआद एक मुजरिमानः ।

(वाव १६—उन जुमों के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर हैं—
दफ्आत ३५९—३६१ ।)

महीने तक होसक्ती है या जुमाने की सज़ा जिस की मिकदार दोसों
रूपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

तशरीह—यह पिछली दफ्ः उसी तशरीह से मशरूत है जिससे
दफ्ः ३५२ मशरूत है ।

**इन्सान को ले भागने और भगा लेजाने और गुलाम
बनाने और मिहनत व जबर लेने के वयान में ।**

इन्सान को ले
भागना ।

दफ्ः ३५६—इन्सान को ले भागना दो किसम का है—ब्रिटिश
इण्डिया में से इन्सान को ले भागना—और वलीकी विलायते जायज
में से इन्सान को ले भागना ।

ब्रिटिश
इण्डिया से
इन्सान को
ले भागना ।

दफ्ः ३६०—जो कोई शरूस् किसी शरूस् को विला रिजाम-
न्दी उस शरूस् के या किसी और शरूस् के जो उस शरूस् की जा-
निव से रिजामन्दी जाहिर करने का कानूनन् मुजाज है ब्रिटिश इ-
ण्डिया की हुदू के वाहर ले जाय तो कहा जायेगा कि शरूस् मज-
कूर उस शरूस् को ब्रिटिश इण्डिया में से ले भागा ।

वलीये जायज
की हिफाजत
में से इन्सान
को ले
भागना ।

दफ्ः ३६१—जो कोई शरूस् किसी नावालिंग लड़केको जिसकी
उमर चौदः बरस से कमहो या किसी नावालिंग लड़की को जिसकी
उमर सोलः बरस से कमहो या किसी शरूस्को जिसकी अकलमें फु-
तूरहो उस नावालिंग के या उस शरूस् के जिसकी अकल में फुतूर है

१ उन जुमों में जो तहते दफ् ३७४ काविले सज़ा हों—राजी नामः हो सक्ता है—मुस्-
हज़्ज् तल्ष मजमूअ इ ज़ाचिन इ फ़ौजदारी सन् १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर ३ सन्
१८९८ ई०) की दफ् ३४५ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६]—दर मुगूस उस नौबते दोसों
मुकद्दम- के फि जन अदालत की रजाजत के बिदून राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज़ः क-
तन मजमूअ इ मज़कूर की दफ् ३ मज़कूर की दफ् ३ तहती (५) ।

दरबार इ सज़ा व पादाश जरायम तहते दफ्आत ३६३ लगायत ३६९ के जिनकी तह-
अहज़ान पनाव के जिले सईदी या विलोचिस्तान में दज़रीका इ कौन्सले सर्दारान के अम-
में जाये—मुलाहज़ तल्ष पनाव के सईदी जरायम के रेगुलेशन सन् १८८० ई० (नम्बर ५
मुसदर-२ सन् १८८७ ई०) की दफ् १४—[मजमूअ इ कवानीने पनाव मजमूअ इ सन्
१८८८ ई०—जो मजमूअ इ कवानीने विवेचिस्तान मजमूअ इ सन् १८९० ई०]

(वाव १६-उन जुर्मों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं-

दफ्तात ३६२-३६४ ।)

वलीय जायज़ की सपुर्दिगी में से विला रिज़ामन्दी उस वली के ले जाय या फ़ुसला लेजाय तो कहा जायेगा कि शरूस् मजकूर उस ना-वालिग या उस शरूस् को वली की विलायते जायज़ से ले भागा ।

तशरीह—“वलीय जायज़” का लफज़ इस दफः में हर किसी शरूस् को शामिल है जिसको उस नावालिग या उस दूसरे शरूस् की खवरगीरी या हिफाज़त जवाज़न सपुर्द हो ।

मुस्तसना ।

यह दफः किसी ऐसे शरूस् के फेल पर मुहीत नहीं है जो नेक नीयती से अपने तई किसी वलदुल हराम का वाप वावर करताहो या जो नेक नीयती से अपने तई उस फेल की हिफाज़ते जायज़का मुस्तहक़ वावर करता हो सिवा इसके कि उस फेल का इर्तिकाव लुचपन या अमर नाजायज़ की गरज़ से चाके हुआहो ।

दफः ३६२—जो कोई शरूस् किसी शरूस् को किसी जगह से जाने के लिये खाह वजब्र मजबूर करे खाह किसी तरह दगावाज़ी के वसीलों से तहरीक करे तो कहा जायेगा कि शरूस् मजकूर उस शरूस् को भगा लेगया । इन्सान को भगा ले जाना ।

दफः ३६३—जो कोई शरूस् किसी शरूस्को ब्रिटिश इण्डिया में से या किसी की विलायते जायज़ से ले भागे उस शरूस् को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा । इन्सान को ले भागने की सज़ा ।

दफः ३६४—जो कोई शरूस् किसी शरूस् को इस लिये ले भागे या भगा लेजाय कि वह शरूस् मार डाला जाय या ऐसी हालत में रखा जाय कि वह मारे जाने के खतरे में पड़े तो शरूस् मजकूरको इव्स दवाम वउवूरे दर्याय शोर की सज़ा दीजायेगी या कैद सरव्तकी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिव होगा । कतले अमद के लिये इन्सान को ले भागना या भगा लेजाना ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) कैद बकर को ब्रिटिश इण्डिया में ले भागे और उस की यह नीयत हो या

शरज़ से
देवना ।

(दाब १६-उन जुर्मों के बयानमें जो जित्तम इस्तान पर मुस्तसन्नरहैं दफ्तरात ३७३-३८५)
नाबालिग फेले शनीअ या किसी अमर नाजायज़ या लुचपने के लिये
मसरूफ किया जाय या काम में लाया जाय या यह जान कर कि
उस नाबालिग के ऐसे काम में मसरूफ किये जाने या उससे ऐसा
काम लिये जाने का इहतिमाल है तो शरख्स मजकूर को दोनों
किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी
मीआद दस बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौ-
जिब होगा ।

नाबालिग को
फेले शनीअ
वज़र की शरज़
से खरीदना ।

दफ़्तः ३७३-जो कोई शरख्स किसी नाबालिग को जिसकी
उमर सोलह बरस से कम हो खरीदे या उजरत पर ले या किसी
और तौर पर अपने कब्ज़े में लाये इस नियत से कि वह नाब-
लिग फेले शनीअ या किसी अमर नाजायज़ या लुचपने में मसरूफ
किया जाय या काम में लाया जाय या यह जानकर कि उस नाब-
लिग के ऐसे काम में मसरूफ किये जाने या उससे ऐसा काम लिये
जाने का इहतिमाल है तो शरखसे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी
किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक
होसकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

मिहनत करने
पर मा जवा-
बान मजबूर
करना ।

दफ़्तः ३७४-जो कोई शरख्स किसी शरख्स को उस की मर्दी
के खिलाफ मिहनत करने के लिये नाजायज़ तौर पर मजकूर करे
तो उस शरख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैदकी सज़ा
दी जायेगी जिसकी मीआद एक बरस तक होसकती है या जुर्माने की
सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

जिना वजत्र के बयान में ।

जिना वजत्र ।

दफ़्तः ३७५-जो मर्द उस सूरत के सिवा जो नीचे मुस्तसना

१ दरबार सज़ाय ताज़ियान. के-मुताअजः तलब ऐक्ट सज़ाय ताज़ियान एम् १८
३० (नम्बर ६ मुसदर ३ सन् १८६४ ई०) की दफ्तरात ४ ओ ६ [ऐक्ट हाय कम्
जिन्द १] और पञाबके इज़लाअ सईदी और बिश्चिस्तान में-पंजाब के सईदी एम्
के रेगुलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदरः एम् १८८०-३०) की एम् ८ [ए
एम् क्रवागिने पञाब-गतवृष २ सन् १८८८ ई०-और पञाब २-वाकीने सईदी
मतवृषः ३ सन् १८९० ई०] ।

दरबार. सज़ाने जब कि जुर्म की तरफ़ीनाय पञाब. एम् सईदी वा सईदी एम्
जिना के लिये सईदी के एम् १८८७ ई० में लिये गये गये एम् १८८७ ई० में एम् १८८७ ई० में

(वाक १६-उन जुमा के नयान में जो जिसम इन्सान पर मुअस्तर है-दफ्तः ३७६ ।)

गई है ऐसे हालात में जो जैल की लिखी हुई पांचवीं क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म में दाखिल हों किसी औरत से जिना करे तो कहा जायेगा कि उस मर्द ने “जिना वजत्र” कियाः-

पहिली-औरत की रज्जी के खिलाफ ।

दूसरी-औरत की विला रिजामन्दी ।

तीसरी-औरत की रिजामन्दी के साथ जब कि उसकी रिजामन्दी इलाकत या जरर की तखवीफ से हासिल कीगई हो ।

चौथी-औरत की रिजामन्दी के साथ जब कि मर्द यह जानता हो कि वह उस औरत का शौहर नहीं है और यह कि औरत की जानिव से वह रिजामन्दी इस नज़र से जाहिर कीगई है कि वह वावर करती है कि यह मर्द वही मर्द है जिसके साथ उसका इज्जदिवाज़ जवाज़न हुआ है या जिसके साथ वह अपना जवाज़न इज्जदिवाज़ होना वावर करती है ।

पांचवीं-औरत की रिजामन्दी के साथ या उसकी विला रिजामन्दी जब कि उसकी उमर [वारह] वरस से कम हो ।

तशरीह-उस जमा के मुतहक्कि होने के लिये जो जुर्म जिना वजत्र कायम करने के वास्ते जुखर है इदखाल काफी है ।

मुस्तसना-मर्द का जिना अपनी जौज़ा से जब कि उसकी उमर [वारह] वरस से कम न हो जिना वजत्र नहीं है ।

दफ्तः ३७६-जो कोई शख्स जिना वजत्रका मुतकिवही उसको जिना वजत्र हव्स दवाय वउवूरे दर्याय शोर या दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

^१ लफज़ “वारह” लफज़ “दस” की जगह हिन्द के क़ौजदारी अर्इन के तर्मांम करने-वाले ऐक्ट सन् १८६१ ई० (नम्बर १०-मुसदरःइ सन् १८६१) की दफ्तः १ के ज़रीये से कायम किया गया [ऐक्ट हाय शाम-जिन्द ६] ।

(बाब १७-उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअहिक है-दफ्. ३७८ ।)

उने से ज़ैद सर्कें का मुर्तकिब नहीं है गो मुमकिन है कि वह माल के तभर्कें बेजा मुजरिमानः का मुर्तकिब हो ।

(ह) ज़ैद बकर की अगूठी उस के घर में मेज़ पर पड़ी हुई देखे और ज़ैद तलारा और इफ़शा के ख़ौक से उसी बकर उस अगूठी के तसर्कें बेजा करने की जुगत न पाके उसको ऐसी जगह में डुपाये जहा से मिल जाना उसका बकर को महज़ ख़िलाफ़ क़यास है इस नीयत से कि जब गुम हो जाना अगूठी का बकर की याद से जाता रहे तब ज़ैद उस अगूठी को उस मख़फ़ी करने की जगह से निकाल कर बेच डाले तो इस सूरत में ज़ैद उस अगूठी की पहली तनदीले जाय करतेही सर्कें का मुर्तकिब हुआ ।

(तो) ज़ैद अपनी घड़ी की चाल ठीक कर देने के लिये उसको बकर घड़ीसाज़ के हवाले करे और बकर उसको अपनी दूकान पर ले जाय और ज़ैद जिसको बकर घड़ी साज़ का कोई कर्ज देना नहीं है जिसके एवज़ में घड़ी साज़ उस घड़ी को ज़मानत के तौर पर जवाज़न रोक रख सक्ता हो बकर की दूकान में ख़लानिय. चला जाय और बकर के हाथ से वह घड़ी जबरन लेकर चल दे तो इस सूरत में अगरचं मुमकिन है कि ज़ैद मुदाख़लते बेजा मुजरिमानः और हमल का मुर्तकिब ही लेकिन सर्कें का मुर्तकिब नहीं है क्योंकि जो कुछ उसने किया बद दियानती से नहीं किया ।

(या) अगर ज़ैद की घड़ी की मरम्मत करने की बाबत बकर का कुछ रुपया देना हो और बकर उस कर्ज की जमानत के तौर पर घड़ी को जवाज़न रोक रखे और ज़ैद बकर के कब्ज़े में से उस घड़ी को इस नीयत से लेले कि वह बकर को उस माल में महरूम करके कर्ज की जमानत को मश्रूूम करे तो ज़ैद सर्कें का मुर्तकिब होगा क्योंकि वह उस घड़ी को बद दियानती से लेताहै ।

(काफ़) फिर अगर ज़ैद अपनी घड़ी बकर के पास रिहन करे और बघैर अदा करने उस रुपया के जो उसने बकर से घड़ी पर कर्ज लिया है घड़ी को बकर के कब्ज़े में से उसकी विला रिज़ामन्दी लेले तो अगरचि घड़ी ज़ैद का माल है मगर ताहम ज़ैद सर्केंका मुर्तकिब होगा क्योंकि वह उस को बददियानती से लेताहै ।

(लाम) ज़ैद इस नीयत से बकर की कोई चीज़ उस के कब्ज़े में से उसकी विला रिज़ामन्दी लेले कि जब तक बकर से उसके वापस करने के सिले के तौर पर कुछ रुबयः न हासिल करे चीज़ मजकूर को अपने पास रखे तो इस सूरत में चूकि ज़ैद बद दियानती से लेता है इसलिये ज़ैद सर्कें का मुर्तकिब हुआ ।

(मौम) ज़ैद जो बकर के साथ दोस्तानः राह जो रसम रखता है बकर की शीबत में उसके कुतुब ख़ाने में जाय और उस की विला रिज़ामन्दीये लफ़्ज़ी के कोई किताब सिर्क पढ़ने के लिये ले जाय और वापस करना उसका ज़ैद की नीयत में हो तो इस सूरत में गालिब है कि ज़ैद ने यह समझा हो कि उस को बकर की जानिव से बकरकी किताब पढ़ने की मानन इजाज़त है पर अगर ज़ैद का यह गुमान था तो ज़ैद सर्कें का मुर्तकिब नहीं हुआ ।

(वाव १७-उन जुर्मों के बयान में जो मालसे मुतझलिक़ हैं-दफ़आत ३७६-३८२।)

(नू) ज़ैद वकर की ज़ौजः से ख़ैरात मागे और वह ज़ैद को रुपयः ख़ाना और क-पड़े दे जिसको ज़ैद जानता हो कि वह उसके शौहर का माल है तो इस सूरत में गालिब है कि ज़ैद यह समझताहो कि वकर की ज़ौजः ऐसी ख़ैरात देने की मुजाज़ है पस अगर ज़ैद का यह गुमान था तो ज़ैद सर्के का मुर्तक़िव नहीं हुआ ।

(सीन) ज़ैद वकर की ज़ौजः का आशना है—वह ज़ैद को क़ीमती माल दे जिस को ज़ैद जानता हो कि उसके शौहर वकर का है और ऐसा माल है कि वकरकी तरफ़ से वह उस के देने की मुजाज़ नहीं है पस अगर ज़ैद बद दियावती से माल ले ते तो वह सर्के का मुर्तक़िव हुआ ।

(अयन] ज़ैद वकर के माल को अपना माल समझकर नेक नीयती से अमर के क़ब्जे में से ले तो इस सूरत में चूकि ज़ैद बद दियावती से नहीं लेताहै इस लिये ज़ैद सर्के का मुर्तक़िव नहीं है ।

सर्के की सज़ा ।
दफ़ः ३७६—जो कोई शख्स सर्के का मुर्तक़िव हो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किसम की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिस की मीआद तीन वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

मकाने सुकू-
नत वग़ैर में
सर्क़ ।
दफ़ः ३८०—जो कोई शख्स किसी इमारत या खेमे या मर्क़ेबे-
तरी में जो इमारत या खेमः या मर्क़ेबेतरी इन्तान की वूद ओ वाश
या माल की हिफाज़त के लिये काम में आताहो सर्के का इतिक़ाव
करे तो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किसमकी क़ैदकी
सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और
वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

मुतसद्दी या
नौकर का
उस माल को
सर्क़ करना
जो आक्रा के
क़ब्जे में है ।
दफ़ः ३८१—कोई शख्स जो मुतसद्दी या नौकर हो या मुत-
सद्दी या नौकर के काम पर मामूर हो किसी माल की निस्वत जो
उसके आक्रा या अमर के कब्जे में हो सर्के का इतिक़ाव करे तो
उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किसम की क़ैदकी सज़ा दी
जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने
का भी मुस्तौजिव होगा ।

सर्के के इति-
काव की गरज़
से हलाक
करने या
दफ़ः ३८२—जो कोई शख्स सर्के के इतिक़ाव के लिये या उस
सर्के के इतिक़ाव के वाट अपने भाग जानेके लिये या उस मालके वचा
रखने के लिये जो उस सर्के के ज़रीये से लिया जाय हलाकत या जरर

(वाच १७—उन जुर्मों के बयान में जो माल में मुनयलिक है—दफ ३-३ ।)

या मुजाहमत की या हलाकत या जरर या मुजाहमत की तलवीफ जग पदवाने की तैयारी करके सर्के का इतिफाव करे तो उस शख्स को कैदे या मुजाहमत की तैयारी सख्त की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक हो- कर्ने के वा सर्के । सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद उस माल की निस्वत जो बकर के कब्जे में हो सके वा निर्निगत वा और जिस वक्त कि वह इन सर्के का इतिफाव कर रहा हो उनके कपडे के नीचे एक गग हुत्रा तपख हो जो उसने इसलिये वहम पहुंचाया है कि अगर बकर नजरबंद करे तो उसको जरर पहुंचाये तो जैद उस जुर्म वा मुतकिब हुत्रा जिसकी तारीफ इम दफ में की गई है ।

(बे) जैद अपने चन्द शरीको को अपने ग्याम पास इसलिये खडा करके बकर की जेब कतरे कि अगर बकर इन माजिरे में मुत्तले होकर तयरेज करे या जैद के पकडने वा इकदाम करे तो बकर के मुजाहिम हों तो जैद उम जुर्म का मुतकिब हुत्रा जिन वा तारीफ इम दफ में की गई है ।

इस्तिहसाले विलजब्र के बयान में^३ ।

दफः ३८३—जो कोई शख्स कसदन किसी शख्स को खूद इस्तिहसाले उस शख्स या किसी दूसरे शख्स के किसी नुक्सान की तखवीफ विल जब्र । करे और उसके जरीये से उस शख्स को जिसकी इसतरह तखवीफ की गई है इस बात की बद दियावती से तहरीक करे कि वह कोई माल या किफालतुल माल या कोई शै दस्तखती या सुहरी जो किफालतुल माल हो जाने की हैसियत रखती हो किसी शख्स के हवाले करे तो शखसे मजकूर ' इस्तिहसाले विलजब्र ' का मुतकिब होगा ।

^३ दरवार इ तखल्लुक पिजीर होने दफत्यात ३८२ औ ३८६ व निस्वने जगयम तहने कवानीने मुख्तसुल अमर या मुख्तसुल मुकाम के—मुलाहज तलव माकबल बी—दफ ८० ।

दरवार इ सजाय ताजियान वपादाजे जरायम मुमर्रह इ दफत्यात ३८२ औ ३८६ के मुलाहज तलव ऐक्ट सजाय ताजियान सन १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सा १८६४ ई०) की दफत्यात २ औ ३ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द २] ।

दरवार इ सजाय ताजियान वपादाजे जगयम मुमर्रह इ दफत्यात ३८६ औ ३८७ के अमर ब्रह्मा में मुलाहज तलव अमर ब्रह्मा के कवानीने ऐक्ट सन १८६२ ई० (नम्बर १३ मुसदर इ सन १८६२ ई०) की दफ ४ (३) (बे) [मजमूच इ कवानीने ब्रह्मा तलव—सन १८६२ ई०] ।

(वाव १७-उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअलिकहै-दफ ३६०।)

कैदकी सजा मुकरर है जिसकी मीआद दस बरस तक हो सकती है तो शरव्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैद की राजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसکتी है और दह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा और अगर वह जुर्म ऐसा हो कि उसकी सजा मजमूअः इ हाजा की दफः ३७७ की रु से हो सकती है तो शरव्स मजकूर को हब्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर की सजा दी जासکتी है ।

सर्कः इ विलजब्र ओ डकैती के बयान में ।^१

सर्क विलजब्र

दफः ३६०-हर सर्कः इ विलजब्र में या तो सर्कः या इति-हसाले विलजब्र पाया जाता है ।

जिस हालत में सर्क सर्क इ विलजब्र है ।

सर्कः "सर्कः इ विलजब्र" होगा अगर सर्कःके इतिहास के लिये या सर्कःके इतिहासमें या उस मालके लेजाने या लेजाने के इद्दाममें जो

^१उन जुर्मों के इतिहास पहुंचाने की पाबन्दी के बारे में जो तहत दफ्तरात ३६२ त गाइत ३६६ या ४०२ के क्राविल सजा हैं मुलाहक. तलव मजमूअ इ जावित इ जौन दारी सन १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८६८ ई०) की दफ ४४ [ऐक्ट हाय नाम-जिल्द ६] और वही दफ ऐक्ट १० मुसदर इ सन १८८२ ई० की जैसी कि सर्क तर्मां ब्रह्मा के लिये अपर ब्रह्मा के गाव के रेगुलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर १३ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ ४ के जरिये से [मजमूअ इ कवानीने ब्रह्मा मतवृत्त इ सन १८६६ ई०] और लुअर ब्रह्मा के गाव के ऐक्ट सन १८८६ ई० [नम्बर ३ मुसदर इ सन १८८६ ई० की दफ ५ के जरिये से दर खुमस सर्क विलजब्र और डकैती के हुई है [मजमूअ इ कवानीने ब्रह्मा मतवृत्त इ सन १८६६ ई०] ।

दरवार इ सजाय ताजियान वपादाश जरायम तहत दफ्तरात ३६० औ ३६१ औ ३६३ औ ३६४ के-मुलाहक तलव ऐक्ट सजाय ताजियान. सन १८६२ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सन १८६४ ई०) की दफ्तरात ४ औ ६ [ऐक्ट हाय नाम-जिल्द १]-और वपादाशे जरायम तहत दफ्तरात ३६२ औ ४०२ के अपर ब्रह्मा में मुलाहक तलव अपर ब्रह्मा के कवानीने के ऐक्ट सन १८६८ ई० (नम्बर १३ मुसदर इ सन १८८२ ई०) की दफ ४ (२) (वे) और जमीम २ [मजमूअ इ कवानीने ब्रह्मा मतवृत्त इ सन १८६६ ई०]-और वपादाशे जरायम तहत दफ्तरात ३६२-३६६ के पजान के पञ्जलाय सर्हदी में और विलुक्लिस्तान में मुलाहक तलव पजान के सर्हदी जरायम के रेगुलेशन सन १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन १८८७ ई०) की दफ ८ [मजमूअ इ कवानीने पजान मतवृत्त इ सन १८८८ ई०-और मजमूअ इ कवानीने विलुक्लिस्तान मतवृत्त इ सन १८६० ई०] ।

दरवार इ सजा वपादाशे जरायम तहत दफ्तरात ३६२-३६६ के मिनरी तर्मां पजान के विलुक्लिस्तान में वज्रिये कौशिले नदिया के पजान में पजान-मुलाहक तलव रेगुलेशन मजमूअ की दफ १ ।

(वाब १७—उन जुमा के वयान में जो माल से मुनअलिक है—वफ ३६०।)

सर्कें से हासिल किया गया है मुजरिम उस मतलब से विलइरादः किसी शरूख की हलाकत या जरर या मुजाहमते बेजाका वाइस हो या उसके वाइस होने का इफ़दाम करे या फौरन हलाक होने या फौरन जरर या फौरन मुजाहमते बेजा उठाने की तखवीफ़का वाइस हो या उसके वाइस होने का इफ़दाम करे ।

इस्तिहसाले विलजब्र "सर्कः इ विलजब्र" होगा अगर मुजरिम इ- जिन हालत में इस्तिहसाले विलजब्रके इर्तिकावके वक्त शरूख मुखव्वफ़के कुर्वमें हाजिर इस्तिहसाले विलजब्र सर्क इ विलजब्र है । हो और उस शरूख को खुद उस शरूख के या किसी दूसरे शरूख के फौरन हलाक होने या फौरन जरर या फौरन मुजाहमते बेजा उठाने की तखवीफ़ करने से इस्तिहसाले विलजब्रका मुर्तकिवहो और इस तरह तखवीफ़ करने से शरूख मुखव्वफ़को शै मुस्तहसिले विलजब्रके उसवक्त और उसजगह हवाले कर देने की तहरीफ़ करे ।

तशरीह—अगर मुजरिम इस क़दर करीवहो कि उसका कुर्व उस दूसरे शरूख को फौरन हलाक होने या फौरन जरर या फौरन मुजाहमते बेजाके उठाने की तखवीफ़को काफी हो तो कहा जायेगा कि मुजरिम कुर्व में हाजिर है ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद वकर को दवा बैठे और वकरके कपड़ोंमें से वकर का रुपय और जेवर विला रिजामन्दी वकरके फरेब से ले ले तो इस सूरत में जैद सर्कें का मुर्तकिव हुआ और चकि सर्कें के इर्तिकाव के लिये उसने वकर की निस्वत विलइराद मुजाहमतेबेजा की इस लिये जैद सर्कें इ विलजब्र का मुर्तकिव हुआ ।

(बे) जैद शरिअ आम पर वकर से मुलाक़ी हो और वकर को तपच दिखाकर उस की हमियानी तलव करे और वकर उसके सबब से अपनी हमियानी मजबूर होकर छोड़दे इस सूरत में चकि जैद ने वकर को फौरन जरर पहचानेकी तखवीफ़ करने के जरीये से उससे हमियानी इस्तिहसाल विलजब्र करके ली और इस्तिहसाले विलजब्र के इर्तिकाव के वक्त वकर के कुर्व में हाजिर था इस लिये जैद सर्कें इ विलजब्रका मुर्तकिव हुआ ।

(जीम) जैद शरिअ आम पर वकरसे और उसके तिफ़ल से मुलाक़ीहो और जैद तिफ़ल को पकड़ के वकरको धमकाये कि अगर तू अपनी हमियानी मेरे हवाले न करेगा तो मैं तेरे तिफ़ल को वकरकी मे गि । दगा और वकर उस सबब से अपनी हमियानी हवाले करे तो इस

(बाब १७ उन जुमों के बयान में जो माल से मुतअलिकहै—दफ्तरात ३६१-३६४ ।)

सूरत में जैद ने बकर को इस बात की तखवीर करने से कि तिमलको जो बहा हाजिर है फौरन जरूर पहुँचेगा बकरसे हमियानी को इस्तिहसाले विलजत्र करके ले लिया इस्तिहसाले जैद बकर की निस्वत सर्कःइ विल जत्रका मुर्तकिव हुआ ।

(दाल) जैद बकर से कोई माल यह कहकर हासिलकरे कि—“ तेरा लडका हमारे गुरोह के इस्तिहारमेंहै—अगर तू हमको दसहजार रुपय. न भेजेदेगा तो वह मार डाला जायेगा”— तो यह इस्तिहसाल विलजत्र है और उसकी पादाश मे इस्तिहसाले विलजत्रही बी सजा दी जायेगी मगर सर्कःइ विलजत्र नहीं है सिवाय इसके कि बकर को लडके के फौरन हलक होजाने की तखवीर की जाय ।

डकैती ।

दफ्तरः ३६१—जब पांच या ज़ियादःशरक्स शामिल होकर सर्कःइ विलजत्र का इतिकाव या इफ़दामे इतिकावकरें या जब कि उन शरक्सों की कुल तादाद जो सर्कःइ विलजत्रका इतिकाव या इफ़दामे इतिकाव शामिल होकर करतेहों मअ तादाद उन शरक्सों के जो हाजिर हों और उसके इतिकाव या इफ़दामे इतिकावमें मदद करतेहों पांच या पांच से ज़ियादःहों तो हरएकशरक्स इतिकाव करनेवाला या इतिकाव का इफ़दाम करनेवाला या उसमें मदद करने वाला “ डकैती ” का मुर्तकिव कहलाया जायेगा ।

सर्कःइ विल-
जत्रकी सजा ।

दफ्तरः ३६२—जो कोई शरक्स सर्कःइ विलजत्र का मुर्तकिवहो उसको कैदे सरख्तकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा और अगर उस सर्कःइ विलजत्र का इतिकाव शारेअ आम पर गुरुब ओ तुलूअे आफताव के दमियान किया जाय तो कैद की मीआद चौदः बरस तक होसक्ती है ।

सर्कःइ विल-
जत्र के इति-
काव का
रन्दाम ।

दफ्तरः ३६३—जो कोई शरक्स सर्कःइ विलजत्र के इतिकाव का इफ़दाम करे उस शरक्स को कैद सरख्त की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

सर्कःइ विल-
जत्र के इति-
काव में विल

दफ्तरः ३६४—अगर कोई शरक्स सर्कःइ विलजत्र के इतिकाव या उसके इतिकाव के इफ़दाम में किसी शरक्सको विलइरादः जरूरपहुँचाये तो शरक्स मजबूरको और किसी दूसरे शरक्स को जो उस सर्कःइ विलजत्र

(बाब १७-उन जुमा के बयान मे जो माल रो मुतअलिके हे-दफ्तान ३६५-४००)

के इतिकारव या उसके इतिकारव के इकदाम में शामिल होकर मस-इराद जरर
रुफ हुआ हो हक्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या कैद; सरख्त की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह
जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ३६५—जो कोई शख्स डकैती का मुर्तकिय हो उसको डकैती की
हक्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या कैद सरख्त की सजा दीजायेगी
जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का
भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ३६६—अगर उन पांच या ज़ियादः शख्सों में से जो शामिल होकर डकैती का इतिकारव करें कोई एक शख्स उस डकैती
के इतिकारव में कतले आमद का मुर्तकिय हो तो उन में से हरएक
शख्स को सजाय मौत या हक्स दवाम बउबूरे दर्याय शोर या कैद
सरख्त की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती
है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ३६७—अगर सर्कः इ विलजत्र या डकैती इतिकारव के वक्त मुजरिम कोई हर्बः इ मुहलिक काम में लाये या किसी शख्स को जररे शदीद पहुंचाये या किसी शख्स के हलाक करने या जररे शदीद पहुंचाने का इकदाम करे तो वह कैद जिस की सजा उस मुजरिम को दी जायेगी सात बरससे कम न होगी ।

दफ़ः ३६८—अगर सर्कः इ विलजत्र डकैती के इतिकारव के इकदाम के वक्त मुजरिम किसी हर्बः इ मुहलिक से मुसल्लः हो तो वह कैद जिसकी सजा इस मुजरिम को दी जायेगी सात बरस से कम न होगी ।

दफ़ः ३६९—जो कोई शख्स डकैती के इतिकारव के लिये कोई तैयारी करे उसको कैदे सरख्त की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ४००—जो कोई शख्स किसी वक़्त वाद जारी होने इस ऐक़ के ऐसे शख्सोंके गुरेइ का शरीक होगा जो डकैती का आदतन

इतिहास
जुर्माने
सर्कः इ विलजत्र

डकैती कतले
अमदके साथ ।
सर्क इ विलजत्र
या डकैती
ह नाक करने
या जररे शदीद
पहुचान के इक्-
दाम के साथ ।
सर्क इ विलजत्र
या डकैती के
इतिकारव का
इकदाम हर्ब इ
मुहलिक से
मुसल्लः होनेकी
हालत मे ।

डकैती के
इतिकारव के
लिये तैयारी
करना ।

डकैती के
गुरेइ के

(वाक १७-उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअलिक हैं-दफ़आत ४०१-४०३।)

शरीक होने की सज़ा ।

इतिफ़ाव करने के लिये मिलाप रखते हों तो उस शख्स को हव्स दवाम बख़ूरे दर्याय शोर या क़ैद सख्त की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

चौरों के गुरोह में शरीक होने की सज़ा ।

दफ़ः ४०१-जो कोई शख्स किसी वक़्त-वाद जारी होने इस ऐक्ट के-शख्सों के गुरोहे आबारा या किसी और गुरोह का शरीक होगा जो सर्कः या सर्कः इ विलअब्र के आदतन् इतिफ़ाव के लिये मिलाप रखते हों लेकिन जो ठगों या डाकुओं का गुरोह न हो तो शख्स मज़कूर को क़ैदे सख्त की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

डकैती के इतिफ़ाव के लिये जमा होना ।

दफ़ः ४०२-जो कोई शख्स किसी वक़्त वाद जारी होने इस ऐक्ट के उन पांच या ज़ियादः शख्सों में से होगा जो डकैती के इतिफ़ाव के लिये जमा हुये हों तो उस शख्स को क़ैदे सख्त की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ॥

माल के तसर्कुफ़े बेजा मुजरिसानः के बयानमें ।

बददियानती से माल का तसर्कुफ़े बेजा ।

दफ़ः ४०३-जो कोई शख्स बददियानती से किसी माले मनकूलः को अपने तसर्कुफ़े बेजा में या अपने काम में ले आये उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

तमसल्लें ।

(अलिफ) ज़ैद बकर के क़स्बों में से बकर का माल ले और नेकनीयती से उस के लेते वक़्त यह वावर करता हो कि वह माल मेरा है तो इस सूरत में ज़ैद सर्कें का मुर्त किव नहीं है लेकिन अगर ज़ैद अपनी गलती मालूम करलेने के बाद उस माल को बददियानती से अपने तसर्कुफ़ में ले आये तो वह उस जुर्म का मुर्तक़िब है जिसका इनाम में जिक्र है ।

^१ दरखुमूम मुत्तव करने फण्डे करारगाने जुर्म नहते टफ़ इ हाजा के गुलारन तसव मजमूअ इ आवित इ फौजदारी सन १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुनदर इ सन १८६८ ई०) की टफ़ ००० [ऐक्ट हाप प्राप अिल्ट ६] ।

(नाम १७-उन जुमा के बगान में जो माल से मुतक़िब है नन २०३ ।)

(वे) जैद जो बकर से दोस्तान राह औ रसम रखता है बकरके कुतुबखाने में बरग़्जी शीत में जाय और बकर की विलारिजामन्दीये सरीह के एक किताब ले जाय उमदरन में अगर जैदको यह गुमान था कि पढ़नेके लिये किताब लेंगेनी मुभक़ो बकरकी रिजामन्दीये माननी हासिल है तो जैद सके का मुतक़िब नहीं है लेकिन अगर जैद इसके बाद अपने फ़ायदे के लिये उस किताब को बेच डाले तो जैद उस जुर्म का मुतक़िब है जिसका इस दफ़ में जिक्र है ।

(जीम) अगर जैद औ बकर मिलःरितगरु किसी घोड़े के मालिक हो और जैद घोड़े को बकर के क़ब्जे में से काम में लाने की नीयत करके लेले तो इस सर्तमें चूकि जैद उम घोड़े को काम में लाने का मुस्तहक़है इसलिये वह बददियानती से उसको तसर्क़े बेजा में नहीं लाता लेकिन अगर जैद घोड़े को बेचडाले और उमकी कीमतका तमामनपय अपने तसर्क़े में ले आय तो वह उस जुर्म का मुजरिम है जिसका इस दफ़ में जिक्र है ।

तशरीह १—तसर्क़े बेजा बददियानतीके साथ जो सिर्फ़ एक मुदत तक किया जाय उस तसर्क़े बेजा में दाख़िलहै जो इस दफ़ः में मकसूद है ।

तमसील ।

जैद एक गवर्नेमेन्ट परामेसरी नोट जो बकर की मिल्क हो और जिमपर इबारते जहरी न लिखी हो पाय और जैद यह जानकर कि वह नोट बकरकी मिल्कहै उसको कर्ज की जमानत में किसी महाजन के पास मकफूल करे इस नीयत से कि जमान इ आदन्द में किसी वक़्त उसे बकर को वापस करेगा तो जैद उस जुर्म का मुतक़िब है जिसका इस दफ़ में जिक्रहै ।

तशरीह २—जो शरूख कोई मालजो किसी शरूखके क़ब्जे में न हो पाय और उस माल को उसके मालिक की जानिव से हिफ़ाजत करने या उसके मालिकको वापस करने के लिये अपनी तहवील में लाय तो शरूखे मजकूर उस माल को बददियानती से अपनी तहवील या तसर्क़े बेजा में नहीं लाता और न जुर्म का मुजरिमहै लेकिन वह शरूख उस जुर्म का जिसकी ऊपर तारीफ़ कीगई है मुजरिम होगा अगर वह उस माल को अपने काम के लिये तसर्क़े में लाय जबकि वह उसके मालिक को जानता हो या उसके दर्याफ़्त करलेने के वसीले रखताहो या इससे पहले कि वह मालिकके दर्याफ़्त करने और उसके मुत्तले करने के माकूल वसीले काम में ला चुका हो और एक माकूल मुदत तक उस मालको अपनी तहवील में रखाहो ताकि मालिक को उसके दादा करने का काय् होता ।

(वाच १७—उन जुर्मों के वयान में जो माल से मुतअतिक हैं--दफ ४०३ ।)

यह बात कि ऐसी सूरत में कौन्से वसीले फिलवाक़े माकूल हैं और कौन्सी मुद्दत फिलवाक़े माकूल है एक अमरे तन्कीह तलव होगा ।

यह ज़रूर नहीं है कि पानेवाला यह जाने कि उस माल का कौन मालिक है या यह कि फ़ुलां शरस उसका मालिक है वल्कि यह काफी है कि माल को अपने तसर्क में लातेवक्त वह यह वावर न करताहो कि वह उसका अपना माल है या नेक नीयती से वावर न करे कि उसका हकीक़ी मालिक दस्तयाव नहीं होसक्ता ।

तमसीलें ।

(अलिफ) ज़ैद एक शारिअे शाम पर एक रुपय पाये और उस को यह इल्म न हो कि वह फिलकी मिल्क है और ज़ैद उस रुपये को उठा ले तो इस सूरत में ज़ैद उस ज़र्म का मुर्तकिव नहीं हुआ जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है ।

(बे) ज़ैद शारिअे शाम पर एक रुपय पाये और उस में एक महाजनी हुन्डीहो और तैफे और खत के मजमून से ज़ैद दर्याफ्त करे कि वह हुन्डी फ़लाने शरस की है फिर ज़ैद उसको अपने तसर्क में लाय तो ज़ैद एक जुर्मका मुजरिम है जिसका इस दफ में किन्द ।

(जीम) ज़ैद एक रुक़य़ जिस्का रुपय हामिते रुक़य़ को वाजियुल अदाहो पावे और फिली तरह से उस के रायाल में न आय कि यह रुक़य़ फिल से लो गया है तैफे रुक़य़ लिखने वालिका नाम वाजिहहो और ज़ैद यह जाने कि उस रुक़य़े का लिखनेवाला उस शरस का निशान बता सक्ता है जिसके हकमें वह रुक़य़ लिखा गया है मगर ज़ैद मालिक के दर्याफ्त करने की कोई जिहद न करके उस रुक़य़े को अपने तसर्कमें लाय तो ज़ैद एक जुर्म का मुजरिम है जिसका जिक इस दफ में है ।

(दात) ज़ैद बकर के पास उसकी हमयानी जिस में रुपये हो गिरते देखे और ज़ैद बकर को फिर देने की नीयत से हमयानी को उठाय मगर बाद उसके उसको अपने कामके वाक़े तसर्क में लाय तो ज़ैद उम जुर्म का मुर्तकिव हुआ जिसका जिक इस दफ में है ।

(वाष १७ — उन जुमो के बयान में जो माल से मुतअलिक है—दफआत ४०४-४०५।)

दफ़ः ४०४—जो कोई शख्स कोई माल बददियानती से अपने वददिगनती तसर्फे बेजा या काममें यह जान कर लाय कि वह माल किसी शख्स से उम माल के मर्ते वक्त उस मुतवफ़फ़ा के कब्जे में था और यह कि वह माल उस बेजा जो मग्ने वफ़त से किसी ऐसे शख्स के कब्जे में नहीं रहा है जो उस कब्जे का कानून के वक्त शख्स नन् मुस्तहक हो तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किरम मुतवफ़फ़ा के की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी भीआद तीन वरसतक होसती है कब्जे में था । और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा और अगर मुजरिम उस शख्स मुतवफ़फ़ा की जानिव से उसकी वफ़ात के वफ़त मुतसद्दी या मुलाजिम के तौर पर मामूर था तो कैद की भीआद सात वरसतक होसती है ।

तमसील ।

अगर जैद असाहुल बैत और रुपये पर काविज होने की हालत में मर जाय और वफ़र उस का नौकर कवल इसके कि वह रुपय किसी ऐसे शख्स के कब्जे में आजाय जो उस कब्जे का मुस्तहक है रुपये मजकूर को बददियानती से अपने तसर्फे बेजा में लाये तो इस सूरत में जैद उस जुर्म का मुर्तकिव हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ़ में की गई है ।

खयानते मुजरिमानः के बयान में ।

दफ़ः ४०५—कोई शख्स जिसको किसी तरह से कोई माल या खियानते किसी मालका इहतियाम अमानतन् सपुर्द हो कानून की किसी ऐसी मुजरिमान । हिदायत के खिलाफ़ करके जिसमें अमानते मजकूर के अदा करने का तरीक़ मुअय्यन हो या किसी मुआहदःइ मुताविके कानून के खिलाफ़ करके जो लफ़ज़न् या मानन् शख्स मजकूर ने अमानते मजकूर के अदा करने के तरीक़ की निस्वत किया हो माले मजकूर को बददियानती से अपने तसर्फे बेजा में या अपने काम में लाय या उस माल को बददियानती से अपने इस्तिअमाल में लाये या अलाहदःकरे या किसी दूसरे शख्स को अमदन ऐसा करने दे तो शख्स मजकूर “खयानते मुजरिमानः” का मुर्तकिव होगा^१ ।

^१ दरखसूस मुस्तव करने फदे करारदादे जुर्म तहते दफ इ हाजा के मुलाहज तलव मज-
मूय इ जावित इ फौजदारी सन् १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन् १८६८ ई०) की
दफ़ २२३ [ऐक्ट राय आम-जिन्द ६] ।

(वाव १७-उन जुमों के वयान मे जो माल से मुतश्लिक हैं—दफ. ४०६।)

तमसीलें ।

(अलिफ) अगर ज़ैद जो किसी शख्स मुतवफ्फा के वसीयतनामेकी हस्ते वसीहो वददियानती से उस क़ानून के खिलाफ करे जिसमें वसीयतनामे के मुताबिक तफे की तक़त्तम करने का हुकम है और तर्क-अपने कामके लिये तसर्क़मे लाय तो ज़ैद खयानते मुजरिमान-का मुर्तक़िव होगा ।

(वे) ज़ैद गुदाम का मालिक हो और बकर जो सफर करने का आम़ाद है ज़ैदको अपना असासुलवैत इस मुअ़ाहदे की शर्त से प्रमानतन् सपुर्द करे कि जिस वक्त गुदाम घरकी वावत नक़दी माहद अदा की जाय असासुलवैत वापिस किया जायेगा और ज़ैद उस माल ओअस वाव को वददियानती से बेचडाले तो ज़ैद खयानते मुजरिमान-का मुर्तक़िव होगा ।

(जीम) अगर ज़ैद साकिने कलकत्त बकर साकिने दिहली का एजन्ट हो और इनदोनों के दर्भियान लफ़्ज़न् या मानन् एक मुअ़ाहद हो कि बकर जो रुपय-ज़ैद को हुन्डी करे उसको ज़ैद बकर की हिदायत के मुताबिक नफ़्श के लिये प्रमानतन् लगा ले और बकर एक लाख रुपय इस हिदायत से ज़ैद के पास हुन्डीकरे कि ज़ैद उसको कम्पनीके प्रामोत्ती गोट की खरीद में लगा दे मगर ज़ैद वददियानती से उस हिदायत के खिलाफ करके अने कारओवार में सर्फ करे तो ज़ैद खयानते मुजरिमान-का मुर्तक़िव होगा ।

(दाल) लेकिन ऊपर की पिहली तमसील मे अगर ज़ैद न वददियानती से बल्किनेक़ नीयती से यह वावत करके कि वह बंगाल के हिस्से खरीद लेना बकर के लिये जियादानत मुफ़ीद होगा बकर की हिदायतके खिलाफ करे और कम्पनी के कागज़ खरीदने की जगह वह बंगाल के हिस्से बकर के नाम खरीदे तो इससूरत मे गो बकर जिया उठाय और उस जिया की वावत ज़ैद पर दिवानी में नालिश करने का मुस्तहक़हो ताहम चूकि ज़ैदने वददियानती से अमल नहीं किया इस लिये ज़ैद खयानते मुजरिमान-का मुर्तक़िव नहीं है ।

(हे) अगर ज़ैद जो सरिश्त इ माल का ग्रहलकारहै ज़रे सर्कारी का प्रमानतदारहो और उस पर ख़ाह क़ानून की हिदायत के मुताबिक ख़ाह किसी मुअ़ाहदेकी रू से जो नवनेमन्ट के साथ ताफ़्ज़न् या मानन् ज़हूर में आयाहो वाजिबहो कि वह तमाम ज़रे सर्कारी जो उरत क़ज़े में है किसी ख़ास ख़जाने में दाखिल करे मगर ज़ैद उस रुपये की वददियानती से पाने तसर्क़फ में लाय तो ज़ैद खयानते मुजरिमान का मुर्तक़िव है ।

(वाव) बकर की जानिवसे ज़ैद को जो माल ओ अस्वाय पहुचानेका पेशा रस्तहो वीर माल प्रमानतन सपुर्द हो कि वह उमे खुशकी या तरीकी राह से पहुचादे और ज़ैद उस माल को वददियानती से तसर्क़फे बेजा मे लाय तो ज़ैद खयानते मुजरिमान का मुर्तक़िव होगा ।

(वाक १७—उन जुर्मों के बयान में जो मालते मुतअलिअहे—दफ्तारान ४०७-४०८)

जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सजा या मान की दोनों सजायें दी जायेंगी । सजा ।

दफ्तः ४०७—अगर कोई शख्स जिसको मान पहुंचानेके पेशा-माल पहुंचाने वर या घटवाल या गुदाम के मालिक की हैसीयत से कोई माल अ-वाले बंग मे मानतन सपुर्द हो उस माल की निस्वत खयानते मुजरिमानः का खियानते मुजरिमान । मुर्तकिबहो तो शखसे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ्तः ४०८—कोई शख्स जो मुतसदी या नौकर हो या जो मुतसदी या नौकर के काम पर मामूरहो और जिसको किसी तरह नौकर से मुतसदी या नौकर की हैसीयत से कोई माल या किसी मालका इह-खियानते मुजरिमान । तिमाम अमानतन सपुर्द हो माले मजकूरकी निस्वत खयानते मुजरिमानः का मुर्तकिब हो तो शखसे मजकूर को दोनों किस्मों मेंसे किसी किस्म की कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ्तः ४०९—कोई शख्स जिसको वहैसीयते सर्कारी मुलाजिम सर्कारीमुला-या अपने कारओवार के एतवार से वहैसीयत महाजन या सौदागर जिम या या कारपर्दाज या दलाल या मुख्तार या एजिन्ट के कोई माल या महाजन या किसी माल का इहतिमाम किसी तरह अमानतन सपुर्द हो माले मज-सौदागर या कूर की निस्वत खयानते मुजरिमानः का मुर्तकिब हो तो शख्स मज-एजिन्ट से कूर को हक्स दवाम बडबूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी खियानते मुजरिमान । किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

माले मसरूकः लेने के बयान में ।

दफ्तः ४१०—वह माल जिसका कब्जः सर्के^१या इस्तिहसाले माले मसरूक । विलजत्र या सर्कः इविलजत्रके जरिये से मुन्तकल हुआ हो और वह

^१ दरवार इ सजाय ताजीयान वपादाशे जुर्म मुसरह इ दफ्त ४११ के मुलाहज तलव ऐक्ट सजाय ताजीयान सन् १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर-इ सन् १८६४ ई०) की दफ्त-आल २ ओ ३ [ऐक्ट हाय आम—जिल्द^१]- और वपादाशे जुर्म मुसरह इ दफ्त ४१२ के

(वाव १७—उन जुर्मों के बयान में जो मालसे मुतखलिक हैं—दफ़्तात ४११-४१२ ।)

माल जो तसरुफ़े बेजा मुजरिमानः में लाया गया हो जिसकी निस्वत खियानते मुजरिमानः का इतिंकाव हुआ हो "माले मसरूकः" कहा जायेगा^२ [आम इस से कि उस माल का ऐसा इन्तिकाल या तसरुफ़ बेजा या उसकी निस्वत खियानते मुजरिमानः ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर या उसके बाहर बहू में आई हो] लेकिन वह माल अगर बादहू उस शरूस् के कब्ज़े में आ जाय जो उसके कब्ज़े का कानून मुस्तहक है तब वह माल माले मसरूकः न होगा ।

माले मसरूकः
वददियानती
से लेना ।

दफ़्ताः ४११—जो कोई शरूस् कोई माले मसरूकः यह जानता या वावर करने की वजह रखकर कि वह माल माले मसरूकः है वददियानती से ले या ले रखे उस शरूस् को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी भीआद तीन बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

माले मसरूकः
व इतिंकाव
उकैती वद
दियानती से
लेना ।

दफ़्ताः ४१२—जो कोई शरूस् कोई माले मसरूकः वददियानती से ले या ले रखे जिसकी निस्वत वह जानता या वावर करने की वजह रखता हो कि उसका कब्ज़ः उकैती के इतिंकाव के ज़रीये से मुतखलिक हुआ है या किसी शरूस् से जिसकी निस्वत वह जानता या वावर करे

मुलाहज़ा तलव वही ऐक्ट—और नीज़ दरवार बर्मा के आईनों के ऐक्ट नम् १८६० (नम्बर १३ मुसदर-इ सन् १८६० ई०) की दफ़्ता ४ (३) (वे) और ज़मीम २ [मन्सूर इ क़वानीने बर्मा मतवूअ-इ सन् १८६६ ई०]—और षपादाशे जुर्म मुसदर-इ दफ़्ता ४१३ के मुलाहज़ा तलव ऐक्ट सज़ाये ताज़ियान सन् १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर-इ सन् १८६१ ई०) की दफ़्तात ४ ओ ६ ।

दरवार इ सज़ा षपादाशे ज़राइम तहते दफ़्तात ४११-४१४ के जिनकी तहदी पन्जावके किल इ तहदी में या विलोचिस्तान में वज़ारिय कौन्तिले तर्दागन के इन्त में प्राय मुलाहज़ा तलव पन्जाव के तहदी ज़राइम के रेगुलेशन सन् १८६७ ई० (नम्बर २ मुसदर इ सन् १८६७ ई०) की दफ़्ता १४ [मजमूअ इ क़वानीने पन्जाव मतवूअ इ सन् १८६० ई०—और मजमूअ इ क़वानीने विलोचिस्तान मतवूअ इ सन् १८६० ई०] ।

^१ लाफ़ज़ "जुर्म" मजमूअ इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्दके तर्मांम कर्नेवाले ऐक्ट सन् १८६० ई० (नम्बर २ मुसदर इ सन् १८६२ ई०) की दफ़्ता ६ के ज़रीये ने मन्सूर किल में [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ४ ।]

^२ यह प्रलफ़ाज़ मजमूअ इ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द के तर्मांम कर्नेवाले ऐक्ट सन् १८६० (नम्बर २ मुसदर इ सन् १८६२ ई०) की दफ़्ता ६ के ज़रीये से दाख़िल किल में [ऐक्ट हाय आम—जिल्द ४] ।

सन १८६०ई०] मजमूअःइ कवानीने ताजीराते हिन्द । १६६

(वाव १७-उन जुर्मों के बयानमें जो माल से गुतअलिक्र हैं-दफ्तात ४१३-४१५ ।)

की वजह रखता है कि वह डाकुओं के गुरोह में शरीक है या शरीक रहा है कोई माल बददियानती से ले जिसकी निस्वत वह जानता या वावर करने की वजह रखता है कि वह माल माले मसरूकः है तो शरूस् मजकूर को हवस दवाम वउवूरे दर्याय शोर या कैद सरूत की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ्तः ४१३-जो शरूस् कोई ऐसा माल जिसको वह जानता माले मसरूक-
या वावर करने की वजह रखता हो कि वह माल माले मसरूकः है का आदतन
आदतन लिया करता हो या उसका कारओवार किया करता हो कारओवार
उस शरूस् को हवस दवाम वउवूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों करना ।
में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद
दस वरस तक हो सक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव
होगा ।

दफ्तः ४१४-जो कोई शरूस् किसी ऐसे माल के छुपाने या माले मसरूकः
अलाहदः करने या तलफ करने में विल्इरादः मदद करे जिसकी छुपाने में
निस्वत वह जानता या वावर करने की वजह रखता हो कि वह माल मदद देना ।
माले मसरूकः है तो शरूस् मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी
किस्मकी कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन वरस तक
हो सक्ती है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दगाके बयान में ।

दफ्तः ४१५-जो कोई शरूस् किसी शरूस् को धोका देकर दया ।
उस धोका खानेवाले शरूस् को फरेव से या बददियानती से तहरीक
करे कि वह कोई माल किसी शरूस् के हवाले करे या इसपर रिजामन्दी
जाहिर करे कि कोई शरूस् कोई माल ले रखे या धोका खानेवाले
शरूस् को किसी ऐसे अमर के करने या तर्क करने की कसदन् तहरीक
करे जिसको वह न करता या तर्क न करता दरहाले कि उसको इस
तरह धोका न दियाजाता और जो फेल या तर्क उस शरूस् के जिस्म
या खातिर या नेकनाभी या माल को मजरत या गजन्द पहुंचाय या

(वाव १७—उन जुमों के वयान में जो माल से मुतअहिक्रहें—दफ़ ४१५ ।)

उसके पहुँचाने का इहतिमाल हो तो कहा जायेगा कि शरहसे मज-
सूर ने “दगा की” ।

तशरीह—वददियानती से उमूरे वाकई का एखफा करना
एक धोखा देना है जो इस दफः में मकसूद है ।

तमसलीं ।

(अलिफ) जैद भूयमूट मुलाजिमे मुतअहहिदे मुल्की होने का इद्देआ फरके इमद
वकर को धोका दे और इस तरह वददियानती से वकर को तहरीककरे कि वह उसे नसतत
माल दे जिसकी कीमत अदाकरना उसकी नीयत में न हो तो जैद ने दगा की ।

(बे) जैद किसी शै पर कोई निशाने मुलतवस लगाने के जरिये से कसदन् धोना दे
वकर को यह वावर कराय कि वह शै फुला नामवर कारीगर की बनाई हुई है और इस तरह
वददियानती से वकर को शै मजकूर के खरीदने और कीमत देने की तहरीक करे तो जैद
ने दगा की ।

(जीम) जैद वकर को किसी शै का भूय नमून. दिखलानेसे कसदन् धोना देके वकर
को यह वावर कराय कि वह शै नमूने के मुताबिक है और इस जरिये से वकर को उसकी
खरीदने और कीमत देने की वददियानती से तहरीक करे तो जैद ने दगा की ।

(दाल) अगर जैद किसी शै की कीमत में किसी कोटी पर जिस में जैद का क्या
जमा नहीं है एक रक पेश करे और उसको यह उम्मेद हो कि उस कोटी में यह रक
न पड़ेगा और इस तरह वकर को कसदन् धोका दे और इस जरिये से उसको अमन
के हवाले करने की वददियानती से तहरीक करे और उसकी कीमतका न देना जैदकी नीयत
में हो तो जैद ने दगा की ।

(हे) अगर जैद ऐमी चीजों को हीरे की हँसियत से गिरा रखकर जिन को वह
जानता है कि हीरे नहीं हैं कसदन् वकर को धोका दे और इस जरिये से वकर को नया
करज देने की वददियानती से तहरीक करे तो जैद ने दगा की ।

(वाव) जैद वकर को कसदन् धोका देकर यह वावर कराय कि जो रुपय नू मुभ्तों
करज देगा उसके अदा करने की में नीयत रखता हूँ और इसके जरिये से वकर को नया
करज देने की वददियानती से तहरीक करे और जैद की रुपय अदा करने की नीयत न
हो तो जैद ने दगा की ।

(जे) जैद वकरको कसदन् धोना देकर यह वावर कराय कि मैं तुम्हें तो एक लाभ
मिस्दार बर्ग नील देना चाहता हूँ जिसका देना उसकी नीयत में न हो और उसके
जरिये से उस देने के एतिवार पर वकरको पेशगी रुपय देने की वददियानती से तहरीक
करे तो जैद ने दगा की लेकिन अगर रुपय शामिल करने उक्त बर्ग नील देना जैद की
नीयत में हो और बाद उसके वह अपना मुआहद तोड़जाले और बर्ग नील न दे तो वह दगा
नहीं करता है मगर मुआहद के तोड़ने की वावन मिर्भ नाबिशे दीशगी में मागूज होती है
ला । र । है ।

(वाव १७-उन जुमों के वयान मे जो माल से मुतगलिक हें-मफगत ४१६-४१७ ।)

(हे) जैद बकर को कसदन धोका देकर यह दाव कराये कि मेरे और तेरे दर्मियान मे जो मुआहद हुआ था उसकी निस्वत मैंने प्रपना अहद उफ्रा किया जिसको उसने उफ्रा न किया हो और इस जरिये से बकर को रुपय देने की वददियानती से तहरीर कते तो जैद ने दगा की ।

(तो) जैद कोई जायदाद बकर के हाथ बेचे और उसके नाम मुन्तरूल करदे और फिर यह जानकर कि वै करने के रावन से उस माल की निस्वत मुभको कुछ इस्तिहकाक नहीं रहा वधैर जाहिर करने इस बात के कि बकर के हाथ पहले वै ओ इन्तिकाल हो चुका खालिद के हाथ उसी जायदाद को वै या रिहन करे और खालिद से जरे वै या जरे रिहन ले ले तो जैद ने दगा की ।

दफ़ः ४१६-अगर कोई शख्स यह इद्दिआ करने से कि वह दूसरा शख्स वनाने से दगा ।
कोई और शख्स है या जान बूझ कर एक शख्स को किसी दूसरे शख्सका क्लायम मुक्लाम बनाने से या अपने आप को या किसी दूसरे शख्स को ऐसा शख्स जाहिर करने से जो वह खुद या दूसरा शख्स फिलवाक़े न हो दगा करे तो कहा जायेगा कि शखसे मजकूरने “ दूसरा शख्स बनाने से दगा की ” ।

तशरीह-जुर्म मजकूर का इत्तिकाव बकू में आना समझा जायेगा आम इस्से कि वह शख्स जिसके होने का इद्दिआ हुआ चाकई हो या खियाली ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद अपने तई एक अपना हमनाम दौलत मन्द महाजन इदिआ करके दगा करे तो जैद ने दूसरा शख्स वनाने से दगा की ।

(बे) जैद यह इद्दिआ करके दगा करे कि मैं बकर हू और बकर एक शख्स मुतवफ़्फा हो तो जैद ने दूसरा शख्स वनाने से दगा की ।

दफ़ः ४१७-जो कोई शख्स दगा करे उस शख्स को दोनों दगा की सजा ।
किरमों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मी-
आद एक वरसतक होसती है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें
दी जायेंगी ।

दफ़ः ४१८-जो कोई शख्स दगा करे इस इल्म से कि उसके दगा इम इल्म
जरियेसे ऐसे शख्स को जियाने बेजा पहुंचाने का इहतिमाल है जिसके से कि उस से
इस्तिहकाककी हिफाजत उस मुआमिले में जिसकी निस्वत दगा वाक़े जियाने बेजा

(बाब १७-उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुताबिक हैं-दफ़्तात ४१६-२२२ ।)

किसी शख्स को पहूने जिसके इस्ति-हक़ाक की हिफ़ाजत मुजरिम पर बाजिव है ।

दूसरा शख्स बनाने से न्याय करने की सजा ।

माल के हवाल करने को दया और बद नियाततीसे तहरीक करना ।

कर्जखाहों में तबसोम के रोदने के लिये ब-नियानती या फरेव से माल को दूर करना या हपाना ।

जो ने
जाये

हो किसी क़ानून या मुत्ताबिके क़ानून की ख़से उस पर बाजिव थी तो शख्स मजसूम को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीअ़ाद तीन बरसतक होसکتी है या जुर्मने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्ताः ४१६-जो कोई शख्स दूसरा शख्स बनाने से दया करे उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीअ़ाद तीन बरसतक होसکتी है या जुर्मने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्ताः ४२०-जो कोई शख्स दया करे और इस के ज़रीये से धोका खाने वाले शख्स को बददियानती से तहरीक करे कि वह कोई माल किसी शख्स के हवाल करे या किसी कफ़ालतुल माल के कुल या जुज़ को या किसी शै को जो दस्तखती या मुहरी हो और जो कफ़ालतुल माल किये जाने की हैसीयत रखती हो बनाये या तब्दीत करे या तलफ़करे तो शख्स मजसूम को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीअ़ाद सात बरसतक होसکتी है और वह जुर्मने का भी मुत्ताबिक होगा ।

फ़रेव आमेज़ वस्तीक़ों और माल को फ़रेव से क़ब्ज़े से अ़लाहदा करने के बयान में ।

दफ़्ताः ४२१-जो कोई शख्स बघैर लेने काफ़ी एवज के कोई माल बददियानती से या फ़रेव से दूर करे या हपाने या किसी शख्स के हवाल करे या मुन्तक़ल करे या मुन्तक़ल कराये यह नीयत करे या इस अमर का इहतिमाल जानकर कि उसके ज़रीये से माले मजसूम उसके क़र्ज़खाहों या किसी शख्स के क़र्जखाहों के दीमियान में क़ानून के मुताबिक तकसीम होने से रक जाय तो शख्स मजसूम को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीअ़ाद दो बरसतक होसکتी है या जुर्मने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्ताः ४२२-जो कोई शख्स किसी क़र्जे या मुनालिबे को जो उसका अफ़ना या किसी दूसरे शख्स का पाना हो अपने क़र्ज या अफ़ना

(याव १७-उन जुमों के वयान में जो माल से मुतअलिक हे-इफ्तान ४२३-४२४ ।)

दूसरे शरूख के क़र्ज के अदा होने के लिये क़ानून के मुअफ़िक से मुअफ़िक
मुयस्सर होने से बददियानती या फरेव से रोके तो शरूख मजकूर होंगे से क़-
को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी दियानती या
जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या फरेव से
दोनों सज़ायें दीजायेंगी । ग़ैरना ।

दफ़्तः ४२३—जो कोई शरूख बददियानती या फरेव से किसी नमीक ३
ऐसे वसीक़े या नविशते पर दस्तरात करे या उसकी तकमील करे या ररितइकाक़ की
उसमें फ़रीक़ होजाय जिस वसीक़े या नविशते का मजमून यह हो कि वददियानती
किसी माल या किसी इस्तिहकाक़ का मुतअलिक़ उस मालके उसके या फरेव से
ज़रीये से इन्तिक़ाल हो या उसमें कोई खर्च पड़े और जिसमें कोई तकमील करना
भूठ वयान वावत उस इन्तिक़ाल या खर्च के एवज़ के हो या वह भूठ जिसमें एवज़ना
वयान उस शरूख या उन शरूखों से तअल्लुक़ रखता हो जिसके या भूठ वयान
जिनके इस्तिअमाल या नफा के लिये उसका मुअरसर होना फ़िलवाक़े लिरा है ।
मक़सूद है तो शरूख मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की
क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है
या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

दफ़्तः ४२४—जो कोई शरूख अपना या किसी दूसरे शरूख का माल को बद-
कोई माल बददियानती या फरेव से छुपाये या दूर करे या उसके दियानती
छुपाने या दूर करने में बददियानती या फरेव से मदद करे या किसी या फरेव से दूर
मुतालिवे या दावी से जिसका वह मुस्तहक़ है बददियानती से दस्त- करना या
वर्दार हो तो शरूख मजकूर को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की छुपाना ।
क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है
या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

नुक़सान रसानी के वयान में ।^१

दफ़्तः ४२५—जो कोई शरूख इस नीयत से या इस अमरके इह- नुक़साने
तिमाल के इल्म से कि आम्मःइ खलाइक़ को या किसी शरूख को रसानी ।

^१ उन जुमों के इत्तिला पहुंचानेकी पावन्दीके वारे में जो तहते दफ ४२५ या ४२६ क़ा-
विले सज़ा है मुलाहज़ तलव मजमूअ इ जावित इ फ़ौजदारी सन् १८६० ई० (ऐक्ट ५ मु-
सदर ३ सन् १८६० ई०) की दफ. ४४ [ऐक्ट हायनाम-जिल्द ६] ।

(वाव १७-उन जुर्मों के वयान में जो माल से मुतअक़िरू हैं-दफः ४२५।)

ज़ियाने नाजायज़ या मज़रत पहुंचाये किसी माल के तलफ का या किसी मालकी ऐसी तब्दील या उसकी जगह की ऐसी तब्दील का वाइस हो जिससे उसकी मालीयत या काममें आनेकी क़ाबिलीयत मादूम होजाय या कम होजाय या जो नुफ़सान के साथ उसपर मुअस्सर हो तो कहा जायगा कि शरूसे मज़कूर “नुफ़सान रसानी” का मुतक़िव हुआ ।

तशरीह १—जुर्में नुफ़सान रसानी के मुतहक़िरू होने के लिये यह जरूर नहीं है कि उस माल के मालिक को जिसे नुफ़सान पहुंचाया जो तलफ हुआ ज़ियान या मज़रत पहुंचाना मुजरिम की नीयतमें हो बल्कि यह काफी है कि उसकी यह नीयत हो या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में हो कि किसी मालके नुफ़सान पहुंचाने के ज़रीये से किसी शरूस् को ज़ियाने बेजा या मज़रत पहुंचाये आम इससे कि वह माल उस शरूस् की मिल्कहो या न हो ।

तशरीह २—नुफ़सानरसानी का इतिकाव किसी ऐसे फेलके ज़रीयेसे होसक्ताहै जो किसी मालपर असर करे खाह वह माल उस

उन जुर्मों में जो हस्से दफ़आत ४२६ ओ ४२७ क़ाबिले सज़ाहों वाज सूरतों में राज़ी नाम होसक्ता है—मुलाहज तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ़ ३४५ दरखुसूस उस नौबते दौराने मुक़दम के कि जब अदालत की इजाजत के बिदून राज़ीनाम जायज़ नहीं है मुलाहज तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ़ इ मजकूर की दफ़ इ तहती (५) ।

द्वारः सज़ाये ताज़ियान के पजाव के अज़लाये सरहदी और विलूचिस्तान में वपादाश उन जराइम के जो तहते दफ़आत ४२७ लगाइत ४२६ ओ दफ़आत ४३५ ओ ४३६ फ़ काबिले सज़ाहैं मुलाहज तलव पजाव के सरहदी जराइम के रेगुलेशन सन् १८८७ ई० (न ४ मुसदर इ सन् १८८७ ई०) की दफ़ = [मजमूअ इ क़वानीने पजाव मतवूअ इ सन् १८८८ ई०—और मजमूअ इ क़वानीने विलूचिस्तान मतवूअ इ सन् १८६० ई०]—और अ़पर ब्रह्मा में वपादाश उन जुर्मों के जो तहते दफ़आत ४३५ ओ ४३६ ओ ४४० के काबिले सज़ा हैं मुलाहज तलव अ़परब्रह्मा के अ़इनो के ऐक्ट सन् १८६८ ई० (न १३ मुसदर इ सन् १८६८ ई०) की दफ़ ४ (३) (वे) और ज़मीम २ [मजमूअ इ क़वानीने ब्रह्मा मतवूअ इ सन् १८६६ ई०] ।

द्वार इ सज़ा वपादाशे जराइम तहते दफ़आत ४२७ ओ ४२६ ओ ४३५ ओ ४३६ के जिनकी तज़कीक़ात पजाव के जिलये सरहदी में या विलूचिस्तान में बज़रीय नौबते सर्तग़ा के अ़मन में गये मुलाहज तलव रेगुलेशन मजकूर की दफ़ १८ ।

(वाव १७-उन जुमों के बयान में जो माल से गुतश्लिक हैं—दफ़. ४२६ ।)

शरूस् की मिल्क हो जो इर्तिकावे फेल करता है खाह उस शरूस् और और शरूस् की बिल्इशितराक मिल्कीयत हो ।

तमसीलें ।

(अलिफ़) ज़ैद वकर को जियाने बेजा पहुचाने की नीयत से वकर के किसी कफालतुल्माल को विलाइराद, जला दे तो ज़ैद नुक्सान रसानी का मुर्तकिव हुआ ।

(बे) ज़ैद वकर को जियाने बेजा पहुचाने की नीयत से उसके वर्फ़्ताने में पानी पहुचाये और इस तरह से वर्फ़ पिघलने का वाइस हो तो ज़ैद नुक्सान रसानी का मुर्तकिव हुआ ।

(जीम) ज़ैद दर्यामें वकर की अगूठी विलाइराद फेंक दे इस नीयत से कि वह उसके ज़रीये से वकर को जियाने बेजा पहुचाये तो ज़ैद नुक्सान रसानी का मुर्तकिव हुआ ।

(दाल) ज़ैद यह जानकर कि उसका असवाव वकर के कर्जे के अदा करने ने लिये जो ज़ैद पर आता है कुरू होनेवाला है उस असवाव को तलफ़ू कर डाले इस नीयत से कि वह उसके ज़रीये से वकर को उसके कर्जे के वसूल पाने से रोके और इस तरह से वकर को मर्जरत पहुचाये तो ज़ैद नुक्सान रसानी का मुर्तकिव हुआ ।

(हे) ज़ैद किसी जहाज़ का बीमा कराके विल इराद, उस जहाज़ की तवाही का वाइसहो इस नीयत से कि वह बीमे वालों को मर्जरत पहुचाये तो ज़ैद नुक्सान रसानी का मुर्तकिव हुआ ।

(वाव) ज़ैद किसी जहाज़ की तवाही का वाइस हो इस नीयत से कि वकर को जिराने उस जहाज़ की क़िफालत पर रुपय कर्ज दियाहो मर्जरत पहुचाये तो ज़ैद नुक्सान रसानी का मुर्तकिव हुआ ।

(जे) ज़ैद जो वकर की शिरकत में किसी घोड़े का मालिक हो उस घोड़े के गोली मारे इस नीयत से कि वह उसके ज़रीये से वकर को जियाने बेजा पहुचाये तो ज़ैद नुक्सान रसानी का मुर्तकिव हुआ ।

(हे) ज़ैद वकर के खेत में मवेशी के घुस जाने का वाइस हो यह नीयत करके और इस अमर का इहतिमाल जानकर कि वकर की फसल को मर्जरत पहुचाये तो ज़ैद नुक्सानरसानी का मुर्तकिव हुआ ।

दफ़ः ४२६ —जो कोई शरूस् नुक्सान रसानी का मुर्तकिव नुक्सान हो उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी । रसानी की सजा ।

(वाव १७—उन जुर्मों के वयान में जो माल से मुतअलिक़ हैं—दफ़आत ४२७—४३०।)

नुक्सान
रसानी के
जरीये से
पचास रुपये
तक मज़रत
पहुचाना।

दफ़ः ४२७—जो कोई शख्स नुक्सानरसानी का मुर्तक़िव हो और उसके जरीये से वकदरे पचास रुपये या ज़ियादः के जियान या मज़रत का वाइस हो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की क़ैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक हो सकती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दस रुपये की
मालीयत के
किसी हैवान
को मार डालने
या उसके
किसी अज़्व
को वेकार
करने से नु-
क्सान रसानी।

दफ़ः ४२८—जो कोई शख्स दस रुपये या ज़ियादःकी माली-
यत के किसी हैवान या हैवानों के मार डालने या ज़हर देने या
उसके किसी अज़्व को वेकार करने या उसको वेकार करने के जरीये
से नुक्सानरसानी का मुर्तक़िव हो उस शख्स को दोनों क्रिस्मों में
से किसी क्रिस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो
वरसतक होसکتती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

किसी मालीयत
की मवेशीवगैर-
को या पचास
रुपयेकी माली-
यत के किसी
हैवान को मार
डालने या उसके
किसी अज़्व
को वेकार करने
से नुक्सान
रसानी।

दफ़ः ४२९—जो कोई शख्स किसी हाथी या ऊंट या घोड़े
या खच्चर या भैंसे या बैल या गाय या बधिया को कितनीही माली-
यत उसकी हो या पचास रुपये या ज़ियादः की मालियत के किसी
दूसरे हैवान को मार डालने या ज़हर देने या उसके अज़्व को वेकार
या उसको वेकार करनेके जरीये से नुक्सानरसानी का मुर्तक़िव हो-
तो शख्ससे मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की क़ैद की
सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद पांच वरसतक होसکتती है या
जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

आवयारी के
कामों को
नुक्सान पहु-
चाने से या
वतारे बेजा
पानाक़ रख
फेर देने से
नुस्मान
ग्माना।

दफ़ः ४३०—जो कोई शख्स किसी ऐसे फेलके इर्तिक़ावके जरीये
से नुक्सानरसानी का मुर्तक़िव हो जो ऐसे पानी की कमी का वाइस हो
या मुर्तक़िव जानता हो कि उसके ऐसी कमी के वाइस होने का इहति
माल है जो ज़राअत के कामों के लिये या इन्सान के या ऐसे हैवानों
के खाने पीनेके लिये जो माल है या सफ़ाई के लिये या किसी दस्तकारी
के इजराके लिये काममें आताहो तो शख्ससे मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से
किसी क्रिस्म की क़ैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद पांच वरस
तक होसکتती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

दफ्तः ४३१—जो कोई शख्स किसी ऐसे फेल के इतिहास के जरिये से नुक्सान रसानी का मुर्तकिय हो जो किसी शारेज आम या पुल या किसी दर्याये काविले रवानीये मर्कवेतरी को या किसी मजराये आवे कुदरती या अमली काविले रवानीये मर्कवेतरी को ऐसा करदे या मुर्तकिय जानता हो कि उसके ऐसे कर देनेका इहतिमाल है कि वह सफर करने या असवाब के लेजाने केलिये गुजर के काविले न रहे या उसके बेखतर होने में खलल पड़ जाय तो शखसे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किरम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद पांच बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तः ४३२—जो कोई शख्स किसी ऐसे फेल के इतिहास के जरिये से नुक्सानरसानी का मुर्तकिय हो जो किसी ऐसे सैलाव फैलने का या किसी आम बदररौ की ऐसी रोक का वाइस हो या जिसको मुजरिम जानता है कि उस फेल के वाइस से ऐसे सैलाव फैलने या ऐसी रोक का इहतिमाल है जिससे नुक्सान या मजरत जुद्द में आये तो शखसे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद पांच बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्तः ४३३—जो कोई शख्स किसी लाइट हाउस या किसी रौशनी को जो निशाने समुन्दरी के तौर पर काम में आती हो या किसी निशाने समुन्दरी या पानी पर तैरने वाले किसी निशान या किसी और शै को जो मर्कवेतरी के चलाने वालों की रहनुमाई के लिये काइम की गई हो तवाह करने या तब्दीले जाय करने के जरिये से या किसी ऐसे फेल के जरिये से जो ऐसे लाइट हाउस या निशाने समुन्दरी या पानी पर तैरने वाले किसी निशान या उस किस्म के किसी और शै को जिसका जिक्र ऊपर हुआ मर्कवेतरी के चलाने वालों की रहनुमाई के लिये किसी कदर बेकार करदे नुक्सान रसानीका मुर्तकियहो तो शखसे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सातबरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

(बाय १७-उन जुमों के बयान मे जो माल से मुतअल्लिक हैं-दफः ४४१ ।)

मुदाखलते बेजा मुजरिमानःके बयान में^१ ।

मुदाखलते
बेजा मुजरि-
मान. ।

दफः ४४१—जो कोई शख्स किसी ऐसी जायदादके अन्दर दाखिलहो जो किसी दूसरे शख्स के कब्जे में है इस नीयत से कि किसी जुर्म का इतिहास करे या उस शख्स की जो जायदादे मजकूर पर काबिजहै तखवीफ तौहीन करे या उसको रज्जदे—

या उस जायदाद के अन्दर जवाजन दाखिल होकर वहां

^१ दरवार तखल्लुक पिजीर होने दफआत ४४१ ओ ४४५ बनिस्वते जराइम तहते क्वानीने मुख्तसुल धमर या मुख्तसुल मुकाम के मुलाहज तलव माकूल की दफ.४०-उन जुमों के इत्तिला पहुचाने की पावन्दी के वारे में जो तहते दफआत ४४६ ओ ४५० या दफ. ४५६ लगाइत ४६० के काविले सजा हैं मुलाहज तलव मजमूअ इ जावित इ फौज-दारी सन् १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरःइ सन् १८६८ ई०) की दफ. ४४ [ऐक्टहाये ग्राम—जिल्द ६]—नीज मुलाहज तलव (बनिस्वत उन जुमों के जो तहते दफआत ४४६ या ४५० या ४५७ या ४५८ या ४५९ या ४६० काविले सजा हैं) दफ ४५ ।

उन जुमों में जो तहते दफआत ४४७ ओ ४४८ काविले सजा हो राजीनाम. होसक्ता है—मुलाहज. तलवमजमूअ इ मजकूर की दफ. ३४५—दर खुसूस उस नौबते दौराने मुकबम के कि जब अदालत की इजाजत के विद्वन राजीनाम. जायज नहीं है मुलाहज. तलव मजमूअ इमजकूर की दफ.इ मजबूरकी दफ इ तहती (५) ।

दरवारः सजाये ताजियान वपादाशे जराइम मुसरह इ दफआत ४४३—४४६ के मुलाहज. तलव ऐक्टे सजाये ताजियान सन् १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ सन् १८६४ ई०) की दफआत २ ओ ३ ओ ४ ओ ६ [ऐक्ट हाये ग्राम—जिल्द १] ।

दरवार सजाये ताजियान वपादाशे जराइम काविले सजा तहते दफआत ४४८-४६० के (पजाब के अजलाये सरहदी और विलोचिस्तान मे) मुलाहज. तलव पजाबके सरहदी जराइम के रेगुलेशन सन् १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन् १८८७ ई० की दफ ८ मजमूअ इ क्वानीने पजाब मतवृथ इ सन् १८८८ ई०—और मजमूअ इ क्वानीने विलोचिस्तान मतवृथ इ सन् १८६० ई०)—और वपादाशे जराइम काविले सजा तहते दफआत ४५५ ओ ४५८ ओ ४५९ ओ ४६० के अपरब्रह्मा में मुलाहज तलव अपरब्रह्मा के आईनो के ऐक्ट सन् १८६८ ई० (नम्बर १३ मुसदर इ सन् १८६८ ई०) की दफा ४ (३) (ये) और जर्मीम २ [मजमूअ इ क्वानीने ब्रह्मा मतवृथ इ सन् १८६६ ई०] ।

दरवार इ सजा वपादाशे जराइम तहते दफआत ४४८—४६० के जिनकी तहकीरात पजाब के जिल्लाये सरहदी या विलोचिस्तान मे बजरीय कौन्सिले सर्दारान के शमल में आये मुलाहज तलव पजाब के सरहदी जराइम के रेगुलेशन सन् १८८७ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ १८८७ ई०) की दफ १४

सन १८६०ई०] मजमूअःइ क़वानीने ताज़ीराते हिन्द । २११

(वाव १७-उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअक़िक हैं-दफ़आत ४४२-४४५ ।)

नाजवाज़ी के साथ ठहरा रहे इस नीयत से कि उसके ज़रिये से उस शरूस् की तख़वीफ़ या तौहीन करे या उसको रज़्ज़दे या इस नीयत से कि किसी जुर्मका इतिंकाव करे-

तो क़हा जायगा कि शरूस्से मज़कूर “मुदाख़लते वेजा मुजरिमानः” का मुर्तक़िव हुआ ।

दफ़ः ४४२-जो कोई शरूस् किसी ऐसी इमारत या खेमे या मरक़वेतरी में जो इन्सान की बूढ़ व वाशक़े तौर पर काम में आती है या किसी ऐसी इमारतमें जो इबादतगाह या माल की जाये हिफ़ाज़तके लिये काम में आती है दाख़िल होने या ठहरे रहने के ज़रीये से मुदाख़लते वेजा मुजरिमानः का मुर्तक़िव हो तो क़हा जायगा कि शरूस्से मज़कूर “मुदाख़लतेवेजा वख़ानः” का मुर्तक़िव हुआ ।

तशरीह-मुदाख़लते वेजा वख़ानः के मुतहक़िक़क़ होने के लिये यह काफी है कि मुदाख़लते वेजा मुजरिमानः का मुर्तक़िव अपने जिस्म का कोई जुज़ दाख़िल करे ।

दफ़ः ४४३-जो कोई शरूस् मुदाख़लतेवेजा वख़ानः का मुर्तक़िव हो यह पेशवन्दी करके कि वह मुदाख़लतेवेजा वख़ानः किसी ऐसे शरूस्से छुपाये जो मुर्तक़िव को उस इमारत या खेमें या मरक़वेतरी से जिसमें वह मुदाख़लते वेजा कीजाय न आने देने या निकाल देने का इस्तिहक़ाक़ रखता है तो क़हा जायगा कि शरूस्से मज़कूर “मख़फी मुदाख़लतेवेजा वख़ानः” का मुर्तक़िव हुआ ।

दफ़ः ४४४-जो कोई शरूस् आफ़ताव के मुख्य के वाद और तुलू से पहले मख़फी मुदाख़लतेवेजा वख़ानः का मुर्तक़िव हो तो क़हा जायगा कि शरूस्से मज़कूर “मख़फी मुदाख़लतेवेजा वख़ानः वक्त शव्” का मुर्तक़िव हुआ ।

दफ़ः ४४५-वह शरूस् जो मुदाख़लतेवेजा वख़ानः का मुर्तक़िव हो “नक़वज़नी” का मुर्तक़िव कहलाया जायगा अगर वह घर या घरके किसी हिस्से में नीचे लिखेहुये द्यः तरीक़ों में से किसी तरीक़े पर मुदाख़लत करे या अगर किसी जुर्म के इतिंकाव के लिये घर

(वाच १७-उन जुर्मों के बगन मे जो माल से मुतचलिक हैं—दफ ४४५।)

में या उसके किसी हिस्से में मौजूद होकर या वहां किसी जुर्म का इतिहास करके छः तरीकों मजसूअ में से किसी एक तरीके पर उस मकान से या उस मकान के किसी हिस्से से बाहर निकल आये-याने:-

पहला—अगर वह ऐसे गुजर से दाखिल हो या बाहर निकले जो खुद उसने या मुदाखलते बेजा बखानः के किसी मुईन ने मुदाखलते बेजा बखानः के इतिहास के लिये बना लिया हो ।

दूसरा—अगर वह ऐसे गुजर से दाखिल हो या बाहर निकले जिस्से दाखिल होना इन्सान का किसी और शाख के नजदीक सिवाय उसके या जुर्म के किसी मुईन के मजसूअ न हो या किसी ऐसे गुजर से जिस तक किसी दीवार या इमारत पर कमन्द लगाने या चढ़ने से पहुंचा हो ।

तीसरा—अगर वह किसी ऐसे गुजर से दाखिल हो या बाहर निकले जिसको उसने खुद या मुदाखलते बेजा बखानः के किसी मुईन ने मुदाखलते बेजा बखानः के इतिहास के लिये ऐसे बसीलों से खोल लिया हो जिनसे उस गुजरका खोला जाना साहिवे खानःका मजसूअ नया ।

चौथा—अगर वह मुदाखलते बेजा बखानः के इतिहास के लिये या मुदाखलते बेजा बखानः के इतिहास के बाद घर से बाहर निकलनेके लिये कोई कुफल खोलकर दाखिल हो या बाहर निकले ।

पांचवां—अगर वह जव्रे मुजरिमानः के इस्तिमाल से या हथले के इतिहास या हथले की धमकी देने से दुखूल या खुलज करे ।

छठा—अगर वह किसी ऐसे गुजर से दाखिल हो या बाहर निकले जिसको वह जानता हो कि दुखूल या खुलज के

वाव १७-उन जुमो के बयान में जो माल से मुतयजिक है- दफ ४८६ ।)

दफे के लिये बन्द किया गया है और वह खुद उसने या मुदाखलते बेजा बखानःके किसी मुईन ने खोललिया है।

तश्रीह-शागिर्द पेशः बगैरः का कोई मकान या कोई इमारत उसके शामिल सर्फ में हो और जिसके और उस घरके दर्मियान ई पैवस्तः अन्दरुनी आमद ओ रफ्त हो हस्वे मन्शा इस दफः ह मकान या इमारत घर का हिस्सः है ।

तमसीलें ।

अलिक) जैद बकर के घरकी दीवार में सुराख करने और अपना हाथ उस तूराखके डालने से मुदाखलते बेजा बखान का मुर्तकिय हो तो यह नकबजनी है ।

बे) जैद किसी जहाज के अन्दर एक कण्ठे की राहसे जो पहाड़ के दर्मियानहो घुम दाखलते बेजा बखान का मुर्तकिय हो तो यह नकबजनी है ।

जीम) जैद एक खिड़की की राह से बकर के घर में दाखिल होने से मुदाखलते बेजा का मुर्तकिय हो तो यह नकबजनी है ।

दाल) जैद एक बन्द दर्वाजे को खोल कर उसकी राहसे बकरके घरके अन्दर दाखिल से मुदाखलते बेजा बखान का मुर्तकिय हो तो यह नकबजनी है ।

हे) जैद दर्वाजे के एक सुराख में तार डालने से विली को उठाकर उस दर्वाजे से बकर र में दाखिल होने से मुदाखलते बेजा बखान का मुर्तकिय हो तो यह नकबजनी है ।

वाव) जैद बकर के घर के दर्वाजे की कुजी जो बकर के पास से घुम होगई हो पाये उस कुजी से दर्वाजे का कुफन खोल कर बकर के घरमें दाखिल होने से मुदाखलते बेजा न का मुर्तकिय हो तो यह नकबजनी है ।

जे) बकर अपने दर्वाजे में खड़ा हो और जैद बकर को मारकर और गिराकर जबरत हासिल करे और घर के अन्दर दाखिल होने से मुदाखलते बेजा बखान का मुर्तकियहो यह नकबजनी है ।

(हे) बकर कि खालिद का दरवान है खालिद के दर्वाजे में खड़ा है और जैद बकर को ने की धमकी देने से अपने तअर्रजे से वाज रखकर घरमें दाखिल होकर मुदाखलते बेजा न का मुर्तकिय हो तो यह नकबजनी है ।

दफः ४४६-जो कोई शरव्स आफताव के गृहव के बाद और नकबजनी के कबल नकबजनी का मुर्तकिय हो तो कहा जायगा कि वह बक्ते राव । नकबजनी बक्ते शव " का मुर्तकिय हुआ ।

(वाव १७ उन जुर्मों के वयान में जो माल से मुतखलिक हैं—दफ्तान ४४७-४५२ ।)

मुदाखलते-

वेजा मुजरिमानः
की सजा ।

दफ्तः ४४७—जो कोई शख्स मुदाखलतेवेजा मुजरिमानः का मुर्तकिव हो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सकती है या जुर्मने की सजा जिसकी मिकूदार पांचसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

मुदाखलते

वेजा वखानः
की सजा ।

दफ्तः ४४८—जो कोई शख्स मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिव हो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सजा जिसकी मिकूदार एक हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

जुर्मके इतिकव
के लिये जिसकी
सजा मौत है
मुदाखलते वे-
जा वखान ।

दफ्तः ४४९—जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इतिकव के लिये जिसकी पादाश में सजाये मौत मुकर्रर है मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिव हो उस शख्स को हब्स दवाम वउवूरे दर्याय-शोर या कैद सरख्त की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस से ज़ियादः नहो और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

जुर्म के इतिकव
के लिये जिसकी
सजा हब्स
दवाम वउवूरे
दर्याय शोर है
मुदाखलते वेजा
वखान. ।

दफ्तः ४५०—जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्मके इतिकवके लिये जिसकी पादाशमें हबसे दवाम वउवूरे दर्याये शोर की सजा मुकर्रर है मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिव हो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वरस से ज़ियादः नहो और यह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

जुर्म के इतिकव
के लिये जिसकी
सजाकैद है ।
मुदाखलते
वेजा वखान. ।

दफ्तः ४५१—जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इतिकवके लिये जिसकी पादाश में सजाये कैद मुकर्रर है मुदाखलते वेजा वखानः का मुर्तकिव हो उस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक हो सकती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा और अगर वह जुर्म जिसका इतिकव नीयत में है सकः हो तो कैद की मीआद सात वरस तक हो सकती है ।

जरर पहु-
चाने या

दफ्तः ४५२—जो कोई शख्स किसी शख्स को जरर पहुचाने या किसी शख्स पर हमलः करने या किसी शख्स की मुजाहमते वेजा

(बाव १७—उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतकलिक है-दफ्तात ४५३-४५७।)

करने के लिये या किसी शख्स को जरूर या हम्लः या मुजाहमतेवेजा हमल करने या की तखवीफ करनेके लिये तय्यारी करके मुदारखलते वेजा वखानः मुजाहमतेवेजा का मुर्तकिवहो उस शख्स को दोनों क्तिस्मों में से किसी क्तिस्म की करने की तय्यारी के बाद क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है मुदाखलतेवेजा और वह जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा । वखान ।

दफ्तः ४५३—जो कोई शख्स मखफी मुदारखलते वेजा वखानः मखफी मुदा-
या नक्वजनी का मुर्तकिव हो उसको दोनों क्तिस्मों मेंसे किसी क्तिस्म खलते वेजा
की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती नक्वजनी का
है और वह जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा । सजा ।

दफ्तः ४५४—जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाव के जुर्मके इर्तिकाव
लिये जिसकी पादाशमें सजाये क़ैद मुकर्ररहै मखफी मुदारखलते वेजा के लिये जिसकी
वखानः या नक्वजनी का मुर्तकिवहो उस शख्सको दोनों क्तिस्मों मखफीमुदाखल सजा क़ैद है
में से किसी क्तिस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद ते वेजा वखानः
तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा या नक्वजनी।
और अगर वह जुर्म जिसका इर्तिकाव नीयत में है सर्कः हो तो क़ैदकी
मीआद दस बरस तक होसक्ती है ।

दफ्तः ४५५—जो कोई शख्स किसी शख्सको जरूर पहुंचाने या जरूरपहुंचाने या
किसी शख्स पर हम्लः करने या किसी शख्स की मुजाहमते वेजा हमल करने या
करने की या किसी शख्स को जरूर या हम्लः या मुजाहमते वेजाकी मुजाहमते वेजा
तखवीफ करने की तय्यारी करके मखफी मुदारखलते वेजा वखानः या करने की त-
नक्वजनी का मुर्तकिव हो उस शख्स को दोनों क्तिस्मों में से किसी य्यारी करने के
क्तिस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस बरस तक दाखलते वेजा
होसक्ती है और जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा । वखान-या न-
क्वजनी ।

दफ्तः ४५६—जो कोई शख्स मखफी मुदारखलते वेजा वखानः मखफी मुदाख-
वक्ते शव या नक्वजनी वफ्तते शव का मुर्तकिव हो उसको दोनों क्तिस्मों लते वेजा व-
में से किसी क्तिस्म की क़ैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन खान-या नक्व-
बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा । जनी वक्ते शव
की सजा ।

दफ्तः ४५७—जो कोई शख्स जिसको ऐसे जुर्म के इर्तिकावके जुर्म के इर्ति-

(वाव १७—उन जुर्मों के बयान में जो माल से मुतअलिक हैं—दफ़्यात ४५८-४६१ ।)

काव के लिये लिये जिसकी पादाशमें सजाये कैद मुकर्ररहै मखफी मुदाखलते बेजा जिमकी सजा वखानः वक्त शव या नक्तवजनी वक्त शव का मुर्तकिवहो उसको दोनों कैद है मखफी क्रिस्मों में से किसी क्रिस्मकी कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद मुदाखलते बेजा पांच वरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा वखान या न- और अगर वह जुर्म जिसका इर्तिकाव नीयत में है सर्कः हो तो कैदकी क्तवजनी वक्त शव । मीआद चौदःवरस तक होसक्ती है ।

जरर पहुंचाने दफ़ः ४५८—जो कोई शख्स किसी शख्स को जरर पहुंचाने या हमल करने या किसी शख्स पर हमलः करने या किसी शख्स की मुजाहमतेबेजा या मुजाहमते करने की तयारी या किसी शख्स को जरर या हमले या मुजाहमते वेजा करने की तैयारी के बाद करके मखफी मुदाखलते बेजा मखफी मुदाखल- वखानः वक्त शव या नक्तवजनी वक्त शव का मुर्तकिव हो उसको लते बेजा व- दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सजा दीजायगी जिसकी खान या नक्तव- मीआद चौदःवरस तक होसक्ती है और वह जुर्मनेका भी मुस्तौ- जनी वक्तेशव । जिव होगा ।

मखफी मुदाख- दफ़ः ४५९—जो कोई शख्स मखफी मुदाखलते बेजा वखानः लते बेजा वखान- या नक्तवजनी के इर्तिकाव की हालत में किसी शख्स को जररे शदीद या नक्तवजनी के इर्तिकाव की पहुंचाये या किसी शख्स को हलाकत या जररे शदीद पहुंचाने का इफ़दाम करे तो उसको हवसे दवाम वउवूरे दर्याये शोर या दोनों हालतमें जरर श- क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सजा दीजायगी जिसकी मी- दाद पहुंचाना । क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैदकी सजा दीजायगी जिसकी मी- आद दसवरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने भी मुस्तौजिव होगा ।

मखफी मुदा- दफ़ः ४६०—अगर मखफी मुदाखलते बेजा वखानःवक्तेशव खलते बेजा या नक्तवजनी वक्त शवके इर्तिकावके वक्त कोई शख्स जो जुर्म पजकूर वखान या का मुजरिमहै विल इरादः किसी शख्स को हलाकत या जररे शदीद नक्तवजनी वक्त शव में कुल पहुंचाये या पहुंचाने का इफ़दाम करे तो हरएक शख्स को जो उस मरफी मुदाखलते बेजा वखानः वक्त शवे या नक्तवजनीये वक्तेशवके शुरा मुस्तौ- इर्तिकाव में शरीकहो हवसे दवाम वउवूरे दर्याये शोर या दोनों क्रिस्मों जिव सजा है में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दीजायगी जिमकी मीआद दस जवकि हलाकत वरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा । या जररे शदीद दफ़ः ४६१—जो कोई शख्स बददियानती से या तुफ़मान या उनमें ने

सन १८६० ई०] मजमूअःइ कवानीने ताजीराते हिन्द । २१७

(बाब १७ — उन जुमों के बयान में जो माल से मुतअल्लिक हैं -- दफ ४६२ — और
बाब १८ — उन जुमों के बयान में जो दस्तावेजों और हिफें या मिलकीयत
के निशानों से मुतअल्लिक हैं — दफ ४६३ ।)

रसानी के इतिक़ाब की नीयत से किसी वन्द किये हुये जर्फ को तोड़कर वद
जिस में माल हो या जिसमें माल का होना वह वावर करता हो दियानती से
तोड़कर खोले या उसका वन्दखोले तो उस शख्सको दोनों किस्मों खोलना
में से किसी किस्म की कैदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो^१ जिसमें माल
बरस तक होसक्ती है या जुर्मानेकी सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

दफ़: ४६२ — अगर कोई शख्स जिसको कोई वन्द किया उसी जुर्म की
हुआ जर्फ अमानतन सपुर्द हो जिसमें कुछ माल हो या जिसमें माल सज़ा जबकि
का होना वह वावर करता हो वददियानती से या नुफ़सानरसानी मुहाफ़िज़
के इतिक़ाब की नीयत से वगैर इसके कि उसके खोलने की उसको मुर्तक़िब हो ।
इजाजत हो उस जर्फ को तोड़कर खोले या उसका वन्द खोले तो
शख्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा
दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने
की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

बाब १८ ॥

उन जुमों के बयान में जो दस्तावेजों और हिफें या
मिलकीयत के निशानों से मुतअल्लिक हैं ।

दफ़: ४६३ — जो कोई शख्स कोई भूउ दस्तावेज या उसका जालसाजी ।
कोई जुज इस नीयत से बनाये कि आममःइ खलाइक या किसी श-
ख्सको मज़रत या नुफ़सान पहुंचाये या किसी दावी या इस्तिहकाक
की ताईद करे या किसी शख्ससे कोई माल अलाहिदःकराये या

१ दरवार इखितयार दरखुसूस इजा इस्तिवासात तहते दफ ४६३ या ४७१ या ४७५ या ४७६
के मुलाहज तलब मजमूअ इ जावित इ फौजदारी सन १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ
सन १८६८ ई० की दफ १६५ दफ इ तहती (१) जिमन् (जीम) [ऐक्टहाय आम-जिल्द ६] ।

दरवार- जावित इ कार्रवार के जराइम मुमर्रह इ दफ ४६३ या ४७१ या ४७४ या ४७५
या ४७६ या ४७७ की मृत में मुलाहज तलब मजमूअ इ जावित इ दीवानी सन १८६२
ई० (ऐक्ट १४ मुसदर इ सन १८६२ ई०) की दफ ६४३ [ऐक्टहाय आम-जिल्द ४] ।

दरवार सजाये ताजियान वपादागे जराइम मुमर्रह इ दफ ४६३ और दफ़ायान ४६६-
४६६ के-मुलाहज तलब ऐक्ट सजाये ताजियान सन १८६४ ई० (नम्बर ६ मुसदर इ
सन १८६४ ई०) की दफ़ायान ४ थो ६ [ऐक्टहाय आम-जिल्द ४] ।

(वाव १८—उन जुमों के वयान में जो दस्तावेजों और हिफें या मिल्कीयत के निशानों से मुतअक्किह हैं—दफ़ः ४६४ ।)

शुमान कराये कि वह वक्रर की जमानत रखता है और उसके जरीये से हुडी की मितों का कर पटा ले इस लिये जैद जालसाजी का मुजरिम है ।

(वाव) वक्रर के वसीयत नामे में यह इवारत हो—कि “ मैं हिदायत करता हू कि मेरी जायदाद में से तमाम बाक़ीमादः जायदाद जैद ओ अमर ओ ख़ालिद के दमियान में बराबर तक्रसीम की जाय ” जैद बददियानती से अमर का नाम छील डाले यह नीयत करके कि यह वावर कर लिया जाय कि वह तमाम जायदाद उसके और ख़ालिद के वारे है तो जैद जालसाजी का मुर्तकिव हुआ ।

(जे) जैद किसी गवर्नमेन्ट प्रामिसरी नोट पर इवारते जुहरी लिखे और उस पर यह इवारत लिखने से कि “ वक्रर को या उसे जिसको वह हुकम दे जरे विल दिया जाय ” और उस इवारते जुहरी पर दस्तख़त करने से वक्रर को या उसे जिसको वह हुकम दे विल का रुपय वाजिबुल अदा करदे और ख़ालिद यह इवारत कि “ वक्रर को या उसे जिसको वह हुकम दे रुपय दिया जाय ” बददियानती से छील डाले और उसके जरीये से ऐसी ख़ात इवारते जुहरी को इवारते जुहरी विला नाम की करदे तो ख़ालिद जालसाजी का मुर्तकिव है ।

(हे) जैद कोई मिल्कीयत वक्रर के हाथ बेचे और उसके नाम मुन्तकिल करदे और बाद इसके इस गरज से कि वक्रर को उसकी मिल्कीयत से अज़राहे फ़रेव महरुम की है उस मिल्कीयत का इन्तिकालनाम ख़ालिद के नाम मुरत्तब करदे जिसकी तारीख तर्तब वक्रर के नाम इन्तिकाल किये जाने की तारीख तहरीर से छ महीने पहले की होये नीयत करके कि यह बात वावर कर लीजाय कि जैद उस मिल्कीयत को वक्रर के नाम मुन्तकिल करने से पहिले ख़ालिद के नाम मुन्तकिल कर चुका था तो जैद जालसाजी का मुर्तकिव हुआ ।

(तो) वक्रर जैद को अपना वसीयत नाम लिखने के लिये ज़वानी इवारत बनाय जाय और जैद उस मूतालहु के नाम के एवज जो वक्ररने बताया है किसी दूसरे मूतालहु का नाम लिखदे और जैद वक्रर से यह वयान करके कि तुम्हारी हिदायतों के मुताबिक मैंने वसीयत नाम तैयार किया है वक्रर को उस वसीयत नामे पर दस्तख़त करने की तररीक करे तो जैद जालसाजी का मुर्तकिव है ।

(य) जैद एक चिट्ठी लिखकर विला इजाज़त वक्रर के उस पर वक्रर के दस्तख़त करले और उसमें इस बात का इज़हार हो कि जैद नेक्चलन है और नागहानी शान के सबब से तग हाल है यह नीयत करके कि उस चिट्ठी के जरीये से ख़ालिद और शख्सों से ख़ैरत हासिल करे इस सूरत में चूकि जैदने इस गरज से एक मुद्री दस्तख़त बनाई कि ख़ालिद को माल ख़लाहिद करने की तहरीक करे इस लिये जैद जालसाजी का मुर्तकिव हुआ ।

(बाव १८--उन जुमों के बयान में जो दस्तावेजों और हिफें या मिल्कीयत के निशानों से मुताविक है -दफ ४६४।)

खालिद को जाली सर्दिफिकेट के जरिये से धोका देने की नीयत की और उसके जरिये से खालिद को नौकरी की बावत एक मुआहद इ लफजी या मानवी करने की तहरीक की ।

तशरीह १—आदमी का खुद अपने नाम को दस्तखत करना जालसाजी की हद तक पहुंच सकता है ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद किसी हुडी पर अपना नाम दस्तखत करे यह नीयत करके कि यह बात बावर करलीजाय कि उस हुडी को किसी दूसरे शख्स उसके हमनाम ने लिखा है तो जैद जालसाजी का मुर्तकिव है ।

(बे) जैद लफज “ सिकारी ” किसी पर्चे पर लिखे और उस पर बकर का नाम दस्तखत करदे इस लिये कि खालिद अखीर को उसी कागजपर एक हुडी अपनी तरफ से बकर के ऊपर लिखे और उसको बकर की सिकारी हुई हुडी के तौर पर बेच डाले तो जैद जालसाजी का मुजरिम है--और अगर खालिद यह अमर वाकई जानकर जैद की नीयत के मुताविक हुंडी उस कागज पर लिखे तो खालिद भी जालसाजी का मुजरिम है ।

(जीम) जैद कोई पड़ी हुई हुडी जिसका रुपय जैद के हमनाम किसी दूसरे शख्स के हुकम से वाजिबुलअदा हो उटाले और उस पर इवारते जुहरी अपने नाम पर लिखदे यह नीयत करके कि उससे यह बावर करलिया जाय कि इवारत जुहरी उसी शख्स ने लिखी है जिसके हुकम के मुताविक रुपय वाजिबुलअदा है तो इस सूरत में जैद जालसाजी का मुर्तकिव हुआ ।

(दाल) जैद कोई मिल्कीयत खरीदे जो किसी डिक्री की तामील में कि बकर पर हुई है नीलामहो और बकर उस मिल्कीयत की जन्ती के बाद खालिद से साजिश करके खालिद को किसी फर्जी लगा पर मुद्दते दराज के वास्ते उस मिल्कीयत का ठेका दे और उस ठेके की कोई तारीख लिखे जो जन्ती की तारीख से छ महीने पहले की हो इस नीयत से कि जैद को मिल्कीयत से अजर्राहे फरेव महरूम करे और यह बावर कराये कि ठेक जन्ती से पहले दिया गया है--इस सूरत में अगर्चि बकर ने वह ठेक अपने नाम से लिखा है ताहम मुतकद्दम तारीख लिखने के बादसे वह जालसाजी का मुर्तकिव है ।

(हे) जैद एक साहूकार दिवाला निकालने की पेशवन्दी करके अपने फाइदे के लिये कोई माल ओ मना बकर के पास रखदे और अपने कर्जेबाहों को ठगने की नीयत से और मुआमले की साख जमाने की चरज से एक तमस्तुक लिखदे कि मुझको बकर का इसकदर रुपय उस मालियते मौदल की बावत देना वाजिब है और उस तमस्तुक में तारीखे मुतकद्दम लिखदे इस नीयत से कि यह बावर क्रिया जाय कि वह उससे पहले लिखा गया है कि जैद दिवाला

(वाव १८-उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेजों और हिफें या मिल्कीयत के निशानों से मुतअल्लिक हैं-दफ़आत ४६५--४६६ ।)

निकालने को था तो जैद जालसाजी की तारीफ़ की पहली जिम्न के मुवाफ़िक़ जालसाजी का मुर्तक़िव हुआ ।

तशरीह २-किसी भूठी दस्तावेज़ का किसी फ़र्जी शख्स के नाम से बनाना इस नीयत से कि यह बात वावर की जाय कि वह दस्तावेज़ किसी वाकई शख्स ने बनाई है या उसका किसी मुतवफ़फ़ा शख्स के नाम से बनाना यह नीयत करके कि वावर किया जाय कि वह दस्तावेज़ उस शख्स ने अपने हीनेहयात बनाई है जालसाजी की हद तक पहुंच सकता है ।

तमसील ।

जैद कोई हुडी किसी फ़र्जी शख्स के ऊपर लिखे और फरेव से उस फ़र्जी शख्स के नाम से उस हुडी को सिकारे इस नीयत से कि उसको बेच डाले तो जैद जालसाजी का मुर्तक़िव है ।

दफ़ः ४६५-जो कोई शख्स जालसाजी का मुर्तक़िव हो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिम की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

जालसाजी की सजा ।

कोर्ट के कागजे सररिशत या आम रेजिस्टर वगैर को जाली बनाना ।

दफ़ः ४६६-जो कोई शख्स कोई जाली दरतावेज़ बनाये जो इसकी मुक़तज़ी हो कि वह किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस का कागजे सररिशतः या कागजे मिरल है या विलादत या इस्तिवाग या इज़्दि-वाज या तदफ़ीन का रेजिस्टर है या कोई रेजिस्टर है जिसको कोई सर्कारी मुलाजिम अपनी मुलाजिमी की हैसियत से सुरत्तब करता है या कोई सर्टीफ़िकेट या दरतावेज़ बनाये जो इसकी मुक़तज़ी है कि वह किसी सर्कारी मुलाजिम ने अपने उहदे की हैसियत से सुरत्तब की है या किसी मुक़दमे के दाइर करने या उसकी जवाबदिही करने या उसमें किसी तरह की पैरवी करने या इक़वाले दावा दाखिल करने के लिये इजाजतनामः है या वह मुल्तारनामः है तो शख्स मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिमकी कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा ।

(बाव १=-उन अमों के बयान में जो दस्तावेजों और हिफें या मिलकीयत के निशानों से मुतअलिक हैं-दफआत ४६७-४७१।)

दफ़ः ४६७-जो कोई शरख्स कोई जाली दस्तावेज बनाये जो क़िफालतुल-
 इसकी मुक्ज़ी हो कि वह क़िफालतुलमाल या वसीयतनामः या मु-माल या वसी-
 तबन्ना करने का इजाजतनामः है या इसकी मुक्ज़ी हो कि उससे अतनाम वगैर
 किसी शरख्स को किसी क़िफालतुलमाल के बनाने या मुन्तक़िल करने का जाली
 या असल या सूद या सूद के हिस्सों को तहवील में लाने या रुपये या बनाना ।
 माले मन्कूलः या क़िफालतुलमाल के तहवीलमें लाने या हवाले करने
 की इजाज़त है या कोई दस्तावेज जाली बनाये जो इसकी मुक्ज़ी
 हो कि फारिगखती या क़ब्ज़ुलवसूल है जिसमें रुपये के वसूल होने
 का इक़्रार है या किसी मालेमन्कूलः या क़िफालतुलमाल के हवाले
 किये जाने की फारिगखती या क़ब्ज़ुलवसूल है तो शरखसे मजकूर
 को हवसे दवाम वउवूरे दर्याय शोर या दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म
 की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती
 है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ४६८-जो कोई शरख्स जालसाज़ी का मुर्तक़िव हो यह दगा के लिये
 नीयत करके कि दस्तावेजे जाली दगा देने के लिये काम में लाई जालसाज़ी ।
 जायगी उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की कैद की सज़ा
 दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह
 जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ४६९-जो कोई शरख्स जालसाज़ी का मुर्तक़िव हो यह नेकनामी को
 नीयत करके कि दस्तावेजे जाली किसी फरीक़ की नेकनामी को गज़न्द पहुचाने
 गज़न्द पहुचाये या यह जानकर कि उसके इस काम में लाये जाने के लिये जाल-
 का इहतिमाल है तो उस शरख्स को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म साज़ी ।
 की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन वरस तक
 होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफ़ः ४७०-जो भूठी दस्तावेज कुल्लन् या जुज़अन जालसाज़ी जाली दस्ता-
 से मुरत्तब की जाय वह "जाली दस्तावेज" कहलाई जायगी । नेज़ ।

दफ़ः ४७१ जो कोई शरख्स किसी दस्तावेज को जिसको वह जाली दन्ता-
 जानना या वावर करने की वजः रखताहो कि वह जाली दस्तावेज है नेजों का

(वाव १८--उन जुमों के वयान मे जो दस्तावेजों और हफें या मिलकीयत के निशानों से मुतअलिक हैं-दफ़्यात ४७२-४७४ ।)

असली दस्ता-
वेज की हैसी-
यत से काम
में लाना ।

वहैसीयत असली दस्तावेज के फरेव से या वददियानती से काम में लाये तो उस शख्स को उसी तरह सज़ा दी जायगी कि गोया उसने उस दस्तावेज को जाली बनाया ।

जालसाज़ी के
इर्तिकाव की
नीयत से जो
दफ़ ४६७की
रुसे मुस्तौ-
जिवे सज़ा है
मुलतवस मुहर
वगैर बनाना
या पासरखना ।

दफ़ः ४७२—जो कोई शख्स कोई मुहर या कन्दःकी हुई धात की तरुती या नकूश करने का कोई और आलः बनाये या उसकी तल्वीस करे यह नीयत करके कि वह किसी ऐसी जालसाज़ी के इर्तिकाव के लिये काम में आये जिसकी पादाश में इस मजमूअे की दफ़ः ४६७ की रुसे सज़ा मुकर्रर है या उसी नीयतसे कोई ऐसी मुहर या कन्दः की हुई धात की तरुती या कोई और आलः अपने पास रखता हो यह जानकर कि वह मुलतवस है तो उस शख्स को हवूसे दवाम वउवूरे दर्याय शोर या दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

जालसाज़ी के
इर्तिकाव की
नीयतसेजिसकी
दूसरी सज़ा
मुकर्रर है मुलत-
वस मुहर वगैर
बनाना या पास
रखना ।

दफ़ः ४७३—जो कोई शख्स कोई मुहर या कन्दःकी हुई धात की तरुती या नकूश करने का कोई और आलः बनाये या उसकी तल्वीस करे यह नीयत करके कि वह किसी ऐसी जालसाज़ी के इर्तिकाव के लिये काम में आये जिसकी पादाश में इस वाव की दफ़ः ४६७ के सिवा किसी और दफ़ःकी रुसे सज़ा दी जासक्ती है या उसी नीयत से कोई मुहर या कन्दःकी हुई धात की तरुती या कोई और आलः जिसको वह मुलतवस जानता है अपने पास रखता हो तो शखसे मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्मने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दस्तावेज
मजकूर इ
दफ़ ४६६ या
४६७ को
जाली जाकर
गौर वगैरगीयो

दफ़ः ४७४—जो कोई शख्स कोई दस्तावेज अपने पास रखे यह जानकर कि वह जाली है और यह नीयत करके कि वह वहैसीयत असली दस्तावेज के फरेव से या वददियानती से काम में लाई जाय तो अगर वह दस्तावेज उस क्रिस्मकी दस्तावेज है जिसका जिक्र इस मजमूअे की दफ़ः ४६६ में है तो शखसे मजकूर को दोनों क्रिस्मों में से

(वान १८-उन जुमो के वयान में जो तस्तावेजों और हिके या मिलकीयत के निशानों में मुत्तवसिह है-दफ्तान १७५-४७७ ।)

किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा और अगर वह दस्तावेज उस क्रिस्म की दस्तावेज है जिसका जिक्र दफः ४६७ में है तो हवसे दवाम वउवूरे दर्यायशोर या दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफः ४७५-जो कोई शख्स किसी मादे के जिर्म पर या जिर्म में किसी ऐसी अलामत या निशान की तल्वीस करे जो किसी ऐसी दस्तावेज की तस्दीक के काममें आती हो जिसका वयान इस मजमूअे की दफः ४६७ में हुआ है यह नीयत करके कि वह अलामत या निशान इस काम में आये कि जो दस्तावेज उस मादे पर विलफेल जाली बनचुकी या आइन्दः जाली बनाये जाने को है उसके असली दस्तावेज होने की नुमाइश करे या उसी नीयत से कोई ऐसा मादःअपने पास रखे जिसके जुर्म पर या जुर्म में उस अलामत या निशान की तल्वीस की गई है तो उस शख्स को हवसे दवाम वउवूरे दर्यायशोर या दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

दफः ४७६-जो कोई शख्स किसी मादे के जिर्म पर या जिर्म में किसी ऐसी अलामत या निशान की तल्वीस करे जो किसी ऐसी दस्तावेज की तस्दीक करने के काम में आती हो जो उन दस्तावेजों में से न हो जिनका वयान इस मजमूअे की दफः ४६७ में हुआ है यह नीयत करके कि वह अलामत या निशान इस काम में आये कि जो दस्तावेज इस मादे पर विलफेल जाली बनाई गई है या आइन्दः जाली बनाई जाने को है उसके असली दस्तावेज होने की नुमाइश करे या जो कोई शख्स ऐसी नीयत से कोई मादःअपने पास रखता हो जिसके जुर्म पर या जुर्म में किसी ऐसी अलामत या निशान की तल्वीस की गई है तो उस शख्स को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

अमली काम में ताने की नीयत में पाग रखना ।
अलामत या निशान की तल्वीस जो दस्तावेज मज-कूर इ दफ ४६७ की तस्दीक के लिये काम में आये या मुत्तवस निशान किये हुये मादे को पास रखना ।
अलामत या निशान की तल्वीस जो दस्तावेजों के सिवाय दस्तावेजाते मज-कूर इ दफ-४६७ की तस्दीक के काम में आये या मुत्तवस निशान किये हुये मादे का पास रखना ।

(वाक्य :-—उनजुमों के वयान मे जो दस्तावेजों और हिफें या मिल्कोयत के निशानों से मुतअल्लिक हैं—दफ. ४७७ (अल्लिक) ।)

वसीयत नामे
या मुतवन्ना
करने के इजा-
जत नामे या
किफालतुल
माल पर फरेव
से खते नस्ख
खीचना या
उसका तलफ
करना वगैरः ।

दफः ४७७—जो कोई शरूस् फरेव से या दददियानती से या इस नीयत से कि वह आम्मः इ खलाइक को या किसी शरूस् को मजरत या नुफ्रसान पहुंचाये किसी ऐसी दस्तावेजपर खते नस्ख खींचे या उसको तल्फ करे या बिगाड़ दे या उसपर खते नस्ख खींचने या उसके तल्फ करने या बिगाड़ देने का इकदाम करे या उसको छुपाये या उसके छुपाने का इकदाम करे जो वसीयत नामः या मुतवन्ना करने का इजाजत नामः या कोई किफालतुलमाल हो या होने की मुफ्तजीहो या ऐसी दस्तावेज की निस्वत नुफ्रसानरसानी का मुर्तकिब हो तो उस शरूस् को हब्स दवाम बउवूरे दर्यायशोर या दोनों किस्मोंमें से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा ।

हिसाब भूटा
बनाना ।

दफः ४७७(अल्लिक)-जो कोई शरूस् मुतसद्दी या अहलेकार या नौकर होकर या मुतसद्दी या अहलेकार या नौकर की हैसीयत से माफूर या कारगुजार होकर—अमदन् और फरेव देने की नीयतसे कोई बही या कागज या तहरीर या किफालतुलमाल या हिसाब जो उसके आका का है या उसके आका के पास है या जो उसने अपने आका के लिये या अपने आका की तरफ से पाया हो तलफ करे या बदले या उसमें काट कूट करे या उसको भूटा बनाये—या अमदन् और फरेव देने की नीयत से किसी वैसी बही या कागज या तहरीर या किफालतुलमाल या हिसाबमें कोई भूटा दाखिलः मुन्दर्ज करे या उसके करनेमें इआनत करे या बही या कागज या तहरीर या किफालतुलमाल या हिसाबे मजकूर से कोई जुखरी बात निकाल दे या उसमें किसी जुखरी बात को बदल दे या निकाल देने या बदल देनेमें इआनत करे तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

तशरीह—इस दफः के मुतअल्लिक किसी इल्जाम में वगैर

१ दफ. ४७७ (अल्लिक) फौजदारी आर्न के तमाम करने वाले ऐक्ट १८६१ (नं ३ मुन्दर - सन १८६३ ई०) की तक . के जरीने इन्वॉक की गयीं .
नाम नाम - मिल्क ६] ।

(वाव १८-उन जमों के वयान में जो दस्तावेजों प्रांग हिफे या मिलीयत =
निशानों से मुतवाहिज है-दफ ४७=।)

वताये नाम किसी खास शख्स के जिसको फरेव देना मकसूद हो या
बगैर तसरीह किसी खास मुबलगे जर के जिसका गाइः इ फरेव होना
मकसूद हो या बगैर तसरीह किसी खास दिनके जित दिन कि दुर्म
का इतिकवाव हुआ हो फरेव देने की चाम नीयतका वयान करना
काफ़ी होगा ।

हिफे और मिलीयत के और दूसरे निशानों के वयान में ।

दफः ४७८-जो निशान इस अमर के जाहिर करने के लिये निशानेहिफे ।
काम में लाया जाय कि यह असवाव फुलां शखसे खासका सनाअत
कियाहुआ या तिजारती है तो वह निशान निशाने हिफेः कहलायेगा ।

और इस मजमूआ की गरजों के लिये “ निशाने हिफेः ” के लफ्ज़ ट्याटियूट
में हर ऐसा निशाने हिफे दाखिल है जिसकी रेजिस्टरी हिफे के मजरीय ३
निशानों की ऐसी वही में हुई हो जो नम्बरों और इखितराओं और सन् ४६ औ
हिफेके निशानों के ऐक्ट मुसदरः इ सन् १८८३ ई० की रुखे रखीजाती ४७ जुलूस
है-और हर ऐसा निशाने हिफेः भी दाखिल है जिसकी या तो रेजि- मलक ३
स्टरी करके या बिदून रेजिस्टरी के किसी ऐसे मकबूजाते बृतानी या विकटोरिया
रियासते और में वजरीयः कानून के हिफाजत की गई हो जहां नमूनों -वाव ५७ ।
और इखितराओं और हिफे के निशानों के ऐक्ट मुसदरः इ सन्
१८८३ ई० की दफः एकसौ तीन के अहकाम इजला से कौन्सिल
के हुकम से वर वहत तच्चल्लुक पिजीर रहें ।

३ दफआत ४७८ लघायत ४८६ साविक दफआत की जगह हिन्दके सौदागरीके मालके
निशानों के ऐक्ट सन् १८८६ ई० (न० ४ मुसदर इ सन १८८६ ई०) की दफ ३ के
जरीये से काइम की गई [ऐक्ट हाय चाम-जिल्द ५] ।

इन दफआत के तहत में जवान या इजात्रि नालिश और ह्दे समाअते नालिगात के
खचे के बारे में मुलाहज तलव उनी ऐक्ट की दफआत १४ औ १५ ।

दफआत ४८०—४८२ या दफ ४८५ की विला इराद खिलाफ वजा के वार में
मुलाहज तलव उनी ऐक्ट की दफ = ।

माल की जवनी बहतत खिलाफ वजा दफ ४८२ या दफआत ८८६—८८८ के वार में
मुलाहज तलव उनी ऐक्ट की दफ ६ ।

(वाच १८—उन जुर्मों के बयान में जो दस्तावेजों और हिफें या मिलकीयत के निशानों से मुतअल्लिक हैं—दफ्तरात ४७६-४८३ ।)

निशाने
मिल्कीयत ।

दफ्तरः ४७६—जो निशान इस अमर के जाहिर करने के लिये काम में लाया जाय कि यह माले मन्कूलः किसी शख्से खास की मिल्क है तो वह निशाने मिल्कीयत कहलायेगा ।

भूटे निशाने
हिफ का काम
में लाना ।

दफ्तरः ४८०—जो कोई शख्स किसी असबाब पर या किसी सन्दूक या गठरी या किसी और जर्फ पर जिसमें असबाब हो निशान बनाये या किसी सन्दूक या गठरी या और जर्फ को किसी निशानके साथ जो उस पर रहे काम में लाये उस तरह पर जिस्से बयजहे माकूल यह बाबर कराया जासके कि वह असबाब जिसपर निशान है या कोई असबाब जो ऐसे सन्दूक या गठरी या जर्फ में है जिसपर निशान है किसी ऐसे शख्स का सनाअत किया हुआ या त्तिजारती है जिसका वह सनाअत किया हुआ या त्तिजारती न हो तो कहा जायगा कि शख्से मजकूर भूटा निशाने हिफः काम में लाया ।

भूटे निशाने
मिल्कीयत
का काम में
लाना ।

दफ्तरः ४८१—जो कोई शख्स किसी माले मन्कूलः या असबाब पर या किसी सन्दूक या गठरी या किसी और जर्फपर जिसमें माले मन्कूलः या असबाब हो निशान बनाये या कोई सन्दूक या गठरी या कोई और जर्फ पर जिसपर निशानहो काम में लाये इस तरह पर जिस्से बयजहे माकूल यह बाबर कराया जासके कि माल या असबाब जिसपर वह निशान है या कोई माल या असबाब जो किसी वैसे जर्फ में है जिसपर वह निशानहो ऐसे शख्स की मिल्क है जिसकी वह मिल्क न हो तो कहा जायगा कि शख्से मजकूर भूटा निशाने मिल्कीयत काममें लाया ।

भूटे निशाने
हिफ या नि-
शाने मिल्कीय-
त को काम में
लाने की सजा ।

दफ्तरः ४८२—जो कोई शख्स कोई भूटा निशाने हिफः या कोई भूटा निशाने मिल्कीयत काम में लाये उसको जबतक वह यह साबित न करे कि उसने यह काम फरेब देनेकी नीयत से नहीं कियाथा दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद एक बरत तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

उन निशाने
हिफ या

दफ्तरः ४८३—जो कोई शख्स किसी ऐसे निशाने हिफः या ऐसे निशाने मिल्कीयत की मन्कूल करे जिमको कोई और शख्स काम

(बाव १८—उग जुमों के बयान मे जो दस्तावेजों और हिफे या मिलकीयत के निशाने से मुतत्रलिक है—दफत्रात ४८४—४८६ ।)

में लाता हो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

दफ़ः ४८४—जो कोई शख्स किसी ऐसे निशाने मिलकीयत की तल्वीस करे जिसको कोई सर्कारी मुलाजिम काम में लाता हो या किसी ऐसे निशाने की तल्वीस करे जिसको कोई सर्कारी मुलाजिम यह जांहिर करने के लिये काम में लाता हो कि कोई माल किसी शख्से खास ने तैयार किया है या किसी खास वक्त या खास मुकाम में तैयार किया गया है या यह कि वह माल किसी खास दर्जे का है या किसी खास कचहरी में होकर गुजरा है या यह कि वह किसी मुआफी का मुस्तहक है या कोई ऐसा निशान जिसको वह मुलतवस जानताहो सहीह निशान की हैसीयत से काम में लाये तो उस शख्स को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक होसक्ती है और वह मुस्तौजिव जुर्माने का भी होगा ।

दफ़ः ४८५—जो कोई शख्स किसी निशाने हिर्फः या निशाने मिलकीयतकी तल्वीस की गरज से कोई ठप्पा या धात की कन्दः की हुई तरळ्ती या कोई और आला बनाये या अपने पास रखे या कोई निशाने हिर्फः या निशाने मिलकीयत इस गरज से अपने पास रखे कि किसी असवाव की निस्वत यह जाहिर हो कि वह उस शख्स का सनाअत किया हुआ या तिजारती असवाव है जिसका सनाअत किया हुआ या तिजारती वह न हो या यह कि वह उस शख्स की मिलक है जिसकी वह मिलक नहो तो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ़ः ४८६—जो कोई शख्स कोई असवाव या शै मुलतवस निशानेहिर्फः या निशानेमिलकीयत के साथ जो उस पर या किसी खन्दूक या गठरी या और जर्फ पर जिसमें वह असवाव रहे चरशं या रप्पा किया गया हो बेचे या बेचने के लिये या तिजारत या सनाअत एमे असवाव का बेचना निम फर मुलतवस निशाने हिर्फ या निशाने

(वाव १२—उन जुर्मों के वयान में जो दस्तावेजों और हिके या मिलकीयत के निगानों से मुतक़लिक हैं—दफ़ ४=७ ।)

मिल्कीयत रहे । की किसी शरज से नुमायां करे या अपने पास रखे उसको तावक़े कि वह यह सादित न करे—

(अल्लिक) कि इस दफ़ःकी खिलाफ़ बर्जों में किसी जुर्म के मुर्त-क़िब नहोने के लिये जिस कदर इहतियात माक़ूल तौर पर करनी लाज़िम थी उस कदर इहतियात करके जुर्म इजहारी के इतिहास के वफ़्त उसने उस निशान के सहीह होनेकी वावत कोई शुबः की बजः नहीं पाई थी—और

(बे) यह कि पैरोकारे इस्तिगासः के पूछने पर या पैरोकारे इस्तिगासः की तरफ़ से पूछे जाने पर उसने उन अशखास की वावत जिनसे उसने वैसा असवाद या शै को हासिल किया था तमाम ऐसी खबरें दी हैं जिनका देना उसके इख्तियार में था—या

(जीम) यह कि और तरह से उसने वेक़ूसूरानः काम किया है उसको दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद एक बरस तक हो सकती है या जुर्मने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेगी ।

किसी ज़र्फ़ पर जिसमें असवाद रहे कोई झूठा निशान बनाना ।
दफ़ः ४=७—जो कोई शख्स किसी ऐसे सन्दूक़ या गठरी या दूसरे ज़र्फ़ पर जिसमें असवाद रहे कोई झूठा निशान बनाये इस तरह पर जिससे किसी सर्कारी मुलाजिम या और शख्स को बवजहे माक़ूल यह वावर कराया जासके कि उस ज़र्फ़ में ऐसा असवाद है जो उसमें नहो या यह कि उस ज़र्फ़ में ऐसा असवाद नहीं है जो उसमें हो या यह कि जो असवाद उस ज़र्फ़ में है वह इस नौइअत या इस दर्जे का है जो उस असवाद की असली नौइअत या दर्जे से जुदा है उनको जबतक़ वह यह सादित न करे कि उसने फरेव देने की नीयत से दर काम नहीं किया था दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद तीन बरस तक हो सकती है या जुर्मने की सज़ा—या दोनों सज़ायें दी जायेगी ।

(बाब १८-उन जुर्मों के बयान में जो दरतानेजों और हिफे या मिलीयत के निशानों से मुतवाकिक है-दफ्तान ४८८-४८९ (अलिफ)।)

दफ्तः ४८८-जो कोई शख्स किसी वैसे भूटे निशान को उस किसी जेते शूटे तरह पर काममें लाये जिसकी निस्वत दफ्तःइ अखीरे मजकूरःइ दाता निशान के नाम में मुमानिअत है उसको जवतक कि वह यह साबित न करे कि उसने मे तानेका फरेव देने की नीयतसे यह काम नहीं किया था ऐसी सजा दी जायगी सजा । जो उस दफ्तः की खिलाफदजी में किसी जुर्म के मुतकिय होने की तकदीर में उसको दीजाती ।

दफ्तः ४८९-जो कोई शख्स किसी निशाने मिलीयत को निशाने मि- दूर करे या मादूम करे या विगाड़े या उसमें कुछ बढ़ाये इस नीयत से लकीयत में या यह जानकर कि वह इस जरीये से किसी शख्स को गालिवन उक्तान पहु- नुक्तान पहुंचा सक्ता है उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी चाने की नीयत कैदकी सजा दीजायगी जिसकी मीआद एक वरस तक होसक्ती है से कारसाजी करनी । या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

करन्सी नोटों और बैंक नोटों के बयान में^१ ।

दफ्तः ४८९ (अलिफ)-जो कोई शख्स किसी करन्सी नोट करन्सी नोटों या बैंक नोट की तल्वीस करे या उसकी तल्वीस के अमल का कोई या बैंक नोटों जुज जान वूफकर अंजाम दे उसको हबसे दवाम वउबूरे दर्याय की तल्वीस । शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजा- यगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्मनेका भी मुस्तौजिव होगा ।

तशरीह-वास्ते अगराज दफ्तःइ हाजा ओ दफ्तआत ४८९ (बे) ओ ४८९ (जीम) ओ ४८९ (दाल) के लफज "बैंक नोट" से मुराद है ऐसा प्रामिसरी नोट या इकरारनामः जिसे वास्ते इन्दुत्तलव अदा होने रुपयः के हामिल को कोई ऐसा शख्स जारी करे जो किसी हिस्सःइ दुनिया में महाजनी कारोवार करता हो या वह किसी सरकार या शाहे वफ्तकी तरफ से या वमूजिव उसके हुक्मके जारी किया

^१ दफ्तआत ४८९ (अलिफ) लगाइत ४८९ (दाल) करन्सी नोटों की जालसाजी के ऐक्ट सन १८६६ ई० (नम्बर १० मुसदर ड सन १८६६ ई०) को दफ्त. २ के जरीये से दालिल कीगई ।

(वाव १ = उन जुमों के वयान में जो दस्तावेजों और हिफें या मिलकीयत के निशानों में मुतअलिक है - दफत्रात ४८६ (वे) - ४८६ (दाल) ।)

जाय और जिसका नकूद के इमकीमत होने के तौर पर या नकूद के एवज के तौरपर काममें लाया जाना मकसूदहो ।

जाली या मुलत-
वस करन्सी
नोंटों या बैंक
नोंटोंको असली
नोंटोंकी हैसी-
यत से काम में
लाना ।

दफ़ः ४८६ (वे) - जो कोई शख्स किसी जाली या मुलतवस करन्सी नोट या बैंक नोटको दूसरे शख्सके पास बेचे या उससे खरीदे या हासिल करे या और तरहपर उसका लेन देन करे या उसको असली होनेकी हैसीयत से काममें लाये यह जानकर या इस बातके वावर करने की वजः रखकर कि करन्सी नोट या बैंक नोट मजकूर जाली या मुलतवस है उसको हवसे दवाम बउबूरे दर्याये शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी सजा दीजायगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिव होगा ।

जाली या मुलत-
वस करन्सी
नोंटों या बैंक
नोंटों को पास
रखना ।

दफ़ः ४८६ (जीम) - जो कोई शख्स कोई जाली या मुलतवस करन्सी नोट या बैंक नोट अपने पास रखे यह जानकर या इस बातके वावर करने की वजः रखकर कि वह जाली या मुलतवस है और यह नीयत करके कि उसको असली होनेकी हैसीयत से काम में लाये या यह कि वह असली होने की हैसीयत से काम में लाया जासके उस को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी सजा दी जायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दीजायेगी ।

करन्सी नोंटों
या बैंक नोंटों के
जाली बनाने या
उनकी तल्वीस
करने के लिये
आलात या
सामान बनाना
या पास रखना ।

दफ़ः ४८६ (दाल) - जो कोई शख्स कोई कल या आला या सामान बनाये या उसकी साख्त के अमल का कोई जुज अंजामदे या उसको खरीदे या बेचे या अपने कब्जे से जुदाकरे या अपने पास रखे इस गरज से कि वह किसी करन्सी नोट या बैंक नोटके जाली बनाने या उसकी तल्वीस करने के लिये काम में आये या यह जानकर या इस बातके वावर करनेकी वजः रखकर कि उसका किसी करन्सी नोट या बैंकनोट के जाली बनाने या उसकी तल्वीस करने के लिये काम में लाया जाना मकसूद है उसको हवसे दवाम बउबूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी सजा दीजायगी जिसकी

(बाब १६-ख़िदमत के मुआहदों के नक्ज़े मुजरिमान के बयान में-दफ ४६० ।)
 मीआद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मानेका भी मुस्तौजिब
 होगा ।

बाब १६ ।^१

ख़िदमत के मुआहदों के नक्ज़े मुजरिमान के बयान में ।

दफ़ः ४६०—जो कोई शख्स जिस पर मुआहदः इ जाइज की ख़िदमत सफरे-
 रू से वाजिब है कि वह किसी शख्स या माल के एक जगहसे दूसरी तरी या ख़ुशकी
 जगह लेजाने या पहुंचाने में विज्ञातिही ख़िदमत करे या सफरे तरी या सफरे तरी या
 सफरे ख़ुशकी में किसी शख्स की नौकर की हैसियत से ख़िदमत करे
 या सफरे तरी या सफरे ख़ुशकी में किसी शख्स या माल की हिफा-
 ज़त करे सिवाय हालते बीमारी या बदसुलूकी किये जाने के विल
 इरादः ऐसा करना तर्क करे तो शख्स मजकूर को दोनों किस्मों में से
 किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद एक महीने
 तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी भिन्नदार सौ रुपये तक
 होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद पालकी का एक क़हार जिसपर मुआहद इ मुताविके कानून की रूसे
 बकर को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना वाजिब है राह में से भाग जाय तो जैद
 उस जुर्म का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है ।

(बे) जैद एक कुली जिसपर मुआहद इ जायज की रू से बकर के असबाबे सफर को
 एक जगह से दूसरी जगह लेजाना वाजिब है असबाब को फेंक कर चलदे तो जैद उस जुर्म
 का मुर्तकिब हुआ जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है ।

(जीम) जैद विलून का एक मालिक जिसपर मुआहद इ मुताविके कानून की रू से
 वाजिब है कि अपने विलून पर लाद कर असबाब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचावे ।

^१ किसी जुर्म तहते बाब १६ की समाअत सिर्फ किसी फरीक की जानिव से जिसको रज
 पहुंचा हो नालिश होने पर होसक्ती है—मुलाहज़ा तलव मजमूअ इ जावित इ फौजदारी सन
 १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८६८ ई०) की दफ १६८ [ऐक्ट हाये आम-
 जिल्द ६] ।

उन जुर्मों में जो तहते बाबे हाज़ा क़ाविले सज़ा हों राजीनाम होसक्ता है मुलाहज़ा-
 तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ ३४५—दरखुस्त उस नौबते दौराने मुकदम के रिज
 अदालत की इजाज़त के बिदून राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज़ा तलव मजमूअ इ मजकूर
 की दफ इ मजकूर की दफ ३ तहती (५) ।

(वाच १६ - खिदमत के मुआहदों के नक्जे मुजरिमान के वयानमे-दफ्त्रात ४६१-४६२।)

ऐसा करना खिलाफे कानून तर्क करे तो जैद उस जुर्म का मुर्तकिव हुया जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है ।

(दाल) जैद बकर को जो एक कुली है नाजायज वसीलों से अपना असवावे सफर पहुंचाने के लिये मजमूर करे और बकर अस्नाये सफर में असवाव रखकर भाग जाय तो इस सूरत में चूकि असवाव का पहुंचाना बकर पर जवाबन वाजिव न था इस लिये बकर किसी जुर्म का मुर्तकिव नहीं ।

तशरीह-इस जुर्म के मुतहक्कि होने के लिये ज़रूर नहीं है कि मुआहदःउस शरूस् के साथ किया जाय जिसके लिये वह खिद-मत अदा की जाने को है वलिक यही काफी है कि उस शरूस् ने जिसको वह खिदमत करनी पड़ेगी किसी शरूस् के साथ वह मुआहदःकानून के मुताबिक किया हो खाह लफज़न् खाह मानन् ।

तमसील ।

जैद किसी डाक कम्पनी के साथ एक महीने तक उसकी गाड़ी हाकने का मुआहद करे और बकर डाक कम्पनी मजकूर को इस लिये मामूर करे कि वह उसे किसी सफर को लेजाय और उस महीने के अन्दर वह कम्पनी बकर को कोई गाडी दे जिसको जैद हाकता है और जैद अस्नाये सफर में विलइराद गाड़ी को छोड जाय तो इस सूरत में अर्गचि जैद ने बकर के साथ खुद मुआहदः नहीं किया ताहम जैद इस दफ. की रू से जुर्म का मुजरिम है ।

दफ्त्रः ४६१—कोई शरूस् जिस पर मुआहदःइ जायज की रू आजिज की खिदमत करने से किसी ऐसे शरूस् की खिदमत करना या उसकी ज़रूरियात का और उसकी वदम पहुंचाना वाजिव है जो सिग्र सिनी या अकल के फुतूर या खरूरियात के वदम पहुंचाने के लिये वाजिव है जो सिग्र सिनी या अकल के फुतूर या वीमारी या जोफे जिस्मानी के सबब से आजिज है या जो अपने अमल की तददीर करने या अपनी ज़रूरियात के वदम पहुंचाने के लिये ना-काविल है विलइरादः ऐसा करना तर्क करे तो उस शरूस् को दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुर्मने की सजा जिसकी मिकदार दोसौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दफ्त्रः ४६२—कोई शरूस् जिसपर किसी मुआहदःइ जायजे किसी दूर दराज जगहमें खिदमत तहरीगी के मुवाफिक किसी और शरूस् के लिये दस्तकार या कारीगर या मजकूर की दैसीपन से किमी मुद्दन तक जो तीन घरम से जायद

(वावर २०-उन जुमों के वयान मे जो इज्जदिवाजसे तत्रल्लुक्र रखते हैं-दफ़ ४६३ ।)

न हो बृटिशइन्डिया के अन्दर किसी ऐसे मुक्काममें काम करना वाजिव करने के मुआ-
 है जहां वह उस मुआहदे के एतिवार से उस शख्स के खर्च से हदे का नफ़्त
 पहुंचाया गया हो या पहुंचाये जाने को हो उस शख्सकी खिदमत पर जहा नौकर
 से उस हाल में कि वह मुआहदः काइम है विलइरादः भागजाय या श्राफ़ा के खर्च
 बग़ैर किसी वजहे माकूल के उस खिदमत की अज़ामदिही से इन्कार गयाहो ।
 करे जिसके अदा करने का उसने मुआहदः किया है और वह खिदमते से पहुंचाया
 माकूल और पुनासिबे हो तो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी
 क्रिस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीआद एक महीने से
 जियादः न हो या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिक़दार उस खर्च की
 दो चन्द मिक़दार से ज़ायद न हो या दोनों सज़ायें दी जायेंगी बजुज
 इसके कि यह बात जाहिर होजाय कि अमर ने उसके साथ बद-
 सुलूकी की या अपनी तरफ से उस मुआहदे का ईफ़ा नहीं किया ।

३

बाब २० ।

उन जुमों के वयान में जो इज्जदिवाज से तदल्लुक्र रखते हैं ।

दफ़ः ४६३-हर ऐसे मर्द को जो किसी औरत को जिसका हम जानगी
 इज्जदिवाजे जायज़ उस मर्द के साथ न हुआ हो धोखे से यह वावर जो किसी

किसी जुमें तहते दफ़ ४६३ या ४६४ या ४६५ या ४६६ की समाअत सिर्फ़ किसी
 फ़रीक़ की जानिव से जिसको रज पहुंचा हो नालिश होने पर और किसी जुर्म तहते दफ़
 ४६७ या ४६८ की समाअत सिर्फ़ औरत के शौहर या वलीये मुहाफ़िज़ की तरफ से नालिश
 होने पर होसक्ती है-मुलाहज तलव मजमूअ इ जावित ड फौजदारी सन १८६८ ई० (एक्ट ५
 सुमदर ड सन १८६८ ई०) की दफ़आत १६८ ओ १६९ [एक्ट हाय ग्राम-जिल्द ६] ।

उन जुमों में जो तहते दफ़आत ४६७ ओ ४६८ काविले सज़ा हों राजीनाम होसक्ताहै-
 मुलाहज तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ़ ३४५ दरखुसूस उस नौबते दौराने मुक़दम
 तहते दफ़आत ४६७ ओ ४६८ के कि जब अदालत की इजाज़त के बिदून राजीनाम जायज़
 नहीं है मुलाहज तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ़ इ मजकूर की दफ़ इ तहती (५) ।

दरबार सज़ा वपादाशे जराइम तहते दफ़आत ४६७ ओ ४६८ कि जिनकी तहकीक़ात
 पजाव के जिलत्रे सरहदी में या विलूचिस्तान में वज़रीय कौन्सिले सर्दारान् के अमल में
 आये मुलाहज तलव पजाव के सरहदी जराइम के रेगुलेशन सन १८६७ ई० (न० ४
 सुमदर इ सन १८६७ ई०) की दफ़ १४ [मजमूअ इ क़वानीने पजाव मतवृअ इ सन
 १८६८ ई० और मजमूअ इ क़वानीने विलूचिस्तान मतवृअ सन १८६८ ई०] ।

(वाव २१—इजाल इ हैसीयते उफ़ी के वयान में—दफ़ ४६६ ।)

तो शरूसे मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिपकी मीआद दो बरस तक हो सकती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

वाव २१ ।

इजालःइ हैसीयते उफ़ी के वयान में ।

इजाल इ हैसी-
यते उफ़ी ।

दफ़ः ४६६—जो कोई शरूस ऐसी बातों के ज़रीये से जो तल-
फ़क़ज़ से अदा कीजायँ या जिनका पढ़ा जाना मक़सूद हो या इशारों
के ज़रीये से या नुक़शे मरईयः के ज़रीये से किसी शरूस की निस्वत
कोई इत्तिहाम लगाये या मुशतहर करे यह नीयत करके कि उस शरूस
की नेकनामी को ग़जन्द पहुंचाये या यह जानकर या यह वावर करने
की वजः रखकर कि वह इत्तिहाम उस शरूस की नेकनामी को ग़जन्द
पहुंचायेंगा तो सिवा उन हालतों के जो नीचे मुस्तसना की गई हैं कहा
जायेगा कि उसने उस शरूस का इजालःइ हैसीयते उफ़ी किया ।

तशरीह १—किसी शरूसे मुतवफ़फ़ा की निस्वत किसी अमर
का इत्तिहाम लगाना इजालःइ हैसीयते उफ़ी की हद तक पहुंच सकता
है वशतें कि उस इत्तिहाम से उस शरूस के जीतेजी उसकी नेकनामी
को ग़जन्द पहुंचता और उससे यह नीयत हो कि उस शरूस के अहल
ओ अयाल या क़रैव के रिश्तःज़ारों के दिलों को चोट पहुंचाये ।

१ किसी जुर्म तहत वाव २१ की समाव्यत सिर्फ़ किसी फ़रीक़की जानिवमे ज़िमकी ग़ज
पहुंचा हो नालिश होने पर होसकती है—मुलाहज़ तलव मजमूअ इ जावित इ फ़ौजगारी मग
१=६८ ई० (ऐक्ट ५ मुमदर इ मन १=६८ ई०) की दफ़ १६८ [ऐक्ट हायें आम जिन्दे] ।

उन जुर्मों में तहत दफ़ ५०० या ५०१ या ५०२ का विले सज़ा हो ग़र्जानाम हो
सकता है—मुलाहज़ तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ़ ३४५—दरमुमन उस नौबते
दौगने मुक़दम के कि जब अदालत की इजाजत के बिदुल ग़र्जानाम जायज़ नर्ग़े हे
मुलाहज़ तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ़ ३ मजकूर की दफ़ इ तहत (५) ।

उम शे के मुमख़जात के तलक़ करने के हुक़म देने के इन्जियार के बारे में ज़िमकी
निस्वत तहत दफ़ ५०१ या दफ़ ५०२ जुर्म साबित ज़गर पाया हे मुलाहज़ वाव
मजमूअ इ मजकूर की दफ़ ५०१ ।

सन १८६० ई०] मजपूत्रः इ कन्नानीने ताजीराते हिन्द । २३६

(वाव २१-इजाल इ हैसीयते उफा के वयान मे दफ ४६६ ।)

तशरीह २—किसी कम्पनी या जमाअते मुत्तफिकः या जमाअते अशखास की निस्वत वहाँसियत उस कम्पनी या जमाअते मुत्तफिकः या जमाअते अशखास के इत्तिहाम करना इजालः इ हैसीयते उफा तक पहुँच सकता है ।

तशरीह ३—जो इत्तिहाम मानीये खियार की सूरत रखता हो या हज्वे मलीह की तरह किया जाय वह इजालः इ हैसीयते उफा तक पहुँच सकता है ।

तशरीह ४—किसी इत्तिहाम की निस्वत न कहा जायगा कि वह किसी शख्स की नेकनामी को गजन्द पहुँचाता है वजुज इसके कि वह इत्तिहाम सराहतन् या किनायतन् और लोगों की नजर में उस शख्स की आदात की या सिफाते अक़ली की खिफ़त का वाइसहो या बलिहाज उसकी जात या उसके देश के उस शख्स की हैसियते उफा की खिफ़त का वाइस हो या उसकी मोतवरी की खिफ़त का वाइसहो या यह बात वावर किये जाने का वाइस हो कि उस शख्स का जिस्म एक मकरूह हालत में या एक ऐसी हालत में है जो उमूमन रिसवाई का मूजिब है ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद कहे—“ कि बकर दियानतदार आदमी है उसने खालिद की घडी हरगिज नहीं चुराई ” यह वावर करानेकी नीयत से कि बकर ने खालिद की घडी चुराई है तो यह इजाल इ हैसीयते उफा है वजुज इसके कि वह मुस्तसनीयात में से किसी मुस्तसना में दाखिल हो ।

(बे) जैद से पूछा जाय कि बकर की घडी किसने चुराई और जैद खालिदकी तरफ इशार करे यह वावर कराने की नीयत से कि खालिद ने बकर की घडी चुराई है तो यह इजाल इ हैसीयते उफा है वजुज इसके कि वह मुस्तसनीयात मे से किसी मुस्तसना में दाखिल हो ।

(जीम) जैद बकर की ऐसी तसवीर खींचे कि वह खालिदकी घडी लिये भागा जाता है यह वावर करानेकी नीयत से कि बकर ने खालिद की घडी चुराई है तो यह इजाल इ हैसीयते उफा है वजुज इसके कि वह मुस्तसनीयात मे से किसी मुस्तसना मे दाखिल हो ।

(वाव २१-इजाल इ हैसीयते उफ़ी के वयान मे-दफ़ ४६६ ।)

किसी सच्चा

वात का

इत्तिहामजिसका

करना या मुश्त-

हर करना आ-

म्म इ खलाइक़

के फ़ाइदेके लिये

दरकार है ।

पहला मुस्तसना—इत्तिहाम लगाना किसी अमर का जो

किसी शख्स की निस्वत सचहो इजालःइ हैसियते उफ़ी नहीं है

अगर आममःइ खलाइक़ का फ़ाइदः इसमें हो कि वह इत्तिहाम

लगाया जाय या मुश्तहर किया जाय—यह बात कि आया इसमें

आममःइ खलाइक़ का फ़ाइदः फिलवाक़ै है या नहीं एक अमरे

तनक़ीह तलव होगा ।

सर्कारी मुलाजि-

मों का तरीक़े

अमल वहैसीयत

उसकी मुला-

जिमी के ।

दूसरा मुस्तसना—किसी राय का नेक नीयती से जाहिर

करना किसी सर्कारी मुलाजिम के तरीक़े अमल की निस्वत उसके

लवाजिमाने मन्सवी की अन्जामदिही में या उसकी आदात ओ

सिफ़ात की निस्वत जिस क़दर कि वह आदात ओ सिफ़ात उस

तरीक़े अमल से जाहिर होती हों और न इससे ज़ियादः इजालःइ

हैसीयते उफ़ी नहीं है ।

किसी शख्स

का तरीक़े अ-

मल वनिस्वत

किसी मुआम-

ल इ आमम इ

खलाइक़ के ।

तीसरा मुस्तसना—किसी राय का नेक नीयती से जाहिर

करना किसी शख्सके तरीक़े अमल की निस्वत जो आममःइ ख-

लाइक़के किसी मुआमले से मुतअल्लिक़ हो और उस शख्स की

आदात ओ सिफ़ात की निस्वत जिस क़दर कि वह आदात ओ

सिफ़ात उस तरके अमल से जाहिर होती हों और न इससे ज़ियादः

इजालःइ हैसीयते उफ़ी नहीं है ।

तमसील ।

ज़ैद का उन उम्रमें बकर के तरीक़े अमल की निस्वत कोई राय नेक नीयती के साथ जाहिर करना इजाल इ हैसीयते उफ़ी नहीं है याने आमम इ खलाइक़ के किसी मुआमलेमें वावत गवर्नमेन्ट को दरखास्त देने में—या किसी तलमी नामे पर जो आमम इ खलाइक़ के किसी मुआमले में लोगों के जमा होने के लिये हो दन्तप्रत करने में—या उत किम्ब का मजमूअ का सरयरोह या शरीक होने में—या किसी ऐमे मजमा के बानी या शर्क होने में जो आमम इ खलाइक़से इस्तिमदादके लिये हो—या किसी ऐमे उहदेके लिये जिनमें लवाजिम की मुश्तहसन अजामदिही में आमम इ खलाइक़ की गरज मुतअल्लिक़हो किसी तान उम्मेद वानके इन्तिखाबकी निस्वत राय देने का उनके लिये औरों ने राय हासिल करने में ।

फ़ों में

चौथा मुस्तसना—कोर्ट आफ़ जस्टिस की कार्रवाई या

(वाक २१ - इजालः इ हैसीयते उर्फी जे वयान मे - दफ ५६६ ।)

ऐसी किसी कार्रवाई के नतीजे की निस्वत फिल असल सच्ची कार्रवाई की कैफीयत का मुश्तहर करना इजालः इ हैसीयते उर्फी नहीं है । कैफीयत को मुश्तहर करना ।

तशरीह—कोई जस्टिस आफ दी पीस या और अप्रसर जो वरमला इजलास में तहकीकात कर रहा हो कब्ज इसके कि वह मुकदमः किसी कोर्ट आफ जस्टिस में पेश हो एक कोर्ट है जो दफः इ वाला की मुराद में दाखिल है ।

पांचवां मुस्तसना—दीवानी या फौजदारी के किसी मुकदमे की हकीकते हाल की निस्वत जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस ने फैसल किया हो या किसी शरूख के तरीके अमल की निस्वत उस के किसी ऐसे मुकदमे में फरीक या गवाह या एजन्ट होने की हैसीयत से या ऐसे शरूख की आदात ओ सिफात की निस्वत जहां तक कि उसके तरीके अमल से वह आदात ओ सिफात जाहिर होती हों और न इस से जियादः किसी राय का नेक नीयती से जाहिर करना इजालः इ हैसीयते उर्फी नहीं है ।

किसी मुकदमे की हकीकते हाल जिमका फैसल कोर्ट में हुआ या गवाहों और और लोगों का तरीके अमल जो उससे तअल्लुक रखते हों

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद कहे कि—“ मेरी दानिशत में बकर की गवाही फुला मुकदमे में ऐसी मुतनाकिज है कि वह जुखर बेवकूफ या बद दियानत है ” तो जैद इस मुस्तसनामें दाखिल है अगर वह नेक नीयती से यह बात कहता है क्योंकि वह राय जो जैद जाहिर करता है बकर की आदात ओ सिफात से मुतअल्लिक है जैसी उसके तरीके अमल से वह हैसीयत गवाह होने के जाहिर होती है और न इससे जियाद ।

(वे) लेकिन अगर जैद यह कहे कि—“ बकर ने फुला मुकदमे में जो वयान किया है उसको मैं वावर नहीं करता क्योंकि मैं जानता हू कि बकर की आदात भूठ बोलने की है ” तो जैद इस मुस्तसना में दाखिल नहीं है क्योंकि वह राय जो जैद बकरकी आदात ओ सिफात की निस्वत वयान करता है ऐसी राय है जो बकर के तरीके अमल पर वह हैसीयते गवाह मुत्तनी नहीं है ।

छठा मुस्तसना—नेकनीयती से किसी राय का जाहिर करना किसी अमल के हुसन ओ फुवुह की निस्वत जिस को किसी अमल करनेवाले ने आममः इ खलाइक की राय पर छोड़ा हो या अमल करनेवाले की आदात ओ सिफात की निस्वत जहांतक कि वह आदात

आमम इ खलाइक इ व.क. मानने अमल का

(वाव २१—इजाल इ हैसीयते उफ़ी के वयान मे—दफ़ ४६६ ।)

हुस्न जो
कुशुह ।

ओ सिफ़ात उस अमल से जाहिर होती हों और न उससे जियादः
इजालःइ हैसीयते उफ़ी नहीं है ।

तशरीह—कोई अमल आममःइ खलाइकः की रायपर छोड़ा-
जा सक्ता है खाह सराहतन खाह अमल करने वाले के ऐसे अफ-
आल से जिनसे आममःइ खलाइक की राय पर उस अमल का
छोड़ा जाना मुतसौवर हो ।

तमसीलें ।

(अलिफ) वह शरूस् जो किसी किताब को छपवाये उस किताब को शाम्म इ खलाइक की राय पर छोड़ताहै ।

(बे) वह शरूस् जो बर्मला कोई कलाम करे उस कलाम को शाम्म इ खलाइक की राय पर छोड़ताहै ।

(जीम) कोई नक्काल या गवैया जो जलस इ शाम में अपना हुनर जाहिर करे अपनी नफ़ाती या गाना शाम्म इ खलाइक की राय पर छोड़ता है ।

(दाल) जैद किसी किताबकी निस्वत जो बकर ने छपवाई है कहे कि—“बकर की किताब लगी है और इसलिये बकर खुर्र जईफ़ुल चकल है या बकर की किताब फ़ुशुश है और इसलिये खुर्र बकर फ़ाहिशुलप्रियाल झादमी है ” तो जैद इस मुस्तसना मे दाखिल है अगर वह यह बात नेफ नीयती से कहता है क्योंकि वह राय जो जैद बकर की निस्वत जाहिर करता है सिर्फ बकर की झादात ओ सिफ़ात से मुतखलिक हैं जहा तक कि वह बकर की किताब से जाहिर होती हैं न उस्से जियाद ।

(हे) लेकिन अगर जैद यह कहे कि—“ मेरे नज़दीक तख़्ज़ुन नहीं है कि वरू की किताब लगी और फ़ुशुश हो क्योंकि बकर जईफ़ुल चकल और शहवत परस्त है ” तो जैद इस मुस्तसना में दाखिल नहीं है क्योंकि वह राय जो जैद बकर की झादात ओ सिफ़ात की निस्वत जाहिर करता है ऐसी राय है जो बकर की किताब पर मुव्तनी नहीं है ।

सातवां मुस्तसना—वह शरूस् इजालःइ हैसीयते उफ़ी का मुर्तद्विव नहीं है जो किसी दूसरे शरूस् पर इसी तरह का इम्कित-
दार रखता है खाह वह कानून का अतीयः हो खाह किसी मुआ-
हदःइ जायज पर मुव्तनी हो जो उस दूसरे शरूस् के साथ किया गया है अगर शरूस्से मज़कूर ऐसे मुआमलों में जिन से वह इम्कितदारे जायज़ मुतखलिक है उस दूसरे शरूस् के तरीके चमल पर कोई सरजनिश नेफ नीयती से जहूर में लाये ।

सरजनिश
जो कोई
शरूस् नेफ
नीयती के
साथ करे जो
उसके शरूस्
पर जिनमें
जायज़
रखा हो ।

(वाव ०१—इजाल इ हैसीयते उफा के वयान मे—दरु ४६९ ।)

तमसील ।

नीचे लिखे हुये अग्रगण्य जय मुन्दमना मे दाखिल हे याने कोई जज जो किसी गगठे को या अपनी अदालत के किसी अदालतार जो उमके तरीके अमल पर नेक नीयती मे सरजनिश करताहो—या किसी मजिस्ट्रेट का आला अफसर जो नेक नीयती से अपने मात-हती को सरजनिश करता हो—या कोई मा या वाप जो अपने निफ्त जो और अतफाल के खरू नेक नीयती मे सरजनिश करता हो—या कोई मुजलिम जियरी किसी तालिबे इल्म के मा वाप की तरफ से अतिदाग हाभिल हो उस तालिबे इल्म पर और तुलव के खरू नेक नीयती मे सरजनिश करताहो—या कोई आका जो अपने नौकर को सिद्धमते इजारी मे चाहिल होनेकी निस्वत नेक नीयती से सरजनिश करता हो—या कोई महाजन जो अपनी कोठी के तहसीलदार को उमके तरीके अमल की निस्वत वहीमीयत उसकी तह-सीलदारी के सरजनिश करताहो ।

आठवां मुस्तसना—नेक नीयती से किसी शख्स की शिका- शिकायत जो
यत करनी किसी शख्सके खरू मिन जुम्लः उन अशरवास के जो शखसे जी
उस शख्स पर बिनाये शिकायत की निस्वत इक्तिदारे जायज रखते सामने नेक
हैं इजालःइ हैसीयती उफां नहीं है । नीयती से
पेश की जाय ।

तमसील ।

अगर जैद किसी मजिस्ट्रेट के खरू नेक नीयती से बकर की शिकायत करे—या अगर जैद नेक नीयती से बकर के तरीके अमल की निस्वत जो नौकर हैं उसके आका से शिकायत करे—या अगर जैद नेक नीयती से बकर की जो एक तिफल है उसके तरीके अमल की निस्वत उसके वाप से शिकायत करे—तो जैद इस मुस्तसना में दाखिल है ।

नवां मुस्तसना—किसी शख्सकी आदाद ओ सिफाते उफां इत्तिहाम जो
की निस्वत इत्तिहाम लगाना इजालःइ हैसीयते उफां नहीं है वशर्तेकि कोई शख्स
वह इत्तिहाम नेक नीयती से इत्तिहाम लगानेवालेकी या किसी और अपनी या गैर
शख्स की अगराज की हिफाजत के लिखे आरमःइ खलाइक के की अगराज की
फायदे के लिये लगाया जाय । हिफाजत के
लिये नेक
नीयती मे करे ।

तमसील ।

(अलिफ) जैद एक दूकानदार बकर से जो उसके कारोबार का इन्तिराम करता है व्हे कि—“ तुम खालिद के हथ कोई चीज न बेचो बज्ज इत के कि वह तुमको नकद अंमत दे क्योंकि मैं उसकी दियात पर एतिमाद नहीं रखताहूँ ”—तो जैद इस मुन्दमना मे दाखिल है अगर उसने यह इत्तिहाम अपनी अगराजकी हिफाजत के लिये नेक नीयती से खालिद पर लगाया है ।

(वाव २१—इजाल इ हैसीयते उर्फी के वयान में—दफ्तात ५००-५०२ ।)

(वे) जैद एक मजिस्ट्रेट अपनी कफ़ीयत में जो वह अफ़सरे बालादस्त को लिखता है वकर की आदात ओ सिफ़ात पर इत्तिहाम लगाये तो इस सूत में अगर वह इत्तिहाम नेक नीयत से और आमम इ खलादक के फ़ायदे के लिये लगाया गयाहो तो जैद इस मुस्तसना में दाख़िल है ।

तहज़ीर करना
जिससे उस
शख्स का
फ़ायद जिसको
तहज़ीर की गई
हो या आमम इ
खलादक का
फ़ायद नीयत
में हो ।

दशवां मुस्तसना—एक शख्सको दूसरे शख्सके नेक नीयती से तहज़ीर करना इजालः इ हैसीयते उर्फी नहीं है वशर्तेकि ऐसी तहज़ीर करने के उस शख्स का फ़ाइदः जिसको तहज़ीर कीजाती है या किसी और शख्सका फ़ाइदः जो उससे गरज़ रखता हो या आममः इ खलादक का फ़ायदः नीयत में हो ।

इजाल इ हैसी-
यते उर्फी की
सज़ा ।

दफ़ः ५००—जो कोई शख्स किसी शख्स की हैसीयते उर्फी का इजालः करे उस शख्स को कैदे महज़की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

कोई मजमून
धोपना या कन्दः
करना जिसका
मुजीले हैसीयते
उर्फी होना इल्म
में हो ।

दफ़ः ५०१—जो कोई शख्स किसी मजमूनको छापि या कन्दः करे यह जानकर या यह वावर करने की काफी वजःरखकर कि वह मजमून मुजीले हैसीयते उर्फी किसी शख्सका है उस शख्सको कैदे महज़की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

किसी छपे हुये
या कन्द किये
हुये मादे की
फ़ाग़न जिसमें
कोई मजमून
पुर्जाने हैसीयते
उर्फी हो ।

दफ़ः ५०२—जो कोई शख्स किसी छपेहुये या कन्दः कियेहुये मादे को जिसमें कोई मजमून मुजीले हैसीयते उर्फी हो बेचे या मारजे वें में रखे यह जानकर कि उसमें ऐसा मजमून है उसको कैदे महज़ की सज़ा दीजायगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी ।

(बाब २२—तखवीफे मुजरिमान ओ तौहीने मुजरिमान ओ रजदिहीये मुजरिमान के वयान मे—दफ ५०३ ।)

बाब २२ ।

तखवीफे मुजरिमानः ओ तौहीने मुजरिमानः ओ रजदिहीये मुजरिमानः के वयान में ।

दफः ५०३—जो कोई शरूस् किसी और शरूस्को उसके जिस्म तखवीफे या नेकनामी या माल को या किसी शरूस्के जिस्म या नेकनामी को मुजरिमान । जिससे वह शरूस् गरज रखता है नुकसान पहुंचाने की धमकी दे इस नीयत से कि उसको खौफ में डाले या उससे कोई ऐसा फेल कराये जिसका करना उसपर कानूनन् वाजिव नहीं है या उससे कोई ऐसा फेल तर्क कराये जिसके करने का वह कानूनन् मुस्तहक है ताकि वह इर्तिकाव या तर्के फेल उस धमकी की तकमील के इन्सिदाद का वसीलः हो तो शरूस् मजकूर तखवीफे मुजरिमानः का मुर्तकिव होगा ।

तशरीह—किसी ऐसे शरूस्से मुतवफ्रफा की नेकनामी को नुकसान पहुंचाने की धमकी जिस से धमकाया हुआ शरूस् गरज रखता है इस दफः में दाखिल है ।

तमसील ।

जैद वकर को किसी मुकदम इ दीवानी की पैरवी से बाज रहने की तहरीक करने के लिये वकर के घर जलाने की धमकी दे तो जैद तखवीफे मुजरिमान का मुजरिम है ।

^१ उन जुर्मों में जो तहते दफ ५०४ काविलेसजाहों और बाज जुर्मोंमें जो तहतेदफ ५०६ काविले सजाहों राजीनाम होसक्ताहै—मुलाहज तलव मजमूअ इ जावित इ फौजदारी सन १८६८ ई० (एक्ट ५ मुसदर इ सन १८६८ ई०) की दफ ३४५ [एक्ट हाये आम-जिल्द ६]—वर खुसूस उस नौवत दौराने मुकदम के कि जब अदालतकी इजाजतके विदून राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज तलव मजमूअ इ मजकूर की दफ इ मजकूर की दफ इ तहती (५) ।

परवार इ सजाये ताजियान (अपर ब्रह्मा में) वापादाशे जुर्म मुसरह इ दफ ५०६ के मुलाहज तलव अपर ब्रह्मा के आईनेके ऐक्ट सन १८६८ई० (नम्बर ३ मुसदर सन १८६८ ई०) की दफ ४ (३) (वे) और जमीम इ दवम [मजमूअ इ क्वानीने ब्रह्मा मतदूअ इ सन १८६६ ई०] नाविक दफ मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्दके तर्मानवरनेजालेऐक्ट सन १८६८ ई० (नम्बर ४ मुसदर इ सन १८६८ई०) की दफ ६ के जर्गिये मे मन्वदुर् [ऐक्ट हाये आम-जिल्द ६] और दफ इ मतदूअ इ मतन वएवजजने मजमूअ ई—मुलाहज तलव सान गये की गिरी—ऐक्ट याद इन्डिया मतदूअ इ सन १८६८ई० के हिन्द १ के मजदू ३३

(वाव २२—तखवीफे—मुजरिमान प्रो तौहाने मुजरिमान ओ रजन्दिहिये
मुजरिमान के वयान मे—दफ्तरात ५०६-५०७ ।)

के मुर्तकिव होनेकी तर्गाव दे या जिससे किसी तवकः
या जमाअःइ अशस्वास को किसी और तवकःया जमाअत
के मुखालिफ किसी जुर्म के इत्तिकाव की तर्गावदिही
का इहतिमाल हो—

उसको कैद की सजा दीजायेगी जिसकी हद दो वरस तक
होसक्ती है या जुर्मने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

मुस्तसना—हस्वे मन्शाये दफःइ हाजा यह वमन्जिलःइ जुर्म
नहीं है जब कि वह शख्स जो कोई वैसा वयान या अफवाह या खबर
करता या मुश्तहर करता या फैलाताहै इस बात के वावर करने की
वजूहे माकूल रखताहो कि वैसा वयान या अफवाह या खबर रास्तहै
और विदून किसी ऐसी नीयत के जो ऊपर मजकूर हुई वयान या
अफवाह या खबरे मजकूर करता या मुश्तहर करता या फैलाताहो ।

दफः ५०६—जो कोई शख्स जुमें तखवीफे मुजरिमानः का तखवीफे मुज-
मुर्तकिव हो उसको दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्मकी कैद की सजा रिमान की
दीजायगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्मने की सजा ।
सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी—

और अगर हलाकत या जररे शदीद पहुंचाने की या आग से अगर धमकी
किसी माल के तलफ करने की या किसी ऐसे जुर्म का इत्तिकाव वकू हलाकत या ज-
में लाने की जिसकी पादाश में सजाये मौत या हब्स वजबूरे दर्याये ररे शदीद वकै-
शोर या कैद मुकरर है जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती र पहुंचाने के
है—या किसी औरत की निस्वत वेइफती का इत्तिहाम लगाने की लिये हो ।
धमकी हो तो दोनों क्रिस्मों में से किसी क्रिस्म की कैद की सजा
दीजायगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती है या जुर्मने की
सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी ।

दफः ५०७—जो कोई शख्स किसी वेनाम मकातिवे के जरिये किसी वे नाम
से या धमकी देनेवाले शख्स के नाम या मसकन् छिपाने को पेशतर मकातिवे के त-
से तदवीर करके तखवीफे मुजरिमानः के जुर्मका मुर्तकिव हो उस रिमान ।

(बाव २३-जुर्मों के इतिफाव करने के इक्दाम के, बयान मे-दफः ५११ ।)

पादाश मे हन्स
बउबूरे दर्याय
शोर या कैद
शुकरर है ।

जो जुर्में मजकूर के इतिफाव की तरफ मन्ज़र हो तो उस सूरत में कि इस मजमूये में ऐसे इक्दाम की कोई खास ताईने सज़ा पाई न जाय उस शरूब को हन्स बउबूरे दर्यायशोर की सज़ा या किसी किसम की कैद की सज़ा दी जायेगी जो जुर्में मजकूर के लिये मुअय्यन हो और उस हन्स बउबूरे दर्यायशोर या कैद की मीआद उस मीआद के निस्फ तक होसक्ती है जो जुर्में मजकूर के लिये बड़ी से बड़ी मुअय्यन है या उस जुर्मने की सज़ा जो जुर्में मजकूर की पादाश में मुअय्यन है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

तमसीलें ।

(अलिफ) जैद एक सन्दूक तोडकर कुछ जेवर चुराने का इक्दाम करे और इस तरह उस सन्दूक के खोलने पर उसको मालूम हो कि उसमें कुछ जेवर नहीं है तो उसने एफ फेल किया जो सकें के इतिफाव की तरफ मुन्ज़र है और इस लिये जैद इस दफ. की रूसे मुजरिम है ।

(बे) जैद बकर की जेब मे हाथ डाल कर उसकी जेब मे से कुछ निकालने का इक्दाम करे और बकर की जेब मे कुछ न होने की वजह से जैद इस इक्दाम से कामयाब नहो तो जैद इस दफ. की रूसे मुजरिम है ।

फ़िहरिस्त हुरूक़े तहज़्जी की तर्तीब से ।

मजमून ।	दफ़ ।
इन्तिदाई तफतीश—	
“ अदालत की कार्रवाई को एक हालत” है	१६३ दूसरी तशरीह ।
आवयारी—	
के कामों को नुक्सान पहुँचाकर या बतौरि बेजा पानी का रुख़ फेर देकर नुक्सान रसानी	४३०
आतशगीर मादों—	
की निस्वत तयाफ़ुल करने की सज़ा	२२५
इत्तिफ़ाक़—	
या शामत से और बग़ैर किसी मुजरिमान नीयत या इल्म के जो अमर कि सादिर हो वह जुर्म से स्वारिज है	८०
इत्तिहाम—	
कन इजाल इ हैसीयते उफ़ों की हद को पहुच सकता है,	४६६
इस्वाते जुर्म—	
साबिकन् और उसका असर सज़ाके इजाफ़ होने मे	७५
उजरत पर रखना—	
या उजरत पर रखा जाना मजमअे नाजायज़ में दाख़िल होने के लिये उजरत पर रखे हुये वैसे शख़्त को छुपा रखना	१५०-१५८
उजरत मुताबिक़े क़ानून—	
की तारीफ़	१६७
इस्तियारे जायज़—	
की तौहीन—सर्कारी मुलाजिमों के— <u>मुलाहज़</u> तलब सर्कारी मुला- जिम ।	

मजमून ।	दफ़ ।
असीरे सुल्तानी—	
को भागने देने या उसमें मदद करने या उसको पनाह देने की सजा ...	१२८-१३०
असिसर—	
“ सर्कारी मुलाजिम ” के लफ्ज़ में दाखिल है जब कि वह कोर्ट आफ् जस्टिस की मदद करता हो	२१-पाचवाँ।
बन्ना फरेव देने के लिये और उसकी सजा	२२६
इश्तिआले तबन्म—	
बबदी देना बल्बः करने की नीयत से	१५३
कब कतूले अमद को कतूले इन्तान मुस्तलजमे सजा कर देताहै	३०० पहला
इश्तिबाग—	
का रेजिस्टर जाली बनाना	मुस्तसना ५।
	४६६
इज़ाफःइ सज़ा—	
<u>मुलाहज़. तलब</u> - इस्बाते जुर्म ।	
इताअत—	
न करने का इत्तावा करना फौजे बाहरी वरों के किसी अफसर या सिपाही या खल्लासी को	११३
इत्तिला या खबर—	
भूटी देना इतिफावे जुर्म की तदबारेके जुपाने की नीयत से	११८-१२०
भूटी देना सर्कारी मुलाजिम का इतिफाव जुर्म के लिये	११२
देने को तर्क करना या भूटी देना सर्कारी मुलाजिम को	१७६-१७७
देने को तर्क करना जुर्मों की वाबत ऐसे राजन का जितपर इत्तिला या खबर देना कानूनन वाजिबहो	२०२
भूटी देना इतिफाव जिये हुये जुर्मोंकी वाबत	२०३
के इतिहगाले बिलजय के लिये जंग या नररे नदीन पहुंचाना	३३०-३३१
के इतिहगाले बिलजय के लिये हथके बना करना	३१८
<u>मुलाहज़. तलब</u> भूटी खबर या इत्तिला ।	

मजमून ।	दफ़ ।
इज़हार—	
जो बतौर वजहे मुवूत के लेने के लाइक हो भूठ करना	१६६
जो भूठ हो उसे भूटा जानकर काम में लाना	३००
<u>मुलाहजा तलब भूठा इज़हार ।</u>	
इअानत —	
की तारीफ़	१०७
के जुर्म करार दिये जाने के लिये उस फ़ेल का इतिहास जरूर नहीं है जिसमें इअानत की गई	१०८-तश-रीह २ ।
के जुर्म करार दिये जाने के लिये जरूर नहीं है कि मुअान क़ानून की रूसे जुर्म के इतिहास के क़ाबिल हो	१०८-तश-रीह ३ ।
की इअानत जुर्म है	१०८-तश-रीह ४ ।
के लिये जरूर नहीं है कि मुईन मुर्तक़िब के साथ इतिहासे जुर्म की तद-वीर में शरीक हो	१०८-तश-रीह ५ ।
ऐसे फ़ेल की जो वमन्ज़िल इ जुर्म हो—और जो—अगर उसका इतिहास ब्रिटिश इन्डिया के बाहर होता—तो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होने की तक्द़ीर में—एक जुर्म करार दिया जाता	१०८(अलिफ)
की सज़ा की निस्वत अहक़ामे आम	१०९-११०
„ „—अगर उस फ़ेल की इतिहास जिसमें इअानत की गई है वसवव इअानत के हुअ्रा हो	१०९
„ „—अगर शख़से मुअान की नीयत या इल्म मुग़ाडरे नीयत या इल्म मुईन हो	११०
„ „ जब इअानत एक फ़ेल में हो और कोई फ़ेले मुग़ाडर किया जाय	१११
„ „ जब कि मुईन उस फ़ेल के लिये जिसमें इअानत की गई है और उस फ़ेल के लिये जो किया गया है इक़द्री सज़ा का मुस्तौजिब हो	११२
„ „ जब कि उस फ़ेल से जिसके लिये मुईन क़ाविले मुवाख़ज है ऐसा नतीज. पैदा हो जो नतीज इ मक़सद से मुग़ाडर हो	११३
„ „ जब कि मुईन इतिहासे जुर्म के वक़््र मौजूद हो	११४
„ „ अगर उस जुर्म की सज़ा जिसमें इअानत की जाय मौत या हुक्. दवाम बउबूरे दर्यायेशोर हो और उस जुर्म का इतिहास न हुअ्रा हो	११५
„ „ अगर जरूर वक़््र में चाये	११५

मजमून ।	दफ ।
इअनत—ततिम्म-	
की सजा अगर उस जुर्म की सजा जिसमें इअनत कीजाय कैद हो और उस जुर्म का इतिकाम न हुआ हो	११६
,, ,, की सजा—अगर मुईन या मुआन् सर्कारी मुलाजिम हो ...	ऐजन ।
,, ,, ऐसे जराइम में जिनके मुर्तकिव आम्म इ खलाइक या दस से जियाद शख्स हों	११७
जराइमे जग वमुकावल इ मलिक इ मुअज्जम में	१२१-१२३
,, ,, में जो वमुकावल इ एशीआई मुल्क के ऐसे वाली के हो जो मलिक इ मुअज्जम से रावित इ दत्तिहाद या मुलिह रखता हो ..	१२५-१२७
वगावत या हम्ल या नौकरी पर से भाग जाने या उदूल हुकमी की—फौजे वहरी या वरी में	१३१-१३५
तलवीसे सिक की—हिन्दुस्तान के बाहर हिन्दुस्तान में रहकर ...	२३६
खुदकुशी में और उसकी सजा	३०५-३०६
इअलाम—	
जो नेक नीयती से किया जाय जुर्म नहीं है	६३
अफसर—	
की तारीफ	१३१तशरीह।
की तरफ से हिसाब भूठा बनाया जाना	४७७-यतिफ
अफअल—	
से निरस्त रखने वाले अल्फान खिलाफे कानून तर्के अफअल पर मुर्त है	३२
अफवाजे वहरी—	
के मुतअलिक और अगअम मुतअरिके अफवाजे वहरी से इतिकाम में आये हुये जगम्म	वाप ७
<u>मुत्ताहज तलव हिन्द के जंगी आईन ।</u>	
आक्का—	
के कानून में जो मान हो उनही नौकर का सके करना	३=१
ये उस नौकर के नरके मुत्ताहज की सजा जो नरके तर्ग या मुत्तरी ती गिम्नत या	६००

मजमून ।

पृष्ठा ।

आक्रा — ततिम्म ।

के उस नौकर के नकजे मुआहद की जो आजिस की खिदमत करने और उसकी जरूरियात के वहम पहुंचाने का इकरार किया हो ...	४६१
से उस कारीगर वगैरे के नकजे मुआहद करनेकी सजा जिस पर मुआहद इतहरीरी के मुवाफिक ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर किसी दूर को दराज जग में जहा वह आक्राके खर्च से पहुंचाया गया हो सिदमत करना वाजिब है	४६२

इकूदाम —

मलिक इ मुअज्जम के मुकाबल में या ऐसे वालिये मुल्क के मुकाबल में जो मलिक ममदूह से राबित उ इतिहाद रखे जग करने का ...	१२१ और १२५
गवर्नर जनरल या गवर्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या कौन्सिल के मिन्बरेके इख्तियारे जायज के निफाज में मुजाहमते बेजा करने या डराने का	१२४
असीरे मुल्तानी या असीरे जग के छुडाने का	१३०
कतले आमद के इतिकाव का	३०७
कतले इन्सान मुस्तलजमे सजा के इतिकान का	३०८
खुदकुशी के इतिकाव का	३०९
सर्क इ विलजत्र के इतिकाव का	३६३
सर्क इ विलजत्र के या डकैती के इतिकाव का — हर्ष उ मुहलिक से मुसलह होने की हालत में	३६८
ऐसे जुर्म के इतिकाव का — जिमकी निम्नत और तरहपर तरीहन् कोर्ड हुक्म नही	५११
जन्म कैदी की तरफ से	२०७

इकरार —

का इस्तिहसाले विलजत्र करने के लिये विलतरा जग या जररे शर्दी पहुंचाना	३३० और ३३१
का इस्तिहसाले विलजत्र करने के लिये हक्से बेजा करना ..	३०८
जब किसी सरकारी मुलाजिम के रुबर “हल्फन” किया जाय	५१
गालिह “हल्फ” के लफज में दाखिल है	५१

मुलाहज तलव हल्फ या इकरारे सालित ।

इकरारे सालिह —

जो वएवज हल्फ के कानूनन दान्न बिना गये ने दफने दाखिल कर लिया गया है

मजमून ।	दफ ।
उखाड़ डाला जाना—	
किसी हड्डी या दात का जररे शदीद है	३२०
आग—	
से गफलत या बे इहतियाती करना या उसकी निस्वत वाजिबी हुशियारी न करना और उसकी सजा	२८५
या किसी गर्म किये हुये मादे के जररीये से जरर या जररे शदीद पहुचाना के जररीये से मुक्तानरसानी	३२४औ३२६ ४३५औ४३६ औ ४३८
<u>मुलाहज तलव</u> मुक्तान रसानी ।	
इल्जाम लगाना—	
<u>मुलाहज तलव</u> भूठ दावाये जुर्म ।	
अल्फाज—	
जिनकी किसी महल पर तशरीह होचुकेहैं उमी तशरीह की गिआयत से इस मजमून इ कवानीन में हर जग मुन्तअमल होंगे	७
आलः—	
की साख्त या फरोख्त या पास रखना तलवासे सिफ के लिये	२३३औ२३५
की साख्त या फरोख्त या पाम रखना तलवासे सिफ इ मलिक इ मुअज्जम के लिये	२३६औ२३५
आलःइ जर्बे सिफः—	
टिकमाल से लेजाना	२४४
अमानत—	
<u>मुलाहज तलव</u> खियानते मुजरिमान ।	
अमरे वाइसे तकलीफ—	
आम की तारीफ	२६८
आम की सजा उम मुत्त मे जिनमे आम्नव हुम्म नहीं है	२६९
आम का करता रहना वाद न करने रहने की गिआयत के	२७१
<u>मुलाहज तलव</u> उफूनन वाली बीमारी—अमरे वाइसे तकलीफे आम ।	

मजमून ।	दफ ।
अमरे वाइसे तकलीफे आम—	
की तारीफ	२६८
के तहत के मुख्तलिफ जराइम	२६६—
की सजा उन सूतों मे जिनकी निस्वत ख्वास्ततन कोई हुकम नहीं है...	२६४-अलिक २६०
का करता रहना वाद न करते रहने की हिदायत के	२६१
अमरे तनकीह तलव मुतअल्लिके हाल—	
ही—वाइसे इशितआले तवअ का सखन और नागहानी होना ...	३००और३५२
अमन—	
मे खलल अन्दाज के लिये इशितआले तवअ करना	५०४
अमने खलायक—	
में खलल अन्दाज होने के मुहतमल मजमअ का शरीक होना वाद इसके कि उसको मुतफरक होने का हुकम हो चुका हो	१५१
आमेजिश करना—	
खाने या पीने की शै मे जिसका बेचना मकसूद हो	२७२
दवा दारू में या उसका बेचना आमेजिश के वाद	२७४-२७५
<u>मुलाहज तलव खाने या पीने की शै ।</u>	
इन्सान का जिस्म—	
<u>मुलाहज तलव जिस्म ।</u>	
इन्सान को भगा लेजाना—	
उसकी तारीफ	३६२
उसकी सजा... ..	३६१-३६६
कमले अमद के लिये	३६६
बेजा हक्स करने के लिये	३६५
याने औरत को भगा ले जाना इजदिवाज कराने के लिये या उमरों पुसलाना	३६६
जगरे शरीर पहुचाने या गुलाम बनाने के लिये... ..	३६७

नजमन ।	दक्र ।
इन्सान को भगा ले जाना — ततिग्म ।	
हुपाने या हुक्म में रखने के लिये	३६ =
याने दत्त बन से कम उमर के विप्ल को भगा ले जाना उत से भात लेने के लिये	३६६
याने औरते मन्कूह को भगा ले जाना कनीयते मुजरिमान.	४६८
<u>मुत्ताहज तलब इन्सान को ले भागना ।</u>	
आंख —	
को विगाड देना “ जररे शताद ” है	३२०
जंत —	
को मार डालना या जहर देना या उसके किमी खजब को दा उत्तवो बेकार कर देना	४०६
<u>मुत्ताहज तलब मुफ़सान रस्तानी ।</u>	
अहले अमरीका —	
पर जब वह मुजरिम तावित हो हुक्मे दयाम बउडे दर्याय शोर की जगह मशफते तार्जानी बहालते कैद का हुक्मे सजा सादिर फिज जागता ...	५६
अहले पश्चायत —	
बन जन है	६६ तमर्नी (जीम) ।
कोई नाम जखित हो सक्ता है	२० तमर्नी ।
जो कोई नाम जखित होना को मन्द को सर्नी मुत्ताजिम है	२१ जिम पातरी ।
अहले जूरी —	
भूटा बना	३३
“ सर्नी मुत्ताजिम ” है जब वह किमी कोई नाम जखित को मन्द करता हो	३३ तमर्नी ।
अहले जूरी या अस्तिसर बना —	
कोई जमी बना	३३
<u>..... भेज करना ।</u>	

मजमून ।	दफ ।
अहले यूरोप या अहले अमरीका—	
को बजाय हक्स वउचरे दर्याय शोरके मशक्कते ताजीरी बहालते कैद की सजा का हुकम दिया जायगा	५६
<u>मुलाहज तलब</u> मशक्कते ताजीरी बहालते कैद ।	
एजन्ट—	
या मालिक या दर्खील का मुस्तौजिवे सजा होना जो बल्ब वगैर की पुलीस को इत्तिला न करे	१५४ओ१५५
या मालिक या दर्खील का कब मुस्तौजिवे सजा है अगर बल्ब का इत्तिकाव हो से खयानते मुजरिमान	१५६
ईजा—	
माल वगैर के इस्तिहसाल के लिये	३२७—३२६
इक्कार के इस्तिहसाल के लिये	३३०ओ३३१
ईस्ट इन्डिया कम्पनी—	
या कलमरवे मजकूर या उसके वाशिन्दों पर किसी तरह मुवस्सर होनेवाले ऐक्ट हाये पार्लिमेन्ट जो सन १८५८ ई० के बाद जारी हुये हो उन पर मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द मुवस्सर न होगा	५
ऐक्ट मुतअल्लिके बगावत—	
पर मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द मुवस्सर नहीं है	५
के तावित्र जो अशखाम हैं वह मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द के बाब ७ की रुसे मुस्तौजिवे सजा नहीं है	१३६
ऐक्ट मुतअल्लिके फौज (सन ४४ ओ ४५ जुलूसे मलिकःइ वि-	
कगोरिया—बाब ५८)—	
पर मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द मुवस्सर न होगा	५
बाट और पैमाने—	
जो भूटे हैं उनको फरेबसे इस्तिमाल करना या पाम रखना और उमर्दासजा	२६ओ३३
भूटे बनाना या बेचना	२६७
वाइसे इश्तिआले तवन्न—	
जो सख्त और नागहानी हो उसकी तहरीरमे जरूर या जग्गे शर्दीद पहचाना	३३ओ३४
जो सख्त और नागहानी हो उसके अलाव और नगद पर हमन या वं मुजरिमान करना	३४ओ३५
जो सख्त और नागहानी हो उसकी तहरीरमे हमन या जो मुजरिमान करना	३ =
<u>मुलाहज तलब</u> हल्लः—जग्गे मुजरिमानः ।	

मजमून ।	दफ ।
<p>बोली बोलना— <u>मुलाहज तलब खिल्लाफे कानून खरीदना या बोली बोलना।</u></p>	
<p>बोली बोलने वाला— या खरीदने वाला वाज माल का नाजायज तौर पर—सर्कारी मुलाजिम</p>	१६६
<p>भाग जाना— मुजरिम का हिगमत मे या उसका जिमकी गिरफ्तारी का हुकम हो चुकाहो असारे मुल्तानी या असारे जग का सर्कारी मुलाजिम जायज रखे या वकू में आने दे या उसमें मदद करे २२८ अथवा २२९ वकू में आने देना क्रस्दन सर्कारी मुलाजिम की तरफ से ऐसे शख्स का जिसपर डलजाम लगायागया या जिमकी निस्वत हुकमे मजा मादिरहुयाहो वकू में आने देना गफलत की राह से ऐसे शख्स का जिस पर डलजाम लगाया गया या जो मुजरिम मावित हुया हो २२३ या भाग जाने का इक्दाम करना हिगमते जायज मे २२४</p>	
<p>भक से उड़जाने वाले माद्वे— की निस्वत गफलत या वेइहतियाती मे कोई फल करना या वाजिबी पेज वीनीयों का तर्क करना और उसकी सजा २८६ के जर्गिये ने जरर या जग्रे शतीद पहचाना ३२४ अथवा ३२६ के जर्गिये से जग्ग या नुरुमान रगार्नी का वाद्वस होना १३५ अथवा १२६ अथवा १३८</p>	
<p>भगा लेजाना— <u>मुलाहज तलब इन्मान को भगा लेजाना—</u></p>	
<p>भोंकने के दधियार—</p>	

मजमून ।

दफ्त ।

भैसे—

को मारडालना या जहरदेना या उसके किसी अजबको या उसको बेकार करना ४२६

मुलाहज- तलव नुक्सान रसानी ।

वेइहतियाती और गफलत का फेल—

गाडी चलाने और सवार होकर निकलने में	२७६
मरकबेतरी के चलाने में	२८०
शारिअे आम पर	२८३
जहर से काम करने में	२८४
आग से काम करने में	२८५
भरु से उडजानेवाले मादे से काम करने में	२८६
कल से काम करने में	२८७
इमारत के मिस्मार करने या उसकी मरम्मत करने की निस्वत	२८८
हैवानों की निस्वत	२८९
करके हलाकत का वाइस होना	३०४ (अल्लिफ)
जो जान या औरोंकी सलामती को खतर में डाले उसकी सजा	३३६

मुलाहज: तलव शारिअे आम ।

वयान—

पर दस्तखत करने से इन्कार करने की सजा १८०

मुलाहज तलव भूठ वयान ।

वे ठप्पा किये हुये तांबे के टुकड़े—

सिका नहीं हैं गो वह नकद के तौरपर मुस्तामल हों २३० तममील (वे)

वेचना—

फुहश किताबों वगैर का मयनू है २६२ और २६३

खाने पीने की मुजिर शै का २७३

मुलाहज- तलव दवा खाने या पीने की शै ।

मजमून ।	दफः ।
वे हुरमत करना—	
इम्लः या जन्ने मुजरिमान करके	३५५
हम्ल या जन्ने मुजरिमान. करके किसी औरतकी इफ्फत मे खल्लाल डालना...	३५४
बैल—	
नौ मारडालना या जहरदेना या उसके किसी अन्वको या उसको बेकार करना	४२६
<u>मुलाहज. तलब</u> नुफ्तान रसानी ।	
वे चाम मुकातबः—	
के जरीये से तख्खाफे मुजरिमान	५०७
बेहोश करने वाली दवा—	
<u>मुलाहज. तलब</u> दवा ।	
पास रखना—	
फुहश कितानो वगैर. का ममनू है	२६ = और ६३
पागल—	
<u>मुलाहज. तलब</u> शरुसे फातिरुल अकल ।	
पानी—	
को चशम. या हौजके नजित करना	२७७
का रख फेर देने से नुफ्तान रसानी	४३०
पानी पर तैरने वाला निशान—	
भूटा दिखाना और उसकी सजा	२८१
तवाह करके या उसकी तबदीलेजाय करके नुफ्तान रसानी और उसकी सजा	४२३
प्रेजीडन्सी—	
की तारीफ	१८
पुल—	
को जग पट्टाने से नुफ्तान रसानी	६३१

मजमून ।	दफ ।
पनाह—	
की तारीफ	२१८ वे
पनाह देना—	
असीरे मुलतानी या असीरे जग को जो भाग गया हो	१३०
उन लोगों को जो किसी मजमूने नाजायज के लिये उजरत पर रखे गये हों फिरारियों को— <u>मुलाहज तलब</u> फिरारी नौकर ।	१५७
मुजरिम को उसकी सजा	२१६
मुजरिम का शौहर या जौज से सरजद हो तो लाइके सजा नहीं है ...	२१२ मुस्त- स्ना ।
ऐसे मुजरिम का जो हिरासत से भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी का हुकम हो चुका हो और उसकी सजा	२१६
छुर्म नहीं है अगर मुजरिम पनाह देने वाले का शौहर या जौज हो ...	२१६ मुस्त- स्ना ।
सर्क इ बिलजत्र या डकैती करने वालों को और उसकी सजा	२१६—अलिफ-
सर्क इ बिलजत्र या डकैती करने वालों को उनके शौहर या जौज का लाइके सजा नहीं है	२१६—अलिफ मुस्तस्ना ।
पंचायत—	
<u>मुलाहज तलब</u> अहर्ले पंचायत ।	
फुसला लेजाना—	
नावालियों का और उसकी सजा	३६१
औरते मन्कह का और उसकी सजा	४६८
फुसलाना—	
इस गरज से कि औरत को लेभागे या भगा लेजाय	३६६
पैमाने—	
<u>मुलाहज तलब</u> वाट और पैमाने ।	
पीने की शै—	
<u>मुलाहज तलब</u> खाने या पीने की शै ।	

मजमून ।	दफ्त ।
तांवा—	
मुलाहज. तलम वे ठप्पा किया हुआ तांवा ।	
तवादिल—	
हुकमे सजाये मौत या हुक्म वज्रूरे दर्याये शोर के बारे में— गर्वनेमेन्ट को हुकम करने का हस्तियार मुजरिम की विला रिजामन्दी ...	५४ औ ५५
तिजारत—	
से नाजायज तौर पर सर्कारी मुलाजिम का सरोकार रक्खा ...	१६८
तहकीर इस्लियारे जायज की—	
सर्कारी मुलाजिम के	बाब १०
मुलाहज. तलम सर्कारी मुलाजिम के ।	
तस्वबीफ—	
मुलाहज तलम तस्वबीफे मुजरिमानः ।	
तस्वबीफे मुजरिमानः—	
की तारीफ	५०३
महज की सजा	५०६
की सजा अगर धमकी हलाकत या जररे शरीद यधैर. पहुचाने के लिये या औरत की निस्वत देइफरती वा इतकाम लगाने के लिये हो ...	ऐजान
मिर्मा बेनाम मुजरिम से	५०७
तर्गीव—	
के तन्ज के मति	५०७ परमी तर्गीव ।
तर्की—	
की तारीफ	३३
मिर्मा के तन्ज तन्ज तन्ज “वेता” में जतिय है	३२

मजमून ।

दफ ।

तर्क-ततिम् ।

फेल से कुछ और फेल से कुछ जो नतीज कि पेदाहो	३६
करना दस्तावेज के पेश करने या इत्तिला या खबर देनेको जब कि दस्तावेज का पेश करना या इत्तिला या खबर देनी कानून वाजिवहो	१७५ और १७६
करना सर्कारी मुलाजिम के मदद देने को	१८७
गिरिफ्तारी सर्कारी मुलाजिम की तरफ से	२२१ और २२२
	२२५ अलिफ

तरी की आम राह-

पर मुजाहमत करने की सजा	२८३
-------------------------------	-----

तशरीहात-

आम्म	बाब २ ।
-------------	---------

तसर्फे वेजा-

माले मन्कूल का	४०३ पहली और दूसरी तशरीह ।
ऐसे माल का जो इत्तिकाकन् पाया जाय	ऐजान दूसरी तशरीह ।
किसी मुतवफका शख्सके मालका	४०४

तसर्फे वेजाये मुजरिमानः-

माल का और उसकी सजा	४०३ और ४०४
---------------------------	------------

मुलाहज तलव तसर्फे वेजा ।

तअर्रज-

सर्कारी मुलाजिम की तरफ से माल के लिये जाने में मुलाहज तलव माल या जायदाद-सर्कारी मुलाजिम ।

तअर्रज करना-

माल के लेने जाने में जो सर्कारी मुलाजिम के इस्तियारे जायज की रूसे लिया जाताहो

मजमून ।	दफ़ ।
तच्चर्हज़ करना—ततिम्म. ।	
माल के नीलाम में जो सर्कारी मुलाजिम की तरफ़ से हो	१८४
सर्कारी मुलाजिम के लवाजिमे मन्सवी की अन्जाम दिही में	१८६
अपनी गिरिफ्तारी में और उत्तकी सजा	२२४
फिती और की गिरिफ्तारी में और उत्तकी सजा	२२५
या मुजाहमत पहुचाना खुरफी या तरी की आम राह पर	२८३औ ४३.
जवाजन गिरिफ्तार किये जाने में	२२५-बे
तगईर ओ तब्दील—	
किमी वस्तावेज में जब कि वह जालनाजी की हदको पहुच जाय	४६४
तप्रतीश—	
जितके लिये कानून के मुताबिक या कोर्ट आफ़ जस्टिस के हुकमके मुताबिक हिदायत हो वह अदालत की कार्रवाईकी एक हालत है	१६३तगरी हात २ को ३
<u>मुलाहज तलब इब्तिदाई तप्रतीश ।</u>	
तल्वीस—	
की तार्गिक	२८
के मुतहकिक होने के लिये उरूर नहीं है कि मुगावहत ठीक ठीक हो	२८८तगरी ।
तल्वीसे सिक्कः—	
<u>मुलाहज तलब सिक्कः ।</u>	
तल्वीस करन्सी नोटों या बैंक नोटों की—	
<u>मुलाहज तलब बैंक नोट—करन्सी नोट ।</u>	
तल्वीस गवर्नमेन्ट स्टाम्प की—	
<u>मुलाहज तलब स्टाम्प ।</u>	
तमुगे—	
... ..	२३-तगरी

मजमून ।	दफ़ ।
तोड़ डाला जाना—	
हज़ी वगैर का “अररे शदीद” है	३२० सातवाँ
तोड़ कर खोलना—	
किसी बन्द किये हुये जर्क को जिसमें माल हो	४६१
किसी बन्द किये हुये जर्क को जिसमें मालहो अगर शरसे मुहाफ़िज़ से शर्तिकाव में आये	४६२
तौहीन—	
सर्कारी मुलाज़िम की जब कि वह अदालत की कार्रवाई कर रहा हो ..	२२८
किसी शरसे के मजहब की और उसकी सजा	२६५और ६७
अमन में खलल अन्दाज़ी की नीयत से	५०४
किसी औरत की शर्मसारी की	५०६
<u>मुलाहज़ा तलब क़सदन् तौहीन करनी या हारिज होना ।</u>	
तौहीने अदालत—	
करनी इहानत करके या हारिज होकर दर असना अदालत की कार्रवाई के	२२८
तुहमत—	
लगाने की धमकी किसी छुर्म चीं-इस्तिहसाले बिल्जत्र करने के लिये	३८८और ३८६
टिक्साल—	
से सिफ़े का जारी कराना जो वज़न या तर्तीव मुआयन इक़ानून के मुगाइर हो	२४४
के बाहर लेजाना औज़ारे जवें सिफ़े को	२४५
उग—	
की तारीफ़	३१०
होने की सजा	३११
सालिस—	
“सर्कारी मुलाज़िम” के लफ़्ज़ में दाख़िल है	२१
के रूबरू भूटी गवाही	१६२

मजमून ।	दफ्तः ।
सुबूते जुर्मै साबिक—	
पर बइलत वाज्र जुर्मैके जो भिकः या माल से मुतअलिक हो सजाका इजाफ जारी रहना—	७५
अमरे वाइसे तकलीफे आम का— <u>मुलाहज तलव</u> अमरे वाइसे तकलीफे छाम ।	
जान—	
की तारीफ	४५
या औरों की सलामतीये जाती को अतर हो ऐसा फेल बेइहतियाती या शफलत से करना	३६६
या औरों की सलामतीये जाती को खतर हो ऐसे फेल से जरर या जररे शदीद पहुंचाना	३३७और३३८
जायदादे गैर मनकूलः—	
<u>मुलाहज तलव</u> जवती ।	
जब्र—	
अफआल जो जब्र की रुसे किये जायें कब जुर्म नहीं हैं	६४
की तारीफ	३४६
<u>मुलाहज तलव—</u> जब्रे मुजरिमानः ।	
जब्रे मुजरिमानः—	
की तारीफ	३५०
की सजा	३५२-३५८
की वमनी वमजिले हमल-हे	३५१
जो बारमे सरन इश्तिअतो तवअ के अलान और तरह पर बइ मे आये उमरी सजा	३५२
जब किमी सर्गरी मुलाजिम वोग की निम्न समल मे प्राये उमरी सजा	३५३
जब किमी अंगत की इफ्रत मे खतल जलने की खीयत मे दिया जाय उमरी सजा	३५४
जब किमी अंगत की बेइअत करने की खीयत मे दिया जाय उमरी सजा	३५५
जब उन मान के मर्ने के इतिहाज के इफ्राम मे दिया जाय किमती के मान निये गये हो	३५६

मजमून ।	दफ़ा ।
जधे मुजरिमानः—ततिग्म ।	
जब किसी शख्स के हय्से बेजा के इक्दाम में किया जाय उसकी सजा	३५७
सख्त इशितआले तबच्च पर और उसकी सजा	३५८
कबूज. करने या किसी इस्तिहकाक को काम में खाने में	१४१
<u>मुलाहजः तलव हमुत्तः ।</u>	
जवरी मिहनत—	
मिहनत करनेपर नाजायज तौर पर मजधूर करनेकी सजा ...	३७४
जज—	
की तारीफ	१६
“सर्कारी मुलाजिम” हे... ..	२१ तीसरा
का फेल कच छुर्म नहीं है	७७
जराइम वा सर्कार—	
कैसे अफगाल हैं और उनकी सजा क्या है	बाब ६
फराने की नीयत से भूठी अफवाह फैखाना	५०५
जराइम खिख्ताफ घज़च्चे फितरी--	
की सजा	३७७
जराइम की घावत राजीनामः--	
<u>मुलाहज तलव मुसगलिहते जराइम की घावत ।</u>	
जुर्म--	
की तारीफ	४० औ १७७
	तशरीह २०३
	तशरीह २१२
	औ २१६
मिसफा इतिफाव ब्रिटिश इन्डिया के वाहर हो	३
मलिक इ मुथ्रज्जम के मुलाजिम की जानिव से ऐसी रियासत मे जिससे इत्तिहाद हो	४
के इतिफाव में शरीक होना भी छुर्म है	३७

मजमून ।	दफः ।
जुर्म--ततिम्भ ।	
जो चन्द अजजा से मुरकव हो उसकी सजा की हद	७१
वादिह का चन्द जुर्मों में से जो शख्त मुजरिम पाया जाय उसकी सजा	७२
अफ़वाल या तर्कें अफ़वाल जो जुर्म नहीं है फ़ेल जो किसी ऐसे शख्त	
से सरज़द हो जिसपर उमका करना क़ानूनन् वाजिव हो या जो यह	
वावर करता हो कि उत्तरपर उसका करना क़ानूनन् क़प्रजिव है	७६
फ़ेल जज का जब कि वह अदालत का काम कर रहा हो... ..	७७
फ़ेल जो अदालत की तज़वीज़ या हुकम के मुताबिक़ किया जाय	७८
फ़ेल उस शख्त का जो उसके करने का मुजाज़ हो या अपने तर्ई उसके	
करने का मुजाज़ वावर करता हो	७९
इत्तिफ़ाक़ का पेश आजाना फ़ेले जायज़ के करने में	८०
फ़ेल जिससे ग़ज़न्द पहुचने का इहतिमाल हो मगर दूसरे ग़ज़न्द के रोकने	
के लिये किया गया हो	८१
फ़ेल उस तिफ़ल का जिसकी उम्र ७ बरस के कम हो	८२
,, उस तिफ़ले नापुख्त अक़ल का जिसकी उम्र ७ बरससे ज़ियाद मगर	
१२ बरस से कमहो	८३
. उस शख्त का जिसकी अक़लमें कुचूर हो	८४
,, उस शख्त का जो नशेकी हालत में हो	८५ नो ८
,, जो बरिज़ामन्दी किया गयाहो और जिससे हलाक़त बफ़ ज़ररे शदीद	
मक़सूद न हो और न उसके इहतिमालका इल्म हो	८७
,, जिसमे हलाक़त मक़सूद न हो और जो बरिज़ामन्दी किसी शरतके	
फ़ायद के लिये किया गया हो	८८
, जो किसी तिफ़ल या मजनुन के नफ़ा के लिये बली ने किया हो या	
बली की रिज़ामन्दी मे किया गया हो '	८९
,, जो किसी शख्त के फ़ायदे के लिये बिला रिज़ामन्दी किया गया हो	९०
एलाम जो नेक नीयतसे किया जाय	९३
फ़ेल जिनके करने के लिये कोई गरस मजबूरकिया जाय ..	९४
, जो ग़ज़न्दे लफ़ीक़ का बाइम हो	९५
वह उम्र जो हिफ़ाज़ते खुद इम्तियारी में किये जाय	९६
जब कि इम्तिहाने हिफ़ाज़ते खुद इम्तियारी शामिल रहे	९७-१-१
मुनाबज़ तन्ब जराइमे रिज़ाफ़ बज़भे फिनरी ।	
जुर्मानः—	
मजमू - २ मजमूने ताज़ामन्दे हिद के तन्ब की मजाय़ों में से एक सराह है	१२ इदो

यज्ञमून ।

६५ ।

जुर्मानः—ततिग्म ।

की तादाद का काइद जब वजरीय कानून के कोई हद जाहिर न हो.	६३
अदा न होने की सूरत में हुक्मे सजाये कैद	६४
,, न होने की सूरतमें हद्दे मीआदे कैद जब कि कैद और जर्मान दोनो सजायें दी जा सकती हैं	६५
,, न होने की सूरत में कैद की किरम	६६
,, न होनेकी सूरतमें कैद जब कि जुर्मकी सजा सिर्फ जुर्मान है	६७
या हिस्स इ मुतनासिव जर्मान अदा करदेने पर कैद का इखिताम	६८ औ ६९
बसूल करने की मीआदे जायज	७०
के मुवाखज से माल को बरी नहीं करता है मुजरिम का मरजाना	ऐजन

मुलाहज हलव कैद ।

जुर्मे काविले सजाये मौत—

का सावित कराना एक गेगुनाह शख्सपर भूठी गवाही देकर या बनाकर-	१६४
का सावित कराना एक बे गुनाह शख्स पर और उसका सजाये मौत पा जाना भूठी गवाही देने या बनाने के सबब से	ऐजन

मुलाहज तलन भूठी गवाही देना ।

जिस्म—

के मुतअलिक हिकाजते खुद इखितयारी—मुलाहज तलन हिकाज-
ते खुद इखितयारी ।

जालसाजी—

की तारीफ	४६३
की सजा	४६५
कोर्ट के कागज सरिश्त वगैर की	४६६
किफालतुलमाल या वसीयतनाम वगैर की	४६७
दगा करने या नेकनामी को गजन्द पहुँचाने की गरज से	४६८औ ४६९
के इतिकाम की नीयत से मुलतवस मुहर वगैर बनाना या पास रखना	४७२औ ४७३

जाली दस्तावेज—

की तारीफ	४७०
-----------------	-----

मजमून ।	दफा ।
जालीदस्तावेज—ततिम्म ।	
को काम में लाना या पास रखना	४७१ओ४४
को असली दस्तावेज की सूरत बख्शनेके लिये अलामत निशान की तलवीस करनी	४७५ओ४७
मुलाहजः तलव दस्तावेज—भूठी दस्तावेज ।	
जमाअत—	
खाह उसको सर्कारसे सनद मिली हो या नहीं लफजे “शख्स”, में दाखिल है.	११
की निस्वत इतिहाम करना इजाजत है हीसीयते उफ्री हो सकता है ...	४६६ तश- रीह २
जमाअे हराम—	
पर मजबूर करने के लिये औरतको भगा ले जाना	३६६
की गरज से औरते मन्कूहः को फुसला ले जाना... ..	४६८
जंतरी—	
अगरेजी के मुताबिक “साल”, या “ महीना”, शुमार किया जायगा ...	४६
जंग—	
मुलाहज. तलव जंग करना ।	
जंग करना—	
मलिक इ मुश्जजमः के मुकामिते में और उसका इन्दाम और उसमें इन्बा- नत करना और उसकी तैयारी करनी या उसकी तददीर को छुपाना...	१२१-१२३
उसकी साक्षिद	१२१— अनिक
उसकी तैयारी	१२२
उसकी तददीर को छुपाना	१२३
तिनी एनीनार्त मलक के वाती के मुकामित में जो मलिक इ मुश्जजम में गणित इ इन्बाराद बंगरः रस्ता हो	१२४

मन्मथ ।	दफ़ ।
बंग करना—तस्मिन्	
ऐसे माल को जिनकी तस्वील में रखना जो बंगी जग से हासिल किया गया है...	१२७
बंगी आईन—	
<u>मुलाहज तलब</u> हिन्द के बंगी आईन ।	
बनम कैदी—	
<u>मुलाहज तलब</u> कैदी ।	
जनीन—	
<u>मुलाहज तलब</u> तिफ़ल ।	
जहाज—	
को बेइहतिपाती से चलाना—और गुसाफ़िरों को हद से ज़ियाद लदे हुये या खतरनाक जहाज पर लेजाना	२६०—२६२
<u>मुलाहज तलब</u> मरकवेतरी ।	
भूठा इज़हार—	
करना या उन पर दन्तखत करना या उसको सच्चे की हैसियत से काम मे लाना और उसकी सज़ा	१११और२००
भूठा बनाना—	
हिसाब का मुतसद्दी या अहलेकार या नौकर की तरफ़ से	४७७(अलिफ)
हिर्क या मिल्कीयत के निशानों का	४७८और४८०
" " " " " और उसकी सज़ा	४८२और४८८
भूठा भेस—	
सिपाही का करना लिवास वगैर. पहन कर और उसकी सज़ा	१४०
भूठा दावा—	
बददियानती से कोर्ट में करना और उसकी सज़ा	२०६

मजमून ।	रकः ।
भूठा सर्दीफिकट—	
सच्चे की हैसियत से जारी करना या उस पर दस्तखत करना या उमको काम में लाना—और उसकी सजा	१६७औ१२६
भूठा वयान—	
ब इलफ़ या बइकरारे सालिह और उसकी सजा	१६२
भूठ दावाये जुर्म—	
दुस्मान पहचाने की नीयत से—और उसकी सजा	२११
भूठी अफवाह—	
फैलाना बग़ावत या बद अमनी पैदा करने के लिये	५०४
भूठी अफवाह फैलाना—	
<u>मुलाहज तलब भूठी अफवाह ।</u>	
भूठे वाट और पैमाने—	
<u>मुलाहज तलब वाट और पैमाने ।</u>	
भूठी खबर या इत्तिला—	
देना सर्कारी मुलाजिम को ऐसे शख्स का जो खबर देने के लिये तानुगु पाबन्द हो	२७७औ१६१
देना सर्कारी मुलाजिम को इस नीयत से कि दूसरे शख्स को दुस्मान पहचाने	१६०
,, मुजगिम को बचानेके लिये	२०१
,, उन्निदान किये हुये जगइमकी निम्बत	२०२
भूठी दस्तावेज—	
की तारीफ़	१६१
दस्तावेज बना दस्तावेज—जाली दस्तावेज ।	

मजमून ।	दफ ।
भूठी रोशनियां भूठे निशान या पानी पर तैरनेवाले निशान—	
दिग्राना और उमरकी सजा	१८१
भूठी गवाही—	
देना और बनाना और—उसकी तारीफ	१६१औ१६२
देना और बनाना और काम में लाना—और उसकी सजा ...	१६३औ१६६
<u>मुलाहजा तलब</u> जुर्म क्वाबिले सजाये मौत ।	
भूठी गवाही बनाना—	
उसकी तारीफ	१६२
<u>मुलाहजा तलब</u> भूठी गवाही ।	
चिट्ठी डालना—	
इस भरज के लिये या इसके मुतअलिक कोई तजवीज मुशतहर करने के लिये इफतर या मकान रखने की इजाजत में सजा	२६४-अलिफ
चश्मः—	
<u>मुलाहजा तलब</u> हौज ।	
चन्द जराइम—	
की हद्दे सजा	७१
चोरों—	
के गुरोह में शरीक होने की सजा	४०१
<u>मुलाहजा तलब</u> चोरों के गुरोह ।	
चोरों के आचारा गुरोह—	
के शरीक होने की सजा	४०३
चोरों के गुरोह—	
में शरीक होने की सजा	४०१

मजमून ।	दफ ।
छापकर मुश्तहर करना—	
छुट्टा कितारों वधैर. का ममनू है	२६२ और ६३
छापना—	
या फन्द. करना किसी मजमून का जो मुर्जाले हैसीयते उफ़ी हो <u>मुलाहज़. तसव्व इज़ालःइ हैसीयते उफ़ी ।</u>	५०१
छुपाना—	
तदवीरे इतिकवे छुर्मका और उसकी सच्चा	११८-२२०
सर्कारी मुलाजिम का किसी छुर्म को जिसका रोकना उसपर लाजिम है	११६
तदवीरे जग का—इखानत का	१२१-१२३
भागे हुये असीरे सुल्तानी या असीरे जगका	१३०
फिरारी का किसी सौदागरी मरक़ेतरों में	१३७
माल का ज़वती से बचने के लिये	२०६
मुजरिम का सज़ा से बचाने के लिये	११२
जुर्म नहीं है अग़र मुजरिम छुपाने वाले या छुपानेवाली की जौज या	
उसका शौहरहो	२१२ मुस्तसना
जुर्म है बसबव लेने या देने सिल. के मुजरिम की तरफ़ से	२१३ और १४
मुजरिम को जो भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म हुआहो	२१६
निफ़ल की बलादत का लाश को छलाहिद करदेने से	३१८
वेजा तौर पर ले भागे हुये या भगा ले गये हुये शक्स का	३६८
माले मसक़क का	४१८
माल का	८०८
चिहरा—	
का इमेज के लिये बंद मुग़्त किया जाना “अरे जनीद” है	३०० १२१
छुड़ा लेजाना—	
अमीरे सुल्तानों या जन को	१३८
फिमी शरम को दिगमने जायज़ ने	२०४
झोड़ देना—	
ग़ा ग़ल देना बर. बरम से ज़म उग्र के बरम को और उग्रही ग़ना	३१७

मजमुन ।	दफ ।
छीलना—	
उम निमान का जो गवर्नमेन्ट स्टाम्प पर हो और उससे जाहिर होता हो नि ग्याप काम में आचुका है	२६३
मलाहन तलब गवर्नमेन्ट स्टाम्प ।	
हक्स—	
मलाहन तलब कैद ।	
हक्स—	
से भाग जाना खाह सरकारी मुन्ताजिम कम्पन भाग जाने दे खाह उसकी गफलत से भाग जाय	२२१-२२३
से भाग जानेवा स्टाम और उसकी सजा	२२४और२२५
से भागे हुये शम्स को पनाह देना	अलिफ १२६
हक्स वउबूरे दर्याये शोर—	
मजमुअ इ कयानीने ताजीराते हिन्दके तहतकी सजाओं में से एक सजाहै...	५३ दूसरी
वदवाम के हुक्मे सजा का तवादिल होसक्ता है	५५
के एवज अहले यूरोप और अहले अमरिका को मशक्कते ताजीरी बहालते कैद की सजा का हुक्म दिया जायगा	५६
की मीथ्यादों के अजजा का शुमार	५७
का हुक्मे सजा जिन मुजरिमों की निस्वत होखका है वउबूरे दर्याये शोर होने तक उनकी निस्वत किस तरह अमल किया जायगा	५८
किस किस हाल में कैदकी जगह तजवीज होसक्ता है	५९
के मुस्तौजिव मुजरिमों की निस्वत जायदाद की जप्ती	६२
वदवाम इआनते बगावत की सजा	१३२
” जिस जुर्मकी सजाहै वैसे जुर्म के साबित करानेकी नीयत से झूठी गवाही देना वगैर	१६५
” उस शख्सको सजा होसक्ताहै जो तलबसे सिक्क इ मलिक इ मुअ- ज्जम करे	२३२
” कतले अमद की सजा होसक्ताहै	३०२
” ऐसे कतले इन्सान मुस्तलजमे सजाकी सजा होसक्ताहै जो कतले अमद की हदतक न पहुचे	३०४

मज्जमून ।

दफ़ ।

हथ्स वउवूरे दर्याये शोर—ततिम्म ।

वदवाम जिस जुर्मकी सजाहै उसके इतिफावके लिये मुदाखलते बेजा वखान.	४५०
से औदे नाजायज की सजा	२२६

मुलाहज तलव मुदाखलते बेजा-मुजरिमानः ।

हवसे बेजा—

की तारीफ़	३४०
की सजा	३४२
तीन या जियाद दिनतक और उसकी सजा	३४३
दस या जियाद दिनतक और उसकी सजा	३४४
की सजा जब कि रिहाई का हुक्मनाम. जारी होषुकाहो	३४५
की सजा जब कि हथ्स मखफ़ी हो	३४६
की सजा जब कि मालके इस्तिहसाले विलजत्र की गरज से क्रिया जाय	३४७
की सजा जब कि इन्नरारका इस्तिहसाले विलजत्र करनेकी गरज से क्रिया जाय	३४८
के इतिफाव के इक़दाम में हम्ल या जत्रे मुजरिमान	३५७
ले भागे हुये या भगा लेगये हुये शख्स का	३६८

मुलाहज तलव भगालेजाना-हम्लः-जत्रे मुजरिमानः-

ले भागना—मुजाहमते बेजा ।

हिरासत—

से भाग जाने देना कम्पन् या सफलतकी राहमें सर्जगी मुलाजिमना ...	२२० औ २२३
से भाग जानेका इक़दाम और उम्मी सजा	२०४ औ २०५
से भागे हुये शख्स को पनाह देना	२१६

मुलाहज तलव गिरिफ्तारी-भागना ।

हिफे का निशान—

सजा तारीफ़	२०६
सजा शिमाय करना	२०७

मजमुन ।	दफ ।
हिफें का निशान-तद्विम ।	
भूटा इन्तिमान करने के इतिहासिक जर्मों की गजा	४८२ औ
हरकत—	४८३ औ
	४८५ औ
	४८६
करना मजहब का निम्न किमी और का तिल दुस्ताने के लिये	२६८
नव हया की हद जो पढ़े	३५१
हिसावात—	
भूटा बनाना	४७७(आलिफ)
हिफाजते खुद इस्तिथारी—	
के इस्तिहक्राक के अमल में लाने में जो उग्र कि किये जाये वह छुर्म नहीं	६६
कम इस्तिहक्राक माल और जिग्म की वास्त	६६-१०६
या इस्तिहक्राक कम शामिल है	६७ औ ६८ औ ६९
या इस्तिहक्राक सर्गरी गुलाजिम के किसी फल के इफ़ोय में नहीं है ...	६९
जिग्म का इस्तिहक्राक कम हलाकत करने को मुहीत है	१००
जिग्म का इस्तिहक्राक कम हलाकत के सिवा किसी और गजन्द पर मुहीत है	१०१
जिग्म का इस्तिहक्राक किस वक़्त तक फ़ाइम है	१०२
माल का इस्तिहक्राक कम हलाकत पर मुहीत है	१०३
कम माल का इस्तिहक्राक हलाकत से कम जरूर पर मुहीत है .	१०४
माल का इस्तिहक्राक किस वक़्त फ़ाइम है	१०५
के इस्तिहक्राक का अमल में लाना शख़से वे गुनाह के मुक़सनों को मुहीत है	१०६
के इस्तिहक्राक के अमल में लाने में जो हलाकत कि वक़्त में वह कम कतले अमद की हद को नहीं पहुचती है	३७० दूसरी मुस्तस्ता ।
हुक्मे सजा—	
का तनादिल	५४ औ ५५
हुक्मनामः—	
की तामील से बचने के लिये या उसको अपने पास तक पहुचने या मु- श्तहर होने से वाज रखने के लिये रूपोश होना या उसकी मुताविअत में हाजिर न होना	१७०-१७४

मजमून ।	दफ ।
हुक्मनामः का पहुंचना—	
<u>मुलाहज तलब हुक्मनामः ।</u>	
इलफ—	
की तारीफ	५१
इलफ या इकरारे सालिह—	
करने से इन्कार करना और उसकी सजा	१७०
पर झूठ बयान करना और उसकी सजा	१०१
हम्लः—	
की तारीफ	३५१
की सजा	३५२ और ३५३
गवर्नर जनरल या गवर्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या कौन्सिल के मिम्बर पर इख्तियारे जायज के निफाज पर मजबूर करने या उससे बाज रखने की नीयत से.	१२४
की इआनत जब कोई सिपाही या खत्तासीये जहाजी अफसरे वालादस्त पर करे	१३३ और १३४
सर्कारी मुलाजिम पर जबकि वह बल्ब. वचौग फरो कर रहा हो ...	१५२
की हद को महज अलफाज नहीं पहुंचने	३५१ तशरीह
सर्कारी मुलाजिम पर उम्मन	३५३
औरत की इफकत में खलल डालने की नीयत से	३५४
किसी शख्स को बे हुरमत करने की नीयत से	३५५
किसी शख्स के पास से सर्क करने के इतिक्राब करने के इतदाम में	३५६
हन्से बेजा के इतिहास के इतदाम में	३५७
सख्त इशतअले तबअ पर	३५८
<u>मुलाहज तलब जत्रे मुजरिमानः ।</u>	
हीज—	
या नदम उजाम के पानी की गदला रगना	३७७
हया—	
सामं १ मन्तारक ही	३८१

मजमून ।	दफ ।
हैवान-	
की तारीफ	४७
के खतरे के इन्तिदाद का तगाफुल से तर्क करना और उसकी सजा ...	२८६
के जरीये से जरर या जररे शदीद पहुंचाना	३२४औ३२६
को जहर देने या मारडालने या उसके किसी अज्व को बेकार करने से नुक्सान रसानी	४२८औ४२६
<u>मुलाहजा तलव नुक्सान रसानी ।</u>	
ख़च्चर--	
को मार डालना या जहर देना या उसको या उसके किसी अज्व को बेकार करना	४२
<u>मुलाहजा- तलव नुक्सान रसानी ।</u>	
खरीद करना-	
<u>मुलाहजा तलव खिताफे कानून खरीदना या बोली बोलना ।</u>	
खरीदना गुलामों का-	
उसकी सजा	३७१
खरीदना नावालिगका-	
फेले शानी की गरज से	३७३
खतरनाक हवों-	
से बिल इराद- जरर या जररे शदीद पहुंचाना	३२४औ३२६
खलासीये जहाज़ी-	
के उस हम्ले में इश्ानत जो वह अपने अफसरे वालादमन पर करे ..	१३३औ१३४
के नौकरी परसे भाग जाने में और उसके उदूल हुक्मी करनेमें इश्ानत करना	१३५औ१३६
खिताफे कानून-	
की तारीफ	४३
हुक्म सर्कारी मुलाजिम की तरफ से	२१२

मसूमन ।	दफः ।
खिलाफे कानून तर्के अफझाल-	
पर मुहीत हैं वह अलफाज जो मसूब वअफझाल हैं	३२
खिलाफे कानून खरीदना या बोली बोलना-	
किसी जायदाद को या किसी जायदाद के लिये और उसकी सजा ...	१७५
खिलाफे कानून सुपुर्दगियां-	
वास्ते तजवीजे मुकद्दम- या कैदके	२२०
खिलाफे कानून गाबिहित् इहतिजाज-	
लेना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से या सर्कारी मुलाजिम पर दवाब डालने के लिये और उसकी सजा	१६६और १६४
लेना-मुजरिमको सजासे बचाने के लिये या माले मसरूक लेने के लिये	२१३और २१५
खलाइक के अमन् में खलल अन्दाजी-	
की नीयत से तौहीन करने की सजा	५०४
की नीयत से भूटी अफवाह फैलानेकी सजा क्योंकि दीजायेगी ...	५०५
खुदकुशी-	
की इआनत की सजा	३०५
के इतिजाज के इक्राम की सजा	३०६
खयालाते बदखाही-	
का पैदाकरना निस्वन सर्गके मुलाहज तलवसिडिशन याने खगानन ।	
मे बेवफाई और कुल खयालान दुश्मनीके तारिख हें	१२४ (खानिका)
खयानत-	नजार्ह
मनाहज तलव खयानते मुजरिमानः ।	
खयानते मुजरिमानः ।	
की तारिख	१११
मनाहज की सजा	१०६
मे माल पावने याके तल मे दह मे पावे उनकी सजा ..	१०७
को मनाहज तलव मे पावे याके उनकी सजा ...	१०८

मजमून ।	दफ ।
खयानते मुजरिमानः— ततिम्म ।	
जो सर्कारी मुलाजिम या महाजन वगैर से वकू मे आये उसकी सजा .. <u>मुलाहज तलब</u> —माल पहुचाने वाला—मुतसद्दी—सर्कारी मुलाजिम—घटवाल—गुदाम का मालिक ।	४०६
दांत— का तोड डाला जाना या उखाड़ डाला जाना “ जररे शदीद” है ...	३२० सातवीं
दखील— अराजी का पुलीस को बल्ब वगैर. की इत्तिला न करना ... अराजी का जिसके नफे के लिये बल्ब का इत्तिकव हो मुस्तौजिवे सजा होना ... के एजन्ट कव मुस्तौजिव सजा है	१५४ १५५ १५६
दर्दे जिस्मानी— जो कोई शख्स पहुचाये तो कहा जायगा कि उसने जरर पहुचाया ...	३१६
दर्या— को हुकसान पहुचा कर हुकसान रसानी	४३१
दस्तावेज— की तारीफ मालत सर्कारी मुलाजिम की तरफ से मुरत्तव होना हुकसान पहुचाने के लिये ... का तर्के पेशी क्राविले सजा है जब कानून व जाजिव हो में भूठी गवाही बनाने की सजा को जाइअ करना वजहे सूवूत के तौर पर पेश किया जाना रोक देनेके लिये ... भूठी बनाना क्या है जाली बनाना क्या है	२६ १६७ १७५ १६२ २०४ ४६४ ६७०
<u>मुलाहज तलब</u> भूठी दस्तावेज—जाली दस्तावेज ।	
दस्तकार— की तरफ से हुकजे मुआहद	४६२
दुश्मनी— बडानी तवकालते रिआया के दर्मियान	१५३ (शलिफ)

मजमून ।

बक्रः ।

डकैतों—तत्तम् ।

मुलाहज. तलव डकैतों का गुरोह ।

डकैतों के गुरोह—

में शरीक होने की सजा ४००

डकैती—

की तारीफ ३२६

महज की कजा ३२६

अगर बतले अमद के साथही उसकी सजा ३६६

में अगर जररे शर्दी पहुचाया जाय या अगर मौत या जररे स्ट्रोद
पहुचाने का इकराम कियाजाय ३६७

में अगर मुजरिम हर्ब-इ मुहलिक से हुनसहहे ३६८

की तैयारी किस सजाके लइक है ३६८

करने वालों के गुरोह का शरीक होना किस सजाके लइक है ४००

के इतिकार के लिये जमा होता ४०२

के इतिकार का माले मतलब वददियानती से लेना ४१२

मुलाहज. तलव सर्कश् विलजत्र ।

रास्तः—

घाम को खराब करना या हुस्तान पहुचाना ४३२

मुलाहज. तलव शारिच्चे आम ।

रेजिस्टर—

को विलादत या गनिबाय या इजदिमन या तदमेल के जारी बनना ४००

रुसम—

मसहबी में खलव मन्दक होने की सजा ४६६

रिशवत—

रिने बुना कर्ब की मजमिन ४६९

संज्ञमूल ।

दफ ।

रिश्वत—ततिम्भ ।

लेने वाला ऐसा शख्त जो सरकारी मुलाजिमों का उम्मेदवार है ...	१६१
लेना फ़ासिद वसीलों से सरकारी मुलाजिम पर दवाव डालने के लिये ...	१६२
लेना सरकारी मुलाजिम पर रूख्खे जाती खमल में खाने के लिये ...	१६३
लेने में इअनत करने वाला सरकारी मुलाजिम	१६४
कोई कीमती शै बिना बदल वगैर लेने वाला सरकारी मुलाजिम ...	१६५
<u>मुलाहज.तलव</u> माविहिल इहतिजाज ।	

रिजामन्दी—

से जो सब फ़ेल कि लिये जायें उनका खारिज होना जराइम की फिहरिस्त से कब सही नहीं है	८७ श्री ८८ श्री ८९
की जुस्सूरत नहीं जबकि यह हामिल नहीं की जासक्ती हो और जो फ़ेल कि नेक नीयती से किया जाय वह फ़ाइदे के लिये हो ..	९० ओ ९१ ९२

रुन्नकअ—

इस्मी किसी महाजन का “दस्तावेज” है	२९ तमसील
--	----------

रंज देना—

फ़ोर्ट में बददियानती से भूठा दावा करके	५७६
किसी मतवाले आदमी के जरीयेसे	५१०
<u>मुलाहज तलव</u> नशे में होना ।	

रूपोश होजाना—

समन या इत्तिलानामे का अपने पास तक पहुंचना टाल देने के लिये— और उसकी सजा	१७२
--	-----

रुपयः—

मुलाहज तलव **कम्पनी का रुपयः फ़रुखावादी रुपयः ।**

रोशनी—

झूठी दिखाना	२८१
--------------------	-----

मजमूद ।	दश. ।
<p>ज़मीन का मालिक—</p>	
<p><u>मुल्ताहज-तलब</u> मालिके ज़मीने ।</p>	
<p>ज़िना—</p>	
<p>जो सजा की इआनत करने की पादाश में जौज सजा दिये जाने के ताइक़ न होगी वनीयते मुजरिमान मन्क़ूह-औरतों का फुमला लेजाना या लेउब्ना कंगर.</p>	<p>४६७ ऐजन ४६८</p>
<p><u>मुल्ताहज-तलब</u> इज़्ज़िवाज ।</p>	
<p>ज़िना वजन्न—</p>	
<p>जो तारीफ़ और उस्तबी सजा</p>	<p>३७५ और ३७६</p>
<p>जौजः—</p>	
<p>जो शौहर की पनाह देना इतिफ़ातें जुर्म नहीं है से उसके शौहर का जमाअ करना जिना वजन्न है अगर जौज की उमर १२ बरस से कम हो</p>	<p>३३६ और ३३७ और ३३८ ३७५</p>
<p>ज़हर—</p>	
<p>जो निस्वत बे-हतियानी या राक़लन कर्ना या वाजिबीयेग़ दारतफ़ा नरें करना देना जरर या जररे मर्दाद पहुंचाने की नीयत से</p>	<p>३३६ और ३३७ और ३३८</p>
<p>ज़हरदार माइः—</p>	
<p>से जरर या जररे मर्दाद पहुंचाना</p>	<p>३३६ और ३३७</p>
<p>ज़ियान—</p>	
<p><u>मुल्ताहज-तलब</u> ज़ियाने बेजा ।</p>	
<p>ज़ियाने बेजा उठाना—</p>	

मसमून ।	दफ ।
जियाने नाजायज़—ततिम्म ।	
<u>मुलाहज़ तलव</u> बद दियानती ।	
सारिकाने विलजत्र—	
को पनाह देने की सजा	२१६-अलिफ
सिपाही—	
को तारीफ	१३१ तशरीह
के हमले में जो अफसर बालादस्त पर हो इम्नानत करना ...	१३३ओ१३४
का नौकरी पर से भाग जाना और उसकी उदूल हुक्मी ...	१३५ओ१३६ ओ १४८
का भेस बनना और उसकी सजा	१४०
सुपुर्द करना—	
तजर्वाजे मुकद्दम- या कैद के लिये शख्से मुजाज का दरहाले कि वह जानता हो कि मैं खिलाफे कानून काम करता हू	२२०
सिडीशन याने बगावत —	
पैदा करने की नीयत से जो अलफाज़ कि कहे जायें या जो अफआल कि किये जाये उनकी निस्वत सजा	१२४- अलिफ
सर—	
का हमेश के लिये बदसूरत किया जाना “ जरये शदीद ” है ...	३२०
सर्टिफिकट—	
भूटा जारी करना या उस पर दस्तखत करना	१६७
को जो भूटा जाना हुआ हो सच्चे की हैसियत से काम में लाना ...	१६८
<u>मुलाहज़ तलव</u> भूटा सर्टिफिकट ।	
सर्कारी मुलाजिम—	
के लफ्ज में कौन कौन शख्स दाखिल है	००
के अफआल का दफ्तीय	६६

मसामन ।	दफ ।
सर्कारी मुलाजिम—ततिस्मः ।	
का किमी हर्म में इथानत करना	११६
का इतिहासे जराइम की तद्वीर की छुपाना जिनकी रोकना उसपर लाजिमहे	११६
का अमीरे सुल्तानी या अमीरेजग की विलइराद यागकालत से मागजाने देना,	१२०औ१२०६
पर हमल-वगैर-करना जब कि वह बल्ल वगैर-फरो कर रहा हो ...	१५२
का ना मुनासिब तौर पर माविहिल् इहतिजाज वगैर-लेना	१६१
का इथानत करना गिशवत या माविहिल् इहतिजाज लेने में ...	१६२औ१६३ औ१६४
का कौमती शे लेना विला धेर मुक्तफ्री बदल के	१६५
का कानून की हिदायत से इन्हिराफ करना	१६६
का बलत दन्तावेज मुरत्तब करना	१६७
का नाजायज तौर पर तिकारत से सरोकार रखना	१६८
का नाजायज तौर पर फोई माल खरीदना या उसके लिये बोली बोलना-	१६९
का भेम बनाना	१७०औ१७१
का इन्धियाराते जायज की तहकीक के बयान में	बाब १०
के जागकिये हुये समन वगैर-का पाम पहुंचना डाल देने के लिये रुपेश होना	१७०
का समन वगैर-के पाम पहुंचने की रोकना	१७३
के हुकम के बगजिव हाजिर न होना या सर्कारी मुलाजिम की इजाजत के	
बगैर चला जाना	१७४
के हुजर में दन्तावेज पेश न करना या उसको हवाला न करना ...	१७४
की इतिहा या खबर न करना	१७६
की किमी हर्मकी जिमदा इतिहास हुआ हो अतिला या खबर न करना	१७६-२००
की भूटी खबर देना	१७७
की भूटी खबर देना किमी ऐसे हर्म की बाबत जिमदा इतिहास हुआ हो	१७७-२०३
के पाम हलफ उठाने में इतराफ करना	१७८
के नाराज का जवाब देने में इतराफ करना	१७९
के हुजर बयान पर दन्तव्यव करने में इतराफ करना	१८०
के हुजर हलफ पर बूट बयान करना	१८१
की हुजर के हुस्ताममें उसके शिपार को जनिफमात कराने के लिये भूटी	
खबर देना	१८२
के शिपार के जवाब की रूपे जी माग किया जायशे उसमें दखलत करना	१८३
के शिपार के जवाब की रूपे जी माग किया जायशे उसमें दखलत करना	१८३

मजमून ।

दफ ।

सर्कारी मुलाजिम—ततिम्म ।

की तरफ से जो माल कि नीलाम पर चढ़ाया जाय उसको खिलाफे क़ानून ख़रीदना या उसके लिये बोली बोलना	१८५
के लवाज़िमे मन्सवी की अज़ाम दिही में मुज़ाहमत करना या उसके मदद देने को तर्क करना	१८६ओ१८७
के ऐसे हुक़म से उदूल करना जो वाज़ावित मशहूर किया गया हो ...	१८८
को नुक़सान पहुंचाने की धमकी देना	१८९
से दख़ौस्ते मुहाफ़िज़त करने से वाज़ा रहने की तहरीक़ करने के लिये नुक़सान रसानी की किसी शख़्स को धमकी देना	१९०
जो मुजरिम को बचाने के लिये हिदायते क़ानून से इन्हिराफ़ करे ...	२१७
जो मुजरिमको बचाने के लिये ग़लत फ़ाग़जे सर्रिश्त या नविश्त मुरत्तबकरे	२१८
जो हुक़म वग़ैर खिलाफे क़ानून सादिर करे	२१९
जो किसी शख़्स को खिलाफे क़ानून हक्स मे रखे	२२०
जो ऐसे शख़्स का गिरिफ़्तार वग़ैर करना तर्क करे जिसपर इत्तिहाम हो या जिसपर हुक़मे रुज़ा सादिर हुआहो	२२१ओ२२२
का ग़फ़लतन् किसी शख़्स को हक्स से भाग जाने देना	२२३
की तरफ़ से तर्के गिरिफ़्तारी या भाग जाने देना	२२५—अलिफ़
की तौहीन करनी या उसका हारिज होना जब कि वह अदालत की कार्रवाई कर रहाहो	२२६
जो अपने इख़्तियार से तजाबुज़ करके क़त्ले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा का मुर्तकिब हो क़त्ले अमद का मुजरिम नहीं है अगर वह फ़ेल बदनीयती से न किया गयाहो	३००
को जरर या जररे शदीद पहुंचाना अदाये ख़िदमत से उसको वाज़ा रखने के लिये	३३२ओ३३३
पर जन्मे मुजरिमान. करना	३५३
से ख़ियानते मुजरिमान.	४०९
के हुक़म से जो निशान जमीन में क़ाइम किया जाय उसको मिसमार वग़ैर. करना	४३४
के इस्तिअमाल किये हुये निशाने मिलकीयत की तलवांस करनी ...	४८४
को धोखा देने के लिये असवाब पर भूठे निशान बनाना	४८७
को धोखा देने के लिये भूठा निशान इस्तिअमाल करना	४८८

सर्कारी मुलाजिम का उम्मीदवार होना—

उसकी तशरीह	१६१तशरीह
-------------------	----------

मजमून ।

दफ ।

सिक्कः — ततिम्म ।

जो मलिक इ मुय्यज्जम. का हो उसके फरेव से वजन घटाने या उसकी तर्कीव बदलने की सजा	२४७
की सूरत बदलने की सजा	२४८
जो मलिक इ मुय्यज्जम. का हो उसकी सूरत बदलने की सजा	...				२४९
जो कब्जे में लेते वक्त जाना गया हो कि वह मुवदल है उसको दूसरे के हवाल करने की सजा	२५०
जो मलिक इ मुय्यज्जम. का हो और जिसको कब्जे में लेते वक्त जाना गया हो कि वह मुवदल है उसको दूसरे के हवाल करने की सजा	...				२५१
जो मुवदल हो उसको मुवदल जानकर पास रखने की सजा	...				२५२
जो मलिक इ मुय्यज्जम. का हो और मुवदल हो उसको मुवदल जानकर पास रखने की सजा	२५३
जो पहले कब्जे में लेते वक्त मुवदल न जाना गया हो उसको असली सिक्क. की हैमीयत से हवाल करने की सजा	...				२५४

सलामती—

आम्म.इस्तलादक की	बाब १४
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------

सलामतीये जाती—

या जान को खतरे में डालने वाला वे इहतियारी या गफलत का फेल और उसकी सजा	३३६
या जान को खतरे में डालने वाले फेल से जरर या जररे गद्दीद पहचाना और उसकी सजा	३३७ और ३३८

समन—

का अपने पास पहचाना टाल देने के लिये न्याय होना	१७७
के पहचाने को रोचना	१७८
के हुक्म को न मानना	१७९

मलान. तलव सर्कारी मुलाजिम ।

समन का पहचाना—

मलान. तलव समन ।

सवार होकर निकलना—

ने.सि.सि.सि. या मलान. तलव से निकलने का हुक्म	२७४
--	-----	-----	-----	-----	-----

मजमून ।	दफ ।
सवाल—	
जो सरकारी मुलाजिम की तरफ से किया जाय उसके जवाब देनेसे इन्कार करना कब जुर्म है	१७६
सौदागर—	
के खियानते मुजरिमान.	४०६
सौदागरीये मरकबेतररी—	
के नाखुदा से मुवाखज फिरारी की बात	१३७
सैलाव—	
फैलाना नुकसान रसानी के लिये या बदररवे आम के रोकने वगैर से <u>मुलाहज तलब बदररवे आम ।</u>	४३२
शारिअे आम—	
पर वे इहतियाती या गफलत से गाडी चलाने या सवार होकर निकलने कीसजा पर जो सर्कःइ विल्जत्र मर्वेन तुलूअ ओ गुरूवे आफताव के इतिकव में	२७६
आये उसमी सजा	३६२
को खतर. या मुजाहमत पहुचाने की सजा	२८३
को नुकसान पहुचा कर नुकसान रसानी	४३१
शामत—	
से किया हुआ अमर कब जुर्म नहीं है	८०
शख्स—	
की तारीफ	११ ।
हर एक शख्स उने जुर्मों की इहत मे जिनका इतिकव ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर हो मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द की रूसे मुस्तौजिव सजा है	२
हर एक शख्स जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर व इहत किसी ऐसे जुर्म के लाइके मुवाखज है जिसका इतिकव उसकी हुदूद के बाहर हुआ हो वह मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द के ताविअ है	३
हर एक शख्स लाइके मुवाखज है वइहत ऐसे फेल के जो चन्द शख्सो ने किया हो	१४

मजमून ।	दफा ।
शरवसे फातिरुलअफ़ल —	
से उर्तिकाव मे आये हुये जराइम लाइके सजा नहीं हैं	८४
के नफा के लिये जो फेल कि वली की रिजामन्दी से या बाज सूरतों मे विला रिजामन्दी के किया जाय जुर्म नहीं है	८६ चाँ ६२
“ रिजामन्दी” नहीं दे सकता है	६०
से दफ़ीय. मे इस्तिहकाके हिफ़ाजते खुद इख्तियारी	६८
जिन जुर्मों का मुर्तकिव हो उनमे इअनत कग्ना	१०० तशरीह ३
को लेजाना या फुमला लेजाना वलीये जायज की सपुर्दिगी मे	३६१
से दस्तखत या मुहर कराना या दस्तावेज को तवर्दाल कग्ना जाल- साजी है	४३४
की खिदमत करने और उसकी जुररियात के वहम पहचाने के मुजाहद का जुर्ज़	४३१
शरवसे युतवफ़फा —	
की निस्वत इत्तिहाम लगाना इजाल इ हेसायते उफ़ा हो सकताहै	४६६ पहली तशरीह ।
शरते मुअ्नाफ़ीये सजा —	
की मुम्नालफ़त और उसकी सजा	२२७
शरीक होना —	
चन्द क़ेसों मे से जिनमे कोई जुर्म मुग्भव हो एउ फेल कग्ने <u>मताहज तलम फेल — जुर्म ।</u>	२७
शिकायत —	
जो शरमे जी उख्तियार के मामने नेक नीयती से पेश हो जाय इजाल इ हैनीयते उफ़ा नहीं है	४७७-४७८ मुम्नालफ़ा ।
शौहर और जौजः —	
या एउ इन्तरे हो पनाह देना जुर्म नहीं	४७७ की ४७८-४७९
साहिबे कमीशने उहद दार —	
...

मजमून ।	दफ ।
सिद्दत—	
मलाहज तलव—हथ्रा उफूनत फैलाने वाली बीमारी— आम्मःइस्लाइक की आफीयत ।	
सिलः—	
वगैर लेना या पेश करना मुजरिम को वचाने के लिये और उसकी सजा वगैर लेना या पेश करना माले मसरूक वगैर की वाजयाफ्त मे मदद करने के लिये	२१३औ २१४ २१५
जाइअ करना—	
दम्तावेज का वजहे सुवृत के तौर पर पेश किया जाना रोक देने के लिये	२०४
जवती—	
जायदाद की तजवीज खाह मनकूल हो या और मनकूल किन किन सरतों मे मामूली अदालतो की तरफ से जायज है	६२
„ की तजवीज जो जायदाद पीछे से हासिल की हो—गवर्नमेण्ट के फाइदे के लिये होनी चाहिये	६१
„ सजा हाये तहले मजमूअ इ क्वानीने ताजीराते हिन्द में से एक सजाहै	५३ पाचवा
„ वइलत जग करने के गवर्नमेण्ट के मुक्काबले मे	१२१औ १२२
ऐमी जायदाद की जो उस वाली के मुल्क में जो गवर्नमेण्ट से रावित इ इत्तिहाद रखता हो गारतगरी के काम में मुस्तामल हो या गारतगरी के इतिकाम से हासिल कीजाय	१२६औ १२७
से वचने के लिये फरेव से दूर कर देना वगैर. जायदाद का	२०६
से वचने के लिये फरेव से किसी जायदाद को तहवील मे लेना या उसका दावा करना	२०७
से मालको वचाने के लिये सर्कारी मुलाजिम का कानून से इन्वदिगफ करना	२१७
से माल को वचाने के लिये सर्कारी मुलाजिम का बलत कागजे मरिश्न वगैर मुस्तव करना	२१८
जरर—	
की तारीफ	३१६
कव जररे “शदीद” है	३२० आटावा
विल इराद पहुचाने की तारीफ	३२१

मजमून ।	दफ़ ।
जरर—ततिम्मः	
बिल इराद पहुचाने की सजा	३२३ औ ३२४ औ ३२७ औ ३३० औ ३३२ औ ३३४
पहुचाना बेइहतियाती या गफलत के फेल से	३३७
पहुचाने की नीयत से जरर या दवा खिलाना	३२८
बिल इराद पहुचाना सर्क इ बिलजत्र के इतिफाव के वक्त	३६४
पहुचाने की तैयारी के बाद नुकसान रसानी का इतिफाव	४४०
<u>मुलाहज. तलव मुदाखलते बेजाये मुजरिमानः—जररे</u> शदीद मुदाखलते बेजा वखानः—नुकूसान रसानी ।	
जररे शदीद—	
या हलाकत जिस फेल से मकसूद न हो और न उसके इहतिमालका इल्म हो और वह वरिजामन्दी किया गया हो तो वह फेल जुर्म नहीं है	८७
की तारीफ	३७०
बिल इराद पहुचाना क्या है	३२३
बिल इराद पहुचाने की सजा	३२५ औ ३२६ औ ३२६ औ ३३१ औ ३३३ औ ३३५ औ ३३८
किर्मी शरम को पहुचाने के लिये भागना या भगा लेजाना	३६७
की तन्त्रपोफ़ किर्मी शरम को देना इम्निहमाले मिताजन के लिये	३८२ औ ३८७
उर्फना या सर्क इ बिलजत्र के इतिफाव की हालत में	३६७
पहुचाना मुदाखलते बेजा वखान या नरुवतनी के इतिफाव के हालत में	४४१ औ ४६०
<u>मुलाहज तलव जरर ।</u>	
जोफ—	

मजमून ।	दफ ।
तवक्तःइ खलाइक —	
लफजे “आम्म.” के अन्दर दाखिल है	१२
तिफल —	
जो ७ वरस से कम उमर का हो उसका किया हुआ फेल जुर्म नहीं है	८२
जो ७ वरस से जियाद और बारह वरस से कम उमर का हो और उसकी	
अकल पुख्तगी को न पहुची हो उसका किया हुआ फेल जुर्म नहीं है.	८३
के फाइदे के लिये जो फेल के तिफल के हक में वली की रिजामन्दी से या	
बाज्र सूरतों में विदून रिजामन्दी के किया जाय वह जुर्म नहीं है ...	८६औ६२
जो १२ वरस से कम उमर का हो उसकी “रिजामन्दी” रिजामन्दी नहीं है.	६०
से जराइम की इथानत का इर्तिकाव	१०८तश-
	रीह ३
जो पैदा नहीं हुआ उसकी निस्वत जराइम	३१५औ३१६
को जिसकी उमर १२ वरस से कम हो डाल देना या छोड़ देना ...	३१७
की विलादतकाइखफा करना लाशका चुपकेसे किनार करके और उसकीसजा	
को (जिसकी उमर अगर लडका है १४ वरस और अगर लडकी है १६ वरस	३१८
से कम हो) लेजाना या फुसला लेजाना वलीये जायजकी हिफाजत से	३६१
को भगा ले जाना	३६२औ३६४
को जिसकी उमर १० वरस से कमहो उसके वदन परसे कोई शै चुरालेने की	
नियत से ले भागना या भगा लेजाना	३६६
को जिसकी उमर १६ वरस से कमहो फेले शनी वगैर की नीयत से सरी-	
दना या फरोख्त करना	३७२औ३७३
की खिदमत करने और उसकी जरूरियात के वहम पहुचाने के मुआहद	
का तुक्ज	४६१
मुलाहज तलष इन्सान को भगा लेजाना-छुपाना ।	
तूल —	
का भूटा पैमान	२६५औ२६७

मजमून ।	दफ ।
आदतन्—	
गुलामो के कारोवार करने की सजा	३७१
माले मसरूक का कासेवार करना	४१३
आय—	
मुस्तसनीयात	बाब ४— ७६-१०६
आम चश्मः या हौज—	
के पानी को गदल करने की सजा	२७७
आस्पः—	
की तरीफ	१२
खलाक के खरू फुदुश ग्रफआल करने और फुदुश गीत गाने की सजा	२६४
की मिहत के मुतअल्लिक जराइम हवा को खराव करके	२७८
की मिहत के मुतअल्लिक जराइम पानी को खराव करके	४३०
” ” ” ” जफलतव या खनासतव किसी ऐसे फेल के करने से जिससे उफूनत वाली बीमारिकेफलेना व्हनिमालहो	२६६-२७०
इवादत—	
गाह को मुत्सान पहचाना या नजिस करना	२६४
मजहरी करने वाले मजमे को उजा पहचाना	२६६
गाह को बसगिय आग के तवाह करके मुत्सान रसानी	२६६
गलाहज तथा मुत्सान रसानी ।	
इवादतगाह—	
को मुत्सान पहचाना या नजिस करना	२६४
इवारते जिहरी—	
... ..	२६६-२७०
... ..	२६६-२७०
... ..	२६६-२७०
... ..	२६६-२७०

मजमून ।	पृष्ठ ।
इवारते जिहरी—ततिम्म ।	
हुन्डी पर--	
<u>मुलाहज तलव हुन्डी ।</u>	
अदालत की कार्रवाई—	
की तशरीह	१६३ तशरीह
में झूठी गवाही देने या बनाने की सजा	१६३
की किसी हालत में सरकारी मुलाजिम की तौहीन करने या हारिज होने की सजा	२२८
में सरकारी मुलाजिम का फामिद तौर पर कैफ़ीयत वगैर खिलाफ़े क़ानून मुत्तन करना वगैर	२१६
<u>मुलाहज तलव कोर्ट मारशल—इब्तिदाई तफ़्तीश ।</u>	
उदूल हुक्मी—	
में किसी मिपानी या खतामी के इआनत करना	१३८
थजो या मुफ़सलत—	
का मादूम किया जाना “ जररे शदीद ” है	३२० चौथी।
के हुना वा मादूम किया जाना या हमेशे के लिये जर्जफ़ किया जाना “ जग्गे शदीद ” है	३२०
उफ़ना वाली बीमारी—	पाचवीं
फैलने का इहतिमाल जिस गफलत या ख़वामत के फैल से हो उसकी सजा	२६६ और २७०
के मृत अल्लिक जो कवायद कुवारनटीन (करनतीन) कि गवर्नमेन्ट की तरफ़ से जारी और मुश्तहर हुये हैं उनसे इन्फ़िराफ़ करना ..	२७१
अला सदीलिल ददलीयत—	
इसवाते शुर्भ—सजा की हद	७२
इमारत—	
के मिममार करने या उसके मरम्मत करने की निस्वत तााहुत करना <u>मुलाहज तलव घर ।</u>	२८८

मजमून ।	दफ ।
उमर—	
की हंडे इतिफते हर्भ के काविल होने के बारे में	=२ यो. =३
आँद—	
नाजायज हन्म वजरे न्यायि शोर में	७०६
औरत—	
की तारीफ	१७
का उमराने हमल कराना उमकी रिजामन्दी से या उमकी रिजामन्दी के फिदन	३१० यो ३/३
की हलाकत का बाअन होना ऐमे फल में जिसमे उमदाने हमल कराना मकतूद हो	३११
पर हस्त या जने मुजरिमान करना उमकी उपपत में खलल जानने की नीयत से	३११
को ले भागना या भगा लेजाना इजदिवान पर मजबूर करने के लिये या फुमलाये जाने के लिये	३६६
माफ़ह को बर्नायेते मुजरिमान फुमला लेजाना या ले उतना या गोरु खरना	४६२
की शर्मसारी की नौहील करे गला लफज या हररत या फिल ..	११६
<u>मदाहज नरम भगा लेजाना—जिना—जिना वजत्र ।</u>	

मजमून ।	दफ ।
शफलत—ततिम्म ।	
से हलाकत का वाइस होना	३०४-अलिफ
जहर के साथ काम करने में	२८४
आग के साथ काम करने में	२८५
भरू से उडजाने वाले भाद्वे के साथ काम करने में	२८६
रुल के साथ काम करने में	२८७
शफलत का फेल—	
<u>मुलाहजा तलव शफलत या वैइहतियरती का फेल ।</u>	
गुलामों का गैर मुल्क से लाना—	
इसकी सजा	३७१
गुलामों का कारोवार करना—	
इसकी सजा	३७१
गुलामी—	
के लिये ले भागना या मगा लेजाना	३६७
गुलामों का कारोवार करना	३७०
आदतन् गुलामों का कारोवार करना	३७१
बलत फहमी—	
रिजामन्दी को नादुरुस्त कर देती है	६०
अमरे वकूई की और उसका नतीज जब कि वह फेल जो सरजद हो ऐसे शख्स से किया जाय जो अपने तई उस फेल के करने का कानून पावन्द या मुजाज वावर करताहो	७६ आ ७६
कानून की किसी फेल के शुर्म होने की मानि नहीं है	७६-७६
गैर मुल्क से गुलामों का लाना—	
उसकी सजा	३७१
फातिरुल अकल—	
<u>मुलाहजा तलव मजमूने दौरों ।</u>	

मजमुन ।	दफ ।
फातिरुल अकल — ततिम्म ।	
<u>मलाहज तलव शरुसे फातिरुल अकल ।</u>	
फाह्दः—	
के माने के लिये	६२ नगरीह
फुहुश वात—	
बहना ग्रौर उमर्का मजा	२६८
फुहुश शेर—	
पटना ग्रौर उमर्का मजा	ऐजन ।
फुहुश फेल—	
कम्ना ग्रौर उमर्का मजा	ऐजन ।
फुहुश किताब वगैरः—	

मजमून ।	दफ ।
फरेवसे—	
की तारीफ	२५
माल को कुर्क किये जाने से रोकने के लिये दूर कर देना वगैर	२०६
दावा करना माल का कुर्क किये जाने से रोकने के लिये	२०७
चौर वाजिब रुपय की डिक्री जारी होने देना	२०८
दावा करना किसी कोर्ट आफ जस्टिसमें	२०९
डिक्री हासिल करना गैर वाजिब रुपय की	२१०
खते नसख सीचना वगैरह वसीयत नामे या मुतवन्ना करने के इजाजत- नामे या फिफालतुल माल पर	४७७
मुलाहज तलव-फरेवी हरकात और जायदादके इन्तिकालात ।	
फरेवी हरकात और जायदाद के इन्तिकालात—	
करज खाहो की हक तलफी करने या खरीदारो से दगा करने के लिये और उसकी सजा	४२१-४२४
फेल-	
की तारीफ	३३
जो चन्द शख्सो ने इराद इ मुशतरकसे कियाहो	३४
का हर एक शख्स से मुवाखज होगा जब वह मुजरिमान हो और चन्द शख्सो ने उसे कियाहो	३५ औ ३७ औ ३८
से कुछ और तर्के फेल से कुछ-जो जुर्म कि वकू में आये	३६
कव जुर्म नहीं है	बाव ४
मुलाहज तलव वे इहतियाती और गफलत का फेल ।	
फेले शनी-	
की गरज से नावालिग को बेचना या खरीदना और उसकी सजा	३७२औ ३७३
फेले मुजरिमान:-	
जो चन्द अशखास ने अपने इराद इ मुशतरक की पेशरफत में किया हो हर शख्ससे उसका मुवाखज	३४
से जो अशखास तअल्लुक रखते हों वह मुख्तलिफ जुर्मोके मुजरिम हो सक्ते हैं	३८
मुलाहज तलव फेल ।	

मजमून ।	टफ. ।
<p>फौज-</p> <p>के मुनअलिक जराइम और वह जराइम जो अशहासे मुतअलिके फौज से सरजदहो</p> <p><u>मुलाहज तलव हिन्द के जंगी आईन ।</u></p>	<p>वाव ७</p>
<p>फौजी कोर्ट मारशल-</p> <p>के हुजूर तजवीजे मुकदम. " अदालत की कार्रवाई " है . . .</p>	<p>१६३ पहली तशरीह</p>
<p>फैसल:-</p> <p>मे यह लिखा जासक्ता है कि इस अमर मे शुब है कि फुलां शरत चन्द जुमों मे से किस जुर्म का मुजरिमहै</p>	<p>७२</p>
<p>फैसले-</p> <p>जो तुर्कारी मुलाजिम फासिद तौर पर अदालत की कार्रवाई मे सादिर करे</p>	<p>२१६</p>
<p>क्वाविले रवानगीये मरकवे तरी -</p> <p>जो दर्या या मजराये आबहो उसको लगव करना या शुहमान पहुचाना</p> <p><u>मुलाहज तलव मजराये आव-दर्या ।</u></p>	<p>४३१</p>
<p>कानून</p> <p>उन जुमों मे मुनअलिक है जिनका शतिकाव हुदुदे ब्रिटिश इगिअ्या के बाहर हो मगर उनकी तजवीज ब्रिटिश इगिअ्या के अन्दर होसक्ती है को चलन फहमी जैरे उर्म नहीं है और न बमबध उम के फौजदारी मे नालिश होसक्ती है</p> <p><u>मुलाहज तलव कानूने मुख्तस्सुल मकाम या मुख्तस्सुल अमर ।</u></p>	<p>२ पृ ८ ७६ पृ ७८</p>
<p>कानूने मुख्तस्सुल अमर -</p> <p>के मागे</p> <p>पर मजमू ३ गाननि ताजीगी विद मजमूनकी है . . .</p>	<p>११</p>
<p>कानूने मुख्तस्सुल मकाम या मुख्तस्सुल अमर -</p> <p>के मागे पर मजमू ३ गाननि ताजीगी विद मजमूनकी है . . .</p>	<p>११</p>

मजमू ।	दफ ।
कानूने मुस्तस्सुल मकाम-या मुस्तस्सुल अमर-ततिम्म ।	
की तारीफ	४१ औ ४२
के तहत के जराइम से मजमूत्र इ क़वानीने ताजीरात के मुस्तस्नीयाते आम मुतअल्लिक क्रिये गये हैं	४०
के तहत के जराइम से मजमूत्र इ क़वानीने ताजीरात के अहकाम दरखुसूस इत्थनत मुतअल्लिक क्रिये गये है	४०
के तहत के जराइम "शुर्भ" हस्वे मन्शाये मजमूत्र इ ताजीरात मे दाखिल है	ऐजन
<u>मुलाहज तलव कानूने मुस्तस्सुल अमर ।</u>	
कव्रस्तानों —	
मे मुदखलते बेजा करना और उमरी सजा	२६७
कूडजः —	
माल का किसी शख्म की तहफ से क़जरीय उसकी जौज या मुतसदी या नौकर के	२७
मे आक्रा के जो माल हो उसको नौकर का सर्क करना	३८६
कतले इन्सान —	
<u>मुलाहज तलव कतले इन्सान मुस्तलजमे सजा ।</u>	
कतले इन्सान मुस्तलजमे सजा —	
की तारीफ	२६६
ज्जे क़वरो अमद तक न पहुँचे उमकी सजा	३०४
के इतिकाम का इक़दाम और उसकी सजा	३०८
कन कतले अमद है	३००
कतले अमद नहीं है जब कि उसका इतिकाम बसवव सख्त और नागहार्ना इश्तिआले तवाफे हो	३०० पहला मुस्तस्ना शरा-इन और तशरीह ।
कतले अमद नहीं है जब कि उसका इतिकाम बसवव बडजानेके इश्तिह्काके हिफाजते खुद इश्तियारी मे हो	३०० दूसरा मुस्तस्ना ।

मजमून ।	दफ ।
कतले इन्सान मुस्तलजये सजा—ततिम्भ ।	
कतले अमद नहीं है जबकि उसका इतिकान सरकारी मुलाजिम से बसबव बढ जाने के अपने इखियारात से हो अगरचि नेक नीयती से हो ...	३०० तीसरा मुस्तस्ता
कतले अमद नहीं है जबकि उसका इतिकान बसबव नागहानी लटाई या गैज के हो	३०० चौथा मुस्तस्ता ।
कतले अमद नहीं है जब कि १५ बरस मे जियाद उमर का आदमी अपनी रिजामन्दी से हलाक किया जाय	३०० पाचवा मुस्तस्ता ।
उम शख्त को हलाक करके जो उस गरम का गैर हो निमशा हलाक करना मकम्द था	३०१
की सजा जब कि वह कतले अमद की हदको न पहुचे	३०४
के इतिकान का इकदाम	३०५
तक पहुचे हुये फेलके जरीये मे किमी जानदार जमीन की हलाकत का वाइस होना	३१६
है-बच्चे को डाल देकर हलाक करना	३१७
कतले अमद—	
की तारीफ	३०० और ३०१
की सजा	३०० और ३०३
के इतिकान का इकदाम और उमरी सजा	३०७
जन्म हुने के हाथ मे	२०३ और २०७
के लिये वे भागना या भगा लेजाना और उमरी सजा	३१४
के साथ उरुना	३१५
मन्दाज नगम भगा लेजाना—डकैती—ले भागना ।	
क़र्ज—	
के प्रय का गैरग उद रिवाजि ता क़र्ज मे	२३०
क़र्ज गारां—	
क़र्ज गारां—क़र्ज आगेज बमीके और माल को क़र्जे मे अलाहदः करना ।	

मन्मथ ।

२५ ।

करदन् तर्क करना—

जिमी मग्न की गिरिधरार्थी या जिनस्य नुह्यत हो या जिनस्य हुये
सजा मानि होचुका हो = २२ और २२२

करदन् तौहीन करनी या हारिज होना—

सर्गरी मुलाजिम का जन्मि वह अदालत की नार्गरी में अजलाग
कर रहा हो २२८

कलमरवे ब्रतानी—

के अन्दर जिन जुर्मों का इतिकाम हो उनकी सजा २
के बाहर जिन जुर्मों का इतिकाम हो उसकी सजा ३

कलमरवे शेर—

के अन्दर जो जराइम कि इतिकाम मे आये और जिनकी तजवीज ब्रिटिश
इन्डिया के अन्दर होसक्ती है उनकी सजा ३ और ४
मे भारत गरी करने की सजा १२६
मे तल्मीमे सिफ की इथानत करना ब्रिटिश इन्डिया में रहकर २३६

कैद—

मजमूय ८ कवानाने ताजीरतेहिन्द के तहत की सजाओं में से एक सजा है
खाह सख्त होगी खाह महज ५३—चौथी
सख्त उम कैदी से मुतअलिक है जिसपर हुकम सजाये हक्स वउवूरे दर्याये
शोर सादिर हुया हो ५८
के एवज हक्स वउवूरे दर्याये शोर होसक्ता है ५९
की सजा का हुकम कुलन् या जुअन्न सख्त या महज होसक्ता है ६०
के मुस्तौजिव मुजरिमों की जायदाद की जवती ६२
के हुकम करने का इख्तियार जुर्मान अदा न होने की सूरत मे ६८
जो अदमे अदाये जुर्मान की सूरत में मामूलन् हुया करती है उसकी
मीश्वाद और नौअन्नत के कवाअद ६५ और ६६
और ६७
का खतम होजाना जुर्मान अदा करदेने पर ६८ और ६९
की सजा इथानते वगावत मे १३२

मजमून ।

दफ्त ।

कैद—तदिसम ।

की सजा मुजाहिम साबित करने की नीयत से झूठी गवाही देना वकील के
पाताश में १६५

ऐसे करने मुजाज की तरफ में जो खिलाफे फातुनद् जमल करना हो २००

में रखना या मुकैयद करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से मतक होना २०१

से भाग जाना— और सर्कारी मुलाजिम का करदन् या गफलत की राह

में हस्त या हिगमत में भाग जाने देना २०३

या हस्ते बेजा ले भागे हुये या भगा लेगये हुये शरक न २६८

मुलाहज तलव कैदे तनहाई हवसे बेजा मुदाखलते

बेजाये मुजरिमानः—जुर्मानः ।

कैदे तनहाई—

के हकमें सजा के मुतवाहिक रुवा भद और ऐसे हुकम सजा का जजग .. ७३ प्रो ७८

कैदी—

जो जन्म के लिये कैद हो उसकी तरफ से कतले जमद या जतदामे करने

जमद और जमकी सजा ३३३ प्रो ७८

काटने—

मजमून ।	दफ्त ।
काम में लाना—	
फ़रेव से किमी माल का और उसकी सज़ा	४०३ औ ४०४
कान—	४०५
की समाखत की हंभेशे के लिये मादुम किया जाना “जरर शर्दीद” है ..	३२०
क़िताब—	
फ़ुहुश के बेचने वगैर की सज़ा	२६२
करना क़ानून वाजिब—	
की तारीफ़	४३
करन्ती नोट—	
या बैंक नोटों की तलबीस की सज़ा	४८६ (अलिफ़)
या बैंक नोट जो जाली या मुलतवस हो असली की हैसियत से काम में	
लाना और उसकी सज़ा	४८६ (बे)
बैंक नोट जो मुलतवस हो पास रखना और उसकी सज़ा	४८६ (जीम)
या बैंक नोट के जाली बनाने या उनकी तलबीस करने के लिये औजार	
या सामान बनाना या पास रखना	४८६ (दाल)
कफ़ालतुल माल—	
की तारीफ़	३०
के इस्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये	
विल् इराद जरर या जररे शर्दीद पहुचाना	३२७ औ ३२६
	औ ३३० औ
	३३१
के इस्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये	
विल् इराद हब्से बेजा में रखना	३४७ औ ३४८
का बनवाना वगैर दशा के जररिये से	४००
का जाली बनाना	४६७
का तलफ़ कराना वगैर	४७७
मुलाहज तलव जालसाज़ी ।	
वाल—	
की निस्वत गफ़लत या बेइहतियाती का फेल या तर्के निग दाश्त ...	२=०

मजमून ।	दफ ।
कालिक्टर—	
कब जज है	१६ तमगील (अलिक) ।
कश्यनी—	
खाह उमर्रो सरकार से सनद मिली हो या नहीं लफजे “ शरत ” में दाखिल है	११
की निरदत इत्तिहाम करना इजाल ड हैसीयते उफों हासक्ता है ...	४६६तगराह?
का रुपय मलिक इ मुअज्जम का सिक्क है	२३० तमगील (दात)
कुवारन्टीन (कर्न्तीनः)—	
के क्वाअद से इगहराफ करनेकी सजा	२७१
कोर्ट आफ जस्टिस—	
की तारीफ	२०
के कौन कौन उहद तार “ सर्कारी मुलाजिम ” है	२१ नांय
के अहकाम की रू से जो जो अफयाल किये जाय वह जुर्म नहीं है ...	७८
में हाजिर होनेके मुतअतिकर समन वगैर के टाल देने के लिये रूपोसा होगा	१०१
में हाजिर होने के मुतअतिकर समन वगैर के अपने पास पटुचने वगैर को रोक देगा	१०२
हकम करने पर हाजिर होने में नफरतत बरगा	१०१
में हुकम होने पर अस्तमिज का फेज न करना	१०५
के हुकमनाम के तामात करने वाले किर्मी सर्कारी मुलाजिम को मदद	१०६
करने में नफरतत बरगा	१०७
... .. का शरिज होगा	१०८

मजमून ।	दफ ।
खाने या पीने की शै—	
में जिसका बेचना मकगूद हो आमेजिश करना	२७२
जो मुजिर और लाइके इरितमाल न हो उसे बेचना वगैर	२७३
खिलाना—	
जहर वगैर का इतिकाने जुर्म की नीयत से	२२८
गाय—	
को मारडालना या जहर देना या उसके किसी अजूब को या उसको बेकार कर देना	४२६
<u>मुलाहज तलव</u> नुकसान रसानी ।	
गाड़ी चलाना—	
<u>मुलाहज तलव</u> शारिअे आम ।	
गिरिफ्तारी—	
में मुजरिम या ऐसे शख्त की जिसपर किसी जुर्मका इल्जाम लगाया गया हो क़स्दन् तर्के मदद करना जब मदद करना क़ानूनन् वाजिबहो	१८७
से वचाना किसी शख्त को पनाह देकर या छुपाकर	२१६
क़स्दन् तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से	१२१
क़स्दन् तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से ऐसे मुजरिम को जिसकी निरखत हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहो	२०२
में अपनी तअर्रज या मुजाहमत करने की सजा	२६४
में किसी और शख्त की तअर्रज या मुजाहमत करने की सजा का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से	२२५
जायज़ में तअर्रज करना	२०५ (वे)
में तअर्रज या मुजाहमत करने की सजा	२२४ और २२५
<u>मुलाहज तलव</u> तअर्रज ।	
गर्म किया हुआ मादः—	
<u>मुलाहज तलव</u> आम ।	

मजमून ।	दफ ।
गज़न्द—	
पहुचाने का इहतिमाल जिस फ़ैल से हो	२१
स्वफ़ीफ़ पहुचाने वाला फ़ैल जुर्म नहीं है	२५
गलाब मादः—	
के जरीये से विलइराद जरर या जररे शदीद पहुचाना	३०४औ३२६
गवाह—	
का इन्कार करना हलफ़ या इकरारे सालिह करने से	१७८
का जवाब देने से इन्कार करना इजहार के वक्त	१७६
का बयान पर दस्तख़त करने से इन्कार करना	१८०
गुदाम के मालिक—	
की तरफ़ से ख़ियानते गुजग्मिान. माल की निस्वा	१००
गवर्नरे प्रेज़ीडन्सी—	
पर हन्ल करना ग़िनयारे जायज़ के निफ़ाज़ पर मजबूर करने या उममे वाज़ रखने की नीयत से	१२१
गवर्नर जनरल वहादुर—	
पर हन्ल करना ग़िनयारे जायज़ के निफ़ाज़ पर मजबूर करने या उममे वाज़ रखने की नीयत से	१२४
गवर्नमेन्ट—	

मजमून ।	दफ ।
गवर्नमेन्ट स्टाम्प— ततिम्म ।	
की तलवीस के काम मे आनेवाले औजार या सामान का पास रखना ...	२५६
की तलवीस के औजारका बनाना या बेचना वगैरह	२५७
मुलतवस का फरोखत करना वगैरह या पास रखना	२५८-२५९
जो मुलतवस जानाहुआहो उसको असलीस्टाम्प की हैसियतसे काममे लाना	२६०
का काम में लायाजाना तहरीर भिटाकर गवर्नमेन्ट को जियान पहुचाने की नीयत से	२६१
जिसका पहले इस्तिमाल में आ चुकना मालूम हो काम मे लाना ..	२६२
से उस निशान को छीलना जिससे जाहिर होता हो कि वह इस्तिमाल में आचुका है	२६३
मनसूई की मुमानिश्चत	२६२—
गवर्नमेन्टे हिन्द —	
की तारीफ	१६
गोली छोड़ना—	
मार डालने की नीयत से	३३७
इसके जरिये से जरर या जररे शर्दीद पहुचाना	३२४और३२६
घाट बाल—	
की तरफ से खयानते मुजरिमान माल की निस्वत	४०७
घर—	
को बजरीय याग के तवाह करने की नीयत से नुकसान रसानी ...	४३६
घोड़े—	
वगेर को मार डालना या जहर देना या उसको या उसके किसी अज्व को बेकार करना	४२६
<u>मुलाहज तलुक नुकसान रसानी</u>	
लाश—	
इन्तानी की तम्बलील करनी और उसकी सजा	२६८
लाइट हाउस—	
को तवाह करने या उसकी तन्दीले जाय करने या उसको किमी नदर बेकार कर देनेसे नुकसान रसानी	६३३

मजमून ।	दफ्त ।
<p>लड़का लड़की—</p> <p><u>मुलाहज तलव तिफ्तल ।</u></p>	
<p>लड़के—</p> <p>जिनकी उम्र १४ बरससे कम हो उनको फुल्ला लेजाना बली की मिलावते जायज से ले भानगा है ३६१</p>	
<p>लड़ना—</p> <p>जबकि उन्मे हगान बगपाही २५६</p> <p>काले मन्तान मुन्तजमे नजा जिनका नागहानी तार्फ मे चर्चिताम हो काले अमद की हद को नहीं पहुँचगा ३०० मस्त-सगा ४</p> <p><u>मुलाहज तलव हंगामः ।</u></p>	
<p>लिफ्टिन्ट गवर्नर बहादुर—</p> <p>पर हमल नजा गिचयारे जायज के बिकान पर मजदूर करने या उन से बाज करने की नीयत से ३०४</p>	

मजमून ।

दफ ।

लेजाना—

किसी शख्सको और मामून मरकबेतरी मे और उसकी सजा ... २८२

लेना माले मसरूकः का—

क्योंकर सजाया है ... ४११

बदलिकाने डकैती के ... ४१२

आदतनु या माले मसरूकः का कारोवार करना ... ४१३

साविहिल इहतिजाज—

की तारीफ ... १६१

सर्कारी मुलाजिम का लेना बेजा तौरपर ... ऐजनु

बगैर कुचूल करना फासिद तौरपर सर्कारी मुलाजिमपर दवाव डालने के लिये १६२

बगैर कुचूल करना फासिद तौर पर सर्कारी मुलाजिम के साथ रूसखे जाती अमल में लाने के लिये ... १६३

बिलाफ कानून के लेने और देने में सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से इथानत १६४

बगैर लेना सर्कारी मुलाजिम का निदून उसके बदले काफी के ... १६५

बगैर कुचूल करना मुजरिम को बचाने या तर्के इस्तिघास करने के लिये २१३

बगैर देना मुजरिम को बचाने बगैर के एवज में ... २१४

बगैर लेना माले मसरूक की वाजयाफत मे मदद करने के लिये ... २१५

माल (या जायदाद) —

की निस्वत हिफाजते खुद इख्तियारी -- मुलाहज तलव हिफाजते

खुद इख्तियारी ।

की कुर्की में तय्यर्रज करना और उसके नीलाम में मुजाहिम होना या उसके लिये खिलाफे कानून बोल बोलना वतौहीन इख्तियारे जायजके १८३ओ१८४ १८५

को फरेन की रुसे दूर करना या उसपर दावा करना जवती के तौर पर या टिक्रीकी तामील में कुर्क किया जाना रोफने के लिये-और उसकी सजा २०६ओ२०७

को किसी शख्स के जवती से बचाना सर्कारी मुलाजिम का हिदायते कानून से इन्हिराफ करके या गलत कागजे सरिश्त मुरत्तब करके .. २१७ओ२१८

के इस्तिहसाले विलजत्र या उसके वापस करने पर मजवूर करने के लिये विलजत्र जरर या जररे शदीद पहचाने की सजा ... ३२७ओ३२८ ३३० ओ ३३१

मजमून ।	दफ ।
<p>माल (या जायदाद)-तन्मि ।</p> <p>के इम्तिहसाले मिलजत्र या उसके वापस करने पर मजवूर करने के लिये हक्स वेजा ३४७ यो ३८७</p> <p>मुलाहज तलव माल का तसरुफे वेजा मुजरिमानः-मौत या हलाकत-जवती-फरेव आमेज वसीके और माल को फरेव से कब्जे से अलाहिदः करना माले मसरुकः ।</p>	
<p>माल पहुंचाने वाले—</p> <p>से गियानने मुजरिमान. १००</p>	
<p>मालिक—</p> <p>आगजी या उसरा एजन्ड उम बलने के लिये मुर्तोजिने सजाहे जो उसरा अगर्जा पर या उसके फावदे के लिये बरु मे आये १४८ यो १५२</p> <p>„ मुर्तोजिने सजाहे अगर उसके फावदे के लिये बलने का रतिवान हो १५५</p>	
<p>मालिके जमीन—</p> <p>या उसरा एजन्ड या मुन्मग्मि मुर्तोजिने सजाहे बनवन उस वताप के जो उमन्ती जमीन पर या उसके नके के लिये बरु मे आये ... १४८ यो १५५</p> <p>..... १५६</p>	

मजमून ।	दफ ।
मुतबन्ना करना—	
वसीयतनामे या मुतबन्ना करनेके इजाजत नामेका जाली बनाना या उस पर फरेव से खतेनरस्त रींचना या तलाफ करना-क्योकर लाइकेसजाहै	४६७औ४७७
मुतसदी—	
वा कब्ज मालपर आका का कब्ज है	२७
वा सर्क करना उस माल को जो आका के कब्जे में है	३८१
से वियानते मुजरिमान	४०८
का हिसाब भूटा बनाना	४७७
<u>मुलाहज तलव सर्कः ।</u>	(अलिफ)
मतवाला होना—	
<u>मुलाहज तलव रंज देना—नशे मे होना ।</u>	
मुतवफ़फा—	
की जायदाद से माले मनकूल का तसर्हिफे बेजा	४८४
मजवूरी—	
से जो राव फेल किये जाये वह मुआफ है वजुज कतले अमद या वद- खाही सर्कारके	६४
मजराये आव—	
को जरर पहुचाने से बुक्तसान रसानी	४३१
मुजरिम—	
को बचाने के लिये जुर्म की वजहे मुत को गाइव करदेना या भूटी खबर देना और उसकी सजा	२०१
को बचाने के लिये पगाह देना या सिलह लेना या देने चाहना	२१२औ२१६
मजिस्ट्रेट—	
कव “जज” है	१६ तमसील (वै)
कव “जज” नहीं है	१६ तमसील (दाल)
मजमा—	
कव झिल्लाफे कावून है	१४१
में दाखिल होना या रहना बाद उमके कि उमको मुतफर्गह होनेका हुकम होयुका हो	१११

मजमून ।	दफ ।
मुदाखलते बेजा मुजरिमानः— ततिस्म. ।	
याने मुदाखलते बेजा वखान. जिसकी सजा हक्से दवाम बउदरे दर्याय शोर है ४५०	४५०
याने मुदाखलते बेजा वखान. जिसकी सजा कैद है ४५१	४५१
याने मुदाखलते बेजा वखान. अगर जरूर पहचाने वंगर की तैयारी के बाद की जाय ४५२	४५२
क्योंकर “ मरफा मुदाखलते बेजा वखान ” है ४४३	४४३
क्योंकर नकवजनी है ४४५	४४५
याने “ मरफा मुदाखलते बेजा वखान या नकवजनी ”— क्योंकर लाइके सजा है—	
अगर महज हो ४५३	४५३
अगर ऐमे जुर्म के इतिकाम के लिये हो जिसकी सजा कैद है ४५४	४५४
अगर जरूर पहचाने की तैयारी के बाद की जाय ४५५	४५५
अगर जरूर शर्दीद पहचाया जाय वंगर इतिकाम के वक्त ४५६	४५६
क्योंकर “ मरफा मुदाखलते बेजा वखान वक्ते शम ” है ४४४	४४४
क्योंकर “ नकवजनीये वक्ते शम ” है ४४६	४४६
याने “ मरफा मुदाखलते बेजा वखान ” वा “ नकवजनीये वक्ते शम ”— क्योंकर लाइके सजा है—	

मजमून ।

दफ ।

मजहब--

के मुतयसिरु जर्मा की गना वाव १५
की वायन दिल दुखाने की नीयत में जान गैर जग्गा २६८

मजमअे मजहबी--

को ईजा पहुचाने की सजा २६६

मरासिमे तदफान--

के लिये जो लोग कि जमा हों उनको ईजा पहुचाना २६७

मुत्तब करना मख्त दस्तावेज का--

मुलाहज तलव दस्तावेज ।

मर्द ।

की तारीफ १०

मर्ज--

के वादस होने को " जरर " पहुचाना कहा जाता है ३१४

मरकवेतरी--

की तारीफ ४८

की वेदहतियाती या गफलत से चलाना २८०

पर जो हद से जियाद लदा हुआ या गैर मामूनहो अशाखास को अजूरे पर लेजाना २८२

को खराब औ खस्त कर रखना या तलफ करना या तलफ करने का इकदाम करना वजरतीय आग या भक से उडजाने वाले मादे के ... ४३७-४३८

मुलाहज तलव जहाज ।

मरकवे तरी का चलाना--

इसकी आम राह में मुजाहमत करना २८३

मुजाहमत--

मुलाहज तलव मुजाहमते वेजा ।

मजमून ।	दफ ।
मौत या इलाकत—ततिम्म. ।	
<p><u>मुलाहज तलव</u> मुदाखलते वेजा मुजरिमानः-मुदाखलते वेजा वखानः-नुकसान रसानी ।</p>	
महाजन—	
मे खियानते मुजरिमान	४०६
मुहर—	
वनागा या मुलतवम करना-या मुलतवम मुहर पास रखना- बर्नायते इतिहाव—	
जालमाजी	६७२ और ६७३
, जिमकी दुमगी सजा मुकरर है	४७३
महीना—	
का तारीफ	४६
मिउनी सिपल कमिश्नर—	
“ सर्कारी मुलाजिम ” है	२१ दमा (तमसाल) ।
नावालिग—	
का बेचना या खरीदना फते गना के लिये	३७० और ३७३
नाजायज तिजारत—	
<u>मुलाहज तलव</u> सर्कारी मुलाजिम-तिजारत ।	
नाजायज औद—	
इस बन्दूके दानी जोर से और ऊपरी सजा
नतीजः—	
जो ... से यह इरादे के लिये
निशान—	
... भूठी रोशनियां-भूटे निशान या पानी पर बैरने वाले निशान ।	

मजमुन ।

दफ ।

निशाने जमीन—

बगैर की मिसमाग या तवाह करके या उसकी तबदीले जाय करके मुक्तान रसानी ४३४

निशाने सरहद—

को तवाह करके या उसकी तबदीले जाय करके मुक्तान रसानी ... ४३४

निशाने समुन्दरी—

भूठा दिखलाना २२२

को तवाह करने या उसकी तबदीले जाय करने या किसी कदर बेकार कर देने से मुक्तान रसानी ४३३

निशाने मिलिकयत—

की तारीफ ४७६

भूठा इस्तिमाल करना—और निशाने मिलिकयत की तलबीस करनी या उसके तलबीस करने का आला बनाना या कब्जे में रखना ... ४८१-४८५

जो भूठा हो उस निशान के साथ असबाब का बेचना ४८६

भूठा—असबाब वगैर. पर बनाना या इस्तिमाल करना ... ४८७और ४८८

को विगाडना मुक्तान पहुंचाने की नीयत से ४८६

निशः—

में होने की हालत में जो फेल किया जाय जुर्म नहीं है ... ८५

की हालत जिस शख्त में उसकी बे मर्जी वगैर पैदा की जाय उसके खिलाफ में इल्म या नीयत का कयास ८६ .

की हालत में जो शख्त हो उसकी “ रिजामन्दी ” नहीं होसक्ती है ९०

की हालत में जो शख्त हो उसके दफिय में इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख्तियारी ९८

की हालत में जो शख्त हो उससे किसी दस्तावेज की तकमील या तबदील करना जाल साजी है ४६४

की हालत में आम्म इ खलाइक की आमद औ रफ्त की जगह में होना और उसकी सजा ५१०

नक्रवजनी—

की तारीफ ४४२

की सजा ४४३-४४५

मजमून ।	दफ ।
मौत या इलाकत—तनिम्म ।	
<u>मुलाहज तलव</u> मुदाखलते वेजा मुजरिमानः- मुदाखलते वेजा वखानः-नुफ्तसान रसानी ।	
महाजन—	
से खियानने मुजरिमान	४०६
मुहर—	
बनाना या मुलतवम करना-या मुलतवम मुहर पाम रखना- बर्नायते इतिनाव—	
जालमाजी	४७० औ ४७३
, जिमकी दूमरी सजा मुकरर है	४७३
महीना—	
का तारीफ	४६
मिउनी सिपल कमिशनर—	
“ सरकारी मुलाजिम ” है	२१ दमवी (तमवी) ।
नावालिग—	
का बेचना या खरीदना फेले शर्तों के लिये	३७० औ ३७३
नाजायज तिजारत—	
<u>मराहकत तलव</u> सरकारी मुलाजिम-तिजारत ।	
नाजायज औद्—	
इसमें बन्दूकें दवायें शोर में और दूसरी सजा	३३३
नतीजः—	
जो इरादों के फल इरादों के फल के फल इरादों	३३
निशान—	
जो पानी भूटे शोशनिषां-भूटे निशान या पानी पर नैरने वाले निशान ।	

मजमून ।	दफ ।
निशाने जमीन—	
वगैर को मिसमार या तवाह करके या उमर्का तब्दीले जाय करके नुकसान रसानी	४३४
निशाने सरहद—	
को तवाह करके या उसकी तब्दीले जाय करके नुकसान रसानी ...	४३४
निशाने समुन्दरी—	
भूठा दिखलाना	२८१
को तवाह करने या उसकी तब्दीले जाय करने या किसी क्रदर बेकार कर देने से नुकसान रसानी	४३३
निशाने मिलिकयत—	
की तारीफ	४७६
भूठा इस्तिमाल करना—और निशाने मिलिकयत की तलबीस करनी या उसके तलबीस करने का आला बनाना या कब्जे में रखना ...	४८१-४८५
जो भूठा हो उस निशान के साथ असबाब का बेचना	४८६
भूठा—असबाब वगैर पर बनाना या इस्तिमाल करना ...	४८७और ४८८
को विगाड़ना नुकसान पहुचाने की नीयत से	४८६
निशः—	
में होने की हालत में जो फेल किया जाय जुर्म नहीं है ...	८५
की हालत जिस शख्स में उसकी बे मर्जी वगैर पैदा की जाय उसके खिलाफ में इल्म या नीयत का क्रयास	८६
की हालत में जो शख्स हो उसकी “ रिजामन्दी ” नहीं होसکتی है ...	९०
की हालत में जो शख्स हो उसके दफीय में इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख्तियारी	९८
की हालत में जो शख्स हो उससे किसी दर्तावेज की तकमील या तब्दील करना जाल साजी है	४६४
की हालत में आम्म इ खलाशक की आमद ओ रफ्त की जगह में होना और उसकी सजा	५१०
नक्रवजनी—	
की तारीफ	४४२
की सजा	४५३-४५५

मजमुन ।	दफ ।
नक्रवजनी—तनिम्.	
वक्ते शव की तागीक	४४६
वक्ते शव की सजा	४५६-८५=
के कुल शुरका मुस्तौजिबे सजा है जब कि हलाकत या जररे शर्दीद बे वाइस हां	४६०
<u>मुलाहज तलव मुदाखलते बेजा मुजरिमानः ।</u>	
नक्रव जनीये वक्ते शव—	
<u>मुलाहज तलव मुदाखलते बेजा मुजरिमानः—नक्रवजनी ।</u>	
नक्रशःइ जमीन या नक्रशःइ इमारत—	
जिमका बतौरि वजहे सुव्त मुस्तामल होना मक्रमद हो “ दग्नाबिजे ” हे	२६ तमर्गाव
नक्रशःइ इमारत—	
<u>मुलाहज तलव नक्रशःइ जमीन या नक्रशःइ इमारत ।</u>	
नुक्रसान—	

मजमुन ।	दफ ।
नुकसान रसानी—तनिग्म ।	
लायट हाउम वगैर को तवाह या उमकी तबदीले जाय करके या उसको बेजार करके	४३३
निजाने जमीन को भिसमार वगैर करके	४३४
आग या भूक से उडजाने वाले माछे को इस्तिमाल करके	४३५औ४३८
आग या भूक से उडजाने वाले माछे को इस्तिमाल करके घर को तवाह करने की नीयत से	४३६
रस नीयत से कि ५६० मन के मूरुवे तरी को तवाह करे या बेखतर होने मे खलल अन्दाज हो	४३७
रा इतिक्राव बाद तैयारी हलाकत या जररे शदीद या मुज्जाहमते बेजा के वाउम होने के	४४०
के इतिक्राव के लिये किमी बन्द जर्फ को तोडकर खोलना	४६१औ४६२
बमीयत नाम या मुतबन्ना करने के इजाजत नाम या और किफालतुल-माल की निस्वत	४७७
मिल्कीयत के निशान को विगाड कर	४८६
निघिरतः—	
जिस में शराइत मुआहद के मजकूर हो “दस्तावेज” है	२६ तमसील
जिसमे अहकाम या हिदायतें मुन्दर्ज हो “दस्तावेज” है	ऐजाज्
नौकर—	
के कञ्जे में माल है तो आका के कञ्जे में है	२७
का सर्क करना आका के मालको	३०१
से खियानते मुजरिमान	४०८
की तरफ से हिताव भूटा बनाया जाना	६७७-अलिफ
मुलाहज तलब सर्कारी मुलाजिम ।	
नौकरी पर से भाग जाना—	
फौजी आदमी का और उसमें इअनत	१३१
नीयत—	
मुजरिमान या नतीज-जच्चि फेल ना इतिक्राव चन्द गालो मे वार्गे हो	३५
मुजरिमान ने वॉम जो फेल किना जाय वर मुय नही है	=१

 मजमून ।

नक्तवज्रनी—तविम्म

वक्के शव की तागीक
वक्के शव की मजा
के कुल शुरका मुस्तोजिवे सजा ह जब कि हलाकत या जररे शर्द चाइम हो

मुलाहज तलव मुदाखलते बेजा मुजरिमानः ।

नक्तव जनीये वक्के शव—

मुलाहज तलव मुदाखलते बेजा मुजरिमानः—नक्तवज्रः

नक्तशःइ जमीन या नक्तशःइ इमारत—

जिमका बतारे वजदे सुवृत सुरतामल होना मक्तउद हो “ दस्तावेजे

नक्तशःइ इमारत—

मुलाहज तलव नक्तशःइ जमीन या नक्तशःइ इमारत ।

नुक्तसान—

की तागीक
पुचाने की धमकी बेजा सर्की मुलाजिम की				...
की नगरीक इतिहसाने विगजम के इतिहासके लिये				

मुलाहज तलव धमकी या तरकीफ ।

नुक्तसान रसानी—

मजदूरी ।

पृ. ।

मुकसान रसानी—तन्निम्न ।

लाट्ट हाउस पोर को तवाह या उमरी तवर्तले जाय करके या उमरी तवाह करके	४३३
निमाने जमीन को मिसमार बर्गन करके	४३४
आग या गरु से उटजाने वाले भाँड़े को इस्तिमाल करके	४३५ औ ४३६
आग या गरु से उटजाने वाले भाँड़े को इस्तिमाल करके घर को तवाह करने की नीयत में	४३६
रूम नीयत में कि ५६० मन के मरकबे तरी को तवाह करे या बेग्वतर होने में रसलल अन्दाज हो	४३७
का इतिफाव बाद तैयारी हलाकत या जररे शर्दीद या मुज्राहमते बेजा के वाइम होने के	४४०
के इतिफाव के लिये किमी बन्द जर्फ को तोडकर खोलना	४६१ औ ४६२
बभीयत नाम या मुतबन्ना करने के इजाजन नाम या और किफालतुल-माल की निश्चत	४७७
मिल्कीयत के निशान को विगाड़ कर	४८६

निश्चतः—

जिस में शराइत मुआहद के मजकूर हो "दस्तावेज" है	२६ तमसखि
जिसमें अहकाम या हिदायते मुन्दर्ज हो "दस्तावेज" है	ऐजन्

नौकर—

के कब्जे में माल है तो आका के कब्जे में है	२७
का सर्क करना आका के मालको	३८१
से खियानते मुजरिमान	४०८
की तरफ से हिताव भूटा बनाया जाना	४७७-अलिफ

मुलाहज तलब सर्कारी मुलाजिम ।

नौकरी पर से भाग जाना—

फौजी आदमी का और उसमें इआनत	१३५
----------------------------	-----	-----	-----	-----

नीयत—

मजरिमान या ननीज-जबकि फेल का इतिफाव बन्द शरुको में बाँके हो	३५
मुजरिमान के वीर जो फेल किया जाय वह मुर्म नहीं है	३८

मजमून ।		२७
नेकनामी—		
को गजन्द पहुचाने के लिये जालमार्गी	...	८६६
नेकनीयती—		
की तारीफ	...	५१
से जो अफआल किमी कोर्ट अफ जन्डिम के अह्वाम के मुताबिक किये जाये उनकी मुश्कली	...	७२
से जो गजन्द विदून नीयते मुजरिमान पहुचाया जाय मुश्कल है	...	७२
से जो फेल किमी शरम के फाउदे के लिये वे रिजामती कियानाय मुश्कल है	...	६२
से जो एलाम क्रिया जाय वह उर्थ नहीं है	...	६३
वाहिद ओ जमा—		
की तारीफ	...	६
वालियाने मुल्के गैर या रियासत हाये गैर—		
के मुकामले में जगह और उनकी सजा	...	१०१-१०२
वसीक.—		
जिममें एवज का शूत्र बयान लिखा गया है उसका उद दियानती या फंय से तर्फील करना	...	८०३
वजहे तदरीक या हफ्फुस्सई किसी फेल के लिये—		

मजमून ।	दफ ।
हारिज होना—	
सरकारी मुलाजिम का अदालत की किसी करिवार्द में	२२ =
<u>मुलाहज</u> तलम कसदन् तौहीन करनी या हारिज होना ।	
दृष्टी—	
का दृष्टना या उत्तरना “ जररे शदीद ” है	३०० सात्व्या
दमरानगी—	
जो किसी मर्दने किसी यौरन में यह भोका देकर की हो कि उसका रज- दियाज उसके साथ हुआ है	११३
हिन्द के जंगी आईन (ऐक्ट ५ मुसदरःइ सन् १८६६ ई०)—	
के जो प्रशस्नाम तापि है वह मजमून र तजानीने तानीगत हिन्द की र से मुन्नाजिये राना नहीं है	१३६